नवम माला, खंड 3, अंक 11

Monday, 27th August, 1990

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 27 अगस्त, 1990/5 भाद्र, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (iii)	नीचे से पंक्ति 7	"प्रचार भारती" के स्थान पर "प्रसार भारती" पढ़िये।
7	नीचे से पंक्ति 7	"श्री शंकर सिंह वघेला" के स्थान पर "श्री शंकर सिंह बघेला" पढ़िये।
139	नीचे से पंक्ति 8	"श्री भृज भूषण तिवारी" के स्थान पर "श्री बृज भूषण तिवारी" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 12, सोमवार, 27 अगस्त, 1990/5 भाद्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
... ...	1—20
रांकित प्रश्न संख्या : 243 से 246	
ित उत्तर :	20—226
रांकित प्रश्न संख्या : 247 से 262	20—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2817 से 2864, 2866 से 2914, 2916 से 2957, 2959 से 3031, 3033 से 3041 और 3043 से 3049	36—219
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	226—237
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	226
सभा पटल पर रखे गये पत्र	237—240
राज्य सभा में संदेश	240
समितियों के लिए निर्वाचन	241
(एक) राजभाषा समिति	241
(दो) भारतीय खान स्कूल की महापरिषद	241
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	242
पुरःस्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले	242—245
(एक) महिलाओं की प्रगति में बाधा उपस्थित करने वाले कारखाना अधिनियम के अप्रचलित उपबन्धों को रद्द करने या संशोधित किए जाने की मांग	
श्रीमती उमा गजपति राजू	242

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) कोयला और सीमेंट की ढुलाई को सरल बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर नान्देड़ जिले से आदिलाबाद जिले के लैक्सीटीपेट तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की मांग

श्री पी० नरसा रेड्डी 243

(तीन) बिहार के गोपालपुर क्षेत्र में प्राय: जलमग्न रहने वाली भूमि को कृषि योग्य बनाए जाने की मांग

श्री राम शरण यादव 243

(चार) हैवी वाटर प्लांट, ताल्चेर, उड़ीसा में मजदूर संघ के यथोचित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय को मान्यता दिए जाने की मांग

श्री रवि नारायण पाणि 243

(पांच) उत्तर प्रदेश में बरेली से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 को चौड़ा करने तथा बरेली से बदायूं मार्ग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की मांग

श्री संतोष कुमार गंगवार 244

(छः) गुजरात के लोगों को सस्ती दर पर रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने की मांग

श्री काशीराम राणा 244

(सात) कश्मीर घाटी से जम्मू आए सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को निदेश दिए जाने की मांग

श्री प्यारे लाल हान्डू 244

(आठ) नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग

श्री बनवारी लाल पुरोहित 245

पंजाब की स्थिति के बारे में 245—248

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक 248—278

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री लोकनाथ चौधरी 250

श्री एस० कृष्ण कुमार 253

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 260

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 264

श्री ए० एन० सिंह देव 278

नियम 193 के अधीन चर्चा 278—291 और 299—333

खाड़ी की स्थिति के सम्बन्ध में मास्को, वाशिंगटन, अमान, बगदाद तथा कुवैत के अपने हाल में किए गए दौरे के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

श्री ए० चार्ल्स 279

श्री एम० रमन्ना राय 281

श्री युवराज 282

श्री पी० आर० कुमारमंगलम 283

श्री चित्त बसु 286

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल 288

श्री रमेश चेन्नीथाला 289

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट 299

श्री जनार्दन पुजारी 303

श्री इन्द्र जीत 304

श्री एम० एस० पाल 306

श्री कमालुद्दीन अहमद 308

श्री पी० सी० थामस 309

श्री सन्तोष मोहन देव 310

श्री प्यारे लाल हान्डू 312

श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील 313

श्री राम कृष्ण यादव 314

श्री पी० ए० एन्टनी 315

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन 315

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू 316

श्री के० मुरलीधरण 316

डा० तम्बि दुरै 317

श्री पी० एम० सईद 318

प्रो० पी० जे० कुरियन 318

श्री इन्द्र कुमार गुजराल 319

विषय	पृष्ठ
आधे घंटे की चर्चा	291—299
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण	
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	292
श्री हरीश रावत	294
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	295
प्रो० यदुनाथ पाण्डेय	296
श्री० पी० आर० कुमारमंगलम	297
श्री मुरासोली मारन	298
कार्य मंत्रणा समिति	303
सोलहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	

लोक सभा

सोमवार, 27 अगस्त, 1990/5 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के विस्तार की योजना

[अनुवाद]

*243. **श्री आर० एन० राकेश :**

प्रो० महादेव शिवनकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों के विस्तार हेतु एक वृहत योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि नियत करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) पंचवर्षीय योजना अवधि के संदर्भ में विश्वविद्यालयों की विकास योजनाएं स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार की जाती हैं और वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत की जाती हैं । दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय बुनियादी सुविधाओं के विकास के वास्ते एक दस-वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित करने पर विचार कर रहा है ।

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटमेंट दिया गया है ऐसा लगता है सरकार शिक्षा का नकारात्मक रूप जान पाई है, सकारात्मक रूप नहीं जान पाई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

श्री आर० एन० राकेश : दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध विद्यालयों में 1990 के सत्र में प्रवेश हेतु कुल 28 हजार 76 स्थान उपलब्ध हैं, जबकि प्रवेश हेतु वांछित योग्यता प्राप्त

कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 58 हजार है, इस प्रकार क्या लगभग 29 हजार विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रहना पड़ेगा। दूसरा मेरा यह पूछना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्देशों के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश न देकर···

अध्यक्ष महोदय : आप मौखिक बोल सकते हैं, आप तो अनुभवी आदमी हैं।

श्री आर० एन० राकेश : कालेजों में धांधली की जा रही है और बड़े वर्ग के छात्रों को दाखिल किया जा रहा है, जबकि गरीब तबके के छात्रों की उपेक्षा की जा रही है। तीसरा मेरा यह कहना है कि विश्वविद्यालय में साढ़े बाइस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के एडमिशन के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उनको साढ़े बाइस प्रतिशत आरक्षण के नाम पर महत्वहीन और उपेक्षित विषयों में एडमिशन देकर उनके इटरेस्ट की उपेक्षा की जाती है। क्या आप इसकी जानकारी देंगे ?

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष महोदय, इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कालेजेज में करीब 29 हजार विद्यार्थियों को रेगुलर कालेजेज में एडमिशन दिया गया और 3500 को वुमैन एजूकेशन बोर्ड जो नॉन कॉलिजिएट फैसिलिटीज है, उसमें भी स्थान दिया गया है और 22800 स्टूडेंट्स को स्कूल ऑफ कॉरस्पेंडेंस एण्ड कांटीन्यूंग एजूकेशन में स्थान दिया गया है। ऐसे करीब 55000 स्टूडेंट्स को एकॉमिडेट किया गया है और इसके बारे में ज्यादा तादाद रही है क्योंकि एडमिशन का जो नार्म लेबल है, उसमें 40 प्रतिशत मार्क्स मिनिमम रखे गये हैं और बाद में जो रेगूलर कालेज में अटेंड करना हो तो कोट ऑफ मार्क्स पर जाते हैं। यदि इस पर नहीं मिलता है तो कॉरस्पेंडेंस कोर्सेस में लिया जाता है, नॉन कालेजिएट एजूकेशन में लिया जाता है और वही डिग्री भी उनको मिलती है। इन्होंने एस० सी० एण्ड एस० टी० के लिए पूछा था। जितने लोग एडमिशन के लिए आये, उन सबको संतुष्ट किया गया है।

श्री आर० एन० राकेश : मैंने अपने प्रश्न के (सी) भाग से पूछा था कि क्या मंत्री महोदय की नॉलिज में है कि शेडूल्ड कास्ट और शेडूल्ड ट्राईब्ज के लोगों को इम्पार्टेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन न देकर उपेक्षित और महत्वहीन विषयों में एडमिशन देकर के आरक्षण का उपहास किया जाता है और शेडूल्ड कास्ट और शेडूल्ड ट्राईब्ज के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसका मुझे जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : वे बता चुके हैं। चिमन जी, आखिरी में जो था उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री आर० एन० राकेश : मैं यही पूछ रहा था कि अन-इम्पार्टेन्ट सब्जेक्ट्स में एडमिशन देकर रिजर्वेशन के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं।

श्री चिमनभाई मेहता : मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जितनी एप्लीकेशन्ज आयी थीं, सबको एडमिशन दे दिया गया था। माननीय सदस्य जो दूसरा सवाल उपस्थित कर रहे हैं, उसके बारे में हम उनको फिर जवाब दे देंगे लेकिन जहां तक सलेक्टिव सब्जेक्ट्स में एडमिशन का सवाल है, उसमें सलेक्शन कट ऑफ मार्क्स पर जाती है। इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है लेकिन यह सब डिटेल्ज की बात है।

[अनुवाद]

मैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात करूंगा, ब्यौरा प्राप्त करके माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश : दिल्ली यूनिवर्सिटी की आवश्यकता को देखते हुए क्या उसका एक्सपेंशन करने का विचार कर रहे हैं ? या देश के अन्य भागों में इस तरह बढ़ती आबादी और विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए इस विषय पर क्या विचार करेगी ? (बी) 1989-89 के मध्यावधि चुनावों और 1989 के नाम चुनावों में प्रधानमंत्री ने इलाहाबाद में प्रयाग यूनिवर्सिटी को सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए कहा था, उस पर सरकार का क्या रवैया है ?

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी आप बैठ जायें। यह सवाल इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है।

श्री आर० एन० राकेश : क्या इसके लिए भी सरकार ने उस दिशा में कुछ विचार करने का निर्णय किया है ? आठ महीने तो हो गये हैं और अब 9वें महीने में कुछ होगा ?

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष महोदय : पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी फाईव ईयर प्लान बनाने का होता है लेकिन अब टैन ईयर प्लॉन पर्सपैक्टिव के लिए सोचा है। बाद में वह प्लॉन यू० जी० सी० को जाता है। फिर प्लानिंग कमीशन में उस पर बहस होती है, उसके ऊपर हमें विचार करना होता है। इसके लिए हम उसमें कोई प्रोपोजल नहीं करते हैं लेकिन जहां एक्सटेंशन के लिए सुविधायें मांगी जाती हैं, हम उन्हें फाइनेंशियल फैसिलीटिज दे रहे हैं। सैवन्थ फाईव ईयर प्लान में करीब 38 करोड़ रुपया दिल्ली को दिया है और इस बार हम करीब 85 करोड़ देने का विचार किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, वे जवाब नहीं देंगे। श्री महादेव शिवनकर।

प्रो० महादेव शिवनकर : माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए दस वर्षीय प्लान बनाया जायेगा, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई आवश्यकताएं क्या हैं और उसके बारे में कार्य-दल गठित करने का विचार कब से चल रहा है और यह विचार कब तक पूरा हो जायेगा। उसके साथ-साथ दिल्लो विश्वविद्यालय में महिलाओं या छात्राओं को प्रवेश देने के सम्बन्ध, सीटों के सम्बन्ध में क्या कोई अनुपात रखा गया है या नहीं और जो दिल्ली के बाहर से आने वाले छात्र या छात्राएं हैं, उनके प्रवेश के सम्बन्ध, होस्टल में प्रवेश देने के लिये, क्या कोई अनुपात निश्चित किया गया है या नहीं ?

श्री चिमनभाई मेहता : सर, वैसे तो मैंने पहले ही इस प्रश्न का कुछ उत्तर दे दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पर्सपैक्टिव प्लान बना रही है, अभी वह प्लान कंसीडरेशन स्टेज में भी नहीं आया है, अभी वे बना रहे हैं। उसके बाद वह यू० जी० सी० में जायेगा, फिर प्लानिंग कमीशन में आयेगा और उसके पश्चात् हमारे रिएक्शन के बारे में सोचा जायेगा। तभी हम उस प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में होंगे और विचार भी करेंगे। इसके अलावा दिल्लो यूनिवर्सिटी वाले हमसे जो-जो सुविधायें मांगते हैं हम उसके बारे में जरूर सोचते हैं। जहां तक

महिलाओं के बारे में सवाल पूछा गया है, अभी तक दिल्ली में जितने होस्टल हैं उनमें करीबन 6000 सीटें हैं जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट्स का नम्बर एक लाख 61 हजार है। इसे देखते हुए 6000 सीटें वास्तव में बहुत कम हैं, इसे हम भी मानते हैं, लेकिन हम सीटों की संख्या बढ़ाते रहते हैं, नये होस्टल्स का प्रबन्ध भी करते जाते हैं, पिछले साल भी हमने किया है, इस साल भी किया है, इसलिये नये होस्टल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश जारी है।

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, बताइये, आप क्या संरक्षण चाहते हैं।

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि दिल्ली में बाहर से जो छात्राएं पढ़ने के लिये आती हैं, क्या होस्टल्स में उनके लिये कोई अनुपात रखा गया है, क्या विशेष तौर से एक्सटरनल स्टूडेंट्स के लिये कोई सुविधा प्रदान की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इतना बताइये कि सीटों के मामले में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिये कोई अनुपात रखा गया है या नहीं।

श्री चिमनभाई मेहता : सर, स्टूडेंट्स को हम कट-ऑफ मार्क्स के आधार पर यहां लेते हैं और होस्टल की सुविधा का जहां तक ताल्लुक है, वह प्रोब्लम बहुत बड़ी है, मैं जानता हूं बहुत कठिन समस्या है, उसके लिये रिजर्वेशन का सवाल हमारे सामने पहली बार आया है और हम उसके बारे में सोचेंगे।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : दिल्ली केवल देश की राजधानी ही नहीं है बल्कि यह देश में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान भी है। समूचे देश विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थी, जहां उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वह भी बहुत कम हैं—दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न कालेजों में प्रवेश के लिए आते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश विगत तीन वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु जो अंक निर्धारित किये गये हैं और जो प्रणाली अपनायी गयी है उससे इन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने उनके आवेदन अस्वीकार होने का कोई मामला नहीं देखा है। हमने केवल पत्र ही नहीं लिखे बल्कि, हम स्वयं गए और हमने विभागाध्यक्षों से मुलाकात की। मैं आपको यह बता सकता हूं कि 75-80 प्रतिशत अंकों वाले विद्यार्थी बाहर से आए थे क्योंकि वे अंकों के आधार पर प्रवेश पाने के योग्य थे परन्तु उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रथम प्राथमिकता उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो दिल्ली के विभिन्न कालेजों से उत्तीर्ण हुए हैं। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 'सीटों', आवास और सुविधाओं की कमी है।

आपने एक दस-वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना की बात कही है। यह बहुत अच्छी बात है, परन्तु वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के अर्हता प्राप्त सभी विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले ?

श्री चिमनभाई मेहता : मैं समझता हूं कि यह एक विशेष प्रकार का प्रश्न है जिसके बारे में हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय राज्यों और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। निर्धारित अंकों के आधार पर यदि वे स्थानीय विद्यार्थियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें यह प्रतीत होता है कि उन्हें आवेदन रद्द होने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि इसकी निश्चित रूप से जांच की जाए। मैं इस समय केवल इतना ही कह सकता हूं परन्तु निर्धारित अंकों के अतिरिक्त अन्य किसी वजह से आवेदन रद्द नहीं किया गया है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले 18 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया है और न कोई नया डिपार्टमेंट ही खोला गया है जबकि दिल्ली की पापुलेशन पिछले 18 साल में 50 लाख बढ़ गई है। 50 लाख की पापुलेशन बढ़ने पर भी दिल्ली में न कोई कॉलेज नया खोला गया है और न कोई क्लास नई खोली गई है जिसके कारण कट-ऑफ नंबर 80, 85 और 90 परसेण्ट मार्क्स बहुत से सब्जेक्ट में पहुंच गए हैं जिसके कारण न कोई देहात का आदमी कालेज में प्रवेश पा सकता है और न कोई वीकर-सैक्शन को दाखिला मिल सकता है सिवाय शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के। इसलिए जितनी पापुलेशन बढ़ती है उसके अनुसार रैगुलर कॉलेज खोले जाएं और उसकी तैयारी अभी से की जाए, लेकिन आपने कहा है कि यूनिवर्सिटी सोच रही है कि 10 साल आगे का प्लान बनाएं। आज स्थिति यह है कि बहुत से हमारे अच्छे कालेज बहुत ही मामूली बिल्डिंगों में चल रहे हैं इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि एक या दो वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या प्लान करना है, इस पर सरकार कुछ सोचे, न कि 10 वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रखकर। तो क्या सरकार इस पर तुरन्त एक-दो साल में इस समस्या से निपटने के लिए कुछ करेगी ?

[अनुवाद]

श्री चिमनभाई मेहता : मैं जानता हूं कि यह सुझाव ऐसा है जिस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु, इसमें कुछ प्रश्न अन्तर्निहित हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय ने चार कॉलेज खोले थे। ये हैं—(1) कालेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स; (2) कालेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शाहदरा; (3) कालेज ऑफ फीजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स और (4) कालेज ऑफ एप्लाइड साइंस फॉर वूमैन, शाहदरा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जिनके बारे में मंत्री जी बता रहे है ये टैक्नीकल कॉलेज हैं और इनमें 20-20 लड़के दाखिल होते हैं। ये नार्मल कॉलेज तो है ही नहीं।
(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चिमनभाई मेहता : इस बारे में विवाद हो सकता है। (व्यवधान) दो कालेज इस वर्ष खोले जा रहे हैं : एक पश्चिम दिल्ली में कर्मपुरा में और दूसरा यमुनापार क्षेत्र में भीक, गीता कालोनी में। यद्यपि ये कालेज खोले जा रहे हैं परन्तु, मैं यह जानता हूं कि ये जनसंख्या

में वृद्धि के अनुपात में नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है विगत पांच वर्षों के दौरान हमने दिल्ली में विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षा पर 38 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किए हैं। इस बार हमने 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तथा हम प्रति विद्यार्थी 3,300 रुपये खर्च कर रहे हैं जबकि केन्द्रीय विद्यालयों में हम 300 रुपये प्रति विद्यार्थी भी खर्च नहीं कर सके हैं। संसाधनों की इस कमी के बावजूद भी वे दिल्ली में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है : अन्य राज्यों के बारे में क्या विचार है ? ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में क्या विचार है ? इनके बारे में भी हमें देखना है और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है।

[हिन्दी]

श्री तारीफ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दिल्ली की आबादी का बोझ बराबर दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों पर बढ़ता जा रहा है और लगभग 50 लाख की आबादी हमारे गांवों के अंदर दूर-दूर तक फैल गई है, लेकिन कोई कॉलेज नहीं है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लड़के-लड़कियों को शहर के अंदर 50-50 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए आना पड़ता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी लगभग 30 लाख की आबादी है और कोई कॉलेज नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में मास्टर प्लान के अंदर कोई कॉलेज खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष जी, दिल्ली युनिवर्सिटी को पहले सोचने दीजिए फिर भी आपका प्रपोजल हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को भेज देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक समुदाय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में कुछ सुधारों की मांग कर रहा है जिन्हें वे समझते हैं कि इनसे विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी वातावरण में सुधार होगा। मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ओर से मंत्रालय को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकती हूं कि क्या उन्होंने इस ज्ञापन का कोई जवाब दिया है; यदि हां, तो क्या जवाब दिया गया है ?

श्री चिमनभाई मेहता : यह ज्ञापन प्रशासनिक सुधारों के संबंध में है। वे चाहते हैं कि कुछ वर्षों की सेवा के बाद लेक्चररों को रीडर बनाया जाए। इसके लिए यह शर्त है कि 'रीडर' बनने के लिए अनिवार्य रूप से पी० एच० डी० होना चाहिए। उन्हें रीडर का वेतनमान दिया जाता है। उन्हें वित्तीय नुकसान कतई नहीं हो रहा है। वे पी० एच० डी० थीसिस प्रस्तुत किए बिना ही रीडर का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, यही एक समस्या है। मैं जानता हूं कि इसके अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याएं हो सकती हैं परन्तु उन्हें प्रशासनिक सुधारों संबंधी समस्याएं नहीं समझा जा सकता है। वे चाहते हैं कि उनका वेतनमान आई० आई० टी० के शिक्षक समुदाय के समान होना चाहिए। वे यही मांग कर रहे हैं। परन्तु इस समय मैं यह कह सकता हूं कि इस समय हम 3000 अध्यापकों समेत 9500 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी अर्थात प्रति अध्यापक 4300 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लेक्चरर का वेतनमान सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी, रीडर का अवर सचिव से वरिष्ठ उप सचिव तक, प्रोफेसर

का उप सचिव से निदेशक, संयुक्त सचिव और अपर सचिव के समान मिलता है। इस समय इन्हें ये वेतनमान मिल रहा है। अतः इसके अतिरिक्त यदि कुछ और कार्यवाही की जानी है, तो उस पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। आई० आई० टी० और हमारा ढांचा अलग-अलग है। उन्होंने इस बात के संबंध में मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई ज्ञापन नहीं दिया है। हो सकता है, उन्होंने विभाग को ज्ञापन दिया हो। मुझे कुछ नहीं मालूम परन्तु मैं यह सुनिश्चित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जावाली।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं सीधा जवाब चाहती थी। **(व्यवधान)** वे कुछ प्रशासनिक सुधार चाहते हैं ताकि शिक्षक समुदाय और अन्य लोग प्रशासन में भाग ले सकें और प्रशासकों को मनोनीत करने के तरीके पर गौर कर सकें।

श्री चिमनभाई मेहता : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। इसे विस्तार से समझाना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि शासी निकाय में दो अध्यापक होते हैं। इस समय यह व्यवस्था है और यदि वे कुछ और सुधार चाहते हैं—शायद वह प्रशासनिक सुधारों के अन्तर्गत नहीं आएं, तो मुझे बतायें कि उनकी यथार्थ मांग क्या है तथा उसकी विषयवस्तु क्या है, मैं उनकी जांच करूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डॉ० बासवराज जावाली बोलेंगे। वह पहली बार बोल रहे हैं।

डा० बासवराज जावाली : प्रत्येक वर्ष मांग की जाती है कि 10-12 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना बनायी है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हम बहुत दिनों से कह रहे हैं और यह सुना भी जाता है कि अब समय आ गया है कि हम शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनायें परन्तु क्या इस निरुद्देश्य शिक्षा को रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है?

श्री चिमनभाई मेहता : यह प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में है परन्तु यह बात इसमें सम्मिलित हो जाती है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध कर रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं कि अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं जिससे शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। आज भी उन्होंने अनेक सामान्य विषयों के पाठ्यक्रम शुरू कर रखे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकें। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

दिल्ली में लघु उद्योग एककों में प्रदूषण-रोधी उपकरण लगाना

*244. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :

श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने लघु उद्योग एकक चल रहे हैं और उनमें से कितने एककों में प्रदूषण-रोधी उपकरण लगे हुए हैं;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उन लघु उद्योग एककों को आगे लाइसेंस न देने की सलाह दी गई है, जिनमें प्रदूषण-रोधी उपकरणों की व्यवस्था न हो;

(ग) क्या उन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई है जिनमें प्रदूषण-रोधी उपकरण नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस संबंध में देश के अन्य महानगरों में क्या नीति अपनाई गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) दिल्ली प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में लगभग 77,000 लघु औद्योगिक इकाइयां हैं । इनमें से 23,500 इकाइयों ने दिल्ली प्रशासन के उद्योग विभाग की लघु उद्योग पंजीकरण स्कीम के तहत पंजीकरण की मांग है । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति पत्रों की संख्या लगभग 2,300 है इनमें से 400 इकाइयों ने अपशिष्ट जल के लिए बहिस्राव शोधन संयंत्र अथवा पुनर्चक्रण प्रणालियां स्थापित की हैं।

(ख) लघु उद्योगों के लिए उद्योग मंत्रालय अथवा दिल्ली प्रशासन से लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन उद्योग को चलाने के लिए उन्हें जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत अपशिष्ट जल विसर्जन तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत गैसीय प्रदूषणों के उत्सर्जन के लिए दिल्ली राज्य बोर्ड की हैसियत से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति लेनी पड़ती है। 1985 से लघु उद्योगों को स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) दोषी इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों के विरुद्ध 184 मामले दायर किये हैं। न्यायालय ने 118 मामलों में निर्णय दे दिया है । इनमें से 115 मामले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में हैं।

दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं और दोषी लघु औद्योगिक इकाइयों से अंशदान भी इकट्ठा किया गया है। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 2000 लघु औद्योगिक इकाइयां है, जिनमें से लगभग 10 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल प्रतिदिन निकलता है। दिल्ली नगर निगम इस संयंत्र की स्थापना कर रहा है। प्रत्येक लघु इकाई को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने में मदद करने के लिए दिल्ली प्रशासन भी 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रहा है। अब तक 6 इकाइयों ने इस सहायता का लाभ उठाया है।

केन्द्रीय सरकार ने भी सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये अथवा 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, की केन्द्रीय सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की है, बशर्ते इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाये। ऐसे मामलों में, जहां राज्य सरकारें

अथवा स्थानीय निकाय अधिक अंशदान देती है, केन्द्रीय सरकार भी उतना ही अंशदान बढ़ा देगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकतम अंशदान 50 लाख रुपये तक हो सकता है।

दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 8 स्थानों का सर्वेक्षण किया है। दिल्ली में 7 वायु और 4 जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दिल्ली प्रशासन ने प्रदूषण के नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए एक पर्यावरणीय संरक्षण परिषद्, पर्यावरणीय परामर्शदात्री समिति तथा तीन उच्चाधिकार प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई दल बनाये हैं।

उपर्युक्त विशिष्ट उपायों के अतिरिक्त, प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में सामान्य नीति प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ-साथ पर्यावरणीय विधान के उपबंधों को कड़ाई से लागू करना है। इस संबंध में, प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 बनाये गये हैं।

(2) प्रमुख प्रदूषक उद्योगों के लिए 32 मानक निर्धारित किये गये हैं, 15 वायु तथा 17 जल प्रदूषक उद्योगों के लिए।

(3) मानकों को लागू करने, उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति देने और दोषी इकाइयों के विरुद्ध मुकदमे चलाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यरत है।

(4) प्रदूषण उपशमन उरकरण लगाने के लिए उद्योगों को रियायती दरों पर वित्त, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट तथा उच्च दर पर अपकर्षण भत्ता प्रदान किया जाता है। प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से दूसरे स्थानों पर ले जाई जाने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन के रूप में पूंजीगत लाभों पर कर में छूट दी जाती है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने पर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत देय उपकर में छूट दी जाती है।

(5) अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए राशि प्रदान की जाती है।

(ङ) लघु इकाइयों में प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति पूरे देश में एक समान है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि औद्योगिक इकाइयों से जहां वायु भी प्रदूषित हो रही है और जल भी प्रदूषित हो रहा है, उस बारे में आपने कौन-सी ठोस कार्यवाही की है? यहां तक कि बड़ी-बड़ी नदियां भी प्रदूषित होने लगी हैं। केवल दिल्ली में ही 77 हजार औद्योगिक इकाइयों की गणना आपने प्रदर्शित की है। लेकिन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य के नियंत्रण बोर्ड इतने अक्षम हैं कि यदि वे नियम

पालन नहीं करतीं तो उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जाती है, और आपके कानूनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में जानना चाहूंगा कि इस प्रदूषण के कारण आने वाले पांच वर्षों में ऐसी स्थिति बनने वाली है कि लगभग 50 प्रतिशत लोग कैंसर से पीड़ित होने लगेंगे और पैदा होने वाला बच्चा भी दिमागी तौर पर असंतुलित पैदा होगा, ऐसी स्थिति में क्या आप अपने कानूनों को विशेष प्रभावी बनाने जा रहे हैं जिससे उस भयंकर स्थिति की रोकथाम हो सके और प्रदूषण से भयंकर स्थिति जो देश में खड़ी हुई है, उससे बचा जा सके।

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, लघु औद्योगिक इकाइयों से अवशिष्ट पदार्थ और उत्सर्जन निकलने के कारण हर जगह समस्या उत्पन्न हो रही है। शहर में लगभग 60 प्रतिशत प्रदूषण लघु उद्योगों के कारण होता है। शहर में, बड़े उद्योग लगाने की अनुमति नहीं है। लघु उद्योग ही प्रदूषण फैला रहे हैं। दिल्ली में, बहुत से लघु उद्योग हैं। एक प्रश्न के उत्तर में, जिसे सदन के सभा-पटल पर रखा गया है, यह बताया गया है कि दिल्ली में लगभग 77,000 लघु उद्योग हैं। उनमें से 23,500 ने संचालन आरम्भ करने की अनुमति ले ली है··· (**व्यवधान**)। दिल्ली में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड काम कर रहा है। वे इस बात का पता लगा रहे हैं कि इस प्रदूषण को कैसे रोका जाये। कई मामलों में, वे सफल रहे हैं। लघु उद्योग इकाइयों के अलावा, थर्मल विद्युत संयंत्र भी प्रदूषण फैला रहे हैं। इसकी भी जांच की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही से उस स्रोत से उत्पन्न प्रदूषण को भी कम किया गया है। वे प्रतिदिन 2700 टन उत्सर्जन कर रहे थे। किन्तु उन पर इस बात का जोर डाले जाने पर कि वे उत्सर्जन पर नियन्त्रण करें, अब यह कम होकर 8 टन प्रतिदिन रह गया है। इसी प्रकार, शहर में मोटर गाड़ियों से भी बहुत प्रदूषण फैल रहा है। वे इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि इसे किस तरह नियन्त्रित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि आप इन कानूनों को और प्रभावी और सक्षम बनाने का प्रयत्न करेंगे जिससे ऐसी इंडस्ट्रीज, जो नियमों का पालन नहीं करतीं, के खिलाफ कोई तुरन्त कार्यवाही हो सके। मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट पोल्यूटिड सिटी है। इस सिटी को बचाने के लिये तथा देश के अन्य महानगरों को भी बचाने के लिये आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं जैसा कि मैंने अपने प्रश्न के अंतिम भाग में पूछा है कि "देश के अन्य महानगरों की क्या स्थिति है" इसकी आप हमें विस्तृत जानकारी दें। देश के अन्य महानगर औद्योगिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं और वहां खराब स्थिति हो चुकी है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डों द्वारा कंट्रोल न होने की वजह से भले ही चाहे श्रीमती मेनका गांधी एंटी पोल्यूशन कैम्प लगा कर प्रचार करें, उसके बाद भी इतने निष्प्रभावी मामले हैं कि 20-20 किलोमीटर तक नदियां दूषित हो गई हैं और 30 फुट गहरे कुंओं से जो पानी निकाला जाता है, वह भी दूषित हो गया है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं··· (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री अन्बारासु इरा : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाण्डेय, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया अपनी जगह पर बैठें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस दिशा में जो आपके प्रयत्न हैं क्या वह प्रभावी होंगे और क्या आप इन बोर्डों को सक्षम बनाने का प्रयत्न करेंगे? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्बारासु इरा, कृपया आप अपनी जगह पर बैठें। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं किसी व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयप्रकाश जी, आप दिल्लीवासी हैं, आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको इजाजत दे दूंगा। आप बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, जो दिल्ली पर लागू होता है वह अन्य शहरों पर भी लागू होता है। जहां तक शहरों और कस्बों का प्रश्न है, सारे देश में एक समान प्रक्रिया और एक समान कदम उठाए जा रहे हैं और लघु उद्योगों के सम्बन्ध में, उन्हें इस योग्य बनाने के लिए कि उनके पास निस्त्राव पर नियन्त्रण करने के लिए यंत्र-रचना और उपकरण इत्यादि हो, इसके लिए हमने उन्हें आर्थिक सहायता दी है। ऐसा कहा गया है कि दिल्ली में कई लघु उद्योग हैं। वे इस योग्य नहीं हैं कि इन उपकरणों को ले सकें। हमने उन्हें भी 25% आर्थिक सहायता दी है··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो दिल्ली के बारे में है लेकिन मैंने अन्य महानगरों के बारे में भी प्रश्न किया है···(**व्यवधान**)···जहां तक दूसरे महानगरों का प्रश्न है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए निस्त्राव उपचार संयन्त्र लगाना कठिन है क्योंकि वे झुण्डों में या औद्योगिक एस्टेट्स से बने हुए हैं और उनके पास निस्त्राव उपचार संयन्त्रों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और नई तकनीक तक उनकी पहुंच नहीं है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : आप कानूनों को कितना प्रभावी बनाने जा रहे हैं यह तो बताइये। (**व्यवधान**)

श्री के० पी० अग्रवाल : जो जवाब दे रहे हैं, वह सवाल तो है नहीं, आप गलत प्रोटेक्शन इनको न दें कि यह उल्टे सीधे जवाब दें, पार्लियामेण्ट में। इनका झगड़ा आपस में हो सकता है, यह तो इनका आपसी मामला है। (**व्यवधान**)

श्री आर० एन० राकेश : आप इनकी क्लासें चलाइये। इनका होम वर्क बहुत पुअर है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, मन्त्री महोदय के भाग्य से और हमारे दुर्भाग्य से मन्त्री जी यह नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। किन्तु बिना कोई टिप्पणी किए—मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं—मैं उनकी जानकारी या समझदारी पर टिप्पणी नहीं करूंगा—मैं उन्हें यहां आने के लिए उनकी हिम्मत पर बधाई दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वह प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर नहीं दिया गया है ?

श्री कमल नाथ : क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि प्रदूषण कैसे होता है ? वे इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस कर रहे हैं। इसीलिए मैं उन्हें उनके साहस पर बधाई दे रहा था। क्या वे जानते हैं कि प्रदूषण कैसे होता है ? वे आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं। क्या वे जानते हैं कि आर्थिक सहायता क्यों दी जाती है ? क्या वे जानते हैं कि कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ? क्या वे जानते हैं कि प्रदूषण कैसे होता है ? जब वे यह सब नहीं जानते, फिर भी वे यहां इन प्रश्नों का उत्तर देने का साहस कर रहे हैं। यह हम प्रश्न पूछने वालों का तिरस्कार करने की बात है। मेरा प्रश्न है कि क्या मन्त्री को कुछ मालूम भी है। यदि··· (**व्यवधान**)। कृपया बैठ जाइए··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं। मन्त्री महोदय से यह कहना कि वे अपनी जगह पर बैठ जाएं, श्री कमल नाथ का काम नहीं है। जी हां, श्री कमल नाथ।

श्री कमल नाथ : महोदय, मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही मन्त्री महोदय खड़े हो जाते हैं··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष नहीं हैं। आप बैठ जायें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपनी जगहों पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ, आप कृपया अपनी जगह पर बैठें। मैं बोल रहा हूं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। कोई भी प्रश्नकर्त्ता को स्पीकर का रोल अदा नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

जी हां, श्री कमल नाथ···

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं नहीं जानता कि वे इतने आक्रोश में क्यों हैं। मैं केवल अपना प्रश्न बना रहा था और प्रश्न बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही मन्त्री महोदय खड़े हो गए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ, आप सीधे प्रश्न पर आइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। आपको तैश में आकर के नहीं करना चाहिए। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपनी जगह पर बैठेंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, मेरा प्रश्न है···(व्यवधान)

श्री बालगोपाल मिश्र : महोदय, क्या आप श्री कमल नाथ द्वारा की गई टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कमल नाथ द्वारा दी गई टिप्पणियों को पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं। जी हां, श्री कमल नाथ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमें सदन का समय बेकार नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, जब मन्त्री महोदय प्रश्न सुनते हैं तो वे उत्तर नहीं दे सकते, और जब वे नहीं सुनते हैं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि तब वे क्या करेंगे। मेरा प्रश्न यह है··· (व्यवधान) मेरा प्रश्न है कि क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि दिल्ली में लघु उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के क्या कारण हैं। क्या यह सभी उद्योगों द्वारा फैलाया जाता है या किसी एक विशेष प्रकार के उद्योग द्वारा और क्या सरकारी आर्थिक सहायता किसी एक उद्योग को अथवा सभी उद्योगों को दी जाती है ?

श्री बालगोपाल मिश्र : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। क्या आप कृपया अपनी जगह पर बैठेंगे ? मैं प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, मैं पूरे सम्मान के साथ यह निवेदन करूंगा कि यह संबद्ध और सीधे प्रश्न पूछे जायें तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। सदस्य प्रदूषण के कारणों के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि दिल्ली में तीन थर्मल संयन्त्र हैं जिनसे ज्यादातर प्रदूषण फैल रहा है··· (व्यवधान)

बर्तन बनाने वाले बहुत से उद्योग हैं। वे भी वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा, मोटर गाड़ियां भी हैं। दिल्ली में लगभग 5 से 6 लाख मोटर गाड़ियां चल रही हैं। उनसे भी प्रदूषण हो रहा है। लगभग 5 लाख गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के प्रदूषण-स्तर पर जांच की गई है और यह पाया गया है कि इनमें से 35% गाड़ियां अनुज्ञेय सीमा से अधिक प्रदूषण फैला रही हैं। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर नियन्त्रण करने की जिम्मेवारी दिल्ली परिवहन प्राधिकरण की है। अतः, प्रदूषण फैलाने के यही कारण हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैंने सहायता अनुदानों से सम्बधिन्त एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। उन्होंने प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया है।

श्री नीलमणि राउतराय : जहां तक लघु उद्योगों का प्रश्न है, जून, 1990 में शुरू की गई एक योजना के अनुसार, यदि संयंत्र की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 25 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी जाती है किन्तु राज्य सरकार को भी उतनी ही राशि का योगदान देना होगा। यह सहायता 50 लाख रुपये तक भी दी जा सकती है बशर्ते कि राज्य सरकार या अन्य एजेन्सियां और अधिक योगदान दें। संयंत्र की कुल पूंजीगत लागत की शेष राशि और इसके परिचालन और रख-रखाव का खर्च लघु उद्योग इकाइयों को ही वहन करना होगा। इस प्रकार लागत का एक बड़ा हिस्सा इन प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ही वहन करना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री बे० पी० अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही परेशानी से भरा हुआ मामला है। पुरानी दिल्ली में पर्यावरण की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वीकल्स भी काफी हैं और डस्ट बिन्स द्वारा भी काफी पोल्यूशन है। इस बारे में मैंने स्टेट मिनिस्टर से विजिट

करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि विजिट करेंगे, लेकिन मिनिस्टरों के आपसी झगड़े की वजह से विजिट नहीं हो सका। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है, आप प्रश्न कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री जे० पी० अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उस झगड़े की वजह से विजिट नहीं हो सका और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को किसी तरह की सबसिडी नहीं दी जाती, जिससे कि वहां पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम किया जा सके, उसके लिए साधन मुहैया कराए जा सकें।

इसी तरह से व्हीकल्स द्वारा जो धुआं उठता है, उसकी वजह से आप जाकर देखिए कि लोगों के कपड़े तक काले हो जाते हैं। हालत बहुत खराब है। इसी तरह से ओपन डस्ट बिन हैं, मोहल्लों के बीच में बने हुए हैं, इनकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, वहां पर इंस्पेक्शन भी हुआ है, लेकिन कोई देखने सुनने को तैयार नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पैसा पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के लिये खर्च किया गया है, खासतौर से पुरानी दिल्ली के हिस्से में, उसमें से कितने पैसे का इस्तेमाल हुआ है और क्या कभी मंत्री महोदय इसके इंस्पेक्शन के लिए चलेंगे, ताकि उनको स्थिति से अवगत कराया जा सके।

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : यदि मेरे ध्यान में विशिष्ट मामले लाए जाते हैं, तो मैं उस विषय पर माननीय सदस्य के साथ चर्चा करने को तैयार हूं। किन्तु जहां तक दिल्ली में प्रदूषण का प्रश्न हैं, लघु उद्योगों के समूह स्थापित हैं। दिल्ली में ओखला औद्योगिक एस्टेट, बादली औद्योगिक एस्टेट, रानी झांसी औद्योगिक एस्टेट, वजीरपुर औद्योगिक एस्टेट, इत्यादि 28 लघु उद्योगों के समूह हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 20,000 उद्योग स्थापित हैं।

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह पूरा पैसा इंडस्ट्रीज की नहीं जा रहा है, कितना पैसा उपयोग में लाया गया है और कितना प्रदूषण रोका जा सका है, यह मैंने पूछा है, मैंने कोई उल्टा-सीधा प्रश्न तो किया नहीं है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : इस योजना की घोषणा जून, 1990 में की गई थी। इसलिए ऐसी अवस्था में मेरे लिए यह कहना बहुत कठिन है कि इसे किस प्रकार लागू किया गया है और इसका क्रियान्वयन किसे सौंपा गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में घोषणा की जा चुकी है।

श्री जे० पी० अग्रवाल : योजना कहां है ? महोदय, क्या आप हमें इस योजना की एक प्रति भेज सकते हैं ?

श्री नीलमणि राउतराय : मैं एक प्रति भेज दूंगा।

श्री बालगोपाल मिश्र : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सम्बन्धी कोई रिपोर्ट दी है। यदि यह रिपोर्ट दे दी गई है तो उन्होंने इस समस्या के उपचार के बारे में क्या सुझाव दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं या उठाने पर विचार कर रही है।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, यह सच है कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली के उप-राज्यपाल के निवेदन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली में प्रदूषण सम्बन्धी एक अध्ययन किया था और 1980 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं। जहां तक नगरपालिका के मल व्ययन और फैक्टरियों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं का संबंध है······

प्रो० एन० जी० रंगा : आपने कौन से सुझाव दिए हैं? उन्होंने उन सुझावों के बारे में पूछा है।

श्री नीलमणि राउतराय : यह एक बड़ी रिपोर्ट है। यदि प्रो० रंगा इच्छुक हों तो मैं उन्हें इसकी एक प्रति भेज सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से दिल्ली दुनिया का तीसरा शहर है। बहुत पोल्यूशन यहां पर है। अभी इन्होंने बताया कि पोल्यूशन पर हमने कंट्रोल कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में पर्यावरण की दृष्टि से कितना सुधार हुआ है? दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो स्टोन क्रेशर चल रहे हैं, धूल उड़ाते हैं और सारी आबादी पर इसका प्रभाव पड़ता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आप उधर न देखिए, आप स्पीकर की तरफ देखिए।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था, ये दिल्ली के हैं, दिल्ली की बहबूदी के लिए इनको बोलना चाहिए। लेकिन दिल्ली के विषय में इनका एटीच्यूड डिस्ट्रक्टिव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टोन क्रेशर जो बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं और धूल उड़ा रहे हैं, रजोकरी गांव इसके लिए निश्चित किया गया है। पिछली दफा मंत्री जी ने उसके बारे में बताया था कि बहुत से स्टोन क्रेशर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। मैंने तब भी यह बात कही थी। उस पर क्या एक्शन लिया गया? ये जो स्टोन क्रेशर हैं, इनको हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? जो रजोकरी गांव में लगे हैं और बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, जिसमें भूतपूर्व सांसद का भी है, उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, यह सच है कि बहुत से उद्योग··· **(व्यवधान)** दिल्ली में 107 'स्टोन क्रेशर' है, जिनमें से 34 ने धूल बाहर न निकलने वाले उपाय किए हुए हैं। दिल्ली में बर्तन बनाने वाली 22 में से तीन बड़ी इकाइयों ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 'हॉट मिक्स प्लांटों' को प्रदूषण रोधी यंत्र लगाने के लिए कहा गया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में संसद के बाहर पूछिए।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : मेरा निवेदन यह है कि जो स्टोन क्रेशर पुल प्रह्लादपुर में बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उसको हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। जो बगैर लाइसेंस के हैं और धूल उड़ा रहे हैं, उनको हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए ? धूल रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए ? इन्होंने 32 बताए, लेकिन ये हजारों हैं। मैं उसी कांस्टीच्यूएंसी से पहले चुना जाता था, वहां पर हजारों इस तरह के हैं। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। इनकी संख्या 32 या 36 नहीं है, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह स्पैसिफिक सवाल है, इसके लिए नोटिस चाहिए। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : जिससे हमारे क्रशर चलते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मंत्री महोदय समझ कर जवाब देंगे।

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, लघु उद्योगों के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं हैं और यह बात क्रशर उद्योग पर भी लागू होती है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाना है क्योंकि हमारे विभाग द्वारा उद्योगों को केवल अनुमति ही दी जाती है। केवल उन उद्योगों को ही, जो जल और वायु को प्रदूषित करते हैं, हमारे विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है।

केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाएं

*245. **श्री राम नाईक :**
डा० वेंकटेश काबडे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून 1990 तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई सिंचाई और सड़क विकास संबंधी कितनी परियोजनाएं अभी तक लंबित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की कोई सड़क निर्माण परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं है। अपेक्षित

आंकड़े और कार्य योजनाएं उपलब्ध न होने के कारण दो सिंचाई परियोजनाओं पर निर्णय लिया जाना बाकी है।

(ग) इन दोनों मामलों पर अपेक्षित ब्यौरे मिलते ही निर्णय ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में यह कहा गया है कि सिंचाई के केवल दो प्रोजक्ट पैन्डिंग हैं और रास्ते के बारे में कोई भी प्रोजेक्ट पेन्डिंग नहीं है। इससे मुझे मानसिक धक्का लगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लगभग 220 प्रोजेक्ट्स एनवायरन्मेंट क्लीयरेंस के लिए पेन्डिंग हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि दो प्रोजेक्ट पेन्डिंग हैं। कौन से दो प्रोजेक्ट हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कब कहा है, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, यह सच है कि केवल दो परियोजनाएं ही लम्बित पड़ी हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, जिन परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है उनकी संख्या 53 है, जिन परियोजनाओं को स्वीकृत कर लिया गया है उनकी संख्या 25 है और जिन परियोजनाओं को अस्वीकृत कर दिया गया है, उनकी संख्या 26 है। केवल दो परियोजनाएं ही लम्बित पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि आप उन परियोजनाओं के नाम बताएं।

श्री नीलमणि राउतराय : पहली परियोजना लोअर वुन्ना परियोजना है। यह एक बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसे गोदावरी जलक्षेत्र की वुन्ना नदी (वर्धा की सहायक नदी) पर बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में दो बांध बनाने की योजना है, एक वड़गांव में वुन्ना नदी पर और दूसरा मनीरी में नन्द नदी के ऊपर। इस परियोजना की लागत 88 करोड़ रुपये है और यह विभाग में 1979 में आई थी। अन्य परियोजना वघूर नदी परियोजना है। विभाग में इसे मई, 1989 में भेजा गया था। यह एक बड़ी सिंचाई योजना है जिसे वघूर नदी पर बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की लागत 21.28 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इन्होंने यह कहा कि रोड डवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट पेन्डिग नहीं है। मैं जिस मुम्बई शहर से आता हूं उसमें गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड कई सालों से पेन्डिग है और करीब दो मील नेशनल पार्क में से रास्ता आता है तो लोगों का 35 किलोमीटर का रास्ता बचता है और जो हजारों मैन-आवर्स लगते हैं, वे भी बचेंगे और ट्रैफिक जाम होता है वह भी बन्द हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड आपके पास पेन्डिग है या नहीं और है तो इसके बारे में सरकार की नीति क्या रहेगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे उस विशिष्ट परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वह लम्बित है।

श्री नीलमणि राउतराय : जहां तक सड़क परियोजना का सम्बन्ध है, यह पर्यावरण विभाग या वन विभाग के अन्तर्गत कभी नहीं आती।

श्री राम नाईक : यह सड़क जंगल से होकर नेशनल पार्क से होकर निकलती है।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं, यह उनके पास नहीं आती है।

डा० वेंकटेश काबडे : नागपुर और विदर्भ के कई अन्य जिलों के लिए, जुदूपी जंगल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक सिंचाई परियोजनाएं और अन्य परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं। जुदूपी जंगल वन संरक्षण अधिनियम की परिधि में आता है और इसलिए, जितना क्षेत्र जुदूपी जंगल में आता है उसका सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपयोग अनुमत्य नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इसके समाधान के लिए जुदूपी जंगल का विषय उठाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में इस कारण कई सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं ?

श्री नीलमणि राउतराय : जहां तक जुदूपी जंगल का प्रश्न है, इसका समाधान नहीं किया जा सका है। यह अभी तक लम्बित है। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जहां तक वर्तमान स्थिति का प्रश्न है, जुदूपी जंगल लगभग 9 लाख हैक्टेयर में फैला है जिसमें लगभग 7 लाख हैक्टेयर वन भूमि है। शेष क्षेत्र, लगभग 2 लाख हैक्टेयर वन विभाग के पास नहीं है। यह बहस अभी भी चल रही है कि क्या किया जाये। हम इस उद्देश्य के लिए गठित की गई समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

केरल में वन्य जीव अभ्यारण्य

*246. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वन्य जीव अभ्यारण्यों के चारों ओर तार लगाने के कोई प्रयास किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु धन के आबंटन संबंधी ब्यौरा क्या है और 30 जून, 1990 तक कितना कार्य हो चुका है;

(ग) इस वर्ष केरल में जंगली हाथियों द्वारा कितने लोग मारे गए; और

(घ) क्या केरल में हाथियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) केरल में अभ्यारण्यों के आस-पास के ऐसे कुछ क्षेत्रों में जहां जंगली जानवरों और वहां के निवासी लोगों के बीच आमने-सामने टकराव की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां चयनात्मक आधार पर कांटेदार तारें लगायी गयी हैं।

(ख) बताया गया है कि केरल में अब तक 62.2 किलोमीटर क्षेत्र में कांटेदार तारें लगायी गयी हैं और इन पर कुल 8.63 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

(ग) 1990 में केरल में हाथियों ने 2 व्यक्तियों की हत्या की है।

(घ) 1989 में की गई हाथियों की गणना के अनुसार केरल में लगभग 3500 हाथी होने का अनुमान है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : केरल राज्य, विशेष रूप से वायनाड जिले में जंगली हाथियों का पड़ोसी गांवों में घुस जाने और लोगों को कष्ट पहुंचने का एक मुख्य कारण जंगल की अन्धाधुन्ध और बड़े पैमाने पर कटाई है। ये जंगली हाथी भोजन की तलाश में घूमते हैं।

केरल की सरकार ने कालीकट स्थित ग्वालियर रेयोन्स फैक्टरी के साथ एक समझौते के द्वारा कच्चे माल के लिए बांस और नरम लकड़ी के जंगलों को बिरला समूह को बेच दिया है। परिस्थिति—विज्ञान को यह बहुत बड़ा खतरा है और इससे केरल में जंगलों का पूर्णतः विनाश हो जाएगा। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें केरल की स्थिति की जानकारी है, अर्थात् क्या जंगल की लकड़ी को बिरला समूह को बेचा जा रहा है? क्या माननीय मन्त्री महोदय इस सदन को सूचित करेंगे कि पर्यावरण और वन मन्त्रालय की ओर से केरल राज्य को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे जिससे कि केरल राज्य में वनों का और अधिक नाश रोका जाए जो केरल राज्य और बिरला समूह के समझौते के कारण हो रहा है?

श्री नीलमणि राउतराय : जहां तक जंगलों के बारे में बिरला समूह के साथ हुए समझौते का प्रश्न है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने यहां बताया है, यदि वे मुझे यह बताएं कि वह समझौता क्या है और यह कैसे हुआ था, तो मैं अवश्य उन्हें इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति की सूचना दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने संबंधी मानदंड

* 247. **डा० सुधीर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किये जाने से संबंधित मानदंड क्या है;

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये मनोनीत किए जाने के बारे में कौन से मानदण्ड अपनाये जाते हैं; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालय से सम्बद्ध जिन शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को ये पुरस्कार मिले हैं, उनकी उपलब्धियों और योगदान सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार हैं—

—कम से कम 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले कक्षा शिक्षकों और 20 वर्ष के अनुभव वाले मुख्याध्यापकों और जो वास्तव में मान्यता प्राप्त प्राथमिक/मिडिल/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों/मुख्याध्यापकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा VIII तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की श्रेणी में और कक्षा IX-XII में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की श्रेणी में विचार किया जाना चाहिए।

—सामान्यतया, सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते परन्तु उन शिक्षकों पर जिन्होंने कैलेण्डर वर्ष के एक भाग तक (कम से कम चार महीने तक सेवा की है) विचार किया जा सकता है, यदि वे सभी शर्तें पूरी करते हों।

—उन शिक्षकों पर, जिनके नामों की पिछले वर्ष या उससे पहले सिफारिश की गई थी, दोबारा विचार किया जा सकता है यदि वे अभी भी अन्यथा पात्र हैं और उनकी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा सिफारिश की जाती है।

—शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक भी पुरस्कारों के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे अन्य सभी निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

—शैक्षिक प्रशासक (शिक्षा निरीक्षक, आदि) और प्रशिक्षण कालेजों के कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, शिक्षकों के चयन के लिए मार्गदर्शन देने वाली मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

—स्थानीय समुदाय में शिक्षकों की ख्याति।

—उसकी शैक्षिक कुशलता तथा इसके सुधार की इच्छा।

—उसकी बच्चों में वास्तविक रुचि और उनके लिए प्यार।

—समुदाय के सामाजिक जीवन में उसकी सहभागिता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर भी उपर्युक्त के अनुसार चयन के वही मानदंड लागू होते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सामान्यतया योग्य शिक्षक होते हैं जिनका उत्कृष्ट सेवा रिकार्ड, अच्छा शैक्षिक निष्पादन होता है, पाठ्यचर्या तथा पाठयेत्तर कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और छात्रों तथा स्कूल के संपूर्ण विकास में पर्याप्त रुचि होती है।

पंजाबी अकादमी के प्रकाशन

*248. डा० ए० के० पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन की पंजाबी अकादमी और उर्दू अकादमी द्वारा निकाले गए प्रकाशनों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) उनके प्रकाशन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) प्रत्येक प्रकाशन की अब तक कितनी प्रतियां बिकी हैं और उससे कितनी रकम वसूल हुई;

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने पर विचार कर रही है; और

(ङ) इन दोनों अकादमियों के कामकाज में सुधार लाने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पंजाबी तथा उर्दू अकादमियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित प्रकाशनों की संख्या, उन पर किया गया खर्च, बेची गयी प्रतियों की संख्या और बिक्री से हुई प्राप्ति निम्नलिखित हैं—

पंजाबी अकादमी

वर्ष	प्रकाशित शीर्षों की संख्या	प्रकाशित प्रतियों की संख्या	प्रकाशन की लागत	बेची गयी प्रतियों की संख्या	बिक्री से हुई प्राप्ति
1	2	3	4	5	6
1987-88	15	9,595	2,30,754.00 रु०	कुछ नहीं रु०	कुछ नहीं
1988-89	9	6,087	2,11,195.00 रु०	कुछ नहीं रु०	कुछ नहीं
1989-90	12	10,113	2,33,414.00 रु०	972	0.25 लाख रु०
कुल	36	25,195	7,25,363.00 रु०	972	0.25 लाख रु०

उर्दू अकादमी

1987-88	12	15,132	4,34,490 00 रु०	10,304	3,36,328.00 रु०
1988-89	11	6,985	2,25,969.00 रु०	3,933	1,67,585.00 रु०
1989-90	7	5,593	3,38,694.00 रु०	1,503	2,22,281.00 रु०
कुल	30	24,710	9,99,153.00 रु०	15,740	7,26,194.00 रु०

पंजाबी अकादमी में कम बिक्री के कारणों में से एक कारण यह है कि इस अकादमी के अधिकतर प्रकाशनों को स्कूलों, कालेजों, पुस्तकालयों तथा विख्यात अध्येताओं को नि:शुल्क आवंटित किया जाता है। इस अवधि के दौरान इनके प्रकाशनों की 7,640 प्रतियां नि:शुल्क बांटी गईं।

दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि इन दो अकादमियों के प्रकाशनों के बिक्री आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई जांच करने अथवा कोई विशेष उपाय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने हेतु विशेष वित्तीय योजना

[हिन्दी]

*249. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने हेतु एक विशेष योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें शामिल कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) कोई विशेष वित्तीय स्कीम विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी और ग्रामीण आय में अन्तर

[अनुवाद]

*250. **श्री नाथू सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत आय में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 और 1980-81 की तुलना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की वर्तमान प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है; और

(ग) इस अन्तर को कम करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुमान केवल जनगणना वर्ष 1970-71 और 1980-81 के लिए उपलब्ध है और वे इस प्रकार हैं :

प्रति व्यक्ति आय (रु०)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1970-71	499	1201
1980-81	1242	2887

ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय से शहरी प्रति व्यक्ति आय के अनुपात के अनुसार अनुमानित अंतर वर्ष 1970-71 में 2.41 तथा वर्ष 1980-81 में 2.32 था।

(ग) ग्रामीण-शहरी अंतर को ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयासों द्वारा कम करने की मंशा है। प्रमुख कृषि-उत्पादों के लिए समर्थन कीमतें, कृषि और गरीबी उन्मूलन रोजगार सृजन संबंधी अनेक कार्यक्रमों के विस्तारित परिचालन के लिए इमदादी आदानों की व्यवस्था तथा साथ ही कृषि और ग्रामीण आधारभूत संरचना में निवेश

जैसे कदम इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ हैं। आठवीं योजना के दृष्टिकोण में यह परिकल्पना की गयी है कि ग्रामीण जनसंख्या को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों पर विकास परिव्ययों के अनुपात को 50 प्रतिशत का लक्ष्य रखते हुए सार्थक रूप से बढ़ाया जाएगा।

महाराष्ट्र में उद्योगों द्वारा पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन

*251. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य में अनेक उद्योग पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उल्लंघन करने वाले ऐसे उद्योगों का पता लगाया है कि और केन्द्रीय सरकार को उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी गई है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों का पता लगा लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को अमल में लाने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में सरकार को समय-समय पर सूचना देता रहता है।

(ग) इस संबंध में कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उद्योगों को उनके बहिस्रावों/उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अनुकूल शोधित करने के लिए समयबद्ध आधार पर बहिस्राव शोधन संयंत्र और प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने के निदेश दिए गए हैं।

(2) उद्योगों को इस शर्त पर सहमति दी जाती है कि वे पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाएंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक एककों द्वारा सहमति शर्तों के अनुपालन की नियमित रूप से जांच करते हैं।

(3) प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कृत्यक बल गठित किए गए हैं।

(4) प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए उपाय करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) दोषी इकाइयों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाते हैं।

(6) परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए मानदण्ड

*252. **श्री एस० कृष्ण कुमार :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदण्ड कब निर्धारित किये गये थे;

(ख) क्या इन मानदण्डों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) केन्द्र तथा राज्यों दोनों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण संबंधी मानदण्डों की समय-समय पर पहचान की गई है। योजना आयोग ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के निर्धारण संबंधी मानदण्डों का सुझाव देते हुए दिनांक 10-12-1969 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। इन मानदण्डों के आधार पर, 246 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में तमिल अनुभाग

*253. **श्री आर० धनुषकोडी अतीतन :**

श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार विभाग के तमिल भाषा अनुभाग में तमिल भाषा में अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर्मचारी नियुक्त हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में पत्राचार विभाग के तमिल भाषा अनुभाग में योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के तमिल भाषा माध्यम के अनुभाग में नियमित कर्मचारियों की पूरी संख्या नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से सभी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के लिए उपाय किए गए हैं। इस बीच, तदर्थ कार्यकारी प्रबंध किए गए हैं।

पाठ्य पुस्तकों की कमी

*254. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

श्री जे० पी० अग्रवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, विशेष रूप से कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में पाठ्य पुस्तकों की कमी के बारे में समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों को इस समस्या के समाधान के लिए कोई नये निर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं, तो सरकार का इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) किसी विशिष्ट राज्य या संघ क्षेत्र में स्थित और राज्य शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों के छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण और वितरण का कार्य मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन का है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित स्कूली पाठ्य-पुस्तकें केवल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में ही प्रयोग की जाती हैं जो देश में उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या का 3.95% है। अतः देश के अधिकांश स्कूली छात्र रा० शै० अ० प्र० के अतिरिक्त संगठनों/एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को ही प्रयोग कर रहे हैं।

2. यहां तक कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की IX वीं और X वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उनके लिए निर्धारिय सभी पाठ्य-पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा नहीं प्रकाशित की जातीं। ऐसे स्कूलों की XI और XII वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए विज्ञान और मानविकी विषयों में के० मा० शि० बो० ने किसी विशिष्ट पाठ्य-पुस्तक का अनिवार्य अध्ययन निर्धारित नहीं किया है किन्तु, नियमित अध्ययन और संदर्भ-प्रयोजन के लिए ऐसे छात्रों द्वारा चुनी जाने वाली बड़ी संख्या में पुस्तकों की सिफारिशें की हैं। के० मा० शि० बोर्ड द्वारा अनुशंसित ऐसी कई पुस्तकें निजी प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित की जा रही हैं।

3. रा० शै० अ० प्र० प० की पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण और वितरण के संबंध में, मांग-आपूर्ति की स्थिति की समय-समय पर ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। I से XII वीं तक की कक्षाओं के लिए अक्तूबर-नवम्बर, 1990 में स्कूलों द्वारा अपेक्षित कुछ पाठ्य-पुस्तकों को छोड़-कर, रा० शै० अ० प्र० प० की सभी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और इसके बिक्री-केन्द्रों के जरिए वितरण के लिए जारी की गई हैं। रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकें भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के 8 बिक्री एम्पोरियमों और 22 निजी थोक एजन्टों (13 संघ क्षेत्र दिल्ली के लिए और 9 अन्य शहरों में) के जरिए वितरित की जाती हैं।

4. रा० शै० अ० प्र० परिषद् की पाठ्य-पुस्तकें काफी मात्रा में मुद्रित/पुनर्मुद्रित की जाती हैं और देश के विभिन्न भागों में वितरण के लिए उपर्युक्त बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ निजी थोक एजेन्टों को पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

वन क्षेत्र के विस्तार के लिए आदिवासियों की सहायता

*255. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन क्षेत्र के विस्तार और उसके संरक्षण संबंधी कार्य में आदिवासियों की सहायता लेने का विचार है, यदि हां, तो उनसे किस प्रकार की सहायता प्राप्त की जाएगी;

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजन के लिए वन भूमि का पट्टा वनवासियों को देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) केन्द्र सरकार ने अवक्रमित वनों पर फिर से वनस्पति उगाने के लिए सामुदायिक आधार पर आदिवासियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करके एक स्कीम कार्यान्वित करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) अवक्रमित वन भूमि पर वनों पर आधारित बायोमास संसाधन में सुधार लाना और अभिनिर्धारित समुदायों की घरेलू जरूरतों के लिए शाश्वत् आधार पर इनका प्रबन्ध करना।

(2) आदिवासी समुदायों और ग्रामीण निर्धनों को लाभदायक रोजगार प्रदान करना।

(3) आदिवासियों और अन्य ग्रामीण निर्धनों के लिए उनकी बस्तियों के आस-पास टिकाऊ आर्थिक आधार प्रदान करना।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए इन वनवासियों को वन भूमि पट्टे पर देने को कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, इन समुदायों को उत्पादों के भोगाधिकार में हिस्सेदारी के रूप में लाभ पहुंचेगा।

कर्नाटक की महादायी पन-बिजली परियोजना

[अनुवाद]

*256. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 305 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली महादायी पन-बिजली परियोजना केन्द्रीय सरकार के वन विभाग को मंजूरी हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे यह मंजूरी प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष श्रेणी के राज्य

*257. **श्री इरा अन्बारासु** :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को विशेष श्रेणी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कोई विशेष धनराशि आबंटित की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों को धनराशि आबंटित करने संबंधी मानदण्ड क्या है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगीय गोवर्धन) : (क) जी नहीं।

(ख) दस राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में घोषित किये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सातवीं योजना (1985-90) तथा वार्षिक योजना 1990-91 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ङ) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अगस्त, 1980 में अनुमोदित परिशोधित गाडगिल फार्मूले के तहत किया जाता है। फार्मूले में विहित सिद्धान्तों के अनुसार, केन्द्रीय सहायता सकल विभाजन योग्य राशि में एक मुश्त राशि विशेष श्रेणी राज्यों की विकास आवश्यकताओं के लिए अलग रखी जाती है। इस राशि में से, विशेष श्रेणी राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता का आबंटन वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्यों के संसाधनों के संयुक्त मूल्यांकन तथा योजनाओं के लिए विकास आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

विवरण

विशेष श्रेणी राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता (सकल) का आवंटन

(करोड़ रु०)

राज्य	सातवीं योजना					वार्षिक योजना
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90**	1990-91**
1. अरुणाचल प्रदेश	*	*	133.27	160.51	141.26	152.56
2. असम	402.34	467.80	528.50	538.55	621.91	629.28
3. हिमाचल प्रदेश	169.42	165.64	226.49	210.06	190.96	206.24
4. जम्मू व कश्मीर	324.42	355.07	416.81	518.40	548.24	559.70
5. मणिपुर	98.92	106.46	120.15	153.49	134.72	145.50
6. मेघालय	64.37	91.62	109.53	135.82	129.81	140.19
7. मिजोरम	*	*	63.67	138.62	83.87	90.58
8. नागालैंड	123.31	135.57	159.56	183.57	105.06	113.47
9. सिक्किम	45.72	53.39	59.87	67.59	60.53	65.37
10. त्रिपुरा	88.43	108.81	125.99	160.80	143.97	155.49
जोड़	1316.93	1484.36	1943.84	2277.41	2160.33	2258.38

* संघ राज्य क्षेत्र

** इसमें केवल योजना सहायता शामिल है।

गंगोत्री क्षेत्र में खोज यात्राओं और पर्यटन पर प्रतिबन्ध

*258. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गंगोत्री क्षेत्र में खोज यात्राओं और पर्यटन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी पर्यटकों के आगमन और खोज-योत्राओं को नियंत्रित करने और उस पर प्रतिबन्ध लगाने के उपायों का पता लगाने के लिए तथा उस क्षेत्र की पारि-स्थितिकी और पर्यावरण में सुधार लाने हेतु कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के छात्रों का अन्य राज्यों के कालेजों में प्रवेश

*259. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के छात्रों के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या केरल सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर से केरल के 12 छात्रों को क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट में प्रवेश देने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर खुल गया है। तथापि, कश्मीर घाटी में चल रही गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर से छात्रों को देश के अन्य क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में स्थानान्तरण की अनुमति देने का निर्णय लिया है। केरल सहित सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर में अध्ययन कर रहे छात्रों को अपने-अपने इंजीनियरी कालेजों में खपाने के लिए 26-6-1990 को अनुरोध किया था। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को यह सलाह दी गई है कि वे जम्मू और कश्मीर के छात्रों, विदेशी छात्रों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर में अध्ययन कर रहे, शैक्षिक रूप से अपूर्ण राज्यों के छात्रों को खपाए। केरल मूल के 12 छात्रों में से 10 छात्रों को क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कालीकट में तथा 2 को इन्जीनियरी कालेज, त्रिचूर में मनोनीत किया गया है। जम्मू और कश्मीर के 11 छात्रों, विदेशी छात्रों तथा क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, श्रीनगर में अध्ययन कर रहे तथा शैक्षिक रूप में अपूर्ण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के छात्रों को राजकीय इन्जीनियरी कालेज, त्रिचूर में मनोनीत किया गया है।

उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का पालन

*260. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन ने उद्योगों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों पर असंतोष व्यक्त किया है जैसा कि दिनांक 4 जुलाई, 1990 के "इंडियन एक्सप्रैस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के कुछ अधिकारियों द्वारा झूठे प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समाचार की जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस संबंध में कौन-सी कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राचीन मूर्तियों की तस्करी

[हिन्दी]

*261. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान जैन मंदिरों और अन्य मंदिरों से कितनी प्राचीन मूर्तियों की चोरी हुई हैं;

(ख) कितनी मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं और कितनी मूर्तियां देश से बाहर ले जाई गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा मूर्तियों की चोरी करने वालों और तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या सुरक्षोपाय अपनाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) 1989 में जैन मंदिरों से 61 और अन्य मंदिरों से 786 मूर्तियों की चोरी हुई थी। इसी अवधि में, 157 मूर्तियां प्राप्त की गई थीं। देश से बाहर तस्करी में गई मूर्तियों की संख्या की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कानून के जरिये मूर्ति-चोरों को पकड़ने के अलावा, भारत सरकार द्वारा पुरावस्तुओं की चोरियां और तस्करी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है :

(i) कुछ श्रेणी की पुरावस्तुओं का अनिवार्य पंजीकरण (सभी प्रकार की मूर्तियां, चित्र और चित्रित एवं सजावटी पांडुलिपियां) ;

(ii) पंजीकृत पुरावस्तुओं के लाने ले जाने का रिकार्ड रखना;

(iii) पुरावस्तुओं के क्रय-विक्रय का कार्य केवल लाइसेंस वाले व्यापारियों तक रखना; और

(iv) पुरावस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना।

2. अन्य उपायों में (i) केन्द्र द्वारा संरक्षित महत्त्वपूर्ण स्मारकों/संग्रहालयों में सशस्त्र गार्डों की तैनाती, (ii) महत्त्वपूर्ण स्थलों पर मूर्ति शेडों और पुरातत्व संग्रहालयों की देखभाल, (iii) पहरा व निगरानी के प्रबन्धों में सख्ती, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल हैं, (iv) सीमा-शुल्क के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की सहायता के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति और (v) निर्यात की जाने वाली कला/शिल्प की वस्तुओं की जांच करने के लिए विशेष सलाहकार समितियों की स्थापना।

3. 1977 में, "सांस्कृतिक सम्पत्तियों के अवैध आयात, निर्यात और स्थानान्तरण को रोकने के उपाय" पर यूनेस्को सम्मेलन के अनुमोदन के पश्चात् भारत इस स्थिति में है कि वह भारतीय मूल की उन चोरी/गुम गई पुरावस्तुओं और बहुमूल्य कलाकृतियों की वापसी के लिए उस देश पर दावा कर सकता है, जहां ये अनुमोदन की तिथि से मौजूद हैं।

4. पुरावस्तुओं की चोरियों और हानि के केसों की पड़ताल करने के लिए "केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक "पुरावशेष कक्ष" खोला गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां

[अनुवाद]

*262. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने कर्मचारी हैं और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में कितने आरक्षित पद पहले से रिक्त चले आ रहे थे; और

(ग) वर्तमान विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत इन रिक्त चले आ रहे आरक्षित पदों को भरने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली के कॉरपोरेट कार्यालय के बारे में आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विशेष भर्ती अभियान के फलस्वरूप कारपोरेट कार्यालय में बैकलाग कम हुआ है। निरन्तर प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।

विवरण

क्रम सं०	पद का नाम	स्वीकृत कुल पदों की सं०	वर्तमान संख्या	अ० जा०/अ० ज०जा० के पदों की कुल सं०		कुल सं० में अ० ज०/अ०ज०जा० की सं०		बैकलाग		टिप्पणी
				अ०जा०	अ० ज० जा०	अ०जा०	अ० ज० जा०	अ०/जा०	अ० ज० जा०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	महा निदेशक	1	1	—	—	—	—	—	—	प्रतिनियुक्ति पर
2.	सचिव/कार्यकारी निदेशक	5	3	—	—	—	—	—	—	प्रतिनियुक्ति पर
3.	संयुक्त निदेशक/उपसचिव/निदेशक	10	8	1	1	—	—	1	1	3 प्रतिनियुक्ति पर/3 ठेके पर
4.	स्टेडियम प्रशासक	5	2	1	1	—	—	1	1	
5.	उप निदेशक	12	10	1	1	1	—	—	1	7 प्रतिनियुक्ति पर
6.	परियोजना अधिकारी	7	3	—	—	—	—	—	—	3 प्रतिनियुक्त पर
7.	मुख्य लेखा अधिकारी	1	1	—	—	—	—	—	—	
8.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	1	—	1	—	—	—	1	—	अ०जा० के उम्मीदवार को ऑफर भेजी गई है।
9.	सहायक निदेशक/प्रबन्धक	53	45	7	3	5	2	2*	1*	*उम्मीदवारों ने कार्यभार नहीं संभाला, अतः पैनल के आगामी उम्मीदवारों को ऑफर जारी किए जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	शरीर वैज्ञानिक	1	1	—	—	—	—	—	—	प्रतिनियुक्ति पर
11.	जैव-रसायनिक	1	1	—	—	—	—	—	—	
12.	लेखा अधिकारी	3	3	1	—	—	—	1	—	2 प्रतिनियुक्ति पर
13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	7	5	1	—	—	—	1	—	2 प्रतिनियुक्ति पर
14.	अधीक्षक	6	5	2	1	—	—	2	1	
15.	व० हिन्दी अनुवादक	1	1	—	—	—	—	—	—	
16.	पर्यवेक्षक (प्रशिक्षण)	1	1	1	—	—	—	1	—	
17.	सहायक प्रशिक्षक व मोनीटर	3	3	1	—	—	—	1	—	2 प्रतिनियुक्ति पर
18.	फिजियोथीरेपिस्ट	2	2	1	—	1	—	—	—	
19.	सहायक सुरक्षा अधिकारी	1	1	1	—	—	—	1	—	
20.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	12	10	2	1	—	—	2	1	
21.	स्टोर कीपर	2	1	1	—	—	—	1	—	
22.	वैयक्तिक सहायक	37	25	6	3	7	—	—	3	कोटे से एक अ० जा० अधिक है
23.	पर्यवेक्षक (टीपीटी)	1	1	—	—	—	—	—	—	
24.	सहायक	30	11	3	1	2	1	1	—	
25.	क० हिं० अनुवादक	3	3	1	—	—	—	1	—	
26.	जूनियर लेखाकार	4	3	1	1	—	—	1	1	
27.	पर्यवेक्षक	7	5	1	1	—	—	1	1	
28.	केयर टेकर	2	2	1	—	—	—	1	—	
28.	(क) कैशियर	1	1	—	—	—	—	—	—	
29.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	2	2	1	—	—	—	1	—	
30.	सहायक लाइब्रेरियन	1	1	—	—	—	—	—	—	
31.	लायब्रेरी सहायक	1	1	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	स्वागत अधिकारी	4	4	1	1	—	—	1	1	
33.	अपर श्रेणी लिपिक	9	13	2	1	3	--	—	1	4 अपर श्रेणी लिपिक सहायक के पदों पर कार्य कर रहे हैं। 1 अनु० जा० का कोटा से अधिक है। 4 प्रतिनियुक्ति पर हैं।
34.	सहायक सफाई निरीक्षक	2	2	1	—	—	—	1	—	
35.	वीडियो आपरेटर	2	2	1	—	—	—	1	—	
36.	अवर श्रेणी लिपिक	60	64	15	6	3	—	10	4	4 अवर श्रेणी लिपिक सहायक के स्थान पर कार्य कर रहे हैं। 2 पद अनु० जाति तथा 2 पद अ० ज० जा० के रद्द हो गए हैं।
37.	ड्राईवर	20	19	4	2	1	—	3	2	
38.	लाइफ गार्ड	5	5	1	1	2	—	—	1	1 अ० जा० का कोटे से अधिक
39.	टेलेक्स आपरेटर	1	1	1	—	1	—	—	—	
40.	इलैक्ट्रिशियन	2	2	1	—	—	—	1	—	
41.	कारपेंटर	2	2	1	—	—	—	1	—	
42.	गेसटेटनर आपरेटर	2	2	1	—	—	—	1	—	
43.	पलम्बर-व-पम्प आपरेटर	1	1	—	—	—	—	—	—	
44.	ग्राउंड सुपरवाइजर	6	5	1	1	1	—	—	1	
45.	डाटा एंट्री आपरेटर	4	4	1	1	—	—	1	1	
46.	व्यावसायिक प्रशिक्षण समन्वयक	1	1	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	नर्सिंग सहायक	4	3	1	—	—	—	1	—	
48.	मालिश मैन	1	1	—	—	—	—	—	—	
49.	तकनीशियन	2	2	1	—	—	—	1	—	
50.	फील्ड सहायक	11	3	1	—	—	—	1	—	
51.	मैकेनिक	1	1	—	—	1	—	—	—	1 अ०जा०कोटे से अधिक
52.	लेखा लिपिक	1	1	—	—	—	—	—	—	
53.	खलासी	7	7	2	1	3	—	—	1	1 अ०जा का कोटे से अधिक
54.	कार्य सहायक	1	1	—	—	—	—	—	—	
55.	चौकीदार	23	19	4	2	1	1	3	1	
56.	ग्राउंड मैन	98	92	17	8	23	—	—	8	6 अ०जा० के कोटे से अधिक
57.	चित्रकारी	3	3	1	—	—	1	1	—	1 अ०ज० जा० का कोटे से अधिक
58.	मजदूर	1	1	—	—	—	—	—	—	
59.	चपरासी/संदेश वाहक/ हाउस बॉय/सहायक	71	68	12	5	6	—	1	2	5 पद अ० जा० 3 पद अ०ज० जा० के रद्द हो गये।
60.	सफाई कर्मचारी	136	88	14	7	14	2	—	5	
	कुल :	705	577	120	50	75	7	49	39	
	रद्द	—	—	7	5	—	—	—	—	
	कुल :	705	577	113	45	75	7	49	39	
	फालतू घटाना	—	—	—	—	—	—	11	1	
	कुल :	705	577	113	45	75	7	38	38	

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

2817. श्री हरि शंकर महाले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकुशलता में सुधार के लिए उपाय

[अनुवाद]

2818. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री संजय चक्र :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए कोई नए उपाय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में उत्पाद-मिश्र में सुधार करना, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, बेहतर अनुरक्षण प्रबंध पद्धतियां, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्गठन आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन के रूप में एक नई अवधारणा शुरू की गई है जो बेहतर कार्य-निष्पादन प्राप्त करने में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच परस्पर दायित्वों को स्पष्ट करती है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विकास पर वित्त सम्बन्धी कठिनाइयों का प्रभाव भिन्न-भिन्न उद्यम में भिन्न-भिन्न प्रकार से पड़ेगा। बहरहाल एक समग्र उपाय के रूप में, नई प्राथमिकताओं तथा पूंजी निवेश संसाधनों के लिए, विविध मांगों के अनुरूप पूंजी निवेश सम्बन्धी नये प्रस्तावों की सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक समीक्षा की जायेगी। संसाधनों की समग्र कठिनाइयों के भीतर ही अनुमोदित परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आबंटनों की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जायेंगे।

भूकम्प के झटके

2819. **श्री एन० डेनिस :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में किन-किन स्थानों पर भूकम्प के झटके महसूस किये गये; और

(ख) इनमें से प्रत्येक की तीव्रता कितनी थी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग की भूकम्प सम्बन्धी वेधशालाओं द्वारा वर्ष 1987 से भारत अथवा इसके निकटवर्ती क्षेत्र में आने वाले भूकम्पों के माप का परिमाण, तारीख, अधिकेन्द्र का स्थल, क्षेत्र सम्बन्धी रिकार्ड की गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है। कभी-कभी स्थानीय तौर पर मामूली से भूकम्प के झटके महसूस हो सकते हैं किन्तु ये सिग्नल इतने अधिक तेज नहीं होते जो कि अधिकेन्द्रता पैमाना/कम्प्यूटर पर आ सकें। ऐसे हल्के कम्पनों का कोई विशेष परिणाम नहीं होता है।

विवरण

भारत मौसम विज्ञान विभाग की भूकम्प संबंधी वेधशालाओं द्वारा 1987 से रिकार्ड किए गए महत्वपूर्ण भू-कम्पनों की सूची

क्र० सं०	तारीख	स्थल			परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°रेखांश पूर्व	क्षेत्र	(रिचर स्केल)
			वर्ष 1987		
1.	9.1.1987	28.58	95.19	अरुणाचल प्रदेश	4.7
2.	19.1.1987	28.17	83.58	नेपाल	5.1
3.	19.1.1987	27.8	83.7	भारत-नेपाल सीमा	5.3
4.	19.1.1987	28.17	83.54	नेपाल	4.9
5.	19.1.1987	27.7	82.9	भारत-नेपाल सीमा	5.0
6.	24.1.1987	27.67	92.67	अरुणाचल प्रदेश	4.9
7.	24.1.1987	27.9	92.6	उत्तर अरुणाचल प्रदेश (भारत)	5.7
8.	2.2.1987	35.24	75.37	पूर्वी कश्मीर	4.7
9.	7.2.1987	23.98	94.69	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	5.0
10.	13.2.1987	23.17	94.05	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.9
11.	15.2.1987	24.27	94.88	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.6
12.	15.2.1987	24.12	94.6	मणिपुर-बर्मा सीमा	5.0
13.	21.2.1987	33.5	75.2	जम्मू एवं कश्मीर	4.0
14.	1.3.1987	28.67	95.76	अरुणाचल प्रदेश	5.3
15.	2.4.1987	35.77	80.85	कश्मीर-तिब्बत सीमा	4.8
16.	3.4.1987	24.8	95.2	बर्मा	4.6

क्र० सं०	तारीख	स्थल			परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°रेखांश पूर्व	क्षेत्र	(रिचर स्केल)
17.	6.4.1987	26.82	95.92	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.7
18.	7.4.1987	36.34	77.52	कश्मीर-झिंगजियांग सीमा क्षेत्र	4.3
19.	8.4.1987	30.00	80.47	कश्मीर-तिब्बत सीमा क्षेत्र	4.9
20.	10.4.1987	24.3	70.9	गुजरात-सिन्ध सीमा	5.4
21.	18.4.1987	22.34	79.25	मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट	4.9
22.	26.4.1987	17.6	73.8	कोयना क्षेत्र	3.5
23.	29.4.1987	24.10	94.61	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.9
24.	6.5.1987	6.47	95.44	निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र	4.5
25.	10.5.1987	29.1	80.6	भारत-नेपाल सीमा	3.4
26.	20.5.1987	27.16	96.59	बर्मा-भारत सीमा	4.3
27.	24.5.1987	11.39	93.17	अंडमान द्वीप समूह क्षत्र	4.6
28.	6.6.1987	30.86	79.46	पश्चिम उत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र	4.7
29.	6.6.1987	30.64	79.30	पश्चिम उत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र	4.9
30.	10.6.1987	8.00	93.36	निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र	4.9
31.	11.6.1987	26.22	93.48	असम	4.4
32.	10.7.1987	27.36	96.89	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.8
33.	17.7.1987	27.79	92.87	अरुणाचल प्रदेश	4.7
34.	18.7.1987	31.20	78.00	हिमाचल प्रदेश	4.8
35.	23.7.1987	29.93	80.91	नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र	4.0
36.	14.8.1987	26.7	93.0	असम	3.8
37.	24.8.1987	23.06	94.44	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	5.1
38.	29.8.1987	34.39	79.58	कश्मीर-तिब्बत सीमा क्षेत्र	4.5
39.	31.8.1987	36.73	76.50	कश्मीर-झिंगजियांग सीमा क्षेत्र	4.9
40.	5.9.1987	23.85	93.82	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.8
41.	6.9.1987	26.69	93.37	असम	5.1
42.	22.9.1987	35.88	77.89	उत्तरी कश्मीर	4.7
43.	23.9.1987	28.7	76.4	रोहतक के निकट	3.0

क्र०सं०	तारीख	स्थल			परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°रेखांश पूर्व	क्षेत्र	(रिचर स्केल)
44.	6.10.1987	32.20	76.80	हिमाचल प्रदेश	3.5
45.	15.10.1987	27.37	92.83	अरुणाचल प्रदेश	4.8
46.	19.10.1987	28.3	80.7	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में	3.6
47.	22.10.1987	27.31	89.11	भूटान	3.8
48.	2.11.1987	25.6	74.0	राजस्थान में अरावली शृंखला	4.5
49.	3.11.1987	6.14	94.05	निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र	4.9
50.	26.11.1987	11.19	94.66	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	3.9
51.	28.11.1987	25.61	95.94	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.4
52.	1.12.1987	26.35	93.24	असम	4.8
53.	11.12.1987	25.8	90.8	मेघालय-असम सीमा	4.5
54.	26.12.1987	31.98	76.96	हिमाचल प्रदेश	4.9
55.	18.5.1987	25.26	94.18	मणिपुर	5.6
			वर्ष 1988		
56.	6.1.1988	29.2	76.7	रोहतक के निकट	2.7
57.	11.1.1988	17.3	73.7	कोयना क्षेत्र	3.6
58.	23.1.1988	29.51	81.61	नेपाल	4.3
59.	30.1.1988	12.85	93.44	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	4.8
60.	6.2.1988	24.45	91.52	भारत-बंगलादेश सीमा	5.8
61.	8.2.1988	34.45	75.25	कश्मीर	3.8
62.	24.2.1988	25.98	95.61	मणिपुर-बर्मा क्षेत्र	4.1
63.	24.2.1988	23.34	94.17	मणिपुर-बर्मा क्षेत्र	4.8
64	28.2.1988	11.03	93.46	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	5.1
65.	2.3.1988	10.54	93.46	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	4.1
66.	13.3.1988	28.9	81.36	नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र	4.3
67.	14.3.1988	35.75	80.70	कश्मीर-तिब्बत सीमा क्षेत्र	4.8
68.	19.3.1988	29.15	81.62	नेपाल	4.3
69.	21.3.1988	14.38	80.29	(नेल्लौर) आन्ध्र प्रदेश	3.5
70.	28.3.1988	30.2	79.2	पश्चिम उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र	3.8
71.	30.3.1988	13.34	93.84	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	3.6

क० सं०	तारीख	स्थल			परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°रेखांश पूर्व	क्षेत्र	(रिचर स्केल)
72.	11.4.1988	27.58	85.73	नेपाल	4.8
73.	12.4.1988	34.81	79.69	कश्मीर	4.6
74.	18.4.1988	24.83	93.85	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	4.3
75.	20.4.1988	26.94	86.1	नेपाल भारत सीमा क्षेत्र	5.4
76.	25.4.1988	26.95	86.55	नेपाल भारत सीमा क्षेत्र	4.8
77.	2.5.1988	26.98	84.38	नेपाल भारत सीमा	3.8
78.	6.5.1988	12.06	92.84	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	5.1
79.	9.5.1988	28.96	94.74	अरुणाचल प्रदेश	5.1
80.	10.5.1988	29.01	94.81	अरुणाचल प्रदेश	4.9
81.	15.5.1988	29.04	80.7	भारत नेपाल सीमा क्षेत्र	4.8
82.	26.5.1988	77.54	88.55	सिक्किम	4.7
83.	26.5.1988	31.2	75.5	हिमाचल प्रदेश	3.5
84.	7.6.1988	9.9	77.2	इडुक्की, केरल	4.5
85.	7.6.1988	9.8	72.2	इडुक्की, केरल	4.0
86.	8.6.1989	9.95	77.15	इडुक्की, केरल	3.5
87.	9.6.1988	30.31	79.10	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र	4.7
88.	12.6.1988	28.44	82.33	नेपाल	4.8
89.	19.6.1988	30.07	79.7	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र	3.4
90.	28.6.1988	25.68	95.72	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	4.8
91.	29.6.1988	31.4	77.1	हिमाचल प्रदेश	3.1
92.	10.7.1988	25.04	95.34	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	4.8
93.	10.7.1988	12.14	92.9	अंडमान द्वीप समूह क्षेत्र	4.6
94.	14.7.1988	30.8	77.9	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र	3.9
95.	26.7.1988	09.44	93.72	निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र	5.0
96.	26.7.1988	13.93	93.22	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	5.1
97.	27.7.1988	31.55	78.56	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों	4.4
98.	4.8.1988	08.37	91.72	निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र	4.8

क० सं०	तारीख	स्थल			परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°रेखांश पूर्व	क्षेत्र	(रिचर स्केल)
99.	5.8.1988	11.91	93.05	अंडमान द्वीप समूह क्षेत्र	4.9
100.	6.8.1988	25.14	95.12	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	7.2
101.	6.8.1988	25.39	94.97	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	4.6
102.	7.8.1988	25.70	95.22	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	4.7
103.	8.8.1988	25.36	94.96	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	4.9
104.	13.8.1988	25.33	95.16	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	5.0
105.	14.8.1988	28.24	95.79	अरुणाचल प्रदेश	4.7
106.	20.8.1988	26.78	86.61	नेपाल भारत सीमा क्षेत्र	6.6
107.	22.8.1988	26.4	86.7	नेपाल भारत सीमा क्षेत्र	5.1
108.	24.8.1988	26.83	86.63	नेपाल भारत सीमा क्षेत्र	4.8
109.	1.9.1988	26.77	86.56	नेपाल भारत सीमा क्षेत्र	4.6
110.	2.9.1988	26.06	86.47	नेपाल भारत सीमा क्षेत्र	4.3
111.	4.9.1988	26.24	91.74	पूर्वी भारत (असम)	4.4
112.	5.9.1988	10.68	92.85	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	4.7
113.	11.9.1988	17.17	73.86	कोयना क्षेत्र	4.1
114.	17.9.1988	25.15	95.13	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.6
115.	20.9.1988	28.61	77.45	दिल्ली	3.5
116.	23.9.1988	32.61	79.71	कश्मीर तिब्बत सीमा क्षेत्र	4.7
117.	27.9.1988	27.16	88.26	सिक्किम	5.0
118.	30.9.1988	29.13	76.67	रोहतक के निकट	2.7
119.	3.10.1988	12.41	93.84	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	4.9
120.	7.10.1988	28.8	76.67	रोहतक के निकट	2.5
121.	22.10.1988	22.44	92.89	भारत-बर्मा सीमा क्षेत्र	4.6
122.	29.10.1988	27.5	85.5	नेपाल	5.4
123.	31.10.1988	09.45	92.86	निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र	4.8
124.	3.11.1988	12.37	92.79	अंडमान द्वीपसमूह क्षेत्र	4.9
125.	30.11.1988	23.7	93.6	मणिपुर बर्मा सीमा क्षेत्र	5.4
126.	13.12.1988	27.13	87.90	नेपाल	4.3
127.	20.12.1988	27.59	91.13	भूटान	5.0
128.	26.12.1988	30.61	77.99	उत्तरी भारत	4.1

क्र० सं०	तारीख	स्थल			परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°रेखांश पूर्व	क्षेत्र	(रिचर स्केल)
129.	27.12.1988	27.9	87.8	नेपाल	4.7
130.	29.12.1988	24.82	93.18	कछार, नेपाल	4.4
			वर्ष 1989		
131.	1.1.1989	12.52	92.86	अंडमान द्वीप समूह	4.1
132.	8.1.1989	34.0	74.2	श्रीनगर के निकट	4.1
133.	8.1.1989	10.05	93.36	अंडमान द्वीप समूह	4.4
134.	10.1.1989	24.10	92.46	मिजोरम-त्रिपुरा सीमा क्षेत्र	4.3
135.	17.1.1989	28.9	76.6	रोहतक के निकट	1.9
136.	18.1.1989	24.0	81.6	मध्य प्रदेश में रेवा के समीप	4.5
137.	27.1.1989	30.99	78.65	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र	3.7
138.	27.1.1989	25.62	95.21	बर्मा—भारत सीमा क्षेत्र	4.3
139.	10.2.1989	6.32	92.27	निकोबार द्वीप समूह	5.3
140.	13.2.1989	27.3	86.0	नेपाल	4.5
141.	14.2.1989	36.31	76.76	कश्मीर झिनजियांग	4.7
142.	18.2.1989	7.62	94.12	निकोबार द्वीप समूह	5.3
143.	18.2.1989	7.79	94.24	निकोबार द्वीप समूह	3.9
144.	19.2.1989	7.6	94.03	निकोबार द्वीप समूह	5.2
145.	21.2.1989	35.59	80.59	कश्मीर-तिब्बत सीमा	4.5
146.	23.2.1989	6.59	94.63	निकोबार द्वीप समूह	3.7
147.	28.2.1989	27.14	92.64	भारत-चीन सीमा	4.6
148.	7.3.1989	35.97	77.66	पूर्वी कश्मीर	4.6
149.	8.3.1989	26.96	93.73	असम अरुणाचल सीमा	5.0
150.	13.3.1989	30.2	77.5	हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा	3.3
151.	13.3.1989	23.0	91.0	बंगलादेश	4.4
152.	16.3.1989	30.0	80.85	भारत-नेपाल सीमा	3.5
153.	16.3.1989	8.56	93.88	निकोबार द्वीप समूह	4.9
154.	3.4.1989	25.05	94.58	मणिपुर-बर्मा	5.1
155.	13.4.1989	24.35	92.37	भारत बंगलादेश सीमा	5.2
156.	18.4.1989	28.92	95.79	अरुणाचल प्रदेश	4.6
157.	19.4.1989	36.47	73.42	उत्तर-पश्चिम कश्मीर	4.9

क्र० सं०	तारीख	स्थल		क्षेत्र	परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°रेखांश पूर्व		(रिचर स्केल)
158.	3.5.1989	6.93	94.77	निकोबार द्वीप समूह	4.4
159.	3.5.1989	6.98	94.65	निकोबार द्वीप समूह	4.9
160.	5.5.1989	6.37	95.19	निकोबार द्वीप समूह	4.5
161.	10.5.1989	33.24	75.50	कश्मीर	4.8
162.	16.5.1989	10.45	93.47	अंडमान निकोबार द्वीप	4.3
163.	17.5.1989	07.02	95.14	निकोबार द्वीप समूह	4.1
164.	18.5.1989	23.43	94.60	बर्मा भारत सीमा क्षेत्र	4.8
165.	19.5.1989	10.12	93.05	अंडमान द्वीप समूह	4.6
166.	22.5.1989	27.55	87.77	नेपाल	5.0
167.	8.6.1989	29.0	76.7	रोहतक के समीप	2.7
168.	9.6.1989	10.14	93.35	अंडमान द्वीप समूह	5.3
169.	9.6.1989	10.36	92.79	अंडमान द्वीप समूह	4.9
170.	11.6.1989	26.42	90.76	पूर्वी भारत	4.6
171.	12.6.1989	21.86	89.76	बंगलादेश	6.1
172.	15.6.1989	23.5	94.99	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.0
173.	21.6.1989	20.0	72.7	पश्चिम तट (महाराष्ट्र)	3.8
174.	28.6.1989	23.88	94.40	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	5.0
175.	10.7.1989	23.54	94.35	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.5
176.	13.7.1989	35.7	89.69	कश्मीर-तिब्बत सीमा क्षेत्र	4.5
177.	9.8.1989	24.56	94.21	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	5.2
178.	10.8.1989	27.68	97.19	बर्मा-भारत सीमा क्षेत्र	4.2
179.	24.8.1989	6.93	94.77	निकोबार द्वीप समूह	4.5
180.	24.8.1989	7.68	94.23	निकोबार द्वीप समूह	4.3
181.	25.8.1989	9.34	92.84	निकोबार द्वीप समूह	4.0
182.	28.8.1989	29.21	80.83	नेपाल-भारत सीमा	4.1
183.	7.9.1989	9.45	93.20	निकोबार द्वीप समूह	4.4
184.	19.9.1989	26.91	92.77	असम-अरूणाचल सीमा	4.7
185.	25.9.1989	28.87	80.90	नेपाल	3.4
186.	13.10.1989	29.3	80.8	नेपाल	3.2
187.	29.10.1989	17.5	73.8	कोयना क्षेत्र	3.0

क्र० सं०	तारीख	स्थल		क्षेत्र	परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°देशांश पूर्व		(रिचर स्केल)
188.	6.12.1989	28.55	77.07	दक्षिणी दिल्ली	3.0
189.	22.12.1989	28.88	94.64	अरुणाचल प्रदेश	4.8
190.	22.12.1989	32.0	75.8	पंजाब-हिमाचल प्रदेश सीमा	4.5
191.	29.12.1989	24.51	94.34	बर्मा-भारत सीमा	4.5
			वर्ष 1990		
192.	1.1.1990	27.26	76.50	राजस्थान	4.0
193.	9.1.1990	24.75	95.23	बर्मा	6.1
194.	10.1.1990	24.54	94.68	बर्मा भारत सीमा	5.1
195.	10.1.1990	11.6	95.19	अंडमान द्वीप समूह	5.4
196.	10.1.1990	26.67	86.55	नेपाल भारत सीमा	4.4
197.	11.1.1990	25.02	95.42	बर्मा भारत सीमा	4.5
198.	11.1.1990	35.84	80.69	कश्मीर तिब्बत सीमा	5.3
199.	17.1.1990	32.0	79.0	हिमाचल प्रदेश तिब्बत सीमा	3.6
200.	18.1.1990	17.34	73.80	कोयना क्षेत्र	2.9
201.	7.2.1990	29.3	77.0	हरियाणा	2.9
202.	9.2.1990	29.3	80.8	नेपाल	4.3
203.	21.2.1990	27.5	83.0	उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा	4.5
204.	4.3.1990	34.57	79.93	कश्मीर-तिब्बत	4.7
205.	5.3.1990	36.85	73.01	उत्तर पश्चिमी कश्मीर	6.0
206.	6.3.1990	36.88	73.10	उत्तर पश्चिमी कश्मीर	5.0
207.	6.3.1990	36.86	73.09	उत्तर पश्चिमी कश्मीर	5.2
208.	12.3.1990	17.4	73.6	कोयना क्षेत्र	3.8
209.	3.4.1990	31.34	78.50	हिमाचल प्रदेश	4.0
210.	8.4.1990	23.6	93.7	मणिपुर बर्मा सीमा	4.2
211.	9.4.1990	29.3	78.4	बिजनौर के निकट (उ० प्र०)	3.2
212.	14.4.1990	29.7	80.3	पश्चिमी उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्र	3.4
213.	26.4.1990	23.93	94.50	बर्मा भारत सीमा	4.8
214.	30.4.1990	7.32	94.35	निकोबार द्वीप समूह	5.4

क्र० सं०	तारीख	स्थल			परिमाण
		अक्षांश °उत्तर	°रेखांश पूर्व	क्षेत्र	(रिचर स्केल)
215.	15.5.1990	27.2	90.0	भूटान	4.4
216.	15.5.1990	29.2	76.8	हरियाणा	3.8
217.	20.5.1990	28.42	83.35	नेपाल	5.0
218.	2.6.1990	19.6	73.5	भसा (महाराष्ट्र)	4.0
219.	9.6.1990	180 km of East of HYI		भद्रचलम के निकट (आंध्र प्रदेश)	4.0
220.	13.6.1990	32.0	75.0	भारत (पंजाब) पाकिस्तान सीमा	3.4
221.	14.6.1990	24.0	93.5	मणिपुर बर्मा सीमा	4.8
222.	3.7.1990	17.2	73.4	कोयना क्षेत्र	3.5
223.	13.7.1990	23.3	93.9	बर्मा	4.7
224.	30.7.1990	17.1	74.3	कोयना क्षेत्र	4.0
225.	31.7.1990	23.1	94.0	बर्मा	4.8
226.	5.8.1990	29.22	77.33	हरियाणा-उ०प्र० सीमा	2.5
227.	12.8.1990	24.4	92.6	असम	4.6
228.	18.8.1990	7.7	95.2	अंडमान सागर	5.4

रोजगार में आरक्षण हेतु दृष्टिहीनों के राष्ट्रीय अधिकार संघ की मांग

2820. **श्री रामेश्वर प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृष्टिहीन राष्ट्रीय अधिकार संघ ने समूह "क" और "ख" पदों में आरक्षण तथा समूह "ग" और "घ" पदों में बकाया स्थानों को भरने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) दृष्टिहीनों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत विभिन्न संघों की शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह "क" तथा "ख" पदों में आरक्षण संबंधी मांगें सरकार के विचाराधीन हैं।

वर्ष 1987 में दृष्टिहीनों तथा बधिरों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया था। 1-4-90 की स्थिति के अनुसार मौजूद बकाया रिक्तियों को भरने के लिए 17-6-90 को एक विशेष परीक्षा भी आयोजित की गई है।

दिल्ली में पब्लिक लाइब्रेरी

2821. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पब्लिक लाइब्रेरियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में पब्लिक लाइब्रेरियों की हालत ठीक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उनकी हालत में सुधार करने और इन लाइब्रेरियों के सही ढंग से रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में 173 सेवा केन्द्र चलाती है तथा दिल्ली प्रशासन शहर में 49 पब्लिक लाइब्रेरियां चलाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि

2822. **श्री के० प्रधानी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राज्य सरकारों को शिक्षा के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इसका कोई फार्मूला है कि केन्द्र राज्य सरकारों की कितनी-कितनी सहायता करे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों का केन्द्रीय सहायता जरूरत के आधार पर सम्पूर्ण संसाधन प्रतिबंध के अंतर्गत की जाती है। सीमान्त क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम जम्मू और काश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्यों को एक अतिरिक्त प्रकार की है।

विवरण

शिक्षा के लिए अनुमोदित योजनागत परिव्यय 1990-91—राज्यवार

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य	कुल शिक्षा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5300
2.	अरुणाचल प्रदेश	2415
3.	असम	7295
4.	बिहार	13115
5.	गोवा	1760

1	2	3
6.	गुजरात	3806
7.	हरियाणा	4035
8.	हिमाचल प्रदेश	3885
9.	जम्मू और कश्मीर	5318
10.	कर्नाटक	6265
11.	केरल	2369
12.	मध्य प्रदेश	16537
13.	महाराष्ट्र	6060
14.	मणिपुर	1450
15.	मेघालय	1848
16.	मिजोरम	1017
17.	नागालैंड	1297
18.	उड़ीसा	10492
19.	पंजाब	3916
20.	राजस्थान	8477
21.	सिक्किम	1050
22.	तमिलनाडु	3721
23.	त्रिपुरा	1973
24.	उत्तर प्रदेश	18683
25.	पश्चिम बंगाल	8471
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1044.63
27.	चंडीगढ	897.00
28.	दादर और नागर हवेली	188.54
29.	दिल्ली	7261.00
30.	दमन और दीव	173.27
31.	लक्षद्वीप	166.92
32.	पांडिचेरी	1450.00
	कुल (राज्य तथा संघ शासित प्रदेश)	151736.36

पंजाब में रिहायशी शिक्षा संस्थान

2823. बाबा सुच्चा सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के शहरी क्षेत्रों में ऐसे कितने स्थान हैं जो रिहायशी शिक्षा संस्थान के लिए निर्धारित हैं;

(ख) क्या ये स्थान इन क्षेत्रों में विद्यमान गैर-रिहायशी शिक्षा संस्थान के अलावा हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन संस्थानों को रिहायशी संस्थानों में बदलने की अनुमति देने से पूर्व सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या सरकार आसपास के क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इन संस्थानों को पुन: गैर-रिहायशी शिक्षा संस्थानों में बदलेगी; और

(ङ) केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे संस्थानों पर नियंत्रण रखने और उनका विनियमन करने हेतु क्या प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में आग से वनों को हुई हानि

2824. श्री बलवंत मनवर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, गुजरात में पेड़ों के काटे जाने और वनों में आग लगने से वनों को हुई हानि का अनुमान क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वनों में आग की घटनाओं को रोकने और पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वनों के विकास के लिए, गुजराज राज्य को दी हुई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) गुजरात सरकार ने बताया है कि राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान आग से वनों को हुआ अनुमानित नुकसान निम्नलिखित है—

वर्ष	क्षतिग्रस्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1986-87	8,095
1987-88	5,050
1988-89	3,792

वृक्षों को काटने से हुआ नुकसान और उसका अनुमानित मूल्य नीचे दिया गया है—

वर्ष	गिराये गये वृक्षों की संख्या	मूल्य (लाख रुपये में)
1987-88	76248	463.76
1988-89	47186	273.99
1989-90	26607	157.35

(ख) वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गश्त लगाये जाने के अतिरिक्त चल दस्ता इकाइयों और स्ट्राइक बल इकाइयों द्वारा भी सतत गश्त लगाई जाती हैं।

(2) वन कर्मचारियों को हथियार और वायरलैस सैट प्रदान किये गये हैं ताकि वे वन अपराधियों के साथ कारगर तरीके से निपट सकें।

(3) वन उत्पाद को ले जाते समय मार्ग में कारगर तरीके से निगरानी व नियंत्रण रखने के लिए चैक पोस्ट स्थापित किये गये हैं।

वनों में आग की घटनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वन क्षेत्रों में निरीक्षण मार्गों, सड़क के दोनों ओर कम्पार्टमेंट सीमाओं, आदि के साथ-साथ अग्नि पट्टियां बनाना।

(2) वनों में आग की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें बुझाने के लिए अग्नि गार्डों द्वारा नियमित गश्त।

(3) आग लगने के स्थान का पता लगाने और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे बुझाने के लिए निगरानी टावरों की स्थापना।

(ग) गुजरात सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान वनों के संरक्षण और वनारोपण के लिये दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	वनों के संरक्षण के लिए	वन रोपण के लिए
1987-88	6.64	2989.86
1988-89	10.21	3168.00
1989-90	16.32	3355.00

पश्चिम बंगाल में गंगा सफाई कार्यक्रम की प्रगति

2825. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या गंगा का पानी लगातार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जा रहा है और पश्चिम बंगाल में जिन जिलों से गंगा नदी गुजरती है उनमें पानी के पीने से होने वाली कई बीमारियों में वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्वास्थ्य खतरों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) पश्चिम बंगाल में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही स्कीमों पर अब तक 77.84 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) गंगा नदी के जल में फीकल कॉलीफार्म स्वीकार्य स्तर से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों से यह निश्चित करना सम्भव नहीं हो सका है कि जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के मामलों में पश्चिम बंगाल के उन जिलों में वृद्धि हुई है, जहां से होकर गंगा गुजरती है।

(ग) पश्चिम बंगाल में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत हाथ में ली गई 110 स्कीमों के पूरा होने का कार्य, जिसमें प्रतिदिन 330 मिलियन लीटर अपशेष जल के अवरोधन, दिशा-परिवर्तन तथा उपचार करने की स्कीमें शामिल हैं और अल्प-लागत स्वच्छता की सुविधाओं एवं नदी के किनारों पर विद्युत शवदाह-गृह की स्थापना करना तथा अन्य नदी तटाग्र विकास की स्कीमों से, इन समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी।

बिहार में वनरोपण

[हिन्दी]

2826. **श्री शिबू सोरेन :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक संगठनों को वनरोपण कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए कोई अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) बिहार में वर्ष 1990-91 के लिए वनरोपण हेतु क्या लक्ष्य निश्चित किया जा रहा है और इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की जा रही है?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की सहायता अनुदान परियोजना के अधीन स्वैच्छिक एजेन्सियों को वनीकरण और परती भूमि विकास कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान इन परियोजना के अन्तर्गत देश की समस्त स्वैच्छिक एजेन्सियों को कुल 1629.03 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी।

(ग) ऊपर बताई गई परियोजना में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। स्वैच्छिक एजेन्सियों को उनको प्रायोजना प्रस्तावों के गुणों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1990-91 के दौरान बिहार की स्वैच्छिक एजेन्सियों को

वनीकरण और परती भूमि विकास कार्यकलापों के लिए प्रायोजना शुरू करने हेतु 12.81 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और धनराशि प्रदान की जा चुकी है।

गैर-सरकारी क्षेत्र से हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा खरीद

[अनुवाद]

2827. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड ने अपने विभिन्न कार्यालयों से पूछताछ करके समय-समय पर पेंटिंग, लेखन और ब्रिस्टल से बने औद्योगिक ब्रुशों की खरीद के संबंध में निविदा जारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों को दिये गये क्रयादेशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से खरीद करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां। यह खरीद सीमित संविदा के आधार पर की गई थी।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की विभिन्न डिवीजनों ने निजी कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों—दोनों को लगभग 5.5 लाख रुपए के आर्डर दिए हैं। खरीद के आर्डर कम्पनी को विभिन्न डिवीजनों द्वारा सामान की मांग के लिए निविदाएं जारी किए जाने के बाद प्राप्त प्रस्तावों के मूल्य और गुणता को देखते हुए दिये जाते हैं।

मंजूरी के लिए विचाराधीन कोयला परियोजनाएं

2828. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की अनेक कोयला परियोजनाएं पर्यावरण मूल्यांकन समिति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है;

(ख) यदि हां, तो इन कोयला परियोजनाओं को स्वीकृत न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन्हें स्वीकृति देने में और विलम्ब किये जाने से कोयला उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार चालू योजना के दौरान उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा; और

(घ) इन परियोजनाओं को अविलम्ब स्वीकृति देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं। सेंट्रल कोलफील्ड्स की केवल तीन परियोजनाए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रतीक्षा में हैं।

(ख) तीन परियोजनाएं अनिवार्य पर्यावरणीय ब्योरों/कार्य योजनाओं अथवा वन भूमि के उपयोग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण लंबित पड़ी हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तीनों परियोजनाएं पहले से कार्य कर रही खानों से संबंधित हैं। तथापि, अंतिम निर्णय अनिवार्य ब्योरों के प्राप्त होते ही ले लिया जाएगा।

रक्षा व्यय संबंधी समिति का गठन

2829. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा व्यय संबंधी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं, इसके विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके चेयरमैन और सदस्यों को क्या सुविधाएं और भत्ते दिये जाते हैं; और

(ख) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 31-12-1990 तक।

विवरण

रक्षा व्यय सम्बन्धी समिति का गठन इस प्रकार है—

श्री अरुण सिंह ....अध्यक्ष

सदस्य

1. एयर मार्शल के० डी० चड्ढा (सेवानिवृत्त)
2. श्री सी० एल० चौधरी—भूतपूर्व वित्त सलाहकार(रक्षा सेवाएं) रक्षा मंत्रालय।
3. लेफ्टिनेंट जनरल के० के० हजारी (सेवानिवृत्त)
4. लेफ्टिनेंट जनरल वी० सी० नन्दा (सेवानिवृत्त)
5. वाइस एडमिरल के० के० नायर (सेवानिवृत्त)
6. श्री वी० एस० जाफा—भारतीय रक्षा लेखा सेवा (हाल ही तक रक्षा मंत्रालय में वित्त सलाहकार)

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं—

(क) रक्षा विभाग में इस समय जो खर्चा हो रहा है उसकी जांच करना और खर्चे में किफायत करने तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए उपाय, कार्यविधियों एवं कार्य-प्रणालियों की सिफारिश करना।

(ख) खर्चे की आवधिक पुनरीक्षा करने तथा उस पर नियन्त्रण रखने की कार्य प्रणालियों की सिफारिश करना।

(ग) ऐसे मुद्दों के बारे में विचार करना और उन पर रिपोर्ट देना— जिन्हें सरकार समिति को विचारार्थ भेजे।

3. अध्यक्ष, प्रतिमाह 10,000 रुपये की एकमुश्त समेकित फीस, स्थानीय यात्राओं के लिए स्टाफ कार के उपयोग और समिति के कार्य के लिए उनके द्वारा अदा किए गए टेलीफोन प्रभारों को वापिस पाने के पात्र हैं। समिति के कार्य के संबंध में दौरे के समय वह उच्च पदों के सरकारी अधिकारियों को स्वीकृत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता तथा सरकारी/सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत के अतिथि गृहों के उपयोग करने के पात्र होंगे। पद ग्रहण और पद त्याग करते समय वह अपने तथा अपनी पत्नी के लिए अपने मूल निवास-स्थान और दिल्ली के बीच की वायु/रेल यात्रा के लिए किराया पाने के पात्र हैं।

4. जो सदस्य सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं वे प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपये का प्रति दिन के हिसाब से भत्ता पाने के पात्र हैं जिस दिन वे समिति का कार्य करेंगे। वे अपनी पेंशन और उस पर राहत पाते रहेंगे। स्थानीय सदस्यों को यात्रा-प्रभार दिया जाता है किन्तु यह राशि 75 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं है। इसके अलावा वे अपने निजी टेलीफोनों से समिति के कार्य के लिए जो टेलीफोन करते हैं उन कार्यों के लिए लिया जाने वाला प्रभार भी उन्हें अदा किया जाता है। समिति के कार्य के लिए दौरे पर जाने वाले सदस्य उसी तरह यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा सरकारी/सरकारी क्षेत्र के अतिथि गृहों के उपयोग करने के पात्र होंगे जिस तरह भारत सरकार के सचिव के रैंक के सरकारी अधिकारी पात्र होते है। श्री जाफा एक कार्यरत अधिकारी हैं। उन्हें पूर्ण कार्मिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और वे अपना सामान्य वेतन तथा भत्ता लेते रहेंगे।

मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए धनराशि

2830. **श्री लोकेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जहां भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र वन तथा राजस्व विभागों के अन्तर्गत आता है, धन-राशि की कमी के कारण बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का वन रोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पट्टे के आधार पर स्वयंसेवी संगठनों को वन तथा राजस्व विभागों की भूमि राज्य सरकारों को आवंटित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) वन तथा राजस्व विभागों की भूमि सहित विभिन्न स्थानों में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप धनराशि की उपलब्धता के अनुसार वर्ष दर वर्ष चलाए जा रहे हैं। राज्य और केन्द्र प्लान परिव्ययों से अभी तक प्रत्येक वर्ष परती भूमि के केवल एक छोटे हिस्से का ही सुधार हो पाया है।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों को पट्टे पर वन तथा राजस्व भूमि आवंटित करने के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह नहीं दी गई है। तथापि अवक्रमित वन भूमि के संबंध में केन्द्र सरकार ने ग्राम समुदायों और स्वैच्छिक एजेन्सियों को अवक्रमित वनों की पुनर्स्थापना में शामिल करने के लिए हाल ही में मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी की हैं।

युवा छात्रावास

2831. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कितने युवा छात्रावास हैं और कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान गुजरात में और अधिक युवा छात्रावासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) देश में कार्य कर रहे/पूर्ण हो गए 29 युवा छात्रावासों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) गुजरात द्वारा सिफारिश किए गए भावनगर, पावागढ़, सूरत और जूनागढ़ में युवा छात्रावासों के निर्माण का केन्द्रीय सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया गया है। जब राज्य सरकार द्वारा 2 से 3 एकड़ उपर्युक्त भूमि प्रदान की जाएगी तब कार्य शुरू किया जाएगा।

विवरण

देश में कार्य कर रहे/निर्मित किए गए युवा छात्रावासों की सूची

क्रम सं०	युवा छात्रावास का नाम	राज्य संघ/शासित क्षेत्र
1	2	3
1.	अमृतसर	पंजाब
2.	भोपाल	मध्य प्रदेश
3.	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
4.	इम्फाल	मणिपुर
5.	मैसूर	कर्नाटक
6.	पणजी	गोआ
7.	पटनीटाप	जम्मू और काश्मीर
8.	शिलांग	मेघालय
9.	आगरा	उत्तर प्रदेश
10.	नैनीताल	उत्तर प्रदेश
11.	डलहौजी	हिमाचल प्रदेश
12.	गांधी नगर	गुजरात
13.	जयपुर	राजस्थान
14.	पंचकुला	हरियाणा
15.	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
16.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
17.	त्रिवेन्द्रम	केरल
18.	इर्नाकुलम	केरल
19.	कालीकट	केरल
20.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र

1	2	3
21.	दीमापुर	नागालैंड
22.	सिकन्दराबाद	आन्ध्र प्रदेश
22.	मद्रास	तमिलनाडु
24.	नामची	सिक्किम
25.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
26.	पुरी	उड़ीसा
27.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
28.	हसन	कर्नाटक
29.	मदुरै	तमिलनाडु

केन्द्रीय आयुध भण्डार, कानपुर द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र से खरीद

2832. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध मण्डार चेओकी और कानपुर विभिन्न चित्रकला, लेखन और औद्योगिक ब्रुशों को गैर-सरकारी निर्माताओं से खरीद रहा है;

(ख) क्या यही सामान कुछ सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से भी खरीदा जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सामान को गैर-सरकारी क्षेत्र से ही खरीदने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार की कम्पनियों से की गई खरीद का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) सक्षम प्राधिकारियों (गुणता आश्वासन महानिदेशक) ने इस मद के लिए सप्लाई-स्रोत के रूप में अभी तक किसी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी का पता नहीं लगाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निजी क्षेत्र की कम्पनियों से पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई खरीद के ब्यौरे इस प्रकार से हैं :—

	1986-87	1987-88	1988-89
पेंटिंग ब्रुश	2141	6430	9908
लिखने वाले ब्रुश	—	2378	5604
मिले-जुले ब्रुश	9064	12366	3708

सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को न अपनाना

2833 **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से प्रत्येक संयंत्र द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की मात्रा का कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबध में क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) सीमेंट विनिर्माण इकाइयों के लिए मानक पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किये गये हैं। ये मानक इकाई के आकार और उसके स्थान पर निर्भर करते हैं। विभिन्न राज्यों में सीमेंट के संयंत्रों से निकलने वाले बहि:स्राव के स्तरों का मूल्यांकन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किया गया है। 94 सीमेंट संयंत्रों में से 58 संयंत्र निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं, 25 संयंत्रों को एक समय-बद्ध कार्यान्वियन कार्यक्रम दिया गया है, 6 को बन्द कर दिया गया है और 5 संयंत्रों ने अभी तक कार्यान्वियन कार्यक्रम नहीं दिया है।

झीलों का पानी सूखना

2834. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर की डल झील सहित कई प्राकृतिक झीलों का पानी बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी झीलों की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं और वे किन-किन राज्यों/जिलों में स्थित हैं तथा उनका मूल क्षेत्रफल कितना था और वर्तमान क्षेत्रफल कितना है तथा उनके सूखने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी सूखती झीलों को पुन: नैसर्गिक रूप प्रदान करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी झीलों की कोई विस्तृत सूची उपलब्ध नहीं है लेकिन भारत में झीलों के सूखने के आम कारण, गाद जमाव, अवैध कब्जे, खर-पतवार बढ़ाना और सुपोषण हैं।

(ग) "आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षण कार्यक्रम" नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ प्राकृतिक झीलों की संरक्षण और प्रबन्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए शिनाख्त की गई है। निम्नलिखित कार्यों के लिए ऐसी झीलों को सहायता दी गई है :—

(1) सर्वेक्षण और सीमांकन

(2) खर-पतवार नियंत्रण

(3) गाद जमाव को रोकने के उपाय

(4) जल गुणवत्ता की निगरानी

(5) मृदा संरक्षण

(6) सुरक्षात्मक उपाय

(7) वनरोपण

(8) पर्यावरणीय जागरूकता

दिल्ली में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देना

[हिन्दी]

2835. **श्री एम० एस० पाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सत्र के प्रारंभ होने के कितने महीने बाद छात्रों को सामान्यतः ये पुस्तकें दे दी जाती हैं; और

(ग) यदि ये पुस्तकें समय पर नहीं दी जाती हैं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली स्थित पाठ्य पुस्तक ब्यूरो से अग्रिम अदायगी पर पाठ्य पुस्तकें खरीदता है। इस प्रकार की पुस्तकों को आम तौर पर ग्रीष्म कालीन छुट्टियों के बाद अर्थात् अप्रैल में सत्र के आरंभ होने के लगभग तीन चार महीनों के बाद स्कूलों के खुलने पर बांट दिया जाता है। बिलों को जारी न करने से अथवा समय पर पुस्तकों के मुद्रण न होने के कारण इसमें विलम्ब हो ही जाता है। दिल्ली नगर निगम शैक्षिक सत्र के आरंभ होने के बाद इन पाठ्य पुस्तकों को यथा संभव शीघ्र वितरण करने के सभी संभव प्रयास करता है।

प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबन्ध

[अनुवाद]

2836. **श्री ए० के० राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राध्यापकों और अध्यापकों को बेहतर वेतन-मान दिए जाने के बावजूद वे अभी भी व्यवसायिक आधार पर अपने घरों पर प्राइवेट ट्यूशन' करते हैं;

(ख) क्या छात्रों को इन दुष्कर दिनों में केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए भारी खर्चा उठाकर "प्राइवेट कोचिंग" के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि कई प्राध्यापक और अध्यापक नियमित रूप से प्राइवेट कोचिंग की कक्षाएं लगाकर राष्ट्र के भविष्य निर्माण के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य और सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्राइवेट ट्यूशन पर नियन्त्रण लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) जबकि सरकार को सामान्यतः यह जानकारी है कि कालेज और विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, कोई विशिष्ट शिकायत सरकार अथवा वि० अ० आयोग के ध्यान में नहीं लाई गई है। तथापि वि० अ० आयोग ने व्यवसायिक नैतिकता की एक संहिता तैयार की है जिसको सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को भेज दिया गया है। संहिता में यह व्यवस्था है कि शिक्षकों को कोई अन्य रोजगार नहीं करना चाहिए और वचनबद्धता नहीं देनी चाहिए, जिसमें प्राइवेट ट्यूशन तथा कोचिंग कक्षाएं शामिल हैं, चूंकि इसमें उनकी व्यवसायिक जिम्मेदारियों में बाधा पड़ने की सम्भावना होती है। विश्वविद्यालयों और कालेजों तथा स्वयं शिक्षकों का कर्त्तव्य है कि वे व्यवसायिक नैतिकता की संहिता का पालन करें।

आयुध कारखाना, मुरादनगर के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

2837. **श्री के० सी० त्यागी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखाना, मुरादनगर को गत तीन वर्षों के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों से करुणामूलक आधार पर रोजगार हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने मामलों में रोजगार दिया गया है, जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है उनके नामों, उनके आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की तारीखों, उन्हें रोजगार दिए जाने की तारीखों का ब्यौरा क्या है, और यदि इसमें कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने मामले अस्वीकार किए गए हैं और जिस आधार पर वे अस्वीकार किए गए हैं उनका आवेदन पत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं, इस प्रकार के आवेदन पत्रों का पूर्ण ब्यौरा क्या है और उन्हें रोजगार दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) (क) : 1-4-1987 से 31-7-1990 तक की अवधि के दौरान 90 आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) चवालिस मामले संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलम्ब, प्रशासनात्मक प्रक्रिया को पूरा करने में रुकावट की अपरिहार्य परिस्थितियां और भर्ती से पूर्व औपचारिकताएं पूरी करने में लगने वाले समय के कारण कुछ मामलों में विलम्ब हुआ।

(ग) तीस मामले संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

(घ) सोलह मामले वर्तमान स्थिति सहित संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

1-4-1987 से 31-7-1990 तक पिछले तीन वर्ष के दौरान रोजगार प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं०	जिस व्यक्ति को रोजगार दिया गया उसका नाम/मृतक का नाम	मृत व्यक्ति के परिवार से रोजगार के लिए किए गए आवेदन पत्र की तारीख	रोजगार देने की तारीख/पद
1	2	3	4
1.	श्री धर्मराज स्वर्गीय शोभा राम का पहला पुत्र	06.05.87	श्रमिक "ख" 19.04.88
2.	श्री सुन्दर लाल स्वर्गीय लक्ष्मी चन्द का पहला पुत्र	07.07.87	श्रमिक "ख" 14.06.89
3.	श्रीमती राजी पत्नी स्वर्गीय सूरज लाल मीणा	02.07.87	श्रमिक "ख" 28.01.88
4.	श्री विजेन्द्र सिंह स्वर्गीय तम पाल का पहला पुत्र	28.07.87	दरबान 14.12.87
5.	श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्वर्गीय धर्म पाल	9.8.87	श्रमिक "ख" 28.1.88
6.	श्री सोहन बीर स्वर्गीय महाबीर सिंह का पहला पुत्र	10.8.87	श्रमिक "ख" 24.2.89
7.	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्वर्गीय राम भजन	28.8.87	श्रमिक "ख" 28.1.88
8.	श्रीमती प्रीति माथुर पत्नी स्वर्गीय एम० बी० माथुर	19.10.87	अवर श्रेणी लिपिक, 28.5.88, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा आयुध निर्माणी एकक में तैनात
9.	श्री अनिल कुमार त्यागी स्वर्गीय राम पाल त्यागी का पहल पुत्र	31.12.87	श्रमिक "ख" 17.8.88
10.	श्रीमती दयावती पत्नी स्वर्गीय भगवान दास	5.1.88	श्रमिक "ख" 29.6.88

1	2	3	4
11.	श्री श्रीपाल सिंह स्वर्गीय कमल सिंह का पहला पुत्र	8.1.88	श्रमिक "ख" 16.5.89
12.	श्री महेश चन्द त्यागी स्वर्गीय सुरेश चन्द का भाई	18.1.88	श्रमिक "ख" 17.8.88
13.	श्री उमेश कुमार सक्सेना स्वर्गीय मदन लाल का पहला पुत्र	8.2.88	श्रमिक "ख" 14.6.89
14.	श्रीमती रशनी देवी पत्नी स्वर्गीय शौकीन	22 88	सफाई कर्मचारी 5.9.88
15.	श्री पाले राम, श्री चन्द्र भान का दूसरा पुत्र (चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त)	21.5.88	श्रमिक "ख" 21.6.89
16.	श्री जसबीर सिंह स्वर्गीय ओम प्रकाश का पहला पुत्र	20.4.88	श्रमिक "ख" 1.9.88
17.	श्रीमती जमिला पत्नी स्वर्गीय इशमुद्दीन	23.5.88	श्रमिक "ख" 17.10.88
18.	श्री बबीन कुमार स्वर्गीय मंगते का पहला पुत्र	30.5.88	श्रमिक "ख" 21.12.88
19.	श्री संजय कुमार सक्सेना स्वर्गीय राम किशन का पहला पुत्र	2.6.88	श्रमिक "ख" पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया है किन्तु अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।
20.	श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्वर्गीय हिम्मत	9.6.88	श्रमिक "ख" 16.11.88
21.	श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी स्वर्गीय पूरण सिंह	20.7.88	श्रमिक "ख" 8.12.88
22.	श्री राकेश कुमार स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण का पहला पुत्र	8.9.88	श्रमिक "ख" 1.2.89
23.	श्री राम किशोर स्वर्गीय फकीर चन्द का पहला पुत्र	6.9.88	श्रमिक "ख" 24.2.89
24.	श्री राज कुमार स्वर्गीय कृपाल सिंह का पहला पुत्र	10.11.88	श्रमिक "ख" 5.4.89
25.	श्रीमती जग रोशनी पत्नी स्वर्गीय भूपाल सिंह	10.11.88	श्रमिक "ख" 7.6.88

1	2	3	4
26.	श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वर्गीय रूप चन्द	10.11.88	श्रमिक "ख" 15.3.89
27.	श्रीमती राज बाला पत्नी स्वर्गीय जगबीर सिंह निमेश	10.11.88	अर्दली 6.4.89
28.	श्री नवीन कुमार स्वर्गीय सुरेश चन्द का पहला पुत्र	2.2.89	श्रमिक "ख" 23.5.89
29.	श्रीमती मिघा देवी पत्नी स्वर्गीय आलम सिंह नेगी	17.1.89	श्रमिक "ख" 14.6.89
30.	श्रीमती प्रेम लता पत्नी स्वर्गीय वीरेन्द्र कुमार	19.1.89	श्रमिक "ख" 2.8.90
31.	श्रीमती महेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय वाई० के० शर्मा	30.1.89	अवर श्रेणी लिपिक 28.3.89
32.	श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश	18.5.89	श्रमिक "ख" 20.6.80
33.	श्रीमती रत्ना बोस पत्नी स्वर्गीय एस० के० बोस	22.5.89	अवर श्रेणी लिपिक 8.9.89
34.	श्रीमती प्रकाशो पत्नी स्वर्गीय भानु प्रकाश	29.5.89	श्रमिक "ख" 24.3.90
35.	श्री बिजेन्द्र स्वर्गीय विजय सिंह का पहला पुत्र	3.6.89	दरबान 9.1.90
36.	श्रीमती लीलावती पत्नी स्वर्गीय सुशील कुमार	25.9.89	सफाई कर्मचारी 2.7.90
37.	श्री अश्विनी कुमार स्वर्गीय बीरेन्द्र कुमार का पहला पुत्र	17.10.89	दरबान 2.4.90
38.	श्रीमती सिमला पत्नी स्वर्गीय ओमबीर	9.11.89	श्रमिक "ख" के लिए नियुक्ति पत्र 22.8.90 को जारी किया
39.	श्री योगेन्द्र कुमार स्वर्गीय राज पाल सिंह का पहला पुत्र	24.11.89	श्रमिक "ख" 17.8.90
40.	श्री योगेन्द्र कुमार स्वर्गीय बाल कृष्ण का पहला पुत्र	6.12.89	स्टोर कीपर 21.6.90
41.	श्रीमती सोमवती पत्नी स्वर्गीय रवीन्द्र	7.12.89	श्रमिक "ख" 21.7.90

1	2	3	4
42.	श्री दिनेश कुमार स्वर्गीय जय ईश्वर सिंह का पहला पुत्र	12.3.90	फायरमैन ग्रेड-2
43.	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी तिलक राम	10.3.90	श्रमिक "ख" के लिए नियुक्ति पत्र 22.8.90 को जारी किया।
44.	श्री जय प्रकाश स्वर्गीय रमेश चन्द का पहला पुत्र	29.3.90	दरबान पद के लिए नियुक्ति पत्र 22.8.90 को जारी किया।

विवरण-2

पिछले तीन वर्ष अर्थात् 1-4-87 से 31-7-90 तक की अवधि में नामंजूर किए गए मामलों के ब्यौरे।

क्रम सं०	रोजगार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम और मृतक का नाम	मृतक व्यक्ति के परिवार से रोजगार के लिए किए गए आवेदन पत्र की ता०	रोजगार न देने के कारण
1	2	3	4
1.	अजय मोहन भटनागर स्वर्गीय श्रीमती राधा भटनागर का दूसरा पुत्र	31.7.87	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि मृतक के दोनों पुत्र छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे थे और उन्हें मकान-किराए से भी आय हो रही थी।
2.	राम गोपाल स्वर्गीय रघुबीर सिंह का दत्तक पुत्र	9.10.87	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं।
3.	इसमाइल स्वर्गीय सत्तार का एकमात्र पुत्र	4.11.87	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि विवाहित पुत्र दिवंगत कर्मचारी के माता-पिता का दायित्व नहीं है।

1	2	3	4
4.	कंवर पाल स्वर्गीय गुली चन्द का दूसरा पुत्र	21.1.88	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि विवाहित पुत्र दिवंगत कर्मचारी के माता-पिता का दायित्व नहीं है।
5.	सोन पाल, स्वर्गीय करतार सिंह का पहला पुत्र	23.2.98	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि विवाहित पुत्र दिवंगत कर्मचारी के माता-पिता का दायित्व नहीं है।
6.	मुकेश कुमार स्वर्गीय गोपी चन्द का तीसरा पुत्र	22.2.88	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि विवाहित पुत्र दिवंगत कर्मचारी के माता-पिता का दायित्व नहीं है।
7.	संजय कुमार स्वर्गीय दयाबीर का दूसरा पुत्र	17.3.88	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
8.	फतेह सिंह स्वर्गीय राम फल का दूसरा पुत्र	13.3.88	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
9.	राजबीर सिंह स्वर्गीय बालू राम का पहला पुत्र	21.6.88	चूंकि दिवंगत व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य पहले ही केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है, इसलिए यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
10.	कुमारी कृष्णा बाला पुत्री स्वर्गीय उदय भान	22.6.88	चूंकि दिवंगत व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य पहले ही केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है, इसलिए यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
11.	दुली चन्द स्वर्गीय चिरंजीलाल का पहला पुत्र	17.8.88	चूंकि दोनों ही पुत्र विवाहित हैं, इसलिए यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।

1	2	3	4
12.	ज्ञान सिंह स्वर्गीय केहर सिंह का दूसरा पुत्र	4.9.88	चूंकि दोनों ही पुत्र विवाहित हैं, इसलिए यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
13.	देवेन्द्र कुमार स्वर्गीय मुरलीधर का पांचवां पुत्र	10.11.88	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
14.	देवेन्द्र कुमार स्वर्गीय शांति स्वरूप का जंवाई	10.11.88	जंवाई को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दिए जाने के बारे में उचित परिस्थितियां नहीं थीं इसलिए यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
15.	अजय कुमार स्वर्गीय विनय कुमार के बड़े भाई	10.11.88	यह मामला अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
16.	श्रीमती जमीला एवं श्रीमती राजो पत्नी स्वर्गीय इस्माइल	2.12.88	चूंकि दो पत्नियों ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दिए जाने के लिए आवेदन किया है, जबकि उनके कोई दायित्व नहीं हैं, इसलिए यह मामला बंद कर दिया गया।
17.	श्रीमती बरफो देवी पत्नी स्वर्गीय गोविन्द राम	14.12.88	श्रीमती बरफी देवी ने 48 साल की उम्र में नौकरी के लिए आवेदन किया था इसलिए इस मामले पर विचार नहीं किया गया।
18.	घनश्याम, स्वर्गीय राम नाथ का दूसरा पुत्र	4 4.89	यह मामला अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।
19.	सुखबीर, स्वर्गीय मूल चन्द का पहला पुत्र	5.6.89	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं।

1	2	3	4
20.	बिजेन्द्र सिंह, स्वर्गीय कमल सिंह का तीसरा पुत्र	19.7.89	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं।
21.	विजय सिंह स्वर्गीय भरत सिंह का दूसरा पुत्र	4.8.89	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इससे अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं।
22.	मणि राम स्वर्गीय गणेशी का चौथा पुत्र	6.11.89	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं। चौथे पुत्र को नौकरी देने के लिए आवेदन किया गया, जो अवयस्क था।
23.	श्रीमती शांति देवी पत्नी स्वर्गीय मुन्ना लाल	21.12.89	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं।
24.	स्वर्गीय जय राम की पत्नी श्रीमती जगवती ने अपने तीसरे पुत्र को नौकरी दिए जाने का अनुरोध किया था।	20.1.90	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं।
25.	महेन्द्र पाल स्वर्गीय तेजराम का पहला पुत्र	15.1.90	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं।

1	2	3	4
26.	पप्पू स्वर्गीय गंगा राम का दूसरा पुत्र	16.3.90	यह मामला विचार किए जाने योग्य नहीं था क्योंकि इसमें अनुकम्पा के आधार पर रोजगार सहायता प्रदान किए जाने की उचित परिस्थितियां नहीं थीं।
27.	परमन्दर कुमार स्वर्गीय इकबाल सिंह का पहला पुत्र	22.3.90	मैसेंजर ब्वाय का पद खाली न होने और उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम होने की वजह से नौकरी नहीं दी गई।
28.	श्रीमती गोमती देवी पत्नी स्वर्गीय दया नन्द	12.5.90	दिवंगत कर्मचारी की पत्नी का कोई अन्य दायित्व न होने की वजह से उनका मामला विचार किए जाने योग्य नहीं समझा गया।
29.	संतोष कुमार, स्वर्गीय दाल चन्द का दूसरा पुत्र	27.6.90	दिवंगत कर्मचारी की पत्नी का कोई अन्य दायित्व न होने की वजह से उनका मामला विचार किए जाने योग्य नहीं समझा गया।
30.	विनोद कुमार स्वर्गीय फूल चन्द का चौथा पुत्र	2.7.88	सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उनका अनुरोध विचार करने योग्य नहीं था इसलिए उन्हें रोजगार नहीं दिया गया।

विवरण-3

1-4-1987 से 31-7-1990 तक पिछले तीन वर्ष के दौरान अभी भी विचाराधीन मामलों की संख्या का ब्योरा

क्रम सं०	रोजगार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम और मृतक का नाम	आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख	टिप्पणी/मामले का स्तर
1	2	3	4
1.	श्री नवीन कुमार त्यागी स्वर्गीय सत्य प्रकाश त्यागी का प्रथम पुत्र	20.7.87	यद्यपि उम्मीदवार को श्रमिक के पद के लिए चुन लिया गया है किन्तु उसकी आयु कम होने के कारण उसे अभी नियुक्त नहीं किया गया है। उसकी जन्म तिथि 5.2.73 है।

1 2	3	4
2. श्री दिनेश कुमार स्वर्गीय मनोहर सिंह का दूसरा पुत्र	2.11.88	सिविल अधिकारियों से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आदि के बारे में सहमति प्राप्त होने के बाद "मैसेंजर बॉय" के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
3. श्री सतीश कुमार स्वर्गीय धर्मवीर का प्रथम पुत्र	3.10.89	सिविल अधिकारियों से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आदि के बारे में सहमति प्राप्त होने के बाद श्रमिक "ख" के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
4. श्री कमल किशोर स्वर्गीय वेद प्रकाश का प्रथम पुत्र	23.11.89	उम्मीदवार का मैसेंजर बॉय के पद के लिए 6.9.90 को परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है।
5. श्री [illegible] कुमार श्री [illegible] सिंह का प्रथम पुत्र डाक्टरी आधार पर सेवा-मुक्त कर्मचारी	28.2.90	सिविल अधिकारियों से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आदि के बारे में सहमति प्राप्त होने के बाद श्रमिक "ख" के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।
6. सुशील कुमार स्वर्गीय ब्रह्म पाल सिंह का प्रथम पुत्र	15.3.90	सिविल अधिकारियों से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आदि के बारे में सहमति प्राप्त होने के बाद श्रमिक "ख" के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।
7. श्रीमती राम दुलारी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी चन्द	15.10.89	शुरू में मामला अस्वीकृत होने के बाद आयुध निर्माणी बोर्ड को मामला दुबारा प्रस्तुत करने के लिए इस निर्माणी के वरिष्ठ श्रमिक अधिकारी के जरिए परिवार के विवरण और विशेष परिस्थितियों के जांच के लिए विचाराधीन है।
8. [illegible] सिंह स्वर्गीय समय सिंह का तृतीय पुत्र	24.5.90	इस निर्माणी के वरिष्ठ श्रमिक अधिकारी के जरिए परिवार के विवरण और विशेष परिस्थितियों की जांच के लिए विचाराधीन है।

1	2	3	4
9.	श्रीमती मिन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय अमर सिंह	29.6.90	अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए उम्मीदवार का 23.8.90 को परीक्षा/साक्षात्कार हो चुका है और आगे की कार्यवाही की जा रही है
10.	श्रीमती शकुन्तला सचदेवा पत्नी स्वर्गीय वी०वी० सचदेवा	23.7.90	अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए उम्मीदवार की 23.8.90 को परीक्षा/साक्षात्कार हो चुका है और आगे का कार्यवाही की जा रही है।
11.	जय भगवान स्वर्गीय नैन सिंह का तृतीय पुत्र	29.8.87	प्रत्यक्षतः यह मामला रोजगार सहायता दिए जाने के लिए विचार किए जाने योग्य नहीं है। फिर भी, पुनः मूल्यांकन के लिए कुछ अद्यतन प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
12.	राजेश कुमार स्वर्गीय चरनू का दूसरा पुत्र	5.2.88	प्रत्यक्षतः यह मामला रोजगार सहायता दिए जाने के लिए विचार किए जाने योग्य नहीं है। फिर भी, पुनः मूल्यांकन के लिए कुछ अद्यतन प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
13.	बिजेन्द्र सिंह स्वर्गीय बेघ राज का दूसरा पुत्र	11.11.88	प्रत्यक्षतः यह मामला रोजगार सहायता दिए जाने के लिए विचार किए जाने योग्य नहीं है। फिर भी, पुनः मूल्यांकन के लिए कुछ अद्यतन प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
14.	संजय कुमार स्वर्गीय ओ० पी० गुप्ता का दूसरा पुत्र	5.4.89	प्रत्यक्षतः यह मामला रोजगार सहायता दिए जाने के लिए विचार किए जाने योग्य नहीं है। फिर भी, पुनः मूल्यांकन के लिए कुछ अद्यतन प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
15.	स्वदेश कुमार स्वर्गीय ऐदल का दूसरा पुत्र	28.8.89	मामला अभी विचाराधीन है।

1	2	3	4
16.	श्रीमती किरन कौशल पत्नी स्वर्गीय आर० आर० कौशल	18.7.90 आयुध निर्माणी बोर्ड के 23.7.90 अ० स० पत्र सं० 15/मिस/ए/डब्ल्यू/स्कूल के जरिए प्राप्त	एन. एल. टी. (एच. एस.) पद के लिए उम्मीदवार का 22.8.90 को साक्षात्कार हुआ और सम्पूर्ण मामला आगे की कारंवाई के लिए 23.8.90 को आयुध निर्माणी बोर्ड को भेज दिया गया है।

वायु सेना मुख्यालय में ग्रेड "ए" और "बी" के आशुलिपिकों को पदोन्नति के अवसर

2838 **श्री जनक राज गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में ग्रेड "ए" और "बी" आशुलिपिकों को इस समय ग्रुप "ए" पदों पर लगभग 25 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं;

(ख) क्या वायुसेना मुख्यालय में इन आशुलिपिकों को इसी प्रकार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं; और

(ग) वायुसेना मुख्यालय के आशुलिपिकों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ए" और "बी" आशुलिपिकों के समान पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यद्यपि सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अनुरूप ही बनाई गई है परन्तु दोनों संवर्गों के सदस्यों की संख्या और रूप-रेखा केन्द्रीय सचिवालय के आशुलिपिक संवर्ग की प्रशासनिक तथा संगठनात्मक आवश्यकताओं में अन्तर होने के कारण अलग-अलग होने से दोनों सेवाओं के कर्मचारियों के सभी मामलों में समान पदोन्नति के अवसर प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है।

"आफिशियल लेंड यूज्ड फार टेस्ट्स" शीर्षक से समाचार

2839. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1990 के सडे आब्जर्वर (नई दिल्ली) में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की अथवा इसके कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम जन्म भूमि मंदिर के लिए भवन निर्माण सामग्री की जांच हेतु विश्व हिन्दू परिषद् को तकनीकी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या औपचारिक संविदा के अन्तर्गत अथवा अनौपचारिक तौर पर प्राइवेट पार्टियों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान अथवा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुमति प्राप्त है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) सी० बी० आर० आइ० में मकराना मारबल और लाल (रेड) सैंड स्टोन के तकनीकी मूल्यांकन की संभावनाओं के सम्बन्ध में श्री राम जन्मभूमि न्यास, नई दिल्ली के एक प्रतिनिधि द्वारा की गई एक मौखिक पूछताछ पर उसे बताया गया था कि वर्तमान में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी० बी० आर० आइ०) में इस कार्य के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तत्पश्चात, इस बात की लिखित में भी पुष्टि की गई थी।

(ग) सी० एस० आइ० आर० द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही सी० बी० आर० आइ० केवल अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में प्राइवेट पार्टियों को परामर्श सेवा प्रदान करती है। ये एक औपचारिक अनुबंध के आधार पर हैं।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई धनराशि

[हिन्दी]

2840. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1990 तक की स्थिति के अनुसार गुजरात में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और कितने उपक्रमों में यह निवेश किया गया है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इन उद्योगों द्वारा अर्जित लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी राज्यों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितनी-कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) वर्ष 1989-89 के दौरान गुजरात राज्य में स्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले तथा अन्य सभी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में किए गए पूंजी निवेश, अर्जित लाभ अथवा उठाई गई हानि का ब्यौरा, इस वर्ष के अन्त तक उद्यमों के वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखों के प्राप्त होने तथा संकलित किए जाने के बाद ही उपलब्ध हो पायेगा।

राजस्थान परमाणु उर्जा केन्द्र

[अनुवाद]

2841. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र की प्रथम दो इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना का नाम बदलकर "रावतभाटा" किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या और इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और उसी स्थान पर और अधिक इकाइयों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या आधार है और राजस्थान में आगे की परियोजनाओं के निर्माण को किस लागत पर मंजूरी दी गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले दो यूनिट इस समय काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(घ) जी, हां। दो और यूनिटों (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का तीसरा तथा चौथा यूनिट) जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी, का निर्माण किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त 500 मेगावाट क्षमता वाले चार और यूनिट (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5 से 8 तक) उसी स्थल पर स्थापित किए जाएंगे।

(ङ) जो और यूनिट लगाए जाएंगे उनका आधार उपयुक्त स्थल का होना, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना और उत्तरी विद्युत क्षेत्र जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जो कि कोयले के क्षेत्र से काफी दूरी पर स्थित है और जहां पर ताप बिजली का उत्पादन करना उस क्षेत्र में ताप बिजली का उत्पादन करने की अपेक्षा महंगा पड़ता है जो कोयले की खानों के मुहानों के नजदीक स्थित है, की बिजली की आवश्यकता पूरी करना है। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के तीसरे तथा चौथे यूनिट जो इस समय निर्माणाधीन हैं, की संस्वीकृत अनुमानित लागत 711.57 करोड़ रुपए है। इसी स्थल पर जिन और यूनिटों को (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-5 से 8 तक) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, वे 500 मेगावाट क्षमता वाले बड़े आकार के नए यूनिट होंगे और इन यूनिटों के बारे में ब्यौरे-वार लागत अनुमानों को अन्तिम रूप पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने और सरकार से प्रारम्भिक वित्तीय संस्वीकृति मिल जाने के बाद दिया जाएगा।

राजस्थान में नए परमाणु विद्युत एकक के लिए पानी की कमी

2842. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान में परमाणु विद्युत के दो और एककों का निर्माण चल रहा है, किन्तु वहां पानी की भारी कमी है; और

(ख) परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिये आवश्यक पानी और राजस्थान में उस स्थान पर उपलब्ध पानी के बारे में कोई अध्ययन किया गया था ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) इस समय काम कर रहे राजस्थान परमाणु बिजलीघर की (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

का पहला और दूसरा यूनिट) अथवा निर्माणाधीन राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की (तीसरा और चौथा यूनिट) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी की कोई कमी नहीं है। यद्यपि, यह सही है कि गर्मी के महीनों में राणा प्रताप सागर झील के पानी का स्तर काफी नीचे चला गया था। तथापि, इससे संयंत्र के प्रचालन अथवा परियोजना के निर्माण पर कोई असर नहीं पड़ा।

(ख) स्थल पर यूनिटों के लिए पानी राणा प्रताप सागर जलाशय से उपलब्ध होता है। कंडेंसर के शीतलन के लिए नैचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को अपनाए जाने की वजह से दोनों यूनिटों अर्थात् तीसरे और चौथे यूनिट के लिए प्रचालन के समय प्रति घंटा लगभग 3000 घन मीटर पानी ही निकाला जाएगा। निर्माणावस्था के दौरान राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4 के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता लगभग 300 घन मीटर प्रति घंटा है।

मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा स्टीयरिंग गीयर और स्टेबिलाइजरों के लिए दिया गया क्रयादेश

2843. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के माध्यम से मई, 1988 में जलपोतों के लिए स्टीयरिंग गीयर और स्टेबिलाइजर-कन्ट्रोल का कोई क्रयादेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौसेना अब उस क्रयादेश को विभाजित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) स्टीयरिंग गीयर और स्टेबिलाइजर कन्ट्रोल के फिर जुलाई. 1988 में आर्डर दिए गए।

(ख) 2.42 करोड़ रुपए की कीमत के आर्डर दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों को सरकार के प्रबन्धाधीन लिया जाना

2844. श्री कृपाल सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में ऐसे मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जो कि सरकारी भूमि पर चल रहे हैं और जिनमें 600 अथवा इससे अधिक छात्र हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस आधार पर कि स्कूल सरकारी भूखण्ड पर 600 या अधिक छात्रों सहित चल रहे हैं, सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों को अपने अधिकार में लेने की कोई नीति नहीं है।

एन० सी० ई० आर० टी० के तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी नीति

2845. **श्री हरीश पाल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० सी० ई० आर० टी० के तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में पालन की जा रही स्थानान्तरण नीति क्या है;

(ख) क्या कुछ "स्टोरकीपरों" का हाल ही में वर्तमान नीति का उल्लंघन करके स्थानांतरण किया गया था; और

(ग) यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) रा० शै० अ० प्र० परिषद के तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ का स्थानान्तरण सामान्यतया, प्रशासनिक दक्षता और अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) रा० शै० अ० प्र० परिषद में भण्डारों के कार्यों को सुधारने के प्रयास के एक भाग के रूप में हाल ही में कुछ स्टोरकीपरों को स्थानान्तरित किया था। स्थानान्तरित किये गये स्टोर कीपर ने एक विशेष भण्डार में पांच वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष पूरे कर लिए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चन्दन वन

2846. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री पी० आर० कुमार मंगलम :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-7-1990 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कुल कितने क्षेत्र में चन्दन के वन थे;

(ख) इसकी तुलना में वर्ष 1988 और वर्ष 1989 के दौरान उपरोक्त अवधि तक इनका क्षेत्रफल कितना-कितना था;

(ग) चन्दन वनों की कटाई को रोकने और इसके क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य हिस्सों में चन्दन के वनों का विकास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 जुलाई, 1990 को कर्नाटक में कुल निम्नलिखित क्षेत्र में चन्दन के वन थे—

(1) चन्दन की पौधरोपण	4,200 हेक्टेयर
(2) मिश्रित वनों में प्राकृतिक रूप से उगे चन्दन के वन	लगभग 12 लाख हेक्टेयर

इसके अलावा, निजी भूमि पर भी चन्दन के वन हैं जिनके क्षेत्र को मापा नहीं गया है।

(ख) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान चन्दन के वनों के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) चन्दन के वनों की कटाई को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) चन्दन के वनों की सुरक्षा के लिए तैनात वन कर्मचारियों के लिए हथियार और उपकरण खरीदने के वास्ते कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को क्रमश: 20 लाख रुपये और 40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

(2) समूचे देश में चन्दन की लकड़ी के व्यापार के संबंध में एक समान कानून बनाने के वास्ते कदम उठाए गए हैं।

(3) 50 ग्राम से अधिक भार वाले चन्दन की लकड़ी के टुकड़ों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(4) राज्य सरकारों को निम्नलिखित दिशा-निदेश जारी किए गए हैं—

(1) एक राज्य का "लीगल प्रोक्यूरमेंट सर्टिफिकेट" दूसरे राज्य में वैध नहीं माना जाए।

(2) सूचना देने वालों को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि जब्त की गई लकड़ी की कीमत के वर्तमान 5% से बढ़ाकर 20% कर दी जाए।

(3) केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीन राज्यों के लिए साझा कृत्यक बल बनाया जाए, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने के लिए वन और पुलिस दोनों विभागों के अधिकारी शामिल हों।

(4) केरल में चन्दन के तेल की मिलों की संख्या नियंत्रित की जाए और कोई नई यूनिट नहीं खोली जाए।

(घ) और (ङ) चन्दन के वनों को इनके प्राकृतिक उत्पादन क्षेत्र के बाहर विकसित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अध्यापक

2847. **श्री छविराम अर्गल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में स्नातकोत्तर अध्यापकों, उप-प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों की पृथक-पृथक रूप से संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति कितने हैं;

(ख) क्या इन श्रेणियों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा भरा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1983 से अब तक कुल जितने स्नातकोत्तर अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अध्यापक हैं; और

(ङ) आरक्षित कोटा के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन में विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सामान्य श्रेणी तथा अ० जा०/अ० ज० जा० श्रेणी से संबंधित स्नातकोत्तर शिक्षकों, उप-प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्यों की वर्तमान संख्या निम्नलिखित हैं :—

	स्नातकोत्तर शिक्षक	उप प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य
अन्य	4950	528	331
अ०जा०/अ०ज०जा०	832	10	103
(अ० जा०/अ० ज० जा० की प्रतिशतता)	14%	1.8%	23.7%
कुल	5782	538	434

(ख) जी, नहीं।

(ग) पदोन्नति के लिए पूरक श्रेणी में पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण अ० जा०/अ० ज० जा० का कोटा भरा नहीं जा सका। स्नातकोत्तर शिक्षकों के मामले में 75% पद पदोन्नति द्वारा तथा 25% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। उप प्रधानाचार्यों के पद केवल पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं। प्रधानाचार्य के पद 50% पदोन्नति द्वारा तथा 50% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार आज तक 816 स्नातकोत्तर शिक्षकों को उप-प्रधानाचार्यों के पद पर पदोन्नत किया गया है जिसमें से 15 अनुसूचित जाति के हैं। इनमें से 5 को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत किया गया है।

(ङ) जहां तक सीधी भर्ती कोटा के अन्तर्गत आने वाले आरक्षित पदों पर भरे जाने का संबंध है, दिल्ली प्रशासन ने पहले से ही स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदों तथा प्रधानाचार्य के दो खाली पड़े पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया है, संघ लोक सेवा आयोग को एक मांग पत्र भेजा गया है जहां प्रोन्नति रिक्तियों का पिछला बकाया पड़ा हुआ है, यह नियमानुसार तथा पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर भरा जाता है।

टी० वी० कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

2848. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० वी० कम्पनियां विशेषकर ओनिडा टी० वी० कम्पनी उपभोक्ताओं का सेवा संबंधी शिकायतों को शीघ्र "अटेन्ड" नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने कोई निवारण एकक स्थापित किया है;

(ग) सरकार का ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या इन कम्पनियों के सेवा शुल्क अनुचित रूप से अधिक हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रि-सूत्रीय अर्ध-न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में एक उपभोक्ता अन्तः सम्पर्क कक्ष भी कार्य कर रहा है, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं के साथ मिलकर सीधे ही उपभोक्ता की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। जनवरी, 1989 से जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान, इस सेल (कक्ष) को विभिन्न टी० वी० ब्राण्डों (जिसमें दो ओनिडा ब्राण्ड भी शामिल हैं) से संबंधित 56 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर टी० वी० सेटों के विनिर्माणकर्ताओं के साथ मिलकर शिकायतों पर कार्रवाई की गई तथा अधिकांश शिकायतों का उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुसार समाधान कर दिया गया है।

(घ) टी० वी० कम्पनियां समाश्वासन (वारन्टी) अवधि के दौरान बिक्री उपरान्त सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराती हैं। इस अवधि के बाद उपभोक्ता या तो कम्पनी से वार्षिक मरम्मत-सेवा के लिए अनुबंध करता है अथवा मरम्मत-सेवा केन्द्रों/डीलरों/मरम्मत सेवा करने वाले विभिन्न तकनीशियनों से सम्पर्क स्थापित करता है। भारतीय टी० वी० विनिर्माता संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार वार्षिक मरम्मत-सेवा अनुबंध के लिए जो प्रभार वसूल किया जाता है वह हर कम्पनी का अलग-अलग है। आमतौर पर श्याम तथा श्वेत टी० वी० के लिए 250 रु० तथा रंगीन टी० वी० के लिए 400 रु० प्रभारित किए जाते हैं। एक बार की सेवा प्रदान करने के लिए आमतौर पर श्याम तथा श्वेत टी० वी० के लिए 35 रु० और रंगीन टी० वी० के लिए 75 रु० प्रभारित किए जाते हैं।

यदि कोई उपभोक्ता यह सोचता है कि किसी कम्पनी के मरम्मत-सेवा से संबंधित प्रभार वाजिब नहीं है तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्थापित तंत्र (मशीनरी) के जरिए अपनी शिकायत का निवारण कर सकता है।

पुस्तक संबंधी नीति

[हिन्दी]

2849. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पुस्तक के संबंध में कोई नीति है;

(ख) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अलावा साहित्य अकादमी और प्रकाशन विभाग को भी पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य सौंपा गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को राष्ट्रीय पुस्तक नीति तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का कार्य सौंपने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, गोपालपुर, उड़ीसा में हड़ताल

[अनुवाद]

2850. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, गोपालपुर, उड़ीसा में बार-बार हड़ताल होने के क्या कारण हैं; और

(ख) समस्या के समाधान एवं वहां शान्ति और सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) उड़ीसा में छतरपुर नामक स्थान पर स्थित इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की फैक्टरी में लगभग 12 वर्ष के पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार ही अर्थात्: 31-7-90 से लेकर 7-8-90 तक हड़ताल हुई है। इस संयंत्र में बार-बार हड़ताल होने के कोई कारण नहीं हैं।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित हड़ताल का मसला यूनियन और प्रबन्ध वर्ग ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (3) के अन्तर्गत समझौते पर हस्ताक्षर करके हल कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप संयंत्र में हड़ताल समाप्त घोषित कर दी गई है और वहां पर सामान्य स्थिति पुनः कायम हो गई है।

उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

[हिन्दी]

2851. **डा० बंगाली सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय कार्य कर रही सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन संस्थाओं को उपलब्ध की जा रही वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके कार्य की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय क्षेत्र के अन्तर्गत 510 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान 63 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं (केन्द्रीय प्रायोजित योजना) के अतर्गत 32,400 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और 45 राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (राज्य योजना) चला रही है। 108 परियोजनाओं की एक वर्ष की अनुमानित लागत 1.68 करोड़ रुपये है। प्रदत्त वित्तीय सहायता के विवरणों सहित स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	स्वैच्छिक सस्थाओं की संख्या	जारी किया गया कुल अनुदान
1987-88	84	रु० 1,39,39,570.00
1988-89	48	रु० 65,52,259.00
1989-90	98	रु० 3,10,55,507.00

लखनऊ स्थिति राज्य संसाधन केन्द्र इन संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संस्थापित एक मूल्यांकन और साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए विदेशी मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रौढ़ शिक्षा विभाग भी प्रायः इन स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य का निरीक्षण करता है और जब कभी आवश्यकता होती है, रिपोर्ट भेजता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 1987 में स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त मूल्यांकन दल स्थापित किए थे।

(घ) 1987-88 के दौरान संयुक्त मूल्यांकन दलों ने जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधि राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि और एक गैर सरकारी सदस्य शामिल था, स्वैच्छिक एजेंसियों का मूल्यांकन किया था। इन स्वैच्छिक एजेंसियों को उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क	ख	ग-1	ग-2	घ
3	27	15	16	21

उपर्युक्त वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंड पर आधारित था :

(क) स्वैच्छिक एजेंसियां जिनका कार्य पूरी तरह से संतोषजनक पाया गया।

(ख) स्वैच्छिक एजेंसियां जिनके कार्य में सुधार की आवश्यकता थी।

(ग-1) स्वैच्छिक एजेंसियां जिन्होंने कार्यक्रम को ईमानदारी से क्रियान्वित किया लेकिन कमियां रहीं।

(ग-2) स्वैच्छिक एजेंसियां जो कार्यक्रम जारी रखने में काफी सक्षम नहीं है।

(घ-) स्वैच्छिक एजेंसियां जिनका कार्य संतोषजनक नहीं था या जिनकी सदाशयता संदेहपूर्ण थी।

जहां कहीं रिपोर्ट प्रतिकूल है, वहां उपयुक्त अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है।

उप्पर बुधिरा तथा उप्पाटुंगा योजनाओं को स्वीकृति

[अनुवाद]

2852. **श्री डी० के० नायकर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने उप्पर बुधिरा तथा उप्पाटुंगा परियोजनाएं योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की पुनरीक्षा समिति के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां

2853. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुई वर्ष के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से संबंधित वैज्ञानिक विभाग संबंधी अपनी रिपोर्ट (1990 की संख्या 2) के पैरा 39 और 52 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पुनरीक्षा समिति, 1988 के संबंध में की गई टिप्पणियों पर कोई कारंवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वैज्ञानिक विभागों संबंधी (1990 की संख्या 2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी० ए० जी०) की रिपोर्ट में सी० एस० आइ० आर० से संबंधित 14 पैरों में से यथा पैरा 39 से 52 तक केवल पैरा 50 "केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान के तुंग, दार्जिलिंग में अनुसंधान केन्द्र के जारी रहने" पर सी० एस० आइ० आर० पुनरीक्षा समिति, 1988 से संबंधित है। अब यह केन्द्र दिनांक 16-5-1990 से बन्द कर दिया गया है।

सी० ए० जी० की रिपोर्ट के शेष 13 पैरों में से 6 पैरों (पैरा 39, 42, 43, 46, 47 व 48) के संबंध में कारंवाई पूरी की जा चुकी है। शेष 7 पैरों (पैरा संख्या 40, 41, 44, 45, 49, 51 व 52) के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र कारंवाई पूरी किए जाने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं।

आकलैंड में राष्ट्रमंडलीय खेलों के दौरान दिये गये एक भोज में शराब पिलाना

2854. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकलैंड में जनवरी, 1990 में हुए गत राष्ट्रमंडलीय खेलों के दौरान दिये गये एक भोज में परोसी गई शराब संबंधी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इसके लिए दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) सरकार ने चेफ-डी-मिशन से रिपोर्ट तथा भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से टिप्पणियां भी मांगी थीं। यह बताया गया है कि भारतीय दल ने 26 जनवरी, 1990 को गांधी हॉल, आकलैंड में रात्रि-भोज (स्वागत) का आयोजन किया था। प्रमुख स्थानीय भारतीयों तथा पड़ोसी देशों के विभिन्न दलों के चेफ-डी-मिशनों के अतिरिक्त कुछ अन्य चयनित देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रमंडल खेल समिति के अध्यक्ष, खेल आयोजक समिति के अध्यक्ष एवं चेयरमैन तथा न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल ने स्वागत भोज में भाग लिया। अन्य दलों द्वारा भी इसी प्रकार के स्वागत भोज आयोजित किये गये थे, जिनमें मदिरा सहित पेय पदार्थ परोसे गये थे। भारतीय दल द्वारा आयोजित स्वागत-भोज में साफ्ट ड्रिंक सहित मदिरा तथा बीयर परोसी गई थी।

(ग) किसी भी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। तथापि, सभी राष्ट्रीय खेल संघों तथा भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन को ऐसे समारोहों में मदिरा एवं बीयर न परोसने की सलाह दी गई है।

गरीबी रेखा से नीचे छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक

2855. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि विभिन्न राज्यों में आई भारी बाढ़ और सूखे के कारण कितने प्रतिशत छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार (जिन्हें भारत सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है) केन्द्र सरकार को आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित आपदा राहत निधि का 75 प्रतिशत प्रतिवर्ष देना है। राहत की व्यवस्था की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

पत्राचार द्वारा शिक्षा

2856. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी संस्थाएं, पत्राचार के माध्यम से स्कूली शिक्षा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं और इन संस्थाओं द्वारा कौन-कौन से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का आधार क्या है;

(ग) क्या कुछ मान्यताप्राप्त और गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाएं भी पत्राचार द्वारा स्कूल स्तर की शिक्षा दे रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं और ऐसी प्रत्येक संस्था द्वारा कौन-कौन से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से शिक्षा दिए जाने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (छ) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त शासी संगठन राष्ट्रीय खुला विद्यालय और पत्राचार के जरिए स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाले दिल्ली प्रशासन के पत्राचार विद्यालय में प्रदत्त पाठ्यक्रम और प्रवेश मानदंड निम्नलिखित हैं :

प्रदत्त पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय खुला विद्यालय	—सेतु-पाठ्यक्रम, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक
पत्राचार विद्यालय	—केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्य विवरण के अनुसार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक (केवल मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान धाराओं में)

प्रवेश मापदंड

राष्ट्रीय खुला विद्यालय	(i) सेतु पाठ्यक्रम: कक्षा V उत्तीर्ण अथवा कक्षा V के समकक्ष शैक्षिक योग्यता।
	(ii) माध्यमिक : कक्षा VIII उत्तीर्ण या इसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता।
	(iii) उच्चतर : कक्षा X उत्तीर्ण माध्यमिक
पत्राचार विद्यालय	कक्षा X में : कक्षा VIII उत्तीर्ण कक्षा XIII में : कक्षा XI उत्तीर्ण परन्तु, छात्राएं जिन्होंने मैट्रिक/माध्यमिक/एस० एस० आई० सी०/हाई स्कूल पिछले वर्ष उत्तीर्ण कर ली है, वे कक्षा XII में सीधा प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं।

(2) मध्य प्रदेश और राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों तथा तमिलनाडु के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने भी पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। उनके पाठ्यक्रमों और प्रवेश मानदंडों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(3) विभिन्न बोर्ड समय-समय पर मान्यता प्राप्त स्कूलों से संपर्क कार्यक्रमों के लिए, जो प्राय: पत्राचार पाठ्यक्रमों के भाग होते हैं, संस्थागत रूप में कार्य करने का अनुरोध

करते हैं। स्कूल शिक्षा में सभी पत्राचार पाठ्यक्रमों को संबंधित बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान करना अपेक्षित है।

पत्राचार के जरिए स्कूल शिक्षा दे रही अमान्यताप्राप्त संस्थाओं की सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय पर्यावरण डिवीजन के कार्यालय की स्थापना

[हिन्दी]

2857. **श्री राघवजी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्रीय पर्यावरण डिवीजन के कार्यालय की अभी तक स्थापना नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस डिवीजन के कार्यालय की स्थापना के लिए मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में इस डिवीजन के कार्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इन कार्यालयों की स्थापना अभी तक नहीं की गई है और इसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) मंत्रालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय प्रशासनिक सुविधा और जनहित को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय कार्यालय पहले से ही मौजूद है।

(ङ) प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं किये हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य किसी न किसी क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आता है।

नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

[अनुवाद]

2858. **श्री मान्धाता सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुछ खराबी के कारण बंद पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब से बंद पड़ा हुआ है; और

(ग) सरकार का इसे बिना कोई और विलंब के शीघ्र चालू करने के लिए क्या कारंवाई करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) नरौरा परमाणु विद्युत परियोजन का पहला यूनिट जिसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा उसकी पूरी विद्युत क्षमता के 75 प्रतिशत स्तर तक काम करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, जुलाई, 1990 से 150 मेगावाट क्षमता के विद्युत स्तर पर काम कर रहा है। आशा है कि इस संयंत्र का दूसरा यूनिट दिसंबर, 1990 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

2859. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण में भारी प्रदूषण फैलाने वाले 900 औद्योगिक एककों का पता लगाया है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वातावरण प्रदूषित करने वाले मुख्य औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं; और इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) सरकार ने देश में उन उद्योगों का पता लगा लिया है जिनसे अत्यधिक प्रदूषण होने की संभावना है।

(ग) कार्बन मोनो आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, सल्फरडाई आक्साइड, शीशे और धूल कणों के उत्सर्जन वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

(1) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किए गए हैं।

(2) प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के लिए 15 मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(3) उद्योगों के लिए निर्धारित मानकों, उनकी स्थापना के लिए स्वीकृति की शर्तों के कार्यान्वयन तथा दोषी यूनिटों के खिलाफ मुकदमे चलाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 23 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है।

(4) देश में 160 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र खोले गये हैं।

(5) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत 830 दोषी यूनिटों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं, जिनमें से 795 मामलों में निर्णय बोर्डों के पक्ष में हुए हैं।

(6) भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों से हटाए जाने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन के रूप में सीमा शुल्क की दर में रियायत और प्रदूषण उपशमन उपकरणों पर उत्पाद शुल्क की दर में छूट, उच्च दर पर अपकर्षण भत्ता और पूंजीगत लाभों पर कर से छूट दी जाती है।

(7) अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(8) एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों से

होने वाले प्रदूषण को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर नियंत्रित करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं।

आंध्र प्रदेश को मुद्रण कागज का आबंटन

2860. **श्री के० चोक्का राव :**
श्री वी० एन० रेड्डी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं आदि के लिए रियायती दर पर कितनी मात्रा में सफेद मुद्रण कागज आवंटित किया गया था और उसी वर्ष वास्तव में कितनी मात्रा में कागज सप्लाई किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कागज की कम सप्लाई होने के कारण आंध्र प्रदेश पाठ्य पुस्तकें, नोट बुक इत्यादि मुद्रित करने में असमर्थ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्ष 1989 तथा 1990 का शेष कोटा जारी करने का विचार है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) वर्ष 1989 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य को 5278 मी० टन रियायती सफेद मुद्रण कागज आबंटित किया गया था जिसमें से हिन्दुस्तान पेपर निगम ने अब तक लगभग 1908 मी० टन ही कागज मुहैया किया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुस्तान पेपर निगम द्वारा कागज की आपूर्ति निगम द्वारा उत्पादन की लागत में हुई अत्यधिक वृद्धि और प्राकृतिक विपदाएं जैसा सामना की जा रही कुछ कठिनाइयों के कारण समय सारणी से कुछ पीछे रह गयी है।

शिक्षा विभाग ने निगम को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे शिक्षा विभाग द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार कागज देने के लिए सभी संभव प्रयास करें। तथापि, आर्थिक सहायता की योजना से राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के शिक्षा क्षेत्र की शत-प्रतिशत जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती हैं।

वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण

2861. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उपाए करने हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को कोई ऋण अथवा अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) प्रदूषण और उपशमन उपकरण के विनिर्माण और संस्थापन के लिए औद्योगिक इकाइयों को ब्याज की रियायती

दर जो सामान्य दर से 2½% कम है, पर ऋण उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ भी बातचीत चल रही है। प्रदूषण नियंत्रण उपाय शुरू करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को इस परियोजना के तहत ऋण के रूप में उपलब्ध वित्तीय सहायता की मात्रा के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों की मांगें

2862. **डा० असीम बाला :**
श्री राम सिंह शाक्य :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों की मांगों के बारे में जांच करने हेतु एक समिति गठित की गई है;

(ख) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट किस तारीख तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार इन मांगों को पूरा करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्रों की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। अतः इसकी जांच करने के लिए कोई समिति नहीं बनायी गयी है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

गंगा नदी में प्रदूषण रोकने के लिए परियोजनाएं

2863. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी में प्रदूषण निवारण हेतु तैयार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो (एक) अब तक कार्यान्वित की जा चुकी हैं, (दो) जो अभी कार्यान्वित नहीं की गई हैं, और (तीन) जो आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और उनकी मूल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस पूरी योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा और प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी के प्रदूषण में कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन तीन राज्यों में कुल 262 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के 1993 के पहली तिमाही में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

विवरण

परियोजना के प्रकार	संस्वीकृत स्कीमों की संख्या	कार्यान्वित की गईं	अब तक आंशिक कार्यान्वित की गईं	अब तक नहीं कार्यान्वित की गईं	संस्वीकृत* लागत	30-6-90* तक गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत व्यय	पूरा होने की सम्भावित अवधि
1. सीवेज अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीमें	89	46	42	1	105	84	सितम्बर, 92
2. सीवेज उपचार संयंत्र	35	6	29	—	120	44	जनवरी, 93
3. अल्प-लागत स्वच्छता स्कीमें	43	38	5	—	22	18	दिसम्बर, 91
4. विद्युत शवदाहगृह	28	13	15	—	12	12	सितम्बर, 91
5. नदी तटाग्र विकास स्कीमें	35	23	12	—	14	12	मार्च, 91
6. अन्य स्कीमें	32	22	10	—	11	9	मार्च, 92
कुल योग	262	148	113	1	284	179	

* रुपए करोड़ में, निकटतम अंक तक ।

कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड में श्रम कानूनों का उल्लंघन

2864. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड में श्रम कानूनों के मानदण्डों का उल्लंघन करने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई और उनमें से कितने व्यक्ति श्रम अदालतों में गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्र (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) सी० एम० सी० लिमिटेड द्वारा श्रमिक कानून की किसी प्रकार के उल्लंघन किये जाने का मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान की गई नियुक्तियों की कुल संख्या 1138 है। उनमें से एक कर्मकारी श्रमिक न्यायालय में गया है।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

[हिन्दी]

2866. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों के दौरान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले राज्यवार दर्ज किये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सूचना एकत्रित्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों की ट्रेवल एजेंट के रूप में नियुक्ति

[अनुवाद]

2867. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूतपूर्व सैनिकों को ट्रेवल एजेंट के रूप में नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक कुछ भूतपूर्व सैनिकों की ट्रेवल एजेंट के रूप में नियुक्ति की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि ट्रैवल एजेंटों के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है इसलिए वे अन्य आवेदनकर्ताओं के साथ ट्रैवल एजेंटों के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने हेतु स्वतंत्र हैं। इस प्रकार, रक्षा मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

जालना में उपग्रह सुदूर संवेदन केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

2868. **श्री पुंडलिक हरी दानवे :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालना में उपग्रह सुदूर संवेदन केन्द्र की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस केन्द्र में कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) अन्तरिक्ष विभाग का जालना में उपग्रह सुदूर संवेदन केन्द्र की स्थापना का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खिलाड़ियों की शारीरिक जांच के लिए प्रयोगशाला की स्थापना

[अनुवाद]

2869. **श्री उदयसिंहराव नानासाहिब गायकवाड़ :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों की शारीरिक जांच के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोगशाला कब तक तथा कहां स्थापित की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की शारीरिक जांच करने के लिए सरकार ने पहले ही भारतीय खेल प्राधिकरण के पटियाला, दिल्ली तथा बंगलौर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। अन्य स्थानों पर ऐसी ही प्रयोगशालाओं की स्थापना VIIIवीं योजना के प्रक्षेपणों तथा आबंटनों पर निर्भर करेगी।

मथुरा तेलशोधक कारखाने से निकलने वाली प्रदूषित गैस से ताजमहल को बचाना

[हिन्दी]

2870. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री कल्पनाथ राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों से आगरा के ताजमहल की चमक लगातार कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका एक कारण मथुरा तेलशोधक कारखाने से निकलने वाली प्रदूषित गैस और बहिःस्राव है;

(ग) क्या इस संबंध में पूरी तरह से जांच-पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ताजमहल बचाने के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सल्फरडाई आक्साईड, प्रलम्बित विधिवत सामग्री तथा अन्य प्रदूषकों का स्तर का मूल्यांकन करने के लिए ताजमहल के चारों ओर की परिवेशी वायु तथा वायु मंडलीय आंकड़ों का लगातार अनुश्रवण कर रहा है ताकि अपेक्षानुसार उपचारी उपाय किए जा सकें।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण कलकत्ता स्थित विक्टोरियल मेमोरियल को क्षति

[अनुवाद]

2871. **श्री चित्त बसु : पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में यह कहा है कि कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल भवन में प्रयोग किए गए संगमरमर को शहर में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण निरन्तर क्षति पहुंच रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षति को रोकने तथा इस क्षति से बचने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल पर पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान ने जुलाई, 1990 में एक परियोजना शुरू की हैं। इस अध्ययन के दो वर्ष तक जारी रहने की आशा है।

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास

2872. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले "भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास" नामक कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान, जिसमें शिक्षा की विभिन्न पद्धतियों का विकास शामिल है, सरकार के कार्यक्रम में संस्कृत में शोध कर रही विख्यात संस्थाओं को भी सम्मिलित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भाषा अनुवाद, मूल पाठ की समझ, मूल पाठ का निर्माण तथा ध्वनि विज्ञान के बारे में अब तक किए गए शोध कार्य के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया और अब तक इस पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) "भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास" नामक कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिए अनुसार हैं—

1. विकास के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, अर्थात्

(i) ज्ञानार्जन प्रणालियां;

(ii) मशीन अनुवाद प्रणालियां; तथा

(iii) मानव-मशीन पारस्परिक सम्पर्क प्रणालियां।

2. प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में जनशक्ति से सम्बन्धित विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनशक्ति विकास कार्यक्रम परियोजना, जिसमें परस्पर सम्बद्ध विषयों से जुड़े विशेषज्ञ अर्थात् कम्प्यूटर वैज्ञानिक, भाषाविद, शिक्षाविद तथा मनोवैज्ञानिक शामिल होंगे।

3. विभिन्न केन्द्रों में निर्मित प्रौद्योगिकियों का एकीकरण जिससे प्राकृतिक भाषा संसाधन प्रयोगशाला के माध्यम से और उद्योग, शिक्षाविदों तथा प्रयोगकर्त्ताओं के बीच सतत रूप से सम्पर्क के जरिए ऐसे उत्पादों का उत्पादन किया जाए जिनका लाभ प्राप्त हो सके।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 17 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया है; लेकिन इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान संस्कृत में अनुसंधान कार्य से जुड़े प्रतिष्ठित संस्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा। शुरूआत के तौर पर, कम्प्यूटर साधित संस्कृत प्रौद्योगिकी/ज्ञानार्जन वातावरण (कैसल) के विकास के लिए राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक परियोजना को संयुक्त रूप से धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(ङ) पाठ अभिज्ञान एवं पाठ सृजन को भाषानुवाद के एक भाग के रूप में लिया गया है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में "कैसल" परियोजना के अन्तर्गत वर्णमाला पढ़ाने, उनकी विशेषताओं, संधियों आदि के लिए सॉफ्टवेयर का एक मूलभूत डिजाइन तैयार करने कार्य शुरू किया गया। एक केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली का डिजाइन तैयार कर लिया गया है जिसे पाठों तथा अभ्यासों के शिक्षण/ज्ञानार्जन के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। यह संयुक्त परियोजना वर्ष 1988 में शुरू हुई और इसके लिए 10.9 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

सी-डैक, पुणे में प्रोग्रामन वातावरणों का विकास किया गया है जिससे देवनागरी सहित सभी भारतीय लिपियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। "लिस्प" का प्रयोग करते हुए मूलभूत सहायक उपकरण विकसित किए गए हैं जिससे व्याकरण के नियमों को शामिल किया गया है जैसे कि संधि, विग्रह, शब्दरूप तथा धातुरूप। "विशेषज्ञ" नामक एक विशेषज्ञ प्रणाली शेल के प्रोटोटाइप का विकास कर लिया गया है। एक संस्कृत बुद्धिपरक शिक्षण प्रणाली विकसित की जा रही है। यह कार्यकलाप वर्ष 1988 में शुरू हुआ। इस पर अब तक 15 लाख रु० व्यय किए गए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हिन्दी से तेलुगु में अनुवाद के क्षेत्र में आरम्भिक प्रयास किए गए हैं। यह परियोजना वर्ष 1987-89 के दौरान कार्यान्वित की गई और इसमें 11.5 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, बम्बई में सीमित शब्दावली मशीनी अनुवाद प्रोटोटाइप के विकास का कार्य प्रगति पर है जो समाचारों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करेगा। यह कार्यकलाप वर्ष 1986 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र इस कार्य को ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली परियोजना के एक भाग के रूप में निष्पादित कर रहा है और समूची ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली परियोजना पर अनुमानित व्यय 80 लाख रु० होगा।

दामोदर नदी का प्रदूषण

2873. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के बड़े भाग में जल के रूप में जीवनदान देने वाली दामोदर नदी में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों से विचार-विमर्श करके दामोदर कार्य योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो दामोदर नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है/उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) दामोदर का कुछ भाग, विशेष रूप से बिहार में धनबाद और गिरिडीह के नीचे की ओर और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और रानीगंज के नीचे की ओर के कुछ भाग औद्योगिक तथा घरेलू बहिस्राव के विसर्जन के कारण प्रदूषित हैं।

(ख) दामोदर सहित गंगा की सहायक नदियों की सफाई के लिए स्कीमों पर आठवीं योजनावधि के दौरान विचार किया जा सकता है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

(ग) प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) दामोदर नदी के किनारे पर स्थित उद्योगों से कहा गया है कि वे समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बहिःस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लें और नदी में विसर्जन से पूर्व अपने बहिःस्रावों का निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधन करें।

(2) उद्योग चलाने की स्वीकृति तभी दी जाती है बशर्ते वे प्रदूषण नियंत्रण से संबधित पर्याप्त उपाय करें।

(3) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने में उद्योगों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी के लिए कृत्यक बल स्थापित किये गये हैं।

(4) नदी के पानी की गुणवत्ता पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।

(5) प्रमुख दोषी इकाइयों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये जाते हैं।

बिहार में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

2874. **श्री दसई चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोला जाएगा;

(ख) यदि हां, तो बिहार के किन जिलों में ये विद्यालय स्थापित किये गये हैं; और

(ग) बिहार में समस्तीपुर जिले में अब तक नवोदय विद्यालय स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) नवोदय विद्यालय योजना में देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसतन प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान है।

(ख) बिहार में उन जिलों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिनमें नवोदय विद्यालय खोले गये हैं।

(ग) समस्तीपुर जिले में वर्ष 1986-87 में एक नवोदय विद्यालय खोला गया था।

विवरण

बिहार के उन जिलों के नाम जहां नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं।

क्रमांक	जिले का नाम
1	2
1.	समस्तीपुर
2.	मुंगेर
3.	पश्चिम चम्पारन
4.	दुमका
5.	भोजपुर
6.	मधुबनी
7.	गमला

1	2
8.	रांची
9.	सिंहभूमि
10.	नवादा
11.	भागलपुर
12.	सहरसा
13.	बेगुसराय
14.	औरंगाबाद
15.	पटना
16.	गया
17.	मुज्जफ्फरपुर
18.	दरभंगा
19.	पूर्णिया
20.	नालंदा
21.	लोहरदग्गा
22.	गोड्डा
23.	कटिहार
24.	वैशाली

राष्ट्रीय युवा नीति

2875. **डा० खुशाल परशराम बोपचे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई राष्ट्रीय युवा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बन्धित युवा प्रतिनिधियों की राय आमंत्रित की गई है;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में युवा कार्य के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान भी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) साक्षरता अभियान, परिवार कल्याण, शैक्षणिक, ऋण, रोजगार और स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक ऋण तथा लाभदायक रोजगार अवसरों के सुविचरित कौशल के

सृजन/उन्नयन के लिए ट्राइसैम कार्यक्रम में युवाओं को शामिल करने के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत युवाओं के कल्याण के लिए 265 करोड़ रुपये के चालू वर्ष के बजट प्रावधान को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

2876. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के पैटर्न पर "अखिल भारतीय शिक्षा सेवा" गठित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) शिक्षकों को जीवन स्तर ऊंचा करने तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शिक्षा व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या सरकार का विचार चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों में संशोधन करने तथा देश भर के शिक्षकों के लिए समान वेतन मान लागू करने का है; और

(ङ) क्या शिक्षक दिवस पर कालेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को पुरस्कार देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में की गई है। इस सम्बन्ध में व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा स्थापित शिक्षा के प्रबन्ध सम्बन्धी समिति का एक उप-वर्ग गठित किया गया था। इसी बीच, इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के सभी पहलुओं की एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्न प्रकार की परिकल्पना की गई है—

"इस व्यवसाय के लिए प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के वेतन और सेवा-शर्तों को अनुरूप बनाया जाना चाहिए। एक समान परिलब्धियों, सेवा-शर्तों, समूचे राष्ट्र में शिक्षकों की अधिक से अधिक समस्याएं दूर करने के प्रावधान, के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।"

उपर्युक्त के संदर्भ में, भारत सरकार ने कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों में 1-1-1986 से संशोधन किया है और इस उद्देश्य के लिए इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं के 80% तक राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

जहां तक संघशासित क्षेत्रों, विभिन्न केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में कार्यरत स्कूल शिक्षकों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आधार तत्वों और चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को देखते हुए उनके वेतनमानों में संशोधन किया है। तथापि, स्कूल शिक्षकों के वेतनमानों में व्यापक असमानता को देखते हुए, समूचे राष्ट्र में स्कूल शिक्षकों के लिए एक समान वेतनमान शुरू करना तत्काल सम्भव नहीं है। इस प्रकार की समा-

नता प्राप्त करने के लिए समय लगेगा। किसी भी हालत में, यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे अपनी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की सेवा-शर्तों में सुधार करें।

(ङ) जी, नहीं

रक्षा व्यय संबंधी समिति

[अनुवाद]

2877. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा व्यय संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर अगले रक्षा बजट को तैयार करने में मार्गदर्शन मिलेगा;

(ख) क्या समिति के जांच क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा अनुसंधान तथा विकास यूनिटें शामिल नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) सभी सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखकर ही रक्षा बजट तैयार किया जाता है ।

(ख) और (ग) समिति का वर्तमान विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा विभाग के सम्बन्ध में प्रकाश डालना है जो समस्त रक्षा व्यय के एक बड़े अंश के लिए जिम्मेदार है।

तोशा पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड और चीन के बीच समझौता

2878. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोशा पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड ने एक ग्लास शेल परियोजना स्थापित करने के लिए चीन की सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सांसदों आदि को पर्यावरण सम्बन्धी सूची उपलब्ध कराने हेतु उठाए गए कदम

2879. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांसदों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों, पर्यावरण सम्बन्धी स्वयं सेवकों और आम नागरिकों को पयावरण सम्बन्धी मूल विषयों पर जानकारी देने हेतु कोई विशिष्ट कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई विशेष अल्पकालीन पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा फिल्मों के निर्माण तथा लोगों के पर्यावरण के बारे में जागरूक

बनाने हेतु विशेषकर छात्रों के लिए प्रसार माध्यम को सामग्री तैयार करने हेतु कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(घ) इस बारे में प्राथमिक रूप से सफलता पाने के लिए, यदि कोई भावी योजनायें हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां। सांसदों, विधायकों सरकारी अधिकारियों, पर्यावरण के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और आम जनता को मौलिक पर्यावरणीय मुद्दों से सम्बन्धित जानकारी मंत्रालय की अनेक स्कीमों के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए दी जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय अपनी पर्यावरणीय सूचना प्रणाली कार्यक्रम के माध्यम से सभी सम्बन्धितों को पर्यावरण और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट वैज्ञानिक जानकारी की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

(ख) जी, हां, । मन्त्रालय समय-समय पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करता है।

(ग) जी, हां। सरकार लोगों में खासतौर पर छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण और उससे सम्बन्धित विषयों पर फिल्मों, पोस्टरों, पमफ्लेटों संसाधन सामग्री आदि के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) विभिन्न लक्ष्य समूहों में पर्यावरणीय जागरूकता को तीव्र करने के लिए सभी जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जाता है।

सेना में अदर-रैंक्स का चयन

2880. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिकार्ड आफीसर श्रेणी में स्पेशलिस्ट कमीशन के लिए वर्ष 1988 में सेना में कुछ "अदर-रैंक्स" का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन चुने हुए अदर-रैंक्स को इस वर्ष प्रशिक्षण हेतु वरीयता देने का है, ताकि उन्हें "कमीशन" मिल सके ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

2881. **श्री बी० कृष्ण राव** :
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, साक्षरता मिशन की उपलब्धि का, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना से देश में साक्षरता की दर में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत राज्य-वार भर्ती किये गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) देश में साक्षरता के आंकड़े दस वार्षिक जनगणना अभियान के माध्यम से एकत्रित किये जाते हैं। 1981 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 36.23% थी। 1991 में अगली जनगणना होने के बाद ही मौजूदा साक्षरता दर का पता चलेगा।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत 1988-89 में 82.92 करोड़ रुपये और 1989-90 की अवधि में 88.41 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया था।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	नामांकन	
		1988-89	1989-90
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	367916	387676
2.	अरुणाचल प्रदेश	33736	33736
3.	असम	319057	248000
4.	बिहार	1235404	1313855
5.	गोवा	1455	1653
6.	गुजरात	719738	458355
7.	हरियाणा	212953	सूचना नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	47996	49126
9.	कर्नाटक	343464	314835
10.	जम्मू एवं कश्मीर	81110	34470
11.	केरल	शून्य	98321
12.	मध्य प्रदेश	816169	847031
13.	महाराष्ट्र	809982	861346
14.	मणिपुर	शून्य	59241
15.	मेघालय	27921	19395
16.	मिजोरम	10787	10939
17.	नागालैंड	27927	20693

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	244030	358282
19.	पंजाब	130769	57497
20.	राजस्थान	568160	504965
21.	सिक्किम	6129	7475
22.	तमिलनाडु	1030558	623823
23.	उत्तर प्रदेश	1012047	1053710
24.	त्रिपुरा	39034	48451
25.	पश्चिम बंगाल	528735	584366
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6498	7524
27.	चंडीगढ़	6205	6993
28.	दादरा और नगर हवेली	4500	4320
29.	दमन और द्वीव	1092	1073
30.	दिल्ली	107147	101679
31.	लक्षद्वीप	773	1510
32.	पांडिचेरी	12396	16767

*राज्यों से समाप्त होने वाले वर्ष के आधार पर प्राप्त की गई त्रैमासिक रिपोर्टें।

बिहार में वृक्षारोपण

[हिन्दी]

2882. **श्री युवराज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में वन क्षेत्र सबसे कम हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के पूर्णिया, माधेपुरा, सहरसा, अरेरिया, किशनगंज और कटिहार जिलों के वन प्रखंडों में वृक्षारोपण कार्यक्रम पर भारी धनराशि व्यय की गई दिखाई गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई है तथा इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा

उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके किए गए अध्ययनों के अनुसार बिहार में 2.69 मीलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन हैं जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.49 प्रतिशत है। बहुत से अन्य राज्यों की तुलना में यह प्रतिशतता सबसे कम नहीं है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पुन: नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों के वेतनमान संबंधी कार्य दल

[अनुवाद]

2883. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों, आदि में पुन: नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण, वरिष्ठता और पदोन्नति हेतु फार्मूले को तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य दल का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार इन्हें कब कार्यान्वित करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) नियोक्ता एजेंसियों आदि के वेतन/महंगाई भत्ते के ढांचे में मूल विभिन्नता को देखते हुए कार्यदल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पुन: नियुक्त पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के वेतन या पुन: नियुक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठता निर्धारित करने वाले नियमों में किसी प्रकार की एकरूपता लाना व्यवहार्य नहीं है। पुन: नियुक्ति पर सैनिक सेवा को महत्त्व देने के संबंध में और विवाहित कार्मिकों को आवास आबंटित करने के लिए कार्यदल ने सिफारिश की है कि वे संबंधित विभाग/मंत्रालय इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेंगे जिनको कार्यदल की रिपोर्ट भेजी गई है।

20-सूत्री कार्यक्रम

2884. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अद्यतन पुनरीक्षा के अनुसार कौन-कौन से राज्य 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पीछे रह गये हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठायें गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) अप्रैल-जून, 1990 की अवधि के लिए गुणक्रम के अनुसार राज्यों द्वारा प्राप्त स्थान संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) पर्याप्त स्टाफ की कमी, निधि अभाव और अपर्याप्त आधारी संरचना की सुविधा असन्तोषजनक निष्पादन के लिए सामान्यत: कारण हैं। मासिक प्रगति रिपोर्ट द्वारा दर्शाए गए निष्पादन के आधार पर कार्यान्वयन की कमियों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है ताकि उनमें सुधार लाया जा सकें।

विवरण

अप्रैल-जून, 1990 के दौरान बी० सू० कार्यक्रम—1986 के कार्यान्वयन में राज्यों का रैंक

राज्य	1990 (अप्रैल-जून) रैंक
गुजरात	1
गोवा	2
कर्नाटक	3
केरल	3
आन्ध्र प्रदेश	5
बिहार	6
उड़ीसा	7
पंजाब	7
मध्य प्रदेश	9
अरुणाचल प्रदेश	10
असम	10
महाराष्ट्र	12
सिक्किम	13
उत्तर प्रदेश	14
हरियाणा	14
पश्चिमी बंगाल	14
त्रिपुरा	17
मिजोरम	18
राजस्थान	19
तमिलनाडु*	20
मेघालय	21
मणिपुर	22
जम्मू और कश्मीर*	23

*मई, 1990 तक केवल

नोट :—हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

2885. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने कितने केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण किया है और कितने विद्यालयों के लिए अभी भवनों का निर्माण किया जाना बाकी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन भवनों के लिए नि:शुल्क भूमि प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन विद्यालयों के लिए किन-किन जिलों में भवनों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) मध्य प्रदेश में 70 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें से 21 परियोजना क्षेत्र में हैं जिनके लिए स्कूल भवन परियोजना प्राधिकरण, जिनके अनुरोध पर ये स्कूल खोले गये थे, द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। अन्य विद्यालयों की स्थिति, जिनके लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भवन प्रदान किये जायेंगे, निम्नलिखित है :—

(i) स्थायी भवन वाले विद्यालय	16
(ii) वे विद्यालय जहां भवन का निर्माण कार्य चल रहा है	7
(iii) वे विद्यालय जहां अभी भवन का निर्माण करना है	26
कुल	49

(ख) मध्य प्रदेश के 70 केन्द्रीय विद्यालयों में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय विद्यालयों, जहां राज्य सरकार द्वारा भवन उपलब्ध कराया जाना है, की स्थिति निम्नलिखित है :—

(i) स्थायी भवन वाले विद्यालय	3
(ii) विद्यालय जहां भवन का निर्माण कार्य चल रहा है	2
(iii) वे विद्यालय जहां अभी भवन का निर्माण करना है	10
कुल	15

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यालयों, जहां भवन उपलब्ध कराना है, के जिलों से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :—

1. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा
2. गुना, जिला गुना

3. खन्दवा, जिला खन्दवा
4. खारगासे, जिला पश्चिम निमार
5. नरसिंघपुर, जिला नरसिंघपुर
6. राजगढ़, जिला राजगढ़
7. रतलाम, जिला रतलाम
8. रीवा, जिला रीवा
9. उज्जैन, जिला उज्जैन
10. जग्दालपुर, जिला बस्तर

(घ) यह अनेक कारणों पर निर्भर करता है जिनमें से कुछ पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में क्षेत्रीय भाषा अनुभाग

[अनुवाद]

2886. **श्री ए० अशोकराज :**
श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा तमिल, मलयालम, बंगाली जैसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी के माध्यम से हिन्दी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तमिल अनुभाग में लिपिकों और तकनीकी पदों का अनुपात कितना है;

(ग) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में तमिल, मलयालम और बंगाली माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम अनुभागों में लिपिकों और तकनीकी पदों पर क्षेत्रीय भाषा में योग्यता प्राप्त कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है;

(घ) क्षेत्रीय भाषा पदों के सृजन की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या तमिल, मलयालम और बंगाली भाषा माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की संख्या अंग्रेजी माध्यम के कर्मचारियों की तुलना में कम है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) संस्वीकृत 20 पदों में से 5 तकनीकी पद हैं और 15 पद लिपिकीय हैं।

(ग) पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग के तमिल, मलयालम और बंगाली माध्यम के कक्षाओं में कार्यरत अर्हक व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

(1) तमिल	3 लिपिकीय
(2) मलयालम	1 तकनीकी और 1 लिपिकीय

(3) बंगाली — 1 तकनीकी और
1 लिपिकीय

(घ) इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में निर्धारित कार्यभार के आधार पर पदों का सृजन किया जाता है।

(ङ) जी, हां। क्षेत्रीय भाषा के माध्यम की अपेक्षा अंग्रेजी माध्यम के अध्ययनों में छात्रों का दाखिला काफी अधिक है। गृह मंत्रालय के तीनों पाठ्यक्रम अर्थात् प्रबोध, प्रवीण और प्रयाग पाठ्यक्रम भी अंग्रेजी भाषा में आयोजित किये जाते हैं। अतः अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है।

सरकारी विभागों को घटिया सामान की सप्लाई

2887. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या प्रधान मन्त्री केन्द्रीय भण्डार द्वारा सरकारी विभागों को बिक्री के बारे में 26 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2097 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डार को जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि कब मिली;

(ख) क्या जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत 12 महीनों के दौरान केन्द्रीय भण्डार द्वारा सरकारी कार्यालयों को सप्लाई की गई घटिया लेखन सामग्री की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय से जांच की रिपोर्ट की एक प्रति 24 अगस्त, 1989 को केन्द्रीय भण्डार में प्राप्त हो गई थी।

(ख) जी, हां। रिपोर्ट की जांच की गई है। अनियमितताओं के लिए रक्षा मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाया गया। केन्द्रीय भण्डार की ओर से भी कुछ प्रक्रियात्मक खामियां हुईं, इनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि घटिया लेखन सामग्री सप्लाई करने के सम्बन्ध में मंत्रालयों/विभागों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं तथापि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली में सामान्य पीले रंग के लिफाफों के अतिरिक्त विभिन्न रंगों के लिफाफों की कुछ मात्रा की सप्लाई की सूचना दी थी, मामले पर गौर किया गया और यह पाया गया कि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा अतितत्काल आधार पर आवश्यकता को पूरी करने के लिए इन्डेन्ट किए गए बड़ी मात्रा में पीले रंग के लिफाफे उपलब्ध न होने के कारण दूसरे रंगों के लिफाफे सप्लाई किये गए। केन्द्रीय भण्डार ने आपूर्तीकर्ता से इस प्रकार की सप्लाई को रोक दिया है।

"साफ्टवेयर" का आयात

2888. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत 'एपलिकेशन सॉफ्टवेयर' का आयात करने की अनुमति है; और

(ख) क्या इस आयात पर कोई रोक लगाई गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) किसी भी माध्यम में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (ऐसे फलॉपी डिस्केटों में लगे सॉफ्टवेयर को छोड़कर जिनका लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य प्रति डिस्केट 50 रु० उससे कम है) का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत करने की अनुमति है।

(ख) पात्र आयातकर्ताओं की श्रेणियां इस प्रकार हैं :

(1) वास्तविक प्रयोगकर्ता जिनमें सरकारी विभाग तथा कम्प्यूटर-विनिर्मातागण शामिल हैं;

(2) भण्डारण एवं बिक्री के प्रयोजन से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में पंजीकृत सॉफ्टवेयर-गृह; तथा

(3) भण्डारण एवं बिक्री के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग।

असम और नागालैंड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

2889. **डा० दौलत राव सोनूजी अहेर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम और नागालैण्ड में नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य किस चरण में है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : सिल्चर, असम में एक शिक्षण और संबधंन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मई, 1989 में विधान बनाया गया था। अब विश्वविद्यालय के दो परिसर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, असम सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्देश्य के लिए ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी में उपलब्ध उपयुक्त भूमि और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें।

नागालैण्ड राज्य सरकार के परामर्श से नागालैंड विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला प्रगति पर है।

इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर के सिविलियन वर्कशाप अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा

2890. **श्री नन्दलाल मीणा :** क्या प्रधान मन्त्री इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर के सिविलियन वर्कशाप अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा के बारे में 20 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति की सिफारिशों का इस बीच अध्ययन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कैबिनेट समिति की अनुमति के पश्चात भी संवर्ग पुनरीक्षा आदेशों के कार्यान्वयन में इस आवश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) संवर्ग में पदोन्नति गतिरोध को समाप्त करने के लिए संवर्ग पुनरीक्षा के कारण उत्पन्न पदोन्नति के रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) समिति की सिफारिशों के आधार पर इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर में कार्यरत सिविलियन वर्कशाप के अफसरों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु सरकार ने मंजूरी जारी की है।

(ग) और (घ) संवर्ग पुनरीक्षा की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ क्योंकि सरकार मंजूरी में एक संशोधन करने के लिए सेना मुख्यालय ने अनुरोध किया था ताकि कुछ प्रशासकीय अड़चनों को दूर किया जा सके। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात्, सरकारी मंजूरी के अनुसार सिविलियन अधिकारियों के लिए मंजूर किए गए अतिरिक्त पदों को भरने के लिए सेना मुख्यालय को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

कम्प्यूटर मेंटेनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर इंजीनियर

2891. **श्री रामजीलाल सुमन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटर मेंटनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर इन्जीनियरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर इन्जीनियर हैं; और

(ग) कम्प्यूटर मेंटेनेंट कार्पोरेशन लिमिटेड में इंजीनियरों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के इंजीनियरों की प्रतिशतता क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) 15 अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार सी० एम० सी० लि० में इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर इन्जीनियरों की कुल संख्या 831 है। इनमें से 21 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। इन्जीनियरों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इन्जीनियरों का प्रतिशत 2.53 है।

बावनथाड़ी अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना

[हिन्दी]

2892. **श्री शंकर मुंजारे** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बावनथाड़ी अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृत प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को किन शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के सिंचाई विभागों के उच्च अधिकारियों से भी इन शर्तों को तय करने से पूर्व परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां। बावनथाड़ी बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजना को अप्रैल, 1989 में इस शर्त पर मंजूरी दी गई थी कि आवाह क्षेत्र सुधार, कमांड क्षेत्र विकास, बेदखलियों का पुनर्वास, जल जनित बीमारियों के नियन्त्रण आदि के लिए कार्य योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा।

(ग) और (घ) एक वर्ष अधिक अवधि तक परियोजना प्राधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करने के पश्चात मंजूरी दे दी गई।

सशस्त्र बलों में उम्मीदवारों की डाक्टरी जांच

[अनुवाद]

2893. **श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना में डाक्टरों द्वारा कितने उम्मीदवारों को भर्ती के समय स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया;

(ख) इनमें से स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किए गए कितने उम्मीदवारों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता के बारे में अभ्यावेदन दिया;

(ग) इन अभ्यावेदनों का अंतिम निष्कर्ष क्या निकला;

(घ) ऐसे कितने उम्मीदवार हैं; जिन्हें प्रारम्भ में स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया था; लेकिन तदन्तर पुनरीक्षा करने पर योग्य पाया गया; और

(ङ) इन सेवाओं में भर्ती के मामलों में चिकित्सा अधिकारियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में भूमि अधिग्रहण हेतु पर्यावरण संबंधी मानदंड

2894. **श्री कमल चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वन भूमि के अधिग्रहण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान अधिगृहीत की गई वन भूमि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) सरकार ने पंजाब में वन भूमि के अधिग्रहण के लिए पर्यावरणीय मानदंडों के नाम से कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। लेकिन वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अनारक्षण या उपयोग में लाने वाले किसी भी प्रस्ताव के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी अपेक्षित है। अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों में वर्णित आवश्यक ब्यौरों सहित केन्द्र सरकार को निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्ताव भेजना होता है। इन ब्यौरों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उतनी ही वनेत्तर भूमि का अभिनिर्धारण।

(2) विस्थापित लोगों के मामले में पुनर्वास स्कीम।

(3) सिंचाई/जल विद्युत परियोजना के संबंध में आवाह सुधार योजना।

(4) खनन परियोजनाओं के संबंध में सुधार योजना।

(5) प्रधान मुख्य वन संरक्षकों/मुख्य वन्यजीव वार्डनों की विशेष टिप्पणियां।

(6) क्षेत्र का मानचित्र।

(7) काटे जाने वाले वृक्षों की गणना सूची।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में वनेत्तर प्रयोजनों के लिए 13.8 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में लाई गई।

छोटे शहरों को महानगरों में परिवर्तित करने हेतु सर्वेक्षण

[हिन्दी]

2895. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने छोटे शहरों को धीरे-धीरे बड़े महानगरों में परिवर्तित होने के संबंध में 1989-90 में कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब भी जरूरी समझा जाता है, इस प्रकार के तदर्थ-सर्वेक्षण किए जाते है। शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में इस विषय पर आंकड़े और सुझाव दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में बाघ के लिए सुरक्षित वनों से होकर नशीली औषधियों की तस्करी

[अनुवाद]

2896. **श्री अनन्त राव देशमुख** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कारबेट तथा दुधवा बाघ के आरक्षित वनों से होकर नशीली औषधियों की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारक उपाए किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय): (क) कार्बेट और दुधवा बाघ रिजर्वों में भांग का पौधा (कैनाबिस सटिवा) प्राकृतिक रूप से उगता है जो नशीली दवाओं का एक स्रोत है। असामाजिक तत्व इस क्षेत्र से कभी-कभी इस पौधे से नशीले तत्व को निकालते है और इसकी तस्करी बाहर करते हैं।

(ख) इन क्षेत्रों में तैनात फील्ड स्टाफ बाघ रिजर्वों के भीतर ऐसे असामाजिक तत्वों के

आवागमन को नियंत्रित करने के लिए गश्त लगाते हैं। केन्द्र सरकार भी इस पौधे की वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मुहैया करती है।

घटिया माल की सप्लाई करने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही

[हिन्दी]

2897. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री घटिया माल की सप्लाई करने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में 14 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8539 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य चार फर्मों को छोड़कर केवल एक फर्म के विरुद्ध मामला दर्ज न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस मामले का निर्णय हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक फर्म को कितने मूल्य की वस्तुओं की सप्लाई हेतु क्रयादेश दिए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) केवल एक फर्म के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया गया था क्योंकि शेष 4 फर्मों के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण साबित नहीं हो सका था।

(ख) मामला अभी न्यायाधीन है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसा कि दिनांक 14-5-1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8539 के उत्तर में उल्लिखित है कि अपेक्षित सूचना एकत्रत की जा रही है।

कम्प्यूटर साइंस में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

[अनुवाद]

2898. **श्री आर० जी० रत्नम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीनियर सैकेन्डरी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे कम्प्यूटर साइंस में बारहवीं कक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं: और

(ग) पाठ्यचर्या का विषय-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत संगणक अध्ययन (प्रौद्योगिकी/तकनीकी) में व्यवसायिक कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या को 1988 में विकसित और आरम्भ किया गया था। इस पाठ्यक्रम में पहली सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा मार्च, 1990 में आयोजित की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संगणक अध्ययन (प्रौद्योगिक/तकनीकी) के लिए पाठ्यचर्या
(कक्षाएं XI और XII)

(i) भाषा (कोर अथवा वैकल्पिक) — शैक्षिक विषय के अनुसार

(ii) भाषा (कोर अथवा वैकल्पिक) अथवा — एक वैकल्पिक और उसके स्थान पर शैक्षिक विषय अथवा पाठ्यक्रम में यदि कोई हो, पाठ्यचर्या में दिये गये विषय के अनुसार

(iii) सामान्य फाउंडेशन पाठ्यक्रम		कुल अंक	कुल अंक
(क) जी० एफ० सी० (भाग-I)	सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए समान		30
(ख) जी० एफ० सी० (भाग-II)	संगणक अध्ययन (प्रौद्योगिकी/तकनीकी) से प्रासंगिकी विषय		(100) (70)

(iv) से (vi) व्यावसायिक वैकल्पिक विषय (कक्षा XI से XII तक के प्रत्येक के लिए 3 वैकल्पिक विषय)

	पेपर का नाम	कुल अंक
	कक्षा XI	
1.	संगणक मूल भूत तथा संगठन	100
2.	समस्या-निदान तथा बुनियादी कार्यक्रम तैयार करना	100
3.	लेखा विज्ञान तथा गणित	100
4.	अतिरिक्त विषय (ऐच्छिक)	
1.	प्रयुक्त यांत्रिकी	100
2.	इंजीनियरी ड्राइंग	100
	कक्षा-XII	
1.	केवल कार्यक्रम तैयार करना	100
2.	आंकड़ा तैयार करने की तकनीक तथा संचालन	100
3.	प्रोन्नत लेखा विज्ञान	100
	अतिरिक्त प्रश्न पत्र (ऐच्छिक)	
1.	भौतिकी तथा गणित	100
2.	विद्युत तथा इलेक्ट्रोनिकी इंजीनियरी	100

(vii) शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा) शैक्षिक विषय के अनुसार)

टिप्पणियां :(i) सामान्य फाउंडेशन पाठ्यक्रम और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा आंतरिक मूल्यांकन के विषय हैं और उनके लिए ग्रेड स्कूलों द्वारा कक्षा XII के अन्त पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 9 सूत्री कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।

(ii) व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के लिए सामान्य अध्ययन का स्थान सामान्य फाउंडेशन पाठ्यक्रम लेता है और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों द्वारा कार्य अनुभव की पेशकश करना अपेक्षित नहीं है।

(iii) कोई भी उम्मीदवार शैक्षिक शिक्षा से एक अतिरिक्त विषय अथवा ऊपर दिये गये दो अतिरिक्त विषयों की पेशकश कर सकता है।

(iv) व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत संगणक अध्ययन (प्रौद्योगिकी/तकनीक) के छात्रों को शैक्षिक शिक्षा से वैकल्पिक विषयों में से एक विषय के साथ भाषा-II के स्थान पर अपनाने का विकल्प है अथवा वे भाषा-II के स्थान पर पाठ्यचर्या में दिये गये एक अतिरिक्त विषय की भी पेशकश कर सकता है।

दिल्ली में वनों की कटाई

[हिन्दी]

2899. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वनों की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वनों की इस कटाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें वनों की बड़े पैमाने पर कटाई की सूचना नहीं मिली है।

शिक्षा के स्तर में गिरावट को रोकने के उपाय

[अनुवाद]

2900. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को समयबद्ध पदोन्नति दिए जाने से, शिक्षा की गुणवत्ता और उसके कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार समय के बेहतर उपयोग के लिए लम्बी छुट्टियों को कम करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और

(ख) भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई, 1988 को घोषित वेतनमानों के संशोधन की योजना के अनुसार पदोन्नतियों को न केवल सेवा के वर्षों की संख्या में शैक्षिक निष्पादन से जोड़ा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों बल्कि कालेजों के लेक्चररों को आठ वर्ष की नियमित सेवा सेवा पूरी करने के बाद सीनियर वेतनमान में पदोन्नति किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने कोई विशिष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या कोई अन्य तुलनीय कोटि का उपयुक्त सतत् शिक्षा कार्यक्रम किया है और लगातार संतोषप्रद कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट हों, ये शिक्षक सीनियर वेतनमान में आठ वर्ष की और सेवा करने के बाद रीडर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने पी० एच० डी० की डिग्री या समकक्ष प्रकाशित कार्य प्राप्त किया हो। उन्हें निर्णायकों की रिपोर्टों, प्रकाशनों की कोटि, शैक्षिक नव कार्यक्रमों में योगदान द्वारा प्रमाणित विद्वता तथा अनुसंधान में कुछ महत्व-पूर्ण कार्य किया होना चाहिए और विशेष पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा अन्य सतत् शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। उनकी सतत अच्छी कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट होनी चाहिए।

(ग) सरकार को किसी वर्ग से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तकनीकी शिक्षा का स्तर

[हिन्दी]

2901. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे किस रूप में और कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार तकनीकी शिक्षा के लक्षित क्षेत्रों में पहले ही अन्य योजनाओं के साथ-साथ एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अन्तर्गत देश में तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवस्थापना का सृजन, प्रौद्योगिकी के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में सुविधाओं का प्रसार जहां कमजोरी विद्यमान है और ये नये और/अथवा उन्नत प्रौद्योगिकी में कार्यक्रम तथा विशिष्ट क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इसके अलावा, विश्व बैंक देश में तकनीशियन (पालिटेक्निक) शिक्षा में क्षमता कोटि तथा दक्षता के स्तरोन्नयन के लिए परियोजना के लिए सहायता प्रदान् करने के लिए सहमत हो गया है। इस परियोजना के ब्यौरे दिनांक 13 अगस्त, 1990 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर में सभा पटल पर रख दिये गये हैं।

भुजंगराव समिति

[अनुवाद]

2902. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुजंगराव समिति द्वारा सिफारिश किए गए किसी विषय पर अब तक कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) जी, नहीं। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों में सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य से संबंधित अध्यापक

2903. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य एस० यू० पी० डब्ल्यू० से संबंधित अध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अध्यापन अनुभव को वरीयता दिए जाने का क्या औचित्य है जबकि अन्य सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मामले में यह वरीयता नहीं दी जाती;

(ख) क्या इस प्रथा के विरुद्ध संगठन को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य एक ऐसा विषय है जिसमें व्यवहार अनुभव/प्रयोगशाला अनुभव जरूरी समझा जाता है। अत: अनुभव को महत्व दिया जाता है, जबकि सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के लेखकों के लिए उम्मीदवारों के आवेदनों की संक्षिप्त सूची तैयार की जाती है।

(ख) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के सूरत शहर में प्रदूषण

[हिन्दी]

2904. **श्री सी० डी० गामित** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के सूरत शहर में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का वहां पर परिस्थिति का जायजा लेने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय): (क) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूरत में आस-पास की वायु की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में

धूलकण कभी-कभी अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो जाते हैं। इसका कारण धूल वाले प्राकृतिक वातावरण का होना है। सल्फर आक्साइड तथा नाइट्रोजन आक्साइड जैसे अन्य प्राचल मानकों से अधिक नहीं हैं। मलजल के समुचित शोधन की प्रणाली तथा नगरपालिका के अपशिष्ट जल के निपटान की प्रणाली पूरे शहर में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर, आदर्श जिले के रूप में

[अनुवाद]

2905. **डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को आदर्श जिला बनाने की योजना पर वास्तविक कार्य कब से शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसे पहले ही आठवीं योजना में शामिल कर लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें जिले से अभी योजना प्राप्त नहीं हुई है।

पुस्तक उद्योग में भारत का स्थान

[हिन्दी]

2906. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिकांक के अनुसार 1985-85 में विश्व पुस्तक उद्योग में भारत का सातवां स्थान था और अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में तीसरा, जबकि 1988-89 में 17वां और शायद इस समय यह इस सूची में शामिल ही नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस ह्रास के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रम पद्धति नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भारत का पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में विश्व में 17वां स्थान है। तथापि, 1989 के लिए यूनेस्को सांख्यिकी वर्ष पुस्तक में 84 देशों में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या की सूची दी गई है। जिसके अनुसार 10 देशों ने 1985 में भारत से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कीं।

पर्यावरण न्यायालय

[अनुवाद]

2907. **श्री रमेश चेन्नीथाला** :
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पर्यावरण संबंधी न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायालयों की स्थापना किए जाने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन न्यायालयों की स्थापना के पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान में कितनी सहायता मिलेगी;

(घ) इन न्यायालयों की स्थापना से कितना वित्तीय भार बढ़ जाएगा; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

कोडरमा उप-मंडल में आयुध कारखाने के लिये स्थान का चयन

[हिन्दी]

2908. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोडरमा उप-मंडल में मरकाची ब्लाक के पिछले और बेरोजगारी से त्रस्त बरियाडीह मोर के निकट राष्ट्रीय रक्षा आयुध कारखाने के लिए अति उपयुक्त स्थान के चयन के संबंध में जयरमण विशेषज्ञ दल (1986-87) द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं; और

(ख) क्या विशेषज्ञ दल की राय को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम स्वीकृति देने का है ताकि इस क्षेत्र के युवकों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) किसी आयुध निर्माणी की स्थापना करने के लिए स्थान का चयन करने हेतु सरकार ने कोई जयरमण विशेषज्ञ दल गठित नहीं किया है। फिर भी, एक नई आयुध निर्माणी स्थापित करने के लिए उचित स्थान बताने के लिए एक चयन समिति गठित की गई थी। इग समिति ने कई स्थानों की सिफारिश की है जिनमें से हजारी बाग जिले में मरकाचों नामक स्थान भी है।

(ख) सरकार ने मौजूदा आयुध निर्माणियों और सिविल क्षेत्र के कारखानों से अपेक्षित मात्रा में सप्लाई प्राप्त करने का निर्णय किया है।

महाराष्ट्र में ऐतिहासिक स्थलों के लिए स्वीकृति राशियां

[अनुवाद]

2909. **श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पुणे जिले में स्थित श्री शिवाजी रायगढ़ फोर्ट के लिए स्वीकृत का गयी राशियों का तत्संबंधी प्रयोजनों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के लिए महाराष्ट्र के अन्य ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई राशियों और वायदों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जिला रायगढ़ में रायगढ़ किले के संरक्षक कार्यो, जो कि प्रगति पर हैं, के लिए 2,17,800 रु० की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई थी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और पुरातत्वीय मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरक्षण और संरक्षण के अतिरिक्त, कार्य

योजना 1990-91 में व्यापक संरक्षण कार्यों के लिए निम्नलिखित स्मारकों को शामिल किया गया है।

1. एलोरा गुफाएं	औरंगाबाद
2. अजंता गुफाएं	औरंगाबाद
3. एलीफेंटा गुफाएं	घारापुरी
4. शिवनेरी किला	जुन्नार
5. वास्सैन किला	वास्सैन
6. मार्कण्ड देव मंदिर	मार्कण्ड
7. नगर-दीवारें और द्वार	चन्द्रपुर
8. चांग देव मंदिर, चांग देव जिला	जलगांव
9. दौलताबाद किला	औरंगाबाद
10. पनवाला किला	कोल्हापुर

राष्ट्रीय कैडेट कोर का एक दल कनाडा भेजा जाना

2919. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन करने और वहां काफी समय तक ठहरने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक बड़े दल का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल में कितने लड़के और कितनी लड़कियां सम्मिलित की गई हैं;

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर दल को कनाडा भेजने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह दल किन-किन स्थानों पर ठहरेगा अथवा भ्रमण करेगा और कितने समय तक ठहरेगा; और

(घ) इस पर लगभग कितनी धनराशि खर्च होगी और यह किसके द्वारा वहन की जाएगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के 21 लड़कों और 21 लड़कियों तथा 8 अफसरों को 3 महीने के लिए कनाडा भेजा गया है।

(ग) उनके दो दल बनाए गए हैं। एक दल डिवोन, फोर्ट सास्काचिहेवन और मारीनविली की यात्रा करेगा। दूसरा दल पोकैल रिवर, सिक्लिट और स्वामिश की यात्रा करेगा। ये कनाडा में लगभग 3 महीने रहेंगे।

यह यात्रा कनाडा वर्ल्ड यूथ और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बीच हस्ताक्षरित नयाचार करार के अनुसरण में है। यह कार्यक्रम 1980 में आरंभ हुआ था और यह 11वां कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के भाग लेने वाले कैडेटों में और जागरूकता पैदा करना, दोनों देशों की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं का बोध कराना तथा इसमें भाग लेने वालों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक अन्तर राष्ट्रीय संगठन के सदस्य हैं।

(घ) अन्तर राष्ट्रीय विमान यात्रा और कनाडा में ठहरने पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च होंगे। इस खर्च का वहन "कनाडा वर्ल्ड यूथ" करेगा।

विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दर

2911. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में कृषि उद्योग तथा जन-संख्या क्षेत्रों में विकास-दरों का कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त डाटा पर आधारित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा विनिर्माण उद्योग और जनसंख्या से संबंधित मिवल जोड़े गए मूल्य (1980-81 की कीमतों पर) की राज्यवार संवृद्धि दर

क्र० सं०	राज्य	कृषि संवृद्धि दर (1)			उद्योग संवृद्धि दर (1)			जनसंख्या संवृद्धि दर (2)		
		1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1989-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.3	—11.4	9.0	8.5	1.1	2.7	1.9	1.8	1.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.1	2.3	12.9	5.5	4.9	5.3	2.7	2.8	उ०न०
3.	असम	4.0	—1.2	6.7	1.8	—1.5	5.6	2.2	2.3	2.3
4.	गोवा	—17.7	—4.7	16.1	—1.5	24.3	1.2	2.5	2.3	2.2
5.	गुजरात	—36.4	9.2	—49.9	11.7	7.7	6.4	1.9	1.9	1.8
6.	हरियाणा	14.3	—5.2	—15.3	14.5	7.0	9.6	2.7	2.5	2.3
7.	हिमाचल प्रदेश	14.2	9.4	—15.3	38.5	5.3	2.3	1.8	1.8	1.7
8.	केरल	4.9	—4.8	6.0	2.7	—7.6	—0.1	1.8	1.9	1.5
9.	मणिपुर	3.5	—3.2	7.7	8.7	9.2	7.5	2.6	2.5	2.5
10.	मेघालय	3.8	—6.4	4.7	23.5	5.6	9.3	2.8	2.9	2.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	सिक्किम	—2.0	2.7	उ०न०	6.2	5.2	उ०न०	उ०न०	3.5	उ०न०
12.	तमिलनाडु	0.5	—1.9	8.0	—2.4	—0.8	5.6	1.7	1.6	1.5
13.	उत्तर प्रदेश	0.9	2.8	2.8	11.4	15.0	5.2	2.1	2.1	2.1

(1) गतं वर्ष की तुलना में अभिव्यक्त तथा प्रतिशत दर परिवर्तन

(2) 1989 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय विभाग द्वारा जारी 1970-71 से 1987-88 तक राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों के अनुसार यथा संसूचित ।

कृषि तथा विनिर्माण उद्योग की संवृद्धि दरें सम्बद्ध राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा तैयार किए गए राज्य की आय के सरकारी अनुमानों पर आधारित है ।

उपलब्ध नहीं ।

टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र "नाग" का परीक्षण

2912. **श्री नकुल नायक : क्या प्रधान मन्त्री** यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा वैज्ञानिकों ने टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र "नाग" का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है;

(ख) क्या भूमि से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "आकाश" का भी परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परीक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) निकट भविष्य में टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र छोड़ने संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) "नाग" और "आकाश" प्रक्षेपास्त्रों के प्रक्षेपण उड़ान परीक्षण क्रमशः 07 और 08 फरवरी, 1990 तथा 14 अगस्त, 1990 को उड़ीसा में बालासोर स्थित अन्तरिम परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक किए गए। इन परीक्षणों के दौरान अपेक्षित लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किए गए और इससे इन महत्त्वपूर्ण प्रक्षेपास्त्र उप-प्रणालियों में एयर-फ्रेम, नोदक प्रक्षेपास्त्र में बिजली की सप्लाई, टेलीमीटरी और प्रक्षेपण प्रणाली पूरी तरह सफल साबित हुई।

(घ) टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र "नाग" के नियंत्रित प्रक्षेपण परीक्षण इस वर्ष की अंतिम तिमाही में किए जाने हैं।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

2913. **श्री ऑस्कर फर्नान्डीज : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर में वर्ष 1989-90 के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कुल कितने उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया;

(ख) क्या संस्थान में 180 छात्रों के लिए अपेक्षित सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को प्रवेश न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 160।

(ख) और (ग) संस्थान के पास वर्ष 1989-90 के दौरान 180 के छात्रों को दाखिल करने के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं।

ओपन स्कूल के परिणाम

2914. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओपन स्कूल के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने, समय पर परीक्षा आयोजित करने एवं परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि

अन्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और परिणामों के साथ तालमेल रखा जा सके और ओपन स्कूल के छात्रों को कालेजों में समय पर प्रवेश मिल सके; और

(ख) ओपन स्कूल की कक्षा 10+2 का परिणाम कब तक घोषित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) अब मुक्त स्कूल को, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक अभिन्न भाग के रूप में कार्य कर रहा था, राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जो कि भारत सरकार, शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन होगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी तक राष्ट्रीय मुक्त स्कूल की माध्यमिक और सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है और उनके परिणाम घोषित करता है। माध्यमिक और सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र के लिए राष्ट्रीय मुक्त स्कूल की पद्धति औपचारिक पद्धति से भिन्न हैं। चूंकि ग्रेडों को संचित करने का प्रावधान है, अतः परीक्षाएं वर्ष में दो बार, मई और नवम्बर, में आयोजित की जाती हैं। आशा है कि परीक्षाएं समय पर आयोजित करने और परिणाम समय पर घोषित करने के संबंध में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल को अपनी परीक्षाएं आयोजित करने और उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकार प्रदान किए जाने के बाद स्थिति में सुधार आएगा।

(ख) आशा है कि परिणाम 27-8-90 तक घोषित कर दिए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को प्रोत्साहन

2916. **श्री वसंत साठे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं (प्रोत्साहन और सुविधाएं) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चुने हुए उच्च क्षमता क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के संवर्द्धन हेतु विशेष प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत, विशेष रूप से महाराष्ट्र में क्या परिणाम मिले हैं तथा महा[illegible] य के स्वीकृत/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक जोन की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धन-राशि नियत की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस समय प्रचलित विभिन्न नीतिगत उपायों/प्रोत्साहन तथा सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अब तक की गई पहल के परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग ने पिछले 5 वर्षों में कुल मिलाकर 35% वार्षिक औसत विकास हासिल कर लिया है।

राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिकी का उत्पादन सातवीं योजना की अवधि के दौरान 305 करोड़ रु० से बढ़कर 2000 करोड़ रु० हो गया है। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक एककों की स्थापना के लिए अप्रैल, 1990 तक 213 औद्योगिक लाइसेंस तथा 290 आशय-पत्र/पंजीकरण जारी किए

गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए 3 आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पुणे, औरंगाबाद, ट्रांस ठाणे क्रीक, नागपुर तथा अमरावती में इलेक्ट्रॉनिक जोन स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1990-91 में कोई नया इलेक्ट्रॉनिक जोन स्थापित करने की इस समय कोई योजना नहीं है।

विवरण

देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए नीति विषयक निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं :

1. एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत कई श्रेणी की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।
2. इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।
3. इलेक्ट्रॉनिकी के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात करने तथा विदेशी सहयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिन यूनिटों में विदेशी-साम्या-पूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत से कम है उन्हें सभी क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की जाती है।
4. लघु उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय उद्योग निदेशालयों के स्तर पर अनेक वस्तुओं के अनुमोदनों को विकेद्रीकृत किया गया है। इस क्षत्र के लिए पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाकर 35 लाख रुपये सहायक इकाइयों के लिए सीमा बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी गई है।
5. महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कम लागत पर अधिक उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की दृष्टि से जिन संघटक-पुर्जों की लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था उन्हें अनरक्षित कर दिया गया है।
6. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिकी के लगभग सभी क्षेत्रों में, एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने से छूट दी गई है।
7. टेलीफोनों, इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंजों (ई० पी० ए० बी० एक्स०), दूर मुद्रकों, प्रतिदर्श उपस्करों, आंकड़ा संचार टर्मिनलों आदि के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों को अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 2000 लाइनों में कम क्षमता वाले कुछ स्विचन उपस्करों और 120 ध्वनि/आंकड़ा चैनलों से कम क्षमता वाले सम्प्रेषण उपस्करों के विनिर्माण की अनुमति भी निजी क्षेत्र में दी जाती है। निजी क्षेत्र केन्द्रीय/राज्य सरकार की सहभागिता से, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत साम्यापूंजी शेयर हो, अन्य दूरसंचार की वस्तुओं का निर्माण भी कर सकता है।
8. कम्प्यूटर उद्योग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य मूल्य पर अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटरों के विनिर्माण पर बल दिया जाता है तथा आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है।

9. उत्पादन तथा सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई सॉफ्टवेयर नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के अनुसार और सरकार द्वारा बाद में लिए गए निर्णय के अनुसार, निर्यात के प्रयोजन से हार्डवेयर के आयात, विदेशों में विपणन संबंधी व्यय के लिए विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से अनुमति, भारत में संयुक्त उद्यमों की स्थापना और विदेशों में स्थित कम्पनियों का अधिग्रहण, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर का आयात और आंकड़ा संचार सम्पर्क के माध्यम से सॉफ्टवेयर का निर्यात के रूप में सॉफ्टवेयर उद्योग को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

10. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आंकड़ा संचार सम्पर्क के माध्यम से शत-प्रतिशत निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर विकास एककों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से भुवनेश्वर, पुणे तथा बंगलौर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना कर रहा है।

11. कच्ची सामग्रियों, संघटक पुर्जों तथा पूंजीगत उपस्कर पर लगने वाले आयात शुल्क को घटा दिया गया है। संघटक पुर्जा उद्योग के लिए कच्ची सामग्रियों, कल-पुर्जों तथा अर्धविनिर्मित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है।

12. उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से आयात नीति को तर्क संगत बनाया गया है।

13. सरकार इलेक्ट्रॉनिकी के समुचित अनुप्रयोगों को बढ़ावा दे रही है ताकि उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मरम्मत-सेवा का गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

14. नितनूतन खोज, उत्पाद डिजाइन तथा विकास और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी विकास परिषद, राष्ट्रीय रेडार परिषद, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिषद तथा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विकास परिषद, (ई० एम० डी० सी०) द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं क्योंकि एक स्वस्थ इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिए ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं।

15. पहले से सुनिश्चित किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, (एन० सी० एस० टी०) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र, (सी-डॉट), उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी-डैक) सामग्री विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र और कई इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों आदि जैसे विभिन्न अनुसंधान केन्द्र और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, क्योंकि एक स्वावलम्बी औद्योगिक आधार विकसित करने का यह भी एक उपाय है।

16. जिन वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता सुस्थापित हो गई है उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयात नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

17. इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों तथा उपस्करों के निर्यात के मामले में जहाज पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 12 प्रतिशत नकद मुआवजा सहायता के रूप में उपलब्ध है। जहां तक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में नकद मुआवजा सहायता का प्रश्न है, यह विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय का 10% है।

18. इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों तथा उपस्करों के निर्यात पर आयात प्रतिपूर्ति जहाज पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य के 20% की दर से उपलब्ध है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात मामले में प्रतिपूर्ति लाइसेंस का मूल्य विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय का 10% है।

19. इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र को सरलीकृत ब्रांड दर निर्धारण योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

20. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत स्थापित तीन भारतीय प्रयोगशालाओं अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता तथा बम्बई स्थित इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं को अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी-तकनीकी आयोग गुणवत्ता निर्धारण प्रणाली, जेनेवा द्वारा स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में प्राधिकृत किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मन संघीय गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों सहित 24 सदस्य देशों को निर्यात करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों का परीक्षण करके प्रमाणित कर सकते हैं।

मनीपुर (केरल) में नवोदय विद्यालय

2917. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर (केरल) में स्थित नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विद्यालय का वर्तमान भवन छात्रों की संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) नवोदय विद्यालय मनीपुर (केरल) में छात्रों की कुल संख्या 218 है।

(ख) और (ग) वर्तमान में विद्यालय एक अस्थायी आवास में चल रहा है। अस्थायी स्थान पर अतिरिक्त आवास बनाने के लिए आवश्यक धन जारी कर दी गयी है। स्थायी स्थान पर भवन निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।

आयोजना, अनुसंधान और कार्यवाही केन्द्र द्वारा प्रतिभा-पलायन के बारे में अध्ययन

2918. **श्री कैलाश मेघवाल :**
श्री शांति लाल पुरुषोत्तमदास पटेल :
श्री राम बहादुर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित आयोजना, अनुसंधान और कार्य केन्द्र द्वारा किए गए इस अध्ययन से सहमत है कि 1985 तक, भारत से विकसित देशों को हुए प्रतिभा-पलायन के कारण भारत को 13 मिलियन डालर का नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर इस प्रकार का नुकसान जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार हो रहे लगातार नुकसान को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) अनुसंधान, आयोजना और कार्य केन्द्र द्वारा आयोजित अध्ययन से मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1985 तक अपने कुशल जनशक्ति के पलायन के कारण भारत को लगभग 13 अरब डालर का नुकसान हुआ। 1985 के बाद के ऐसे अनुमान अनुसंधान आयोजना और कार्य केन्द्र में उपलब्ध नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं से संबद्ध हैं और समय-समय पर संस्थाओं एवं व्यक्तियों के साथ विभिन्न अध्ययनों को प्रायोजित करता है। अनुसंधान, आयोजना और कार्य केन्द्र द्वारा किया गया अध्ययन भी इन्हीं प्रायोजित अध्ययनों में से एक था। ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष, निवेश प्रदान करते हैं और सरकार पृथक-पृथक निवेश स्तर अथवा अन्य प्रकार से सामंजस्य की डिग्री निर्धारण करने के लिए बिना आवश्यक प्रयास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामलों में समग्र संभाव्यताएं तैयार करने में ध्यान में रखती है।

(ग) और (घ) तथापि समय-समय पर अनेक उपाय किए गये हैं ताकि इनका विदेशों में जाना कम किया जा सके और विदेशों में रहने वाले वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और डाक्टरों को देश में वापस लाने के लिए आकर्षित किया जा सके। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का सजन करना और साथ ही साथ विशेषकर उत्पादन और सेवा क्षेत्र एवं विद्यमान क्षेत्रों में वर्धित प्रयत्न करना शामिल है। इसमें से कुछ इस प्रकार है :—

—आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभाग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि करना।

—जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, महासागर विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट ऑफ टेलिमैटिक्स (सी-डॉट) इत्यादि जैसे नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों की स्थापना करना।

—उन्नत प्रकृति के और ज्ञान पर आधारित औद्योगिक उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रों के विस्तार करने के लिए प्रबुद्ध प्रयास करना।

—इस देश में औद्योगिकी यूनिटों की स्थापना करने हेतु अप्रवासी भारतीयों द्वारा दिए गए आवेदनों पर शीघ्र निकासी प्रदान करने के लिए उद्योग मंत्रालय में एक विशेष कक्ष की स्थापना करना। इसी प्रकार कुछ राज्यों ने विशेष प्रकोष्ठ और विभाग स्थापित किए हैं ताकि अप्रवासी भारतीयों को वापस आने पर उद्योग/व्यावसायिक उद्यम लगाने में प्रोत्साहन एवं सहायता दी जा सके।

—श्रेष्ठता/उच्च अध्ययन के अनेक विश्वविद्यालय/कालेज/केन्द्र स्थापित करना।

—वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक पूल की योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अस्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था।

—अधिसंख्या पदों का सृजन।

—विज्ञान के नए और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ देश में व्यावसायिकों के कोर ग्रुप के आधार पर कार्यक्रम शुरू किए गए।

—विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों और विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में हमारे विकासात्मक प्रयासों में लघु अवधि तकनीकी कार्यों में सहायता करने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यावसायिक पुरुषों और महिलाओं, जिन्होंने अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली है, उन्हें आमंत्रित करना।

—उद्यमी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।

—वैज्ञानिकों की कार्यदशाओं में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को वर्धित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करना।

—विदेश में आने वाले व्यावसायिकों के लिए उपकरण के आयात हेतु सुविधाओं की व्यवस्था।

—एसोशियटशिप/फैलोशिप/पाठ्यक्रमों आदि के माध्यम से मानवशक्ति विकास के प्रशिक्षण/पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना।

विश्व विरासत स्थल के रूप में साइलेंट वैली नेशनल पार्क को सम्मिलित करना

2919. **श्री पी० ए० एन्टनी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से साइलेंट वैली नेशनल पार्क (केरल) को विश्व विरासत स्थलों के रूप में शामिल कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) को भेज दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं का कार्यान्वयन

2920. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में कालेज अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किये जाने हैं;

(ख) पिछली योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य में कितनी धन-राशि स्वीकृति की गयी/खर्च की गयी;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान केरल में कालेज अध्यापकों को भी दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार को छोड़कर जहां योजना तथाकथित रूप से राज्य सरकार के विचाराधीन है, सभी राज्य सरकारों ने वेतनमान की संशोधन योजना को कार्यान्वित किया है।

(ख) योजना के कार्यान्वयन के लिए 1988-89 और 1990-91 के दौरान 17 राज्य सरकारों को दिए गए अनुदान की राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। शेष राज्यों के लिए विभाग, योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है।

(ग) और (घ) केरल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राज्य में अनेक संयुक्त कालेज हैं जिनमें शिक्षक उसी कालेज में पूर्व डिग्री के साथ-साथ डिग्री कक्षाओं में पढ़ाते हैं। राज्य सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि कालेज शिक्षकों की कुल संख्या का 52% डिग्री पाठ्यक्रमों में और 48% पूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में होंगे। राज्य सरकार ने 1-1-86 से डिग्री कालेजों में 52% शिक्षकों और 1-4-90 से पूर्व डिग्री पाठ्यक्रमों में 48% शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य शर्तों पर 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वि० अ० आ० का संशोधन वेतनमान देने का निर्णय किया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	52.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.15
3.	गुजरात	40.00
4.	गोवा	1.00
5.	हिमाचल प्रदेश	2.00
6.	हरियाणा	11.00
7.	कर्नाटक	30.86
8.	मध्य प्रदेश	30.00
9.	महाराष्ट्र	50.00
10.	मणिपुर	1.65
11.	उड़ीसा	29.00
12.	पंजाब	9.39
13.	राजस्थान	10.96

1	2	3
14.	तमिलनाडु	42.33
15.	त्रिपुरा	0.75
16.	उत्तर प्रदेश	35.08
17.	केरल	20.00
	कुल	346.36
		20.00
		366.37

कालेजों में रैगिंग पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

2921. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित इन्जीनियरिंग, व्यावसायिक और अन्य कालेजों का नाम पता आदि क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालिजों में रैगिग की घटनाएं वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ी जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कालेजों में रैगिग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित इंजीनियरी, प्रबन्ध और वास्तुकला कालेजों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने इन संस्थाओं को रैगिग की प्रथा को समाप्त करने की सलाह दी है। हाल ही में इन कालेजों में सरकार के ध्यान में रैगिग की कोई वारदात नहीं आई है।

विवरण

तकनीकी संस्थाओं (भारत के संघ के नियंत्रणाधीन) के ब्यौरे—

(1) दिल्ली, कानपुर, बम्बई, मद्रास तथा खड़गपुर स्थित 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।

(2) कलकत्ता, बंगलौर, लखनऊ तथा अहमदाबाद स्थित 4 भारतीय प्रबन्ध संस्थान।

(3) कालीकट, सूरत, श्रीनगर, इलाहाबाद, दुर्गापुर, जमशेदपुर, नागपुर, सूरतकल, वारंगल, जयपुर, राउरकेला, भोपाल, तिरुचिरापल्ली, कुरुक्षेत्र, सिल्चर, हमीरपुर और जालन्धर स्थित 17 क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज।

(4) आयोजना और वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।

(5) राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची (बिहार)।

(6) राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इन्जीनियरी संस्थान, बम्बई।

इन्दौर में 'कैट' औद्योगिक केन्द्र

2922. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर में प्रगट (कैट) औद्योगिक केन्द्र कब तक पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा;

(ख) क्या इस केन्द्र में स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र एक अनुसंधान केन्द्र है जिसकी स्थापना त्वरकों, लेसरों और संलग्न संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की गई थी। केन्द्र द्वारा इस समय अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लेसर उत्पादन सुविधा स्थापित की जाए। चूंकि इस प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है, अतः अभी इस बारे में सही समय नहीं बताया जा सकता कि उत्पादन सुविधा कब तक शुरू होगी।

(ख) और (ग) स्थानीय योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण के लिए प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा इन्दौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों और अन्य तकनीकी संस्थानों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी लिए जाते हैं। यद्यपि, वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर नियुक्तियां अखिल भारतीय आधार पर चयन करके की जाती हैं, तथापि समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर नियुक्ति के मामले में स्थानीय योग्य व्यक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करके प्रोत्साहित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में साक्षर महिलाओं की संख्या

2923. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में साक्षर महिलाओं की संख्या का पता लगाया है;

(ख) क्या पिछले दशक में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) इनकी संख्या में और वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) साक्षरता आंकड़े दस-वर्षीय जनगणना कार्यक्रमों में एकत्रित किए जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में साक्षर महिलाओं की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। 41 जिलों में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है और 28 जिलों में महिला साक्षरता दर राज्य औसत से नीचे है। इस समय मध्य प्रदेश में साक्षर महिलाओं की संख्या, अगली जनगणना, जो 1991 में आयोजित होनी है, के बाद ही ज्ञात होगी।

(ग) महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्राप्त करने में, जिस असमानता का सामना करना

पड़ रहा है उसे दूर करने की नीति को ध्यान में रखते हुए हाल ही में अनेक उपाय किए गए हैं ताकि मध्य प्रदेश सहित समूचे राष्ट्र में महिला शिक्षा को प्रोन्नत किया जा सके जिसमें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं पर बल दिया जाएगा। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

(i) **स्कूल शिक्षा** : स्कूल शिक्षा में, लड़कियों की शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए किए गए उपायों में, प्राइमरी स्कूलों के लिए और अधिक महिला शिक्षकों की भर्ती, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों और वर्दियां का वितरण, सभी सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सहायताप्राप्त स्कूलों में कक्षा-VIII तक और अधिकांश राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कक्षा-X तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा शामिल है।

(ii) **गैर-औपचारिक शिक्षा** : केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 90% सहायता प्रदान की जाती है और शेष 10% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(iii) **प्रौढ़ शिक्षा** : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं का व्यापक रूप से शामिल करने के लिए किए गये विशिष्ट उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

—महिला शिक्षुओं को जुटाना और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम से कम 50 महिलाओं के नामांकन को सुनिश्चित करना;

—अधिक संख्या में महिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति जैसे कि अनुदेशक और प्रेरक, चाहे इसके लिए मौजूदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं में छूट भी देनी पड़े;

—अधिक संख्या में स्वैच्छिक एजेन्सियों, जिसमें महिलाओं के लिए कार्यरत एजेन्सियां भी शामिल हैं, को शामिल करना;

—श्रमिक विद्यापीठों द्वारा महिला कार्यकर्त्ताओं की ओर अधिक ध्यान देना;

—महिला समानता की प्रोन्नति के लिए कारगर एजेन्टों के रूप में महिला अनुदेशकों का विशेष अनुस्थापन और प्रशिक्षण;

— साक्षरता कुशलता को बनाए रखने के लिए अवसर प्रदान करना और इस ज्ञान का उनकी रहने की स्थिति में सुधार करने में प्रयोग करना;

—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित केन्द्रीय और राज्य समाज कल्याण बोर्डों को शामिल करना; और

—महिला साक्षरता और इनके अधिकार से संबंधित फिल्में तैयार करना तथा दूरदर्शन के माध्यम से इनका प्रसारण करना।

राज्य सरकारों को तदनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/जिला	साक्षर महिलाओं की संख्या
1	2	3
	मध्य प्रदेश	3,927,266
1.	मोरेना	59,753
2.	भिन्ड	64,668
3.	ग्वालियर	131,765
4.	दतिया	17,602
5.	शिवपुरी	32,411
6.	गुना	43,503
7.	टीकमगढ़	29,159
8.	छत्तरपुर	42,073
9.	पन्ना	22,317
10.	सागर	131,641
11.	दमोह	57,296
12.	सतना	73,950
13.	रीवा	67,454
14.	शहडोल	57,469
15.	सिधी	23,146
16.	मन्दसौर	92,253
17.	रतलाम	66,994
18.	उज्जैन	105,921
19.	शाजापुर	37,581
20.	देवास	48,566
21.	झेबुआ	25,053
22.	धार	53,381
23.	इन्दौर	244,671
24.	पश्चिम नीमर	97,047
25.	पूर्वी नीमर	105,641

1	2	3
26.	राजगढ़	27,864
27.	विदिशा	47,938
28.	भोपाल	155,972
29.	सिहोरे	30,578
30.	रायसा	38,920
31.	बेतुल	79,491
32.	होशंगाबाद	104,503
33.	जबलपुर	294,473
34.	नरसिंहपुर	66,833
35.	मांडला	57,990
36.	छिन्दवाड़ा	105,485
37.	सिआनी	62,305
38.	बालाघाट	118,553
39.	सरगुजा	61,393
40.	बिलासपुर	211,282
41.	रायगढ़	101,905
42.	राज नन्दगांव	77,665
43.	दुर्ग	224,903
44.	रायपुर	260,518
45.	बस्तर	67,380

खेलों के विकास पर व्यय की गई धनराशि

[अनुवाद]

2924. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खेलों के विकास पर 1 जनवरी, 1990 से 30 जून, 1990 तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) वर्ष 1989 की पहली छमाही के दौरान खेलों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) देश में खेलों के संवर्धन के लिए विभाग द्वारा 1 जनवरी से 30 जून, 1990 तक 2656.21 लाख रुपये का राशि मंजूर की गई है।

(ख) 1989 के पूर्वाह्न के दौरान ऐसे ही प्रयोजन के लिए इस विभाग द्वारा स्वीकृत राशि 2801.13 लाख रुपये थी।

बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम

[हिन्दी]

2925. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम समीक्षा के अनुसार बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सूत्र के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु बिहार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागये गोवर्धन) : (क) इस कार्यक्रम के लिए चयन की गई उन 28 मदों के कार्यान्वयन में बिहार सरकार द्वारा सूचित की गई 1990-91 की पहली तिमाही की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा, जिनका प्रबोधन मासिक आधार पर किया जाता है, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 1988-89 और 1989-90 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्य योजना क्षेत्र में बिहार को आवंटित निधियों के आंकड़े संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-I

अप्रैल जून, 1989-90 के दौरान बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

क० सं०	सूत्र/पद	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां	
			1990-91	अप्रैल जून, 1990	अप्रैल जून, 1990	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	1(क) ए०ग्रा०वि०का०	हजार लाभ-भोगियों परि० की संख्या	350.5	52.6	39.1	74
2.	1(ख) ज० रोज० योजना	लाख कार्य दिवस	1125.9	168.9	201.00	119
3.	1(ग) लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	9942	2486	1310	53
4.	5. फालतू भूमि का वितरण	एकड़	9000	1800	3854	214

1	2	3	4	5	6	7
5.	6. बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	27	2	2	100
6.	7. गांवों में पेय जल समस्या	संख्या	7044	1057	397	38
7.	8क. सी० एच० सी०	संख्या	10	—	—	—
8.	8ख. पी० एच० सी	संख्या	191	—	—	—
9.	8ग. उपकेन्द्र	संख्या	750	—	—	—
10.	8घ. बाल प्रतिरक्षण	हजार संख्या	2731.2	409.7	199.5	49
11.	9क. परिवार नियोजन नसबंदी	हजार संख्या	550.0	82.5	11.2	14
12.	9ख. समतुल्य नसबंदी	हजार संख्या	184.9	27.7	10.2	37
13.	9ग. एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड (संचयी)	संख्या	181	168	146	87
14.	9घ. आंगनवाड़ी (संचयी)	संख्या	18845	17646	13802	78
15.	11क. सहायता प्राप्त अनु० जा० के परिवार*	हजार संख्या	250.0	37.5	11.8	31
16.	11ख. सहायता प्राप्त अनु० जन० जा० के परिवार	हजार संख्या	125.0	15.0	3.3	22
17.	14क. आवास स्थल व्यवस्था*	—वही—	25.0	5.2	1.5	29
18.	14ख. निर्माण सहायता*	—वही—	—	—	—	—
19.	14ग. इन्दिरा आ० योज० (अनु० जा०/ अनु० जन० जाति)	—वही—	16.3	3.4	3.5	101
20.	14घ. आ० रूप से पिछड़े वर्ग को मकान*	संख्या	483	101	96	95
21.	14ङ. निम्न आय वर्ग को मकान*	संख्या	886	186	100	54
22.	15. गंदी बस्तियों का सुधार*	हजार सं०	50.00	10.5	4.4	41

1	2	3	4	5	6	7
23.	16. वृक्षारोपण	लाख संख्या	2150	150	0	0
24.	18. खोली गयी उचित दर की दुकानें*	संख्या	150	38	41	187
25.	19क. विद्युतीकृत गांव	संख्या	2500	225	18	8
26.	19ख. शक्तिचालित पम्पसेट*	संख्या	10000	1200	210	18
27.	19ग. सुधरे चूल्हे*	हजार सं०	120.0	7.2	7.2	100
28.	19घ. बायो गैस संयंत्र	संख्या	5000	750	421	56

नोट: (1) मद 8 ख, 8 ग तथा 8 घ के संबंध में अप्रैल-जून, 1990 की तिमाही के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(2) मद 14 ख के संबंध में बिहार के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

*वर्ष 1990-91 के लिए लक्ष्य अनंतिम है।

विवरण-2

राज्य योजना क्षेत्र के अन्तर्गत बीस-सूत्री कार्यक्रम (बी० सू० का०) के लिए 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान बिहार राज्य को निधियों का आबंटन

(लाख रुपये)

क्र० सं०	मद	1988-89	1989-90
1	2	3	4
1.	ग्रामीण गरीबी पर प्रहार		
	ए० ग्रा० वि० का०	4697	5779
	रा०ग्रा० रो० का०/जवा० रोज० योजना	3773	7742
	सामुदायिक विकास और पंचायत	1277	1255
	ग्राम तथा लघु उद्योग	2111	2325
2.	वर्षा पर आधारित कृषि	405	414
3.	सिंचाई का बेहतर उपयोग	43750	42912
4.	उन्नत कृषि	6264	10940
5.	भूमि सुधार	1425	1875
6.	सुरक्षित पेय-जल	2950	3150

1	2	3	4
7.	सभी के लिए स्वास्थ्य	1650	2450
8.	दो बच्चों का मानदंड-पोषण	1200	1370
9.	शिक्षा	6965	12512
10.	अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय	1630	2133
11.	युवाओं के लिए अवसर	215	225
12.	लोगों के लिए मकान	200	200
13.	गंदी बस्तियों का सुधार	140	60
14.	वानिकी	1500	1850
15.	पर्यावरण का संरक्षण	28	30
16.	उपभोक्ता कल्याण	403	443
17.	गांवों के लिए बिजली	2250	2260
	योग :	82833	99925

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में अनियमिततायें

[अनुवाद]

2926. **श्री रामधन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के मामलों में अनियमिततायें बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) सरकार को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के जीव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत प्रोफेसर के पदों की नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों की हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विश्वविद्यालय से शिकायत पर रिपोर्ट के लिए अनुरोध किया गया है। उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

आयुध फैक्टरियों में आग लगने की घटनाएं

2927. **श्री केशरी लाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित रक्षा आयुध फैक्टरियों में पिछले एक वर्ष के दौरान आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए की गई जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अग्निकांडों में अनुमानतः कितनी क्षति हुई है; और

(घ) इस मामले में क्या कारंवाई की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, एक।

(ख) आग लगने के किसी निश्चित कारण का पता नहीं लग सका।

(ग) कोई हानि नहीं हुई।

(घ) अग्नि सुरक्षा के उपायों को और कठोर बना दिया गया है।

कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन

2928. **डा० बी० सिलवेरा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयास की पृष्ठभूमि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) इस बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं और वेतनादि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस बोर्ड का संवैधानिक दर्जा क्या है; और

(च) इस बोर्ड के कार्यों का ब्यौरा क्या है; तथा इस बोर्ड के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि पूर्व कापीराइट बोर्ड की अवधि 31-3-1989 को समाप्त हो गई थी, इसलिए सरकार ने 31-3-1994 तक की अवधि के लिए दिनांक 8-5-1990 की अधिसूचना संख्या एल० एस० ओ० 371 (ई) द्वारा कापीराइट बोर्ड को पुनर्गठित किया है, बोर्ड का गठन निम्न रूप में है—

1. श्री पी० बी० वेंकटासुब्रह्मणियम	—	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव कापीराइट प्रभारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग,	—	सदस्य
3. संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) भारत सरकार	—	सदस्य

4. विधि सचिव तमिलनाडु	—	सदस्य
5. विधि सचिव बिहार सरकार	—	सदस्य
6. विधि सचिव केरल सरकार	—	सदस्य
7. सचिव विधि एवं संसदीय कार्य मेघालय सरकार	—	सदस्य
8. सचिव विधि विभाग गुजरात सरकार	—	सदस्य
9. विधि सचिव जम्मू और कश्मीर सरकार	—	सदस्य

(ग) कापीराइट अधिनियम के अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार एक बोर्ड का गठन करेगी जो कापीराइट बोर्ड कहलाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और कम दो और अधिक से अधिक आठ अन्य सदस्य होंगे। कापीराइट बोर्ड का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हैं।

बोर्ड में राज्य के विधि सचिवों को नियुक्ति में पिछली प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। क्षेत्रीय पहलुओं और पूर्व बोर्डों में राज्य के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) इस समय अध्यक्ष को नियमों के अंतर्गत उनको अनुमत्य यात्रा एवं दैनिक भत्ते सहित एक मानदेय राशि के रूप में 2,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होता है। उनको आने निजी सहायक और चपरासी के लिए 600 रुपये प्रति माह तक कार्यालय खर्चा भी प्राप्त होता है। कापीराइट बोर्ड के सदस्यों को कापीराइट बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए संबंधित राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें प्रदत्त यात्रा एवं दैनिक भत्ते के अतिरिक्त मानदेय राशि के रूप में 200 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होते हैं।

(ङ) कापीराइट बोर्ड कापीराइट अधिनियम, 1957 के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत स्थापित एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है और उक्त अनुच्छेद के प्रावधानों से अपना अधिकार प्राप्त करता है।

(च) अधिनियम के अंतर्गत कापीराइट बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) कापीराइट अधिनियम के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्धारण अर्थात क्या किसी कृति की पर्याप्त प्रतियां, अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अर्थ में ''प्रकाशन'' संस्थापित करने के लिए जारी की गई हैं या क्या कोई कृति अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत में प्रथम प्रकाशित समझा जा सकता है।

(ii) अधिनियम के अनुच्छेद 19-क के अन्तर्गत कापीराइट के कार्य के विषय में विवादों का निर्धारण।

(iii) अनुच्छेद 23 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत जहां अपेक्षित हो छद्मनाम इत्यादि कृति के लेखक की पहचान सिद्ध करना।

(iv) अनुच्छेद 31 या 31-क के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस का आदेश देने का अधिकार।

(v) अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अनुवाद के लिए लाइसेंस देने का अधिकार।

(vi) अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कृतियों की पुनर्रचना और प्रकाशन का लाइसेंस देने का अधिकार।

(vii) अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कार्य कर रही अधिकार समितियों के प्रकाशित विवरणों की आपत्तियों का निर्धारण।

(viii) अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कापीराइट के रजिस्टर के संशोधन के आदेश का अधिकार।

(ix) अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कापीराइट रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई का अधिकार।

कापीराइट रजिस्टार का कार्यालय बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

बोफोर्स तोपों के लिए गोला-बारूद

2929. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोफोर्स तोपों के लिए गोला-बारूद उपलब्ध न होने के कारण एक विकट स्थित उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की सुरक्षा

[हिन्दी]

2930. **श्री भृगु भूषण तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना मासिक व्यय किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अधिकांश विश्वविद्यालयों ने कुलपति के कार्यालय और आवास पर तथा उनके गमनागमन के दौरान देखभाल/सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय और विश्व

भारती के कुलपतियों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गए हैं जिनका खर्चा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

बिहार में विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

2931. **श्री योगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री** बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए समान संहिता के बारे में 7 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7677 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन-किन विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक सत्र, परीक्षाएं, परीक्षा परिणाम और प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाने आदि के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उत्तर भेज दिया है और मुख्य मुद्दों पर भेजे गए उत्तरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा परीक्षा, न्यूनतम शिक्षण दिवसों और समय निर्धारण के बारे में दिए गए सुझावों के अनुसार विश्वविद्यालयों, विशेषकर बिहार के विश्वविद्यालयों, द्वारा वर्ष 1990-91 के वर्तमान शैक्षिक सत्र से क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध किन-किन कालेजों को पुस्तकालय और अन्य विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) बिहार राज्य में स्थित नौ विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली दो संस्थाओं में से पांच विश्वविद्यालयों अर्थात् भागलपुर, मगध, राजेन्द्र, कृषि, रांची और भारतीय खनन विद्यालय ने कार्य दिवसों की संख्या और उस अवधि, जिनके दौरान विभिन्न छुट्टियों के कारण विश्वविद्यालय बंद रहे, के संबंध में सूचना भेजी है। विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई सूचना के ब्यौरों की जांच की जा रही है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न्यूनतम शिक्षण दिवस, शैक्षिक सत्र के प्रारंभ, परीक्षाओं के आयोजन की तिथियों आदि सहित उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के विषय में केवल मानदंडों का सुझाव दे सकता है । चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय हैं, यह उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है कि वे इसे अपनी संविधियों/अध्यादेशों में समाविष्ट करें और इसका पालन करें।

(ग) एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय से संबद्ध 65 कालेजों की सूची, जिन्हें आयोग द्वारा सातवीं योजना में वित्तीय अनुदान दिए गए हैं, विवरण के रूप में संलग्न है। के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का कोई भी कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं ।

विवरण

क्र० सं०	कालेज का नाम
1.	ए० पी० सिंह स्मारक कालेज, बरौनी (बेगुसराय)
2.	ए० एन० देवा कालेज, शाहपुर पटोरी
3.	अररिया कालेज, अररिया (पुर्णिया)
4.	भारत सेवक समाज कालेज, सुपौल (सहरसा)
5.	भारती मन्डा कालेज, रोहिका (मधुबनी)
6.	बाली राम भगत कालेज, समस्तीपुर
7.	सी० एम० कालेज (कला एवं वाणिज्य) दरभंगा
8.	सी० एम० विज्ञान कालेज (विज्ञान एवं विधि), दरभंगा
9.	चन्दरमुखी भोला कालेज, देवरह, घोघंदिया (मधुबनी)
10.	कापरेटिव सांध्य कालेज, बेगुसराय
11.	चेथरू मेहतू जनता महाविद्यालय, दोन्वरीहट खुटम्ना, जिला मधुबनी
12.	दर्शन साह कालेज, कटिहार
13.	डा० लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास कालेज, तेजपुर, समस्तीपुर
14.	दलश्रृंगार बालदेव कालेज, जयनगर (मधुबनी)
15.	दीवान बहादुर कामेश्वर नारायण कालेज, नरहन (समस्तीपुर)
16.	फारबेसंगज कालेज, फारबेसगंज, पूर्णिया
17.	जी० डी० कालेज, बेगुसराय
18.	गद्दी महन्थ रामेश्वर दास कालेज, माहनपुर (समस्तीपुर)
19.	रमेश झा महिला महाविद्यालय, सहरसा (बिहार)
20.	गौरे लाल मेहता कालेज, बनमन्खी (पुर्णिया)
21.	हरिहर साहा कालेज, उदा किशनगंज (सहरसा)
22.	हर्षपति सिंह कालेज, मधेपुर (मधुबनी)
23.	जगदीश नन्दन कालेज, मधुबनी
24.	जनता काशी महाविद्यालय, बिरौल, दरभंगा
25.	जगा नन्द कालेज, नेहरा (दरभंगा)
26.	के० पी०, मुरलीगंज, जिला मधपुरा

क्र० सं०	कालेज का नाम
27.	कालीदास विद्यापति विज्ञान कालेज, उच्चैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी (बिहार)
28.	कुंवर सिंह कालेज, लहरी सराय, दरभंगा
29.	ललित नारायण कालेज, झंझारपुर (मधुबनी)
30.	ललित नारायण मिश्र स्मारक कालेज, बीरपुर
31.	महाराजा हरी वल्लभ स्मारक कालेज, सोनवरसा
32.	महाराजा लक्ष्मी शेर सिंह कालेज, सारीसबपट्टी, मधुबनी
33.	महारानी कल्याणी महाविद्यालय, लहरीसराय
34.	महाकवि कालीदास स्मारक महाविद्यालय, त्रिमुहन चन्दौना (बिहार)
35.	एम० आर० महिला महाविद्यालय, दरभंगा
36.	एम० एल० जलोका स्मारक महिला कालेज, कैथर (पुर्णिया)
37.	मारवाड़ी महाविद्यालय, दरभंगा
38.	मारवाड़ी कालेज, किशनगंज (पुर्णिया)
39.	मिलट कालेज, लहरीसराय (दरभंगा)
40.	मुन्शीलाल आर्य कालेज, कस्बा (पुर्णिया)
41.	निर्मली कालेज, निर्मली (सहरसा)
42.	नेहरू कालेज, शराफत नगर, पो० ओ० बहादुरगंज
43.	पुर्णिया कालेज, पुर्णिया
44.	पुर्णिया महिला महाविद्यालय, पुर्णिया
45.	राधनारायण कालेज, पन्डवाल (मधुबनी)
46.	राम निरीक्षण आत्मा राम कालेज, समस्तीपुर
47.	राम आश्रम बालेश्वर कालेज, दलसिंह सराय
48.	राम चरित्र सिंह कालेज, मन्झौल (बेगुसराय)
49.	राम बहादुर सिंह कालेज, अन्दौर मोहिन्ददीन नगर, समस्तीपुर
50.	राम कृष्ण कालेज, मधुबनी
51.	रामदेव शारदा महाविद्यालय, सलमरी (पुर्णिया)
52.	श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय, बेगुसराय
53.	सहरसा कालेज, सहरसा
54.	समस्तीपुर कालेज, समस्तीपुर
55.	ठाकुर प्रसाद कालेज, माधोपुरा

क्र० सं०	कालेज का नाम
56.	उदयनाचार्य रोसेरा कालेज, रोसेरा (समस्तीपुर)
57.	उमा पांडेय कालेज, पूसा
58.	महिला कालेज, समस्तीपुर
59.	बी० एम० ए० कालेज, बिहारी, दरभंगा, बिहार
60.	बी० एस० जे० कालेज, राजनगा, पो० ओ० राजनगर
61.	आर० एम० एम० विधि कालेज, सहरसा (बिहार)
62.	पर्वती विज्ञान कालेज, मधीपुरा, पो० ओ० जिला मधीपुरा
63.	बी० एन० एम० वी० कालेज, साहागढ़
64.	एस० एन० एस० आर० के० एस० कालेज, सहरसा (बिहार)
65.	एम० एल० एस० एम० कालेज, दरभंगा।

नई युवा नीति

2932. श्री बी० एम० रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोई नई युवा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नीति की घोषणा कब तक की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) एक नई युवा नीति तैयार की जा रही है तथा अंतिम रूप देने के बाद घोषित की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केरल में विश्वविद्यालयों को दी गई वित्तीय सहायता

2933. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में विश्वविद्यालयों द्वारा अभी भी स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं; और

(ग) क्या स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए कार्य कर रहे अध्यापकों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान दिये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान वर्ष दर वर्ष के आधार पर न देकर

पंचवर्षीय योजना के आधार पर आबंटित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार 7 वी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित अनुदान प्रदत्त किए गए थे :—

(रु० लाख में)

विश्वविद्यालय का नाम	7वीं योजना में दिए गए अनुदान
कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	205.47
कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन	347.03
केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	381.98
गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	53.85

गांधी जी विश्वविद्यालय केवल वर्ष 1988-89 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के योग्य हुआ था।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना कार्यान्वित करने के लिए केरल सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सेवारत कालेज अध्यापकों को, योजना के अंतर्गत आने वाले 52% अध्यापकों तथा योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले 48% अध्यापकों के रूप में विभाजित किया जाएगा। सभी कालेज अध्यापक जो स्थायी पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त किए गए है और 48% के अतर्गत आते हैं तथा जो 1-1-86 को सेवा में थे, वि० अनु० आ० योजना के अंतर्गत शर्तों पर आठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर 1-4-1990 से वि० अनु० आयोग वेतनमानों के अनुसार वेतनलाभों के लिए पात्र होंगे।

तातीपाका, आन्ध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का गैस संग्रह और प्रसंस्करण केन्द्र

2934. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में तातीपाका में गैस संग्रह प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना करने हेतु सशर्त मंजूरी प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना में निकट के तेल/गैस के कुओं से पाइपलाइन के जरिए गैस जमा करने और उसके प्रसंस्करण के पश्चात् औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्लाई करने की परिकल्पना की गई है। प्रस्ताव की जांच कर ली गई और प्रस्तावित कार्यों का पर्यावरण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। पर्यावरणीय सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के लिए पर्याप्त परिव्यय मुहैया कर दिया गया है।

जामा मस्जिद, दिल्ली के रख-रखाव पर किया गया खर्च

2935. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष मई में जामा मस्जिद, दिल्ली में पुरातत्व की महत्व की वस्तुओं के रखरखाव के लिए पैंतालीस लाख रुपये मंजूर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि को मंजूर करने का क्या प्रयोजन है और इस संबंध में अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) अप्रैल, 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मुख्य रूप से आंगन के बलुआ पत्थर के फर्श को बदलने और चरणबद्ध रूप में शुरू की जाने वाली अन्य कार्य-मदों के लिए 32.30 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि स्वीकृत की गई है। कार्य प्रगति पर है।

पश्चिम बंगाल के गिरिडीह जिले में प्रदूषण रोकने के प्रयास

[हिन्दी]

2936. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरिडीह जिले के उप-मंडल वर्गों में रहने वाले लोगों पर सी० सी० एल० की दर्जनों कोयला खानों, दामोदर घाटी निगम के तीन ताप विद्युत संयत्रों और इस क्षेत्र में अनेक कारखानों द्वारा उत्पन्न औद्योगिक प्रदूषण का अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जनवरी, 1990 से अब तक वायु प्रदूषण और अन्य औद्योगिक प्रदूषण विशेष रूप में दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुर ताप विद्युत संयंत्र द्वारा फैलने वाले औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में इस बारे में कुछ प्रभावी कदम उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) परिवेशी वायु में धूल कणों की सांन्द्रता निर्धारित सीमाओं से अधिक पाई गई है।

(ख) सरकार ने कोयले की खानों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं जो जनवरी, 1990 से कार्यान्वित होंगे :

(1) सभी ड्रिल मशीनों में धूल संग्रहण एवं निपटान यूनिटों की व्यवस्था की जानी है।

(2) वेट ड्रिल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

(3) विस्फोट के लिए बनाये जाने वाले छेदों को उचित स्थान पर बनाया जाएगा।

(4) विस्फोट करने से पूर्व विस्फोट वाली जगह को पूरी तरह से गीला कर दिया जायेगा।

(5) जिन सड़कों पर दीर्घकाल तक वाहनों का आवागमन होता है उन्हें पक्का बना दिया जाना चाहिए। यदि उनको पक्का नहीं किया जा सकता है तो उन पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।

(6) खदानों के बाहर सड़कों के दोनों ओर पेड़ों की बाढ़ लगाई जानी चाहिए।

(7) जिन स्थानों पर अतिभार के ढेर हों उनका सुधार किया जाना चाहिए।

डी० वी० सी० के चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र की सभी यूनिटों में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर्स की स्थापना के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है।

अन्य उद्योगों से निर्धारित उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों का अनुपालन करने को कहा गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कांजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडे

[अनुवाद]

2937. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जून मास के अन्त तक कांजीरंगा नेशनल पार्क में कितने गेंडे थे;

(ख) इस पार्क में गत वर्ष चोरी-छिपे किये गये शिकार की घटनाओं में कितने गेंडे मारे गए; और

(ग) चोरी से शिकार करने वाले कितने लोग गिरफ्तार किए गए और इस मामले में अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इस समय लगभग 1250 गैंडे हैं।

(ख) और (ग) असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1989 में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चोरी छिपे शिकार करने वालों द्वारा 44 गैंडे मारे गए। 1989 से अब तक चोरी छिपे शिकार की घटनाओं के संबंध में 61 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में मामले दर्ज कराए गए हैं जो इन मामलों की जांच कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर चोरी-छिपे शिकार रोधी उपायों को भी मजबूत बनाया गया है।

उच्च शिक्षा के लिए राजसहायता

[हिन्दी]

2938. **श्री मंजय लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा के लिए राजसहायता में कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण शिक्षा पर कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की गई है;

(ग) व्यय की जा रही धनराशि में राजसहायता के रूप में कितने प्रतिशत राशि दी जा रही है; और

(घ) सरकार का इस राजसहायता को अब किस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) सरकार को उच्च शिक्षा के लिए निधियों की बढ़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत संसाधन उत्पन्न करने की आवश्यकता के संबंध में विभिन्न वर्गों द्वारा दिए गए सुझाव की जानकारी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा पर खर्च की गई कुल राशि का लगभग 11% शिक्षा पर खर्च किया गया था।

(ग) और (घ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्वविद्यालयों पर होने वाले व्यय का लगभग 70% सरकारी स्रोतों से खर्च किया जाता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों से अनुदानों का भुगतान संबद्ध बजट शीर्षों के अन्तर्गत किया जाता है।

प्राचीन धार्मिक स्थलों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

2939. **श्री जे० पी० अग्रवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राचीन मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों इत्यादि संरक्षण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने का विचार है, जैसा कि दिल्ली की जामा मस्जिद को दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) स्मारक के साम्प्रदायिक स्वरूप जैसे मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के आधार पर कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। आवश्यकता के अनुसार, पुरातत्वीय मानदण्डों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्मारकों के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए धनराशियां आबंटित की जाती हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जामा मस्जिद के लिए किसी व्यक्ति या एजेंसी को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया है और इसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्वयं किया जा रहा है।

पंजाब में गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान

2940. **श्री बाबा सुच्चा सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और चण्डीगढ़ में गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या इन संस्थानों को संचालित करने के लिए कोई कानून हैं;

(ग) इनमें नियुक्त स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित और गैर-प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा कितना न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है और मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त स्कूलों की तुलना में इन्हें कितना वेतन दिया जाता है; और

(ङ) इन संस्थानों के अधिग्रहण करने अथवा इन्हें संचालित करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर प्रदूषण नियन्त्रण उपाय

2941. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर हुए प्रदूषण प्रभाव और उसे रोकने के संभावित उपायों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) इस समय अत्यधिक प्रदूषित तीर्थ स्थलों/शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें प्रदूषण रहित बनाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री मोलमणि राउतराय) : (क) जी, हां, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुंभ मेले के अवसर पर जनसमूह द्वारा स्नान करने के दौरान अप्रैल, 1980 के हरिद्वार और जनवरी, 1982 में इलाहाबाद में गंगा नदी के प्रदूषण स्तरों का अध्ययन किया था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी, 1983 में गंगासागर में प्रदूषण स्तर का अध्ययन किया था। सितम्बर, 1987 में "सूर्य ग्रहण मेले" के दौरान कुरुक्षेत्र में ब्रह्म-सरोवर के प्रदूषण का भी अध्ययन किया गया था।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन विभिन्न केन्द्रों की निगरानी की गई थी उनमें से हरिद्वार में 1980 के कुंभ मेले के दौरान गंगा को जनसमूह द्वारा स्नान करने के कारण सबसे अधिक प्रदूषित पाया गया।

(ग) हरिद्वार में गंगा में जाने वाले गंदे जल को रोक कर नदी का जल गुणवत्ता के सुधार करने के उद्देश्य से उस जल को गंगा कार्य योजना के तहत स्थापित शोधन संयंत्र में परिवर्तित किया गया।

कानपुर छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण

2942. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **रक्षा मन्त्री** कानपुर छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के बारे में 7 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7671 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राधिकारियों ने महात्मा गांधी पार्क में रक्षा विभाग की भूमि पर अनधिकृत निर्माण रोकने हेतु कोई नोटिस जारी किए हैं अथवा कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भूमि पर किस तरह के अनधिकृत निर्माण किए गए ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) महात्मा गांधी पार्क में रक्षा भूमि पर अवैध निर्माण का कोई मामला नहीं देखा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परती भूमि विकास कार्यक्रम

2943. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती भूमि विकास कार्यक्रम को आरम्भ किये जाने के पांच वर्ष बाद भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) अब तक अनुमानतः कितने हैक्टेयर भू-क्षेत्र को हरा भरा बनाया गया है; और

(ग) परती भूमि के विकास पर अब तक अनुमानतः कितना खर्च किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) परती भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1985 में प्रारम्भ किया गया था। विगत पांच वर्षों के दौरान, कार्यक्रम में वनीकरण और वृक्षारोपण पर बल दिया गया। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की एक मद के रूप में अनुवीक्षित वर्ष प्रगति व व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	लक्ष्य (क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में)	उपलब्धियां	व्यय (करोड़ रुपये में)
1985-86	1.45	1.50	398.84
1986-87	1.71	1.74	455.08
1987-88	1.80	1.77	477.46
1988-89	2.00	2.11	588.36
1989-90	1.68	1.71	504.11*

*परिव्यय

शंकर नगर में नवोदय विद्यालय का निर्माण कार्य

2944. **डा० वेंकटेश काबड़े** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नान्देड जिले में शंकर नगर के नवोदय विद्यालय के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्माण एजेन्सी ने कार्य को एक ठेकेदार को सौंपा था जिसने उसे समय

सीमा पर पूरा नहीं किया। कार्य को मार्च, 1991 तक पूरा करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

दमोह में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

2945. **श्री लोकेन्द्र सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दमोह में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में दमोह के जिलाधीश का प्रस्ताव भेजा है जिसमें विद्यालय के लिए एक बड़े भवन और काफी बड़ा भू-क्षेत्र देने की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव कब मिला था; आर

(ग) प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्रस्ताव 27-6-1989 को प्राप्त हुआ था।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के अधिकारियों का एक दल शीघ्र ही उस जगह जाएगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय विद्यालय को खोलने के लिए निर्णय तत्पश्चात लिया जाएगा।

विमान द्वारा बीजों की बुआई कार्यक्रम

2946. **श्री लोकेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विमान द्वारा बीजों की बुआई कार्यक्रम प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से 1988-89 से हवाई बीजारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और वर्ष 1988-89 से 1989-90 की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 19266 हैक्टेयर क्षेत्र पर कार्य पूरा किया गया है। चालू वर्ष अर्थात् 1990-91 के लिए 20,000 हैक्टेयर में कार्य पूरा करने के लिए 200 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की बीहड़ सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत भी हवाई बीजारोपण किया जा रहा है।

रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा अग्निशमन उपकरणों की खरीद

2947. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** अग्निशमन उपकरणों की खरीद के बारे में 2 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3218 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों तथा स्थापनाओं द्वारा, आग लगाने की घटनाओं की पुनरा-

वृत्ति रोकने के लिए केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा स्वीकृत अग्नि रक्षक में दरवाजे और खिड़कियां नहीं लगाए जा रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे उपकरण देश में अभी तक उपलब्ध नहीं हैं और सरकार को समय-समय पर इनका आयात करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन फर्मों और मूल रूप से सबंधित देशों के नाम क्या हैं जहां से इनका आयात किया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक

2948. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **प्रधान मन्त्री** कानपुर स्थित फील्ड गन फैक्टरी में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक के बारे में 2 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फील्ड गन फैक्टरी में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक कार्यरत हैं जो उसी पद पर कार्य कर रहे हैं जिस पद पर उनकी लगभग 10 वर्ष पूर्व भर्ती हुई थी;

(ख) आयुध कारखाना बोर्ड, कलकत्ता द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद उनके बारे में पदोन्नति संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जाता; और

(ग) यदि हां, तो इस फैक्टरी में विभिन्न पदों पर कार्यरत ऐसे भूतपूर्व सैनिकों संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) उनतीस ।

(ख) पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में भूतपूर्व सैनिकों को एक ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति देने के लिए किसी भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

द्वीप समूह विकास प्राधिकरण

2949. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवर्तमान द्वीप समूह विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था;

(ख) क्या यह प्राधिकरण योजना आयोग के अंतर्गत कार्य कर रहा था;

(ग) क्या इसे बंद कर दिया गया है अथवा पुनर्गठित किया गया है अथवा कुछ अपरिहार्य कारणों से इसका गठन विलंब से किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) अगस्त, 1986 ।

(ख) द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण को योजना आयोग द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) और (घ) संगठनात्मक प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तित करने से सम्बद्ध प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकों को अद्यतन बनाना

2950. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य पुस्तकों को समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें अद्यतन बनाते समय किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है तथा पुस्तकों को कितनी अवधि के बाद अद्यतन बनाया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) रा० शै० अ० प्र० परि० की पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन बनाने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है :

(i) वास्तविक सूचना में परिवर्तन जो स्कूल पाठ्य विवरण में शामिल किये गये विषयों में होते हैं।

(ii) कुछ विषयों में नए विकास, जिनसे पाठ्यपुस्तकों की विषय सूची में परिवर्तन करना आवश्यक है।

रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों को पुनर्मुद्रित करने से पहले उनको प्रति वर्ष अद्यतन बनाया जाता है।

ऐलीफेंटा गुफाओं का रखरखाव

2951. **श्री मनोरंजन भक्त** :

श्री इरा अन्बारासु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं शताब्दी की ऐलीफेंटा गुफाओं की हालत उचित रखरखाव के अभाव में शोचनीय स्थिति में है :

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) इन गुफाओं के रखरखाव पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन गुफाओं पर प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त वार्षिक धनराशि की तुलना में कितनी धनराशि प्रतिवर्ष इसके रखरखाव पर खर्च की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐलीफेंटा गुफाओं के संरक्षण और अनुरक्षण पर हुए व्यय और गुफाओं में प्रवेश शुल्क के रूप में इकट्ठी की गई धनराशि इस प्रकार है —

	व्यय	प्रवेश शुल्क
1987-88	1.60 लाख रुपये	1,03,429.58 रुपये
1988-89	3.00 लाख रुपये	1,28,122.00 रुपये
1989-90	1.72 लाख रुपये	1,51,100.00 रुपये

आठवीं योजना हेतु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक समूहों के साथ बैठक

2952. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना तैयार करने के संबंध में जून, 1990 में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक समूहों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ कोई बैठक की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक दलों के साथ आयोजित बैठकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा व्यावसायिक दलों के साथ आयोजित बैठकों का ब्यौरा

दिनांक	दल
13.6.1990	स्वैच्छिक संगठन, पंचायतें, निगम, उपभोक्ता समूह
14 6.1990	कृषि
15.6.1990	उद्योग एवं व्यापार
16 6.1990	अर्थशास्त्री एवं समाज वैज्ञानिक
21.6.1990	खादी तथा ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, पावरलूम तथा नारियल जटा
22.6.1990	हथकरघा, हस्तशिल्प रेशम उद्योग
23.6.1990	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

दिनांक	दल
25.6.1990	पर्यावरण
27.6.1990	संचार
28.6.1990	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
29.6.1990	स्वास्थ्य
30.6.1990	परिवार कल्याण
2.7.1990	कला तथा संस्कृति एवं युवा कार्य और खेलकूद
3.7.1990	शिक्षा
5.7.1990	श्रम
6.7.1990	जल संसाधन
7.7.1990	महिला-विकास
9.7.1990	आवास/शहरीकरण

संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा वनरोपण

[हिन्दी]

2953. **श्री शंकर सिंह वघेला** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : संयुक्त क्षेत्र अथवा सरकारी कम्पनियों का वनरोपण के लिए वन क्षेत्र उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं और, जहां वन क्षेत्र का उपयोग वन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है वहां नए पौधे लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक समझे जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार वन क्षेत्र में वनरोपण कार्य करने के लिए किसी ऐसे प्राधिकरण, निगम, एजेंसी अथवा अन्य संगठन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसका प्रबन्ध अथवा नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। जिन क्षेत्रों में वन प्रयोजन के लिए वन क्षेत्र को उपयोग में नहीं लाया जाना हो वहां नई पौधरोपण करने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक समझी जाती है क्योंकि बाद में ऐसे क्षत्र पर पुन: वन लगाए जाने होते हैं और उसे वानिकी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना होता है। चाय, काफी रबड़ आदि की पौधरोपण करना वनेत्तर प्रयोजन के लिए वन भूमि को उपयोग में लाना माना जाएगा जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होती है।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, तलोजा सावे फोरम से अभ्यावेदन

[अनुवाद]

2954. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, तलोजा सावे फोरम, तलोजा (महाराष्ट्र) ने जे० सी० टी०—एन० ई० जी० के ब्लैक एंड व्हाइट टी० वी० ग्लास शेल बनाने के प्रस्ताव को

नामंजूर करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को 24 अप्रैल, 1990 को कोई अभ्यावेदन भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) तलोजा स्थित "भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, तलोजा सेव फोरम" ने अभ्यावेदन में सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह ब्लैक एंड ह्वाइट टेलीविजन के ग्लास शेलों के उत्पादन के लिए मैसर्स जे० सी० टी० इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और इसके जापानी सहयोगी मैसर्स "नेग" से एक यूनिट स्थापित करने के बारे में प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार न करें क्योंकि यह भारत इलेक्ट्रोनिक्स के हितों के विरुद्ध होगा। यह भी सुझाव दिया गया है कि "नेग" से जब ऐसा कोई प्रस्ताव आए तो उन्हें यह सलाह दी जाए कि वह तलोजा यूनिट में रंगीन पिक्चर ट्यूबों की प्रौद्योगिकी के विस्तार/स्थापना के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करें।

उपर्युक्त संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्लैक एंड ह्वाइट टेलीविजन की ग्लास शेलों के निर्माण के लिए जापान की "नेग" फर्म के साथ विदेशी सहयोग हेतु जे० सी० टी० इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव होता है तो इस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा। यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समय भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की तलोजा यूनिट की क्षमता बढ़ाने या वहां रंगीन ग्लास प्रौद्योगिकी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार इस कार्य के लिए जापान की फर्म मैसर्स "नेग" या किसी अन्य विदेशी सहयोगी फर्म के साथ कम्पनी द्वारा संयुक्त उद्यम लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

एकीकृत ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम

2955. **श्री डी० अमात :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु देश के किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा और बिहार के किसी जिले का चयन करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम का सातवीं योजना के अन्त तक चण्डीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्र राज्यों में विस्तार किया जा चुका है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम में खण्ड स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना तथा परियोजनाओं को तैयार करना शामिल है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों, परम्परागत और-परम्परागत, पर अत्यधिक लागत प्रभावी ढंग के रूप में ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विचार होता है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा में 5 खण्डों तथा बिहार में 7 खण्डों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये हैं :

उड़ीसा	बिहार
1. काशीपुर (जि० कोरापुट)	1. धनरूआ (जि० पटना)
2. बसपाल (जि० कियोंझर)	2. नामकम (जि० रांची)
3. जतनी (जि० पुरी)	3. विजयपुर (जि० गोपालगंज)
4. कोकासारा (जि० कालाहांडी)	4. भवानीपुर (जि० पूर्णिया)
5. मुरादा (जि० मयूरमंज)	5. जगन्नाथपुर (जि० सिंहभूम)
	6. इमामगंज (जि० गया)
	7. गोपीकंडार (जि० दुमका)

पेय जल की गुणवत्ता पर आई० टी० आर० सी० द्वारा अनुसंधान कार्य

2956. **श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टाक्सिकोलॉजी रिसर्च सेन्टर, लखनऊ द्वारा पिछले अनेक वर्षों से पेय जल की गुणवत्ता के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है और यदि हां, तो गंगा कार्य योजना के लिए कार्यरत जी० ई० आर० यू० डायरेक्टर्स लेबोरेट्रीज द्वारा और तकनीकी मिशन के अंतर्गत किए गए अध्ययन तथा मूल्यांकन की मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इन यूनिटों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई संयुक्त बैठक हुई थी तो पिछली बैठक कब हुई थी;

(ग) क्या इंडियन टाक्सिकोलाजी रिसर्च सेन्टर का निदेशक इस परियोजना का कोआर्डीनेटर भी हैं; और

(घ) क्या निदेशक ड्यूटी के अलावा लखनऊ से अन्यत्र अपनी किसी अन्य अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का प्रभारी भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन): (क) पेय जल मिशन के एक हिस्से के रूप में आई० टी० आर० सी० और सी० एस० आई० आर० की अन्य प्रयोगशालाओं ने पेय जल गुणवत्ता का अध्ययन किया था। किये गये प्रेक्षणों की मुख्य विशेषता यह है कि जी० ई० आर० यू० में किये गये अध्ययन में जल स्रोतों के रासायनिक प्रदूषण की कोई

प्रमुख समस्या नहीं है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत से नमूनों में बैक्टीरियोलोजीकल प्रदूषण है।

(ख) जी, हां। कार्य सबंधी कार्यक्रम का समन्वयन और जांच करने के लिए संबंधित दलों की बहुत-सी बैठकें हुई हैं। इस संबंध में पिछली बैठक दिनांक 14-5-90 को हुई थी।

(ग) इस परियोजना सहित आई० टी० आर० सी० में शुरू किए गए समस्त बहुविषयक अध्ययनों/कार्यक्रम के लिए, निदेशक, आई० टी० आर० सी० सुचारू और प्रभावकारी अन्तःक्रिया (घनिष्ट संबंधों) के लिए कार्यकलापों (गतिविधियों) का समन्वयन करते हैं।

(घ) निदेशक, आई० टी० आर० सी० स्वयं निरोधात्मक आविषालुता विज्ञान, इम्यूनो बायोलोजी तथा पर्यावरणीय सूक्ष्म जैविकी संबंधी अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के प्रभारी हैं।

केन्द्रीय आयुध कारखानों में चोरी/हेराफेरी के मामले

[हिन्दी]

2957. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध कारखाने में हाल ही में चोरो और हेराफेरी के गंभीर मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में इन घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

[अनुवाद]

2959. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए कितनी पनबिजली और ताप विद्युत परियोजनाएं विचाराधीन हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं और इन्हें स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) कोई जल विद्युत परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं है। पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित आठ ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) उन सभी मामलों पर, जिनके बारे में पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं, निर्णय अधिकतम 3 माह की अवधि के भीतर ले लिया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लंबित पड़े रहने के कारण
1.	गोदावरी गैस आधारित परियोजना—800 मेगावाट (आंध्र प्रदेश)	भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरी के मानदंड के अनुसार परियोजना का स्थान दोबारा निर्धारित किया जाएगा।
2.	मैथन राइट बैंक थर्मल पावर स्टेशन—2×210 मेगावाट (बिहार)	वन भूमि के उपयोग के लिए प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
3.	उत्तरी करनपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना—2×500 मेगावाट (बिहार)	पुनर्वास, वायु प्रदूषण नियंत्रण आदि पर विस्तृत योजनाएं प्रतीक्षित हैं।
4.	मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स का कैप्टिव पावर प्लांट—2×25 मेगावाट (कर्नाटक)	
5.	ट्राम्बे में गैस आधारित पावर प्लांट—1×180 मेगावाट (महाराष्ट्र)	
6.	गोविन्दवाल थर्मल पावर स्टेशन 2×210 मेगावाट (पंजाब)	
7.	रिहंद सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण—21000 मेगावाट (उत्तर प्रदेश)	फलाइ ऐश के निपटान तथा वन भूमि की आवश्यकता से संबंधित ब्यौरे प्रतिक्षित हैं।
8.	बालागढ़ थर्मल पावर परियोजना 3×210 मेगावाट (पश्चिम बंगाल)	

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों और कार्यपालकों को महंगाई भत्ता

2960. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

श्रीमती बेन्नुप्रति सिन्हा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन उद्यमों के कर्मचारियों और कार्यपालकों को महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को निपटाने के लिए त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता निर्धारित समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ङ) क्या निश्चित समयावधि के भीतर अपने निष्कर्षों को अंतिम रूप देने हेतु इस समिति को कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालक केन्द्रीय सरकार/बैंकिंग क्षेत्र के पैटर्न पर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति में शामिल मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्लैब आधार पर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र सरकार द्वारा गठित त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति के विचाराधीन है तथा इस समिति की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय कार्यपालकों पर समान रूप से लागू होगा।

(घ) समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र के अन्तर्गत शासित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों पर लागू वर्तमान महंगाई भत्ता सूत्र की समीक्षा करना तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए वर्तमान सूत्र की जगह, उपयुक्त महंगाई भत्ता सूत्र की सिफारिश करना।

(2) ऐसे महंगाई भत्ता सूत्र की सिफारिश करते समय यह ध्यान रखना है कि सरकारी क्षेत्र — चाहे वह केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों का हो —की संसाधन स्थिति पर, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर, अन्य महंगाई भत्ता सूत्र द्वारा शासित उपक्रमों अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों—चाहे वे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र अथवा संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र के हों—के कर्मचारियों पर, असंगठित औद्योगिक कामगारों पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कामगारों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है।

(3) प्रशासनिक सुविधा तथा अभिलेख रखने संबंधी सरलीकरण को देखते हुए इस तथ्य की जांच करना कि क्या महंगाई भत्ता परिशोधन का अन्तराल, जो इस समय तिमाही आधार पर किया जाता है, को बदला जाना चाहिए।

(ङ) और (च) त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति द्वारा 31 अगस्त, 1990 तक अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्रमिकों को दी गई अंतरिम राहत की वसूली

2961. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक सरकारी उपक्रमों, जैसे एफ० ए० सी० टी०, कोचीन में दीर्घावधि वेतन संबंधी समझौते के अन्तर्गत 1986 के कलेन्डर वर्ष के लिए श्रमिकों को दी गई अंतरिम राहत राशि वापस ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय सरकार और केन्द्रीय कर्मचारी संघ के साथ हुए

समझौते की उस भावना के विपरीत है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि श्रमिकों को अंतरिम राहत दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों को उनके वेतनमानों में संशोधन किए जाने में विलम्ब हो जाने के कारण 1-1-1986 से अन्तरिम सहायता की स्वीकृति दी गई थी। चूंकि अलग मजूरी समझौतों द्वारा शासित होने वाले संघबद्ध कामगारों ने भी अन्तरिम सहायता के भुगतान की मांग उठाई थी, इसलिए औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधकों को सितम्बर, 1987 में 1-1-1986 से अन्तरिम सहायता स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया था। यह उन उपक्रमों पर लागू नहीं था, जहां पर विद्यमान मजूरी समझौता दिनांक 31-7-1987 को ही खत्म हो गया था। फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि० के मामले में कोई अन्तरिम सहायता स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि उनका मजूरी समझौता केवल 31-12-1987 को ही समाप्त हुआ था। वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान किया गया भुगतान अगले मजूरी समझौते को अंतिम रूप देते समय आंशिक रूप से वसूल कर लिया गया है।

नर्मदा नदी के जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए योजनाएं

2962. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी के जल को साफ करने तथा इसे प्रदूषित होने से रोकने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इसे कब पूरा किया जायेगा; और

(ग) उनमें से प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है तथा इसकी प्रारंभिक अनुमानित लागत कितनी है, और प्रत्येक परियोजना के पूरा होने पर इस पर कितनी लागत आयेगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) नर्मदा नदी की सफाई के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार एक कार्य योजना का कार्यान्वयन कर रही है। 52 स्कीमों के लिए कुल 401.60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

(ख) जून, 1990 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 52 स्कीमों में से 32 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं, 14 स्कीमें प्रगति पर हैं और बकाया 6 स्कीमें तैयार किये जाने के अन्तिम चरणों में हैं। इन कार्यों को दिसम्बर, 1991 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) जून, 1990 तक इन कार्यों पर 250.26 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इन स्कीमों के पूरा होने पर कुल कितनी राशि खर्च होगी इस समय यह नहीं बताया जा सकता।

कर्नाटक में आदिवासियों द्वारा वन भूमि का अनधिकृत कब्जा

2963. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर किये जा रहे अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिए अनेक उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है, तथा कर्नाटक में आदिवासियों द्वारा कितनी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है;

(ग) आदिवासियों से भूमि वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उन्हें बदले में भूमि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सफेदा वृक्षों के हानिकारक प्रभाव

2964. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सफेदा' वृक्षों के संबंध में किये गये अनुसंधान विकास तथा तत्संबंधी व्याख्याओं के आधार पर इन वृक्षों के पक्ष और विपक्ष में परस्पर एकदम विरोधी बातें कही गई हैं;

(ख) क्या कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश वन विभाग की प्रयोगशाला में यह पता लगा है कि "सफेदा" वृक्ष में बने प्रति जीव-पिंड (बायोमास) की जल की खपत विभिन्न अन्य प्रजातियों के वन वृक्षों के जीव-पिंडों के प्रति यूनिट की तुलना में कम है; और

(ग) क्या भारत और विदेशों में उपलब्ध इस विषय के आंकड़ों की गहन जांच की जायेगी तथा सभी संबंधित पक्षों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए जायेंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) भारत में आयोजित किए गए अनुसंधान और विकास अध्ययनों से पता चलता है कि हालांकि सफेदा प्रति पौध के आधार पर अधिकतम पानी सोखता है किन्तु यह जय की प्रति इकाई मात्रा पर अधिकतम बायोमास पैदा करता है। उत्तर प्रदेश वन विभाग के तहत वन अनुसंधान प्रयोगशाला, कानपुर द्वारा किए गए अध्ययनों से इस निष्कर्ष की पुष्टि हुई है। सफेदा के सम्बन्ध में उपलब्ध सभी अध्ययनों की विवेचनात्मक जांच की जाती है और उनके निष्कर्षों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में संशोधन

2965. **श्री शंकर सिंह बघेला** :
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :
श्री के० एस० राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उस सिद्धान्त के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है जिसके

आधार पर केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमानों और भत्तों में संशोधन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय उन सभी कार्यकारी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा जिन्हें औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न पर वेतन मिलता है; और

(घ) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) से (घ) ऐसी व्यापक परिसीमायें (पैरामीटर), जिनके आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर कार्यरत कार्यपालकों के वेतनमान संशोधित किए जा सकते हैं, 4 अप्रैल, 1990 को अधिसूचित कर दी गयी थी। ये परिसीमायें उसी तारीख को अधिसूचित, औद्योगिक महंगाई भत्ता दरों से सम्बन्धित थीं। चूंकि त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति को पुनः सक्रिय कर दिया गया है इसलिए ये परिसीमायें फिलहाल आस्थगित रखी गयी हैं। त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति का मौजूदा कार्यकाल 31-8-1990 तक है। औद्योगिक महंगाई भत्ता के संबंध में किया गया निर्णय औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न पर कार्यरत सभी कार्यपालकों पर लागू होगा ।

नेशनल पार्कों/अभ्यारण्यों में पर्यटकों द्वारा पारिस्थितिकी सन्तुलन का बिगाड़ना

2966. **डा० सुधीर राय** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 90 प्रतिशत नेशनल पार्क और 83 प्रतिशत वन्य प्राणी अभ्यारण्य अधिकृत रूप से पर्यटकों के लिए खुले हैं;

(ख) क्या इन नेशनल पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में पर्यटकों के आने से प्राकृतिक परिस्थितिकी सन्तुलन बिगड़ रहा है और वन्य प्राणियों को बहुत परेशानी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) देश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के सम्बन्ध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि केवल 90% राष्ट्रीय उद्यान और 83% वन्यजीव अभ्यारण्य सरकारी तौर पर पर्यटकों के लिए खुले हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में अत्यधिक पर्यटकों के आने से प्राकृतिक पारि-प्रणाली और वन्य जीवों से रहन-सहन में बाधा पड़ती है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के प्रबन्ध के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती हैं कि पर्यटकों के आने से वास स्थलों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और वन्य जीवों, विशेषकर कोर क्षेत्रों में वन्यजीवों के रहन-सहन में बाधा न पड़े। भारत सरकार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के कोर क्षेत्रों में पर्यटक गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने के लिए उपाय करना ऐसे पर्यटक वाहनों की संख्या को सीमित करना जिनकी सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, पर्यटकों के वाहनों के लिए मार्ग निर्धारित करना, वर्ष में कुछ अवधि के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को बन्द रखना आदि शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में कत्था उत्पादक पेड़ों का गैर-कानूनी रूप से काटा जाना

[हिन्दी]

2967. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में भारी संख्या में ऐसे पेड़ों को काटा गया है; जिनसे कत्था बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गैर-कानूनी रूप से काटे गये ऐसे पेड़ों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या गत तीन महीनों के दौरान गैर-कानूनी रूप से गिराए गए इन पेड़ों से बड़ी मात्रा में बनाया गया कत्था भी जब्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान जब्त किए गए कत्थे की मात्रा और कीमत का माहवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कत्था वृक्षों को बड़े पैमाने में अवैध कटाई नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा एकक

2968. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री संजय लाल :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का यूनिट-2 किस तारीख तक पूरा किया जाना है;

(ख) क्या यह यूनिट नियत तारीख तक पूरा हो जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) इसके अब कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) इसमें विलम्ब होने के कारण इसकी लागत में कितनी वृद्धि होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (घ) पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट की क्रांतिकता प्राप्त करने की तारीख अगस्त, 1990 थी, जिसे बढ़ाकर अब दिसम्बर,1990 कर दिया गया है। इस संबंध में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि यह यूनिट संशोधित कार्यक्रम के अनुसार

क्रांतिकता प्राप्त कर ले और क्रांतिक होने के बाद 6 महीने की अवधि के भीतर वाणिज्यिक स्तर पर बिजली का उत्पादन करना शुरू कर दे।

(ङ) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के दो यूनिटों के लिए वर्ष 1986 में 532.85 करोड़ रुपए के जो संशोधित लागत अनुमान तैयार किए गए थे उनमें अनेक कारणों की वजह से जिसमें यूनिट के निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन करना भी शामिल है, और वृद्धि होगी। इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले छात्रों को प्रवेश

2969. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री संजय लाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अगस्त, 1990 के "जनसत्ता" में "दिल्ली प्रशासन ने चार हजार छात्रों को सड़क पर ला दिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जिन छात्रों ने 10+2 परीक्षा पास की है, उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छात्रों को प्रवेश देने में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वे छात्र, जिन्होंने व्यावसायिक/तकनीकी धारा के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा पास की है, निम्नलिखित में दाखिला पाने के लिए पात्र हैं।

क्रम सं०	व्यावसायिक ग्रुप	अध्यापकों के पाठ्क्रमों के लिए पात्रता
1.	वाणिज्य और व्यवसाय	बी० ए० (व्यावसायिक)/बी० काम (पास)/बी०काम० (आनर्स)
2.	गृह विज्ञान	बी० एस० सी० (गृह विज्ञान)
3.	विविध ग्रुप (पर्यटन और फोटोग्राफी)	बी० ए० (व्यावसायिक)

ये छात्र बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र हैं। इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पात्रता के मानदण्ड वही हैं, जो सभी अन्य पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य पात्रता के मानदंड होते हैं सिवाय इसके कि बी० काम० (आनर्स) पाठ्यक्रम के लिए पात्र बनने हेतु कम से कम 60% अंक होने जरूरी हैं।

घर के निकट स्कूल में प्रवेश के सम्बन्ध में प्रस्ताव

2970. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री मंजय लाल :
श्री शांताराम पोटदुखे :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा प्रणाली में विद्यमान असमानता समाप्त करने और शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु घर के निकट स्कूल में प्रवेश देने की व्यवस्था शुरू करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) शिक्षा आयोग (1964-66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में सामान्य स्कूल पद्धति की दिशा में उपाय करने की सिफारिश की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामीप्य स्कूल विचार-धारा एक उपाय है। इस मुख्य विषय पर वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है। सरकार स्कूल शिक्षा में समतावाद लाने के उद्देश्य से विद्यमान स्कूलों को सामीप्य स्कूल विचार-धारा के अंतर्गत लाना चाहेगी।

स्कूलों में अच्छे स्तरों में व्यापक सामान्यता बनाए रखने को निम्नलिखित रूप से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) सभी स्कूलों को व्यापक रूप से एक समान पद्धति की पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, जो रा० शै० अ० प्र० परिषद् द्वारा प्रकाशित और प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर तैयार की गई हों।

(ii) सभी स्कूलों द्वारा संबंधित राज्य बोर्ड, के० मा० शि० बोर्ड अथवा भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की परिषद्, जैसा भी मामला हो, से सम्बद्ध की जाने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आवश्यक रूप से अपने छात्रों को भेजना तथा तत्पश्चात् राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तकों को अपनाना।

(iii) कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए स्कूलों में भौतिक सुविधाओं तथा अन्य शैक्षिक निवेशों में सुधार करना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उन क्षेत्रों की सीमा को, जहां निर्माण निषिद्ध है, कम करना

[अनुवाद]

2971. **श्री राम नाईक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ज्वार सीमा (हाई टाइप लाइन) को ऐसे क्षेत्र में 500 मीटर से कम करके 200 मीटर करने का निर्णय किया है और जो निर्माण के लिए निषिद्ध (नो कंस्ट्रक्शन जोन लिमिट) है;

(ख) यदि हां, तो पिछली सीमा को ज्वार सीमा से 500 मीटर पर निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सीमा को घटाकर 200 मीटर करने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां। उच्च ज्वार क्षेत्र से 200 मीटर दूर तथा 500 मीटर के भीतर "बीच रिसोर्ट" के निर्माण की अनुमति दिए जाने का निणय लिया गया है।

(ख) समुद्री तटों के दुरुपयोग तथा अवक्रमण को रोकने के लिए तटीय राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि उच्च ज्वार क्षेत्र से 500 मीटर के भीतर निर्माण तथा इसी प्रकार की प्रदूषण फैलाने वाली अन्य गतिविधियों को अनुमति न दी जाये।

(ग) उच्च ज्वार क्षेत्र से 200 मीटर दूर तथा 500 मीटर के भीतर "बीच रिसोर्ट" के निर्माण के लिए अनुमति पहले केवल चार क्षेत्रों अर्थात् पुरी-कोणार्क, गोवा, मद्रास-महाबलीपुरम तथा त्रिवेन्द्रम के मामले में दी गई थी। यह महसूस किया गया कि इसी प्रकार की छूट अन्य क्षेत्रों में भी दी जानी चाहिए, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए निर्धारित पर्यावरणीय मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाए।

उच्च शक्ति के विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों का विस्तार/आधुनिकीकरण

2972. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान (एक) पुणे स्थित उच्च शक्ति के विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री (दो) अरवंकाडू स्थित कारडाइट फैक्ट्री, और (तीन) नागपुर और अम्बरनाथ स्थित आयुध फैक्ट्री के विस्तार/आधुनिकीकरण के कोई उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन फैक्ट्रियों के लिए आवश्यक पुर्जों का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र में करने की अनुमति दी है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन फैक्ट्रियों में सुधार लाने के लिए कितना वार्षिक आबंटन किया गया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां। पिछले 3 वर्षों के दौरान सन्दर्भाधीन चार निर्माणियों में से तीन का उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए परियोजनाएं मंजूर की गईं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण के पैरा-1 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्ष के दौरान इन निर्माणियों के आधुनिकीकरण पर 18.56 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ख) आयुध निर्माणियां प्राइवेट निर्माताओं सहित खुले बाजार से वे संघटक खरीदती हैं जो आयुध निर्माणियों में नहीं बनते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त चार निर्माणियों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए वार्षिक आबंटन के आंकड़े विवरण के पैरा-2 में दिए गए हैं।

विवरण

पैरा-I

(1) **अति विस्फोटक निर्माणी, पुणे**
प्रणोद्रक की कुछ किस्मों के निर्माण के लिए 1.44 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना मंजूर की गई।

(2) **गोलाबारूद निर्माणी (आयुध निर्माणी अम्बाझरी), नागपुर**
विभिन्न गोलाबारूद के खोलों के निर्माण के लिए 8.44 करोड़ रुपये की लागत की चार परियोजनाएं मंजूर की गई।

(3) **गोलाबारूद निर्माणी (आयुध निर्माणी), अम्बरनाथ**
ब्रास मैल्टिंग और स्ट्रिप मेकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 32.16 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना मंजूर की गई।

पैरा-II

(करोड़ रु० में)

	वर्षवार निवेश					
	आधुनिकीकरण	विस्तार किये जाने के लिए परियोजना	आधुनिकीकरण	विस्तार किये जाने के लिए परियोजना	आधुनिकीकरण	विस्तार किये जाने के लिए परियोजना
	1987-88		1988-89		1989-90	
1. अति विस्फोटक निर्माणी, किरकी	0.78	—	0.92	0.18	1.15	0.38
2. वस्त्र (क्लाथिंग) निर्माणी, अरुवनकाडु	1.79	—	1.53	—	1.09	—
3. आयुध निर्माणी, अम्बाझारी	2.70	—	1.06	0.45	3.72	0.12
4. आयुध निर्माणी, अम्बरनाथ	1.48	4.24	1.19	2.01	1.15	0.90

तटवर्ती सीमाओं की सुरक्षा

2973. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती राज्यों ने दक्षिण भारत की तटवर्ती सीमाओं की बेहतर ढंग से सुरक्षा के लिए और रक्षा कार्मिकों की सहायता मांगी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु अथवा अन्य स्थान पर श्रीलंका के तमिल आतंकवादियों के शिविरों के होने का पता लगाने के लिए कोई उपाय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने केलीमरे और रामेश्वरम क्षेत्र में नौसैनिक टुकड़ियों को तैनात करने की सहमति दे दी है। भारतीय नौसेना और तट रक्षक संगठन ने भी भारत-श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर गश्त और निगरानी और तेज कर दी है।

(ख) और (ग) भारत सरकार की इस नीति से तमिलनाडु सरकार को अवगत करा दिया गया है कि भारत की भूमि से तमिल उग्रवादियों या किसी अन्य ग्रुप को कोई सक्रियात्मक कारंवाई करने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि तमिलनाडु में श्रीलंका के उग्रवादियों का कोई शिविर (कैम्प) नहीं है और वे इस बात पर दृढ़ हैं कि राज्य में श्रीलंका के किसी भी संगठन को किसी भी प्रकार का सैन्य प्रशिक्षण शिविर (कैम्प) नहीं चलाने देंगे। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों को तैनात करके तथा राज्य पुलिस को आधुनिक हथियार उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दी है।

उत्तर प्रदेश के स्कूलों को टी० वी० सैट उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

2974. श्री **कल्पनाथ सोनकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और मिडल स्कूलों के लिए टी० वी० सैट उपलब्ध कराए थे;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्कूलों को टी० वी० सैट के लिए "एन्टीना" खरीदने हेतु भी वित्तीय सहायता दी गई थी;

(घ) क्या संबंधित स्कूलों ने दी गई राशि से एन्टीना खरीद लिये हैं, यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या इस बात के लिए कोई जांच की गई है कि स्कूलों में इन टी० वी० सैटों का प्रयोग वास्तव में किस कार्य के लिए किया जाता है और यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत उन राज्यों को, जहां ई० टी० वी० कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, एन्टीना सहित रंगीन टी० वी० सेटों को खरीद के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। लागत का 75% केन्द्रीय सरकार द्वारा और 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 53,47,350/-रुपये की राशि जो, 6,990/-रुपये प्रति सेट की दर पर 1,020 रंगीन टी० वी० सेटों की लागत का 75% है, 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई थी। 8,95,050/-रुपये की अन्य राशि, जो रंगीन टी० वी० सेटों की लागत में हुई वृद्धि की राशि का अन्तर है, 1989-90 के दौरान राज्य सरकार को जारी की गई थी। इस प्रकार, 8,160

रुपये प्रति सेट के 75% की दर से 1,020 रंगीन टी० वी० सेटों की खरीद के लिए 62,42,400/- रुपये की कुल राशि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई थी।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोसायटी फोर दि नेशनल इन्सटिट्यूट्स ऑफ फिजीकल एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स की नेशनल स्पोर्ट्स लाटरी में कथित धोखाधड़ी

[अनुवाद]

2975. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1988 के आसपास सोसायटी फोर दि नेशनल इन्सटिट्यूट्स ऑफ फिजीकल एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स की नेशपल स्पोर्ट्स लाटरी में धोखाधड़ी का कोई मामला हुआ था, जिसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस मामले में शामिल व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई आपराधिक कार्यवाही आरंभ की गई है; और

(ङ) इस मामले में अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) अगस्त, 1987 में एक अनुरोध राष्ट्रीय खेल लाटरी और राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान सोसायटी (स्नाइप्स) के कोष की जांच कराने के लिए प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस आरोप के बारे में गहन जांच की है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो का यह विचार था कि हालांकि स्नाईप्स ने लाटरी की आयोजक एजेंसी की तरफदारी की, फिर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अंतर्गत स्नाईप्स के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ अपराधिक दुराचार का मामला नहीं पाया गया क्योंकि 9 सितम्बर, 1988 जब नया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रभावी हुआ, से पूर्व उन्हें "सार्वजनिक कर्मचारी" नहीं माना जा सका था। विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से मामले में आगे जांच की जा रही है।

(घ) पैरा (ग) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण ने एजेन्ट द्वारा दुरुपयोग की गई धनराशि को वसूल करने के लिए लाटरी के आयोजक एजेंट के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दिवानी मुकदमा दायर किया है। यह मामला न्यायाधीन है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

2976. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने हाल हाल ही में यह निर्णय किया है कि रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कामकाज प्रशासी मंत्रालय द्वारा किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न रुग्ण उपक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का विचार इनकी कार्यकुशलता में सुधार तथा उन्हें लाभप्रद बनाने के उपायों का सुझाव देने का भी है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) काफी अर्से से निरन्तर घाटा उठा रहे उद्यमों सहित, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों का कामकाज उनके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा ही किया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यकुशलता तथा लाभकारिता को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, प्रबन्ध सम्बंधी पद्धतियों में बेहतरी लाना, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्गठन आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन के रूप में एक नई अवधारणा शुरू की गई है जो बेहतर कार्य-निष्पादन प्राप्त करने में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के परस्पर दायित्वों को स्पष्ट करती है।

काटे गए वनों में पुन: वृक्षारोपण

2977. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**
श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मार्ग निर्देश जारी किए हैं कि उस वन क्षेत्र पर पुन: वृक्षारोपण के लिए ग्राम समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जाए जहां वृक्षों की कटाई हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए मुख्य दिशा निर्देशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संबंधित राज्यों ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) अवक्रमित वन भूमि पर वनस्पति लगाने के लिए ग्राम समुदायों तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों को शामिल करने के बारे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं :

(ख) दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक एजेन्सियों/गैर सरकारी संगठनों, ग्राम समुदायों (लाभभोगियों तथा राज्य वन विभाग के मध्य एक व्यवस्था के तहत अवक्रमित वन भूमि पर कार्यान्वित किया जाए।

(2) लाभभोगियों या स्वैच्छिक एजेन्सियों/गैर सरकारी संगठनों को स्वामित्व या पट्टे के कोई अधिकार न दिए जाएं।

(3) लाभभोगियों को घास, वृक्षों की कतरनों और शाखाओं तथा लघु वन उत्पाद जैसे भोगाधिकार दिए जाएं। यदि वे वनों की अच्छी तरह सुरक्षा करें तो उन्हें वृक्षों के बड़े होने पर उनसे प्राप्त लाभ का हिस्सा दिया जाए।

(4) लाभभोगियों का चयन इस प्रकार किया जाए कि चुने हुए स्थान से किसी भी प्रकार की वन उपज पर दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल होने का पूरा अवसर दिये बिना छोड़ा न जाए।

(5) चुने हुए स्थान पर राज्य सरकार द्वारा विधिवत मंजूर की गई कार्य-योजना के अनुसार किया जाए।

(6) नर्सरी उगाने, पौधरोपण के लिए जमीन तैयार करने तथा पौधरोपण के बाद वृक्षों की सुरक्षा के लिए लाभभोगियों को वन विभाग से मजदूरी दी जाए।

(7) वन भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जाए।

(ग) इन दिशानिर्देशों को जून, 1990 में जारी किया गया था। कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता है।

पनविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2978. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी केन्द्रीय और राज्य सरकारों की पनविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया है, जिनसे कम से कम व्यक्ति विस्थापित हों और कम से कम कृषि और वन भूमि पानी में डूबे;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात, मध्य प्रदेश आदि सम्बद्ध राज्यों में इस संबंध में उठे विवाद पर कोई अन्तिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम समझौता कब तक हो जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) दिशानिर्देशों तथा परियोजना प्राधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान इस आवश्यकता पर जोर दिया गया कि कृषि और वन भूमि कम जलमग्न हो तथा कम लोग विस्थापित हों।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों की कोई जल विद्युत परियोजना पर्यावरणीय अथवा वानिकी मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है।

जयपुर में सामाजिक वानिकी पर कार्यशाला

2979. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जयपुर में तीन-दिवसीय सामाजिक वानिकी के सम्बन्ध में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) क्या निर्णय लिया गया ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) राजस्थान वन विभाग ने

5 से 7 जून, 1990 तक जयपुर में पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक वानिकी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था।

(ख) जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें वन संरक्षण तथा बचाव, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास, आदिवासियों के विकास तथा सूक्ष्म आयोजना में लघु वनोत्पादक की भूमिका शामिल है।

(ग) कार्यशाला में कोई निर्णय नहीं लिए गए। तथापि जो विचार-विमर्श हुआ उसके आधार पर कार्यशाला ने सिफारिश की कि वनों की सुरक्षा के लिए ग्राम स्तरीय समितियां गठित की जाएं और विद्यमान पेड़-पौधों के अनुरक्षण के लिए सभी संभव उपाय किए जाएं। कार्यशाला ने यह भी सिफारिश की कि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं, परती भूमि की पहचान तथा समुचित प्रौद्योगिकी तथा ऋण सहायता की व्यवस्था को आधार मानकर तैयार किए जाएं। कुटीर उद्योगों के संवर्धन तथा रोजगार उत्पन्न कराने में लघु वनोत्पादक की महत्वपूर्ण भूमिका का भी पता लगाया गया।

वी० सी० आर०/वी० सी० पी० में विदेशी मुद्रा

2980. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वी० सी० आर० तथा वी० सी० पी० के निर्माण में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने वी० सी० आर०/वी० सी० पी० का निर्माण किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् (1987-89) के दौरान देश में विनिर्मित वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों की कुल अनुमानित संख्या लगभग 1.42 लाख है। इन विनिर्माण में अनुमानत: 40 करोड़ रुपये की विदेशी-मुद्रा खर्च हुई है।

महिलाओं की शिक्षा के लिए सुविधाएं

[हिन्दी]

2981. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान में महिला कालेजों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रत्येक कालेज में 100 छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता देने का भी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार, महिला साक्षरता दर को राज्यवार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन महिला कालेजों की छात्रावासों के निर्माण के

लिए अनुदान प्रदान करता है जो किसी योजना अवधि के दौरान योजनागत विकास योजना के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए वि० अ० आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के अन्तर्गत पात्र होते हैं। इस योजना में देश भर के पात्र कालेज शामिल हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में महिला कालेज को छात्रावास के निर्माण के लिए वि० अ० आयोग के हिस्से के रूप में अनुमोदित अनुदानों की राशि निम्नलिखित है :

क्रम सं०	कालेज का नाम	वि० अ० आयोग का हिस्सा
1.	श्री सत्य भाई महिला कालेज, जयपुर	1,60,000
2.	एम० एस० कालेज, बीकानेर	1,80,976
3.	श्रीमती इन्दिरा मणी मोडेल्ला गृह विज्ञान शिक्षा निकेत, पिलानी	80,000
4.	गांधी शिक्षा महाविद्यालय, गुलाबपुर	70,000
5.	जी० डी० राजकीय महिला कालेज, अलवर	2,11,000

(ग) इस प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व योजना के दौरान लागू पद्धति के अनुसार कालेज के निजी संसाधनों से 25% और वि० अ० आयोग द्वारा 75% के बराबरी हिस्से के आधार की तुलना में 8वीं योजना के दौरान 100% आधार पर महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान देने का निर्णय किया है यह इस शर्त पर होगा कि कालेज को, छात्रों की संख्या और अन्य मानदण्ड जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिला छात्राओं आदि के नामांकन के आधार पर निर्धारित देय अनुमोदित अनुदान का 40% छात्रावासों सहित भवनों के निर्माण पर उपयोग में लाया जाएगा। यह कालेज का काम है कि वह छात्रावासों सहित विभिन्न भवनों और इसके कुर्सी क्षेत्रफल, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विकास योजना के अंतर्गत अनुदान चाहते हैं, के लिए एक प्रस्ताव तैयार करे।

विवरण

	राज्य/संघशासित प्रदेश	महिला साक्षरता का प्रतिशत
	1	2
	भारत	24.82
1.	आंध्र प्रदेश	20.39
2.	असम	लागू नहीं
3.	बिहार	13.62
4.	गुजरात	32.30
5.	हरियाणा	22.27
6.	हिमाचल प्रदेश	31.46
7.	जम्मू और कश्मीर	15.88
8.	कर्नाटक	27.71

	1	2
9.	केरल	65.73
10.	मध्य प्रदेश	15.53
11.	महाराष्ट्र	34.79
12.	मणिपुर	29.06
13.	मेघालय	30.08
14.	नागालैंड	33.89
15.	उड़ीसा	21.12
16.	पंजाब	33.69
17.	राजस्थान	11.42
18.	सिक्किम	22.20
19.	तमिलनाडु	34.99
20.	त्रिपुरा	32.00
21.	उत्तर प्रदेश	14.04
22.	पश्चिम बंगाल	30.25
संघशासित प्रदेश		
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	42.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.32
3.	चंडीगढ़	59.31
4.	दादरा और नगर हवेली	16.78
5.	दिल्ली	53.07
6.	गोवा दमन और द्वीव	47.56
7.	लक्षद्वीप	44.65
8.	मिजोरम	54.91
9.	पांडिचेरी	45.71

टिप्पणी : असम में महिला साक्षरता की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहां व्याप्त अशान्त स्थिति के कारण 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी।

अरावली पर्वतीय शृंखलाओं में पारिस्थितिकी विकास

2982. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरावली की पर्वतीय शृंखलाओं में पेड़-पौधों के तेजी से विलोप होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का

विचार है/उठाए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का समूचे अरावली क्षेत्र में पुनर्वृक्षारोपण संबंधी एक विशेष अभियान चलाने का भी विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां वृक्ष लगाने तथा उनका संरक्षण करने में वहां रहने वाले आदिवासी लोगों का सहयोग प्राप्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) अरावली पहाड़ियों में वन तथा वनस्पति के नष्ट हो जाने से पर्यावरण का निकृष्टीकरण हुआ है। क्षेत्र में वनीकरण विशेष के लिए सुधारात्मक उपायों के तौर पर विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य प्लान परियोजनाएं, जिनमें विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजनाएं भी शामिल हैं, चलाई गई हैं। अरावली पहाड़ियों में सार्वजनिक भूमि के पुनरुत्पादन के लिए हरियाणा में इस वर्ष यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) से सहायता प्राप्त एक प्रायोजना शुरू की गई है। राजस्थान के लिए प्रायोजनाओं को विदेशी सहायता के अधीन रखा गया है। आठवीं योजना के परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने सिद्धांत रूप में निम्न उद्देश्यों को लेकर अवक्रमित परती भूमि के पुनरुत्पादन के लिए सामुदायिक आधार पर स्थानीय आदिवासी लोगों तथा ग्रामीण निर्धनों को शामिल करके एक परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

(i) अवक्रमित वन भूमि में वन आधारित बायोमास संसाधन में सुधार लाना और पहचान किए गए समुदायों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए सतत आधार पर इसकी प्रबंध व्यवस्था करना।

(ii) आदिवासी समुदायों तथा ग्रामीण निर्धनों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना।

(iii) आदिवासियों और अन्य ग्रामीण निर्धनों को उनके आवासों के आस-पास निरन्तर बने रहने वाला आर्थिक आधार प्रदान करना।

इस उद्देश्य के लिए इन निवासियों को कोई वन भूमि पट्टे पर देने का प्रस्ताव नहीं है, तथापि समुदायों को वनोपज में हिस्सा देकर लाभान्वित किया जाएगा।

डूंगरपुर, राजस्थान में वनों का विकास

2983. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डूंगरपुर (राजस्थान) में वनों के विकास की कोई योजना आरम्भ की है और यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है;

(ख) क्या परती भूमि विकास योजना का उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार एक समिति गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) एकीकृत परती भूमि विकास हेतु डूंगरपुर जिले के लिए एक प्रायोजना स्वीकृत की गई है और वर्ष 1990-91 के दौरान प्रायोजना पर खर्च किए जाने के लिए 78.27 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

(ख) और (ग) जिला कलक्टर, डूंगरपुर जो कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के भी अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में एक शासी परिषद् गठित की गई है। इस शासी परिषद में सदस्य के रूप में सभी संबंधित जिला स्तर के अधिकारी तथा संबंधित विधान सभा सदस्य, जिला प्रमुख, सभी प्रधान और डूंगरपुर जिले में कार्यरत् कुछ गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। शासी परिषद् का कार्य प्रायोजना के कार्यान्वियन की निगरानी तथा अनुवीक्षण करना है।

"एक पूर्ण साक्षर जिला" योजना

[अनुवाद]

2984. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से वर्ष 1990 के दौरान एक जिले का चयन करने तथा इस "एक पूर्ण साक्षर जिला" बनाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत एक जिले का चयन कर लिया है;

(ग) वर्ष 1990 के दौरान एक पूर्ण साक्षर जिले के रूप में विकसित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने किस जिले का चयन किया है; और

(घ) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कर्नाटक राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा किये गये विचार-विमर्श के अनुसरण में सचिव, योजना आयोग ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को यह सुझाव देते हुए लिखा था कि प्रत्येक विशेष रूप से 15-35 आयु वर्ग में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए वर्ष 1990-91 में एक जिले का चयन करें।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों से वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कम से कम एक जिले के संबंध में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी अनुरोध किया है। इसके प्रत्योत्तर मे, कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने निम्नलिखित जिले निर्धारित किये हैं—

राज्य	जिला
1. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, चित्तौड़ और पश्चिम गोदावरी
2. गुजरात	भावनगर
3. हरियाणा	यमुना नगर
4. महाराष्ट्र	वर्धा

राज्य	जिला
5. नागालैंड	वोखा
6. पश्चिम बंगाल	मिदनापुर
7. चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश	चंडीगढ़
8. लक्षदीप संघ शासित प्रदेश	कलपनी द्वीप समूह

3. केन्द्रीय सरकार ने केरल के संपूर्ण राज्य, कर्नाटक में बीजापुर और दक्षिण कन्नड के जिलों, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के साथ-साथ पांडिचेरी और गोवा संघ शासित प्रदेश में पहले से ही सहायता प्रदान की है।

4. कर्नाटक के दो जिलों के संबंध में निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है :

कर्नाटक में जिला	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में)	संस्वीकृत प्रथम किश्त (रु० लाखों में)
बीजापुर	300.40	225.00
दक्षिण कन्नड	200.00	200.00

वीरनारायण मंदिर, बेलावडी (कर्नाटक) का रख-रखाव

2985. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कर्नाटक में बेलावडी चिकमगलूर जिले में वीरनारायण मंदिर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ठीक से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मंदिर को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करने का तथा पर्यटक-आकर्षण के लिए इसमें सुधार करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) कर्नाटक में बेलावडी, जिला चिकमगलूर में वीरनारायण मंदिर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में परिरक्षित है, परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

इस स्मारक के परिसरों के कुछ संरक्षण कार्यों और विकास को चालू वित्तीय वर्ष के संरक्षण कार्यक्रम में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर

2986. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत शिक्षक तथा गैर-शिक्षक, दोनों प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें में कितने कन्नड़ भाषी हैं;

(ग) विभिन्न पदों पर चयन का क्या तरीका अपनाया जाता है;

(घ) क्या उपर्युक्त संस्थान में नियुक्तियों में कन्नड़ भाषियों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर को इस संस्थान में भर्ती में कन्नड़ भाषियों को प्राथमिकता देने के लिए आदेश देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारत प्रबंध संस्थान बंगलौर में कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :

(एक) निकाल सदस्य :	48
(दो) गैर शिक्षण कर्मचारी :	397
कुल योग :	445

(ख) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 445 कर्मचारियों में से 15 निकाय और 339 गैर शिक्षक कर्मचारी कर्नाटक राज्य से हैं।

(ग) इस संस्थान में निकाय के पद अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से भरे जाते हैं। गैर-शिक्षक पद में भर्ती चार श्रेणियों में की जाती है। ग्रुप क और ख के पदों के संबंध में यह पद पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/खुले विज्ञापन के माध्यम से भरे जाते हैं। जहां तक ग्रुप (ग) और (घ) का संबंध है यह स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाते हैं।

(घ) हालांकि इस अखिल भारतीय संस्थान के भर्ती नियम कन्नड़ों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, यह देखा गया है कि इस संस्थान के लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी कर्नाटक राज्य से हैं।

(ङ) (घ) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये सरकार प्राथमिकता के निर्देश देना आवश्यक नहीं समझती।

सशस्त्र सेनाओं के एक दल का चीन का दौरा

2987. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के एक उच्च स्तरीय दल ने हाल में चीन का दौरा किया है; और

(ख) क्या चीन से भी इसी तरह के दल द्वारा भारत का दौरा किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में प्रशिक्षण पा रहे सशस्त्र सेनाओं और सिविलियन अधिकारियों का एक दल तथा संकाय (फैकल्टी) सदस्य अध्ययन दौरे पर जून, 1990 में चीन गए थे। इस यात्रा के दौरान चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को भारत की पारस्परिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था।

समुद्री प्रदूषण निगरानी केन्द्र

2988. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में एक समुद्री प्रदूषण निगरानी केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जाएगा; इसके क्या-क्या कार्य होंगे, इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) महासागर विकास विभाग ने पर्यावरणीय मानिटरिंग और माडलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के तटवर्ती क्षेत्र में प्रदूषण मानिटरिंग अध्ययन करने के लिए केरल में दो यूनिटें स्थापित की हैं जिनमें से एक यूनिट राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन में और दूसरी भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में स्थापित की गई है। अन्य केन्द्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ओज़ोन की परत को नष्ट करने वाले कम्पाउन्ड्स

2989. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओज़ोन की परत नष्ट करने वाले दो हानिकारक कम्पाउन्ड्स के बारे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा किये गये उन परीक्षणों के परिणामों की जानकारी है, जिनके बारे में 4 जुलाई, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या भारत में उक्त विषयों के संबंध में कोई अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारत में मिथाइल क्लोरोफोर्म के आयात किये जाने अथवा इसका उत्पादन किये जाने की कोई जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है और इसके उत्पादकों और उपयोगों का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) ओज़ोन परत के क्षीण होने के संबंध में भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारत मौसम-विज्ञान की प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत में मिथाइल क्लोरोफार्म का उपयोग इस समय लगभग 1000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसका उपयोग आटोमोबाइल, इलैक्ट्रोनिक और इंजीनियरी उद्योगों में वाष्प कम करने के लिए किया जाता है। भारत में मिथाइल क्लोरोफार्म का एकमात्र निर्माता मैसर्स स्टैंडर्ड अल्कालीज लिमिटेड है जिसकी लाइसेंसशुदा क्षमता 3000 टन प्रति वर्ष है।

वृक्षारोपण

[हिन्दी]

2990. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण में सुधार के लिए किसानों की अनुप्रयुक्त भूमि में सरकारी खर्च पर वृक्षारोपण और उसके पश्चात पांच वर्षों तक उनकी देखभाल हेतु जैसा कि सड़कों के किनारे सरकारी भूमि के मामले में किया जाता है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, किसी योजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) फार्म वानिकी कार्यक्रम सभी राज्यों में पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक किसान को पौदशालाएं तथा पौद उगाने एवं उनको अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को पौद निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भी प्रदान की जाती है। पौदशालाएं तथा पौद उगाने के लिए तकनीकी सलाह एवं प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), किसानों को फार्म वानिकी कार्यकलाप चलाने के लिए रियायती दरों पर ऋण देने हेतु, बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है।

कोयला परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना हेतु मार्ग-निर्देश

[अनुवाद]

2991. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने कोयला परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना हेतु स्पष्ट नियम और पैरामीटर निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और क्या इसके कारण पर्यावरण मूल्यांकन समिति को कोयला परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी हो रही है और ये परियोजनाएं समिति के पास लम्बी अवधि से लंबित पड़ी हुई हैं; और

(घ) इस स्थिति में अविलम्ब सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां। मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले से ही उपलब्ध हैं जिनमें कोयला परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित मानदण्ड और पैरामीटरों के ब्यौरे दिए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को संबंधित विकास एजेंसियों के मध्य व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। 1987 में कोल इंडिया लिमिटेड के इंजीनियरों को दो मॉडल पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए पूरी सहायता दी गई थी ताकि ऐसी ही अन्य परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कार्य योजनाएं तैयार करने और उनको अमल में लाने में असुविधा हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महिला कालेज

[हिन्दी]

2992. **प्रो० महादेव शिवनकर :**
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :
श्री जनार्दन तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कितने महिला कालेज हैं और कितने कालेजों में होस्टल की सुविधा है;

(ख) इस वर्ष इन कालेजों में होस्टल-आवास के आवंटन के लिए कितनी छात्राओं ने अपने नाम पंजीकृत कराए थे और कितनी छात्राओं को होस्टल-आवास आवंटित किए गए हैं; और

(ग) छात्राओं की होस्टल-आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत व्यावसायिक कालेजों सहित 20 महिला कालेज हैं और उनमें से सात कालेजों में छात्रावास की सुविधाएं हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं योजना के दौरान निर्धारित सीमा तथा निधियों की कुल उपलब्धता के अनुसार कालेजों में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में विसंगतियां

[अनुवाद]

2993. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम पटेल :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अगस्त, 1987 को घोषित वेतनमानों को लागू करने के मामले में केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में विसंगतियां आ गई हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विसंगतियों को अब तक समाप्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डा० अम्बेडकर की स्मृति में एक विश्वविद्यालय की स्थापना

2994. **श्री पुंडलिक हरि दानवे :**
डा० सी० सिलवेरा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० बी० आर० अम्बेडकर की स्मृति में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) डा० बी० आर० अम्बेडकर की स्मृति में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एक नीति के मामले के तौर पर, केन्द्रीय सरकार नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम द्वारा "उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय" स्थापित किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 244.28 एकड़ भूमि आवंटित की है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के लिए 5 करोड़ रु० का भी प्रावधान किया है। यह बताया जाता है कि भवन के निर्माण के लिए संविदाए आमंत्रित की गई हैं। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रु० की लागत का अनुमान लगाया है।

मोटरगाड़ियों से निकलने वाले धुएं के संबंध में निर्धारित मानदंड

2995. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के बारे में कोई मानक निर्धारित किये गये हैं और उन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन मोटर गाड़ियों से निकलने वाले उत्सर्जनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए परिवहन निदेशालय के माध्यम से एक प्लान स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। एगजॉस्ट गैस एनालाइजरों से सज्जित तकनीकी कर्मचारियों को 24 पेट्रोल पम्पों में तैनात करके दिसम्बर, 1987 और अप्रैल, 1989 के बीच प्रदूषण की जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मई, 1989 से परिवहन निदेशालय के सभी कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निःशुल्क जांच सुविधा मुहैया कराने के लिए इसके साथ-साथ चलते-फिरते दल भी विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं। जून, 1990 तक लगभग 5,16,700 वाहन मालिकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और यह पाया गया कि लगभग 1,78,000 वाहन केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक प्रदूषण फैला रहे थे।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1987 में निर्धारित मानकों का पालन न करने के लिए मार्च, 1990 और जून, 1990 के बीच लगभग 77,000 वाहन मालिकों को चेतावनी स्लिपें जारी की गईं।

समाचार पत्रों के माध्यम से एक विज्ञापन अभियान चलाया गया है तथा दिल्ली के मोटर चालकों को सलाह दी गई है कि वे पंजीकरण संख्या पर आधारित वाहनों की श्रेणी की जनवरी, 1991 तक समय सूची के अनुसार जांच करवा लें। इस प्रयोजन के लिए विभाग ने 57 निजी वर्कशापों तथा पेट्रोल पंपों को प्रदूषण नियंत्रण जांच केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है। निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मामले में ये केन्द्र ट्यूनिंग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं।

मोटर (वाहन) अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के तहत अप्रैल और जुलाई, 1990 के बीच दिल्ली परिवहन निगम और सरकारी विभागों के प्रदूषण फैलाने वाले कुल 585 वाहनों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए।

वेदों का अध्ययन

2996. प्रो० **रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वेदों के अध्ययन और तत्संबंधी अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने तथा वेदों की परम्परा को कायम रखने के लिये कितनी धनराशि वर्ष-वार निर्धारित की गई; और इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में भविष्य के लिए क्या प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के नाम सूचीबद्ध किये गये हैं; और

(घ) इन संस्थाओं को कितना वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अवधि में नीचे दिये गये बजट प्रावधान किये थे :

(रुपये लाखों में)

1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
65.00	60.12	76.25	56.50

(ख) भावी प्रावधान आठवीं योजना के परिव्यय पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) एक बितरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	संस्था का नाम	वर्ष 1989-90 के दौरान मुक्त की गयी राशि
1	2	3
1.	श्री वेद वेदार्थ स्टोत विद्या शाला, श्रीरंगम	—

1	2	3
2.	शंकर अद्वैत अनुसंधान केन्द्र मुगंमबक्कम, मद्रास	39,900
3.	राजा वेद काव्य पाठशाला, श्रीनगर कालोनी, कुम्बाकोनम	2,16,600
4.	वेदाक्का माधा ब्राह्मस्वम, समिति, त्रिचुर जिला	79,800
5.	विद्यारण्य न्यास, होसपीठ-583203	51,870
6.	असम वेद विद्यालय, असम-781001	25,080
7.	गोविन्दगुड्डी अप्पुकुट्टी आर्या वेद पाठशाला, कुम्बाकोनम	54,720
8.	तन्त्रविद्यापीठन आल्वे-683102	51,300
9.	कामाकोटि यजुर्वेद पाठशाला, त्रिचुर जिला	25,350
10.	श्री रंगनाथापादुका विद्यालय, श्रीरंगन	46,550
11.	श्री भुवनेश्वरी चेरिटीस ट्रस्ट, पुड्डुकोट्टाई-622001	21,660
12.	शंकर संस्कृत अकादमी, करोलबाग, नई दिल्ली	3,54,540
13.	भारतीय चतुरधाम वेद भवन, इलाहाबाद-211001	1,59,600
14.	जी, तपोवनम् श्री शान्दा न्यास, तपोवनम् ।	63,270
15.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा वित्तपोषित किये जा रहे संगठन	1,86,000

स्कूली बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करना

2997. प्रो० **रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर पुस्तकों के अनावश्यक बोझ को कम करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार शिक्षाविदों से परामर्श करके इस संबंध में कुछ निर्णय लेने का है; और

(ग) क्या नवगठित शैक्षिक समिति "राममूर्ति समिति" द्वारा भी इस मुद्दे पर विचार किया जायेगा ?

मानव ससाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 1988 में प्रकाशित "राष्ट्रीय प्रारंभिक तथा माध्यमिक पाठ्यचर्या का कार्य ढांचा" में सिफारिश की गयी है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर सामूहिक गतिविधियों और खेलों की तकनीकों के माध्यम से शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और विषयों की औपचारिक पढ़ाई आरंभ नहीं की जानी चाहिए। इनमें प्राथमिक स्तर पर कक्षा I और II में यह सिर्फ 2 विषयों अर्थात भाषा गणित में पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश की गयी है। कक्षा III से V तक के लिए सिर्फ 4 विषयों (भाषा, गणित, पर्यावरण संबंधी अध्ययन—विज्ञान और पर्यावरण संबधी अध्ययन समाज अध्ययन) में पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश की गई है।

(ग) आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सिक्षा नीति की समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में इस विषय पर विचार करने की अनुमति दी गयी है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड नासिक के प्रशिक्षणार्थियों की सेवाएं समाप्त करना

[अनुवाद]

2998. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक डिवीजन ने चौथे वर्ष के 133 प्रशिक्षणार्थियों की सेवायें फरवरी, 1990 से समाप्त कर दी हैं;

(ख) क्या इन प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड नासिक डिवीजन में अत्याधुनिक और अति महत्वपूर्ण विभागों में विशेष प्रशिक्षण दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इन प्रशिक्षार्थियों पर खर्च की गई बहुत-सी धनराशि बेकार गई है और उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें प्रशिक्षण देते रहने अथवा वैकल्पिक रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उनकी सेवाएं समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ङ) नासिक डिवीजन में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने 1982 में विशेष योजना आरम्भ की थी जिसके अंतर्गत प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपनी प्रशिक्षुता सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के बाद, उन्हें वांछित ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया। योजना का उद्देश्य इनको वांछित ट्रेडों में अपेक्षित स्तर की कुशलता प्राप्त कराना था ताकि जब कभी अतिरिक्त जन-शक्ति की आवश्यकता हो तो इन्हें सीधे रोजगार पर लगाया जा सके। यद्यपि इस योजना के अंतर्गत उन्हें कम्पनी में नियमित रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं है फिर भी हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड उन्हें उस डिवीजन में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के आधार पर वहीं रोजगार उपलब्ध करा देता है। इस योजना के अन्तर्गत जो 126 प्रशिक्षार्थी विशेषज्ञ प्रशिक्षण पा रहे थे उनको काम की मात्रा कम होने के कारण रोजगार पर नहीं लगाया जा सका जिसके कारण कम्पनी ने बाध्य होकर 1989-90 से जन-शक्ति

भर्ती करने पर रोक लगा दी। अतः उनमें से 124 को अपनी-अपनी प्रशिक्षण अवधियां पूरी करने के पश्चात् मुक्त कर दिया गया और शेष 2 प्रशिक्षुओं ने स्वयं ही प्रशिक्षण छोड़ दिया।

उन ग्रेडों के आंकड़े, जिनमें इन 126 प्रशिक्षणार्थियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया गया, इस प्रकार हैं—

फिटर	—74 (1 छोड़कर चला गया)
इन्स्ट्रूमेंट	— 7
इलैक्ट्रकल	—19
इलैक्ट्रोनिक्स	—10 (1 छोड़कर चला गया)
मशीनिस्ट	—10
पेन्टर	— 6
	126

इन प्रशिक्षार्थियों को प्रतिमाह 440 रुपये का वजीफा दिया जाता था। यद्यपि कार्य की मात्रा कम होने के परिणामस्वरूप और व्यक्तियों को भर्ती करने पर रोक लगने के कारण, विशेषज्ञ प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् उन्हें रोजगार पर नहीं लगाया जा सका, लेकिन हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने यह आश्वासन दिया है कि कार्य की स्थिति में सुधार आ जाने पर जब भी और जन-शक्ति की जरूरत होगी तो ऐसे प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते वे भर्ती की अन्यथा सभी शर्तें पूरी करते हों। इस बात को और योजना के लक्ष्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इनको दिया गया प्रशिक्षण और उन्हें प्रशिक्षित करने पर हुआ खर्च बेकार गया। उन्हें अतिरिक्त सहायता देने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी इन प्रशिक्षाणार्थियों की सूची प्रचालित की है ताकि वे अपने संगठनों में उपयुक्त पदों पर इनकी नियुक्ति के लिए विचार कर सकें।

विज्ञान/तकनीकी अनुसंधान पर व्यय

2299. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न विज्ञान अनुसंधान संस्थानों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) प्रमुख अनुसंधान संस्थानों द्वारा कितने अनुसंधान पेपर तैयार किये गये; और

(ग) सरकार द्वारा कितनी रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्यान्नों के उत्पादन के संबंध में कृत्रिम बल

3000. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना के अन्त तक खाद्यान्न उत्पादन का वांछित

लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना की रूप-रेखा तैयार करने के लिए कोई कृतिक बल गठित किया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य योजना के कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों को पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों को दी जाने वाली संभावित सहायता का, राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके लिए आवश्यक सहायता कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में ऐसा कोई कृतिक बल गठित नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

बंजर भूमि का विकास

3001. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने हेतु वन भूमि का पता लगाने की सलाह दी गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों का और इस योजना के कार्यान्वियन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संस्थागत प्रबंध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनरोपण कार्यक्रम के लिये बंजर भूमि का पता लगाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सम्पूर्ण के लिए परती भूमि का राज्यवार विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, देश में लगभग 1295 लाख हैक्टेयर परती भूमि होने का अनुमान लगाया गया है। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्यों में वनीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए राज्य वन विभाग प्रमुख एजेंसी है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने 1986 में अंतरिक्ष विभाग और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी के सहयोग से दूर संवेदी प्रक्रिया द्वारा परती भूमि की पहचान, वर्गीकरण और मानचित्रण के लिए परती भूमि पहचान प्रायोजना भी आरम्भ की थी। इस प्रायोजना के प्रथम और द्वितीय चरण में 146 जिलों में कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रायोजना के तृतीय चरण में, जो कि कार्यान्वियनाधीन है, अन्य 85 जिले शामिल हैं।

विवरण

भारत में परती भूमि का राज्यवार अनुमान (लाख हैक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	योग
1	2
आन्ध्र प्रदेश	114.16
असम	17.30

1	2
बिहार	54.58
गुजरात	78.36
हरियाणा	24.78
हिमाचल प्रदेश	19.58
जम्मू और कश्मीर	15.65
कर्नाटक	91.65
केरल	12.79
मध्य प्रदेश	201.42
महाराष्ट्र	144.01
मणिपुर	14.38
मेघालय	19.18
नागालैंड	13.86
उड़ीसा	63.84
पंजाब	12.30
राजस्थान	199.34
सिक्किम	2.81
तमिलनाडु	44.01
त्रिपुरा	9.73
उत्तर प्रदेश	80.61
पश्चिम बंगाल	25.36
संघ शासित क्षेत्र	36.04
योग	1295.74

नोट : उपर्युक्त अनुमान देश की समस्त परती भूमि के देश-व्यापी सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है।

दिल्ली में पब्लिक स्कूल

[हिन्दी]

3002. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक/प्राइवेट स्कूलों ने इस वर्ष अपनी "ट्यूशन फी" बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि दिल्ली प्रशासन की अनुमति के तहत की गई है और इस वृद्धि के कारण क्या हैं और किन स्कूलों में इसमें वृद्धि की गई है;

(ग) क्या सरकार मनमाने ढंग से "ट्यूशन फी" में वृद्धि करने की इस प्रवृत्ति को रोकने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार कब तक इस प्रकार से "फी" बढ़ाने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कार्यवाही करके लोगों को राहत पहुंचायेगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) इस वर्ष दिल्ली के कुछ स्कूलों ने अपने शिक्षा शुल्क में वृद्धि की है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1990-91 के लिए किसी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल को शिक्षा शुल्क बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं दी है। दिल्ली प्रशासन की अनुमति केवल तभी मांगी जाती है जब शिक्षा शुल्क सत्र के बीच में बढ़ाया जाता है। निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंध शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में स्वयं ही शिक्षा शुल्क में वृद्धि करने के लिए सक्षम है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

दमन तथा दीव के शिक्षा विभाग में रिक्त स्थान

3003. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या कितनी है तथा ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को शीघ्र भरने के लिए सरकार द्वारा किए गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"कुठार" नौसेना पोत का जलावतरण

[अनुवाद]

3004. **कुमारी उमा भारती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना पोत "कुठार" का जलावतरण कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सुरक्षा बलों को क्या लाभ मिलेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) भारतीय नौसेना पोत "कुठार" का 7 जून, 1990 को बम्बई में जलावतरण किया गया है।

(ख) यह पोत कार्वेट श्रेणी का है और नौ समुद्री बेड़े में इसे शामिल किए जाने से भारतीय नौसेना की सतह से सतह पर मार करने की प्रक्षेपास्त्र क्षमता में और वृद्धि हो जाएगी।

पुस्तकों के नकली संस्करण

[हिन्दी]

3005. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पंजाब शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के नकली संस्करण बाजार में कम दामों में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस कारण का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि प्राइवेट प्रकाशक सरकारी प्रेस में छपी पुस्तकों की तुलना में अपनी किताबों को कम मूल्य पर किस आधार पर बेच रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य-पुस्तकें, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के छात्रों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। पंजाब राज्य सरकार, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्रों के लिए स्कूल पाट्य पुस्तकें तैयार करने और वितरण के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य सरकार का कार्य है कि वह शिकायत की जांच करे तथा इसके उपचारी उपाय करे। तथापि, शिकायत को जांच तथा रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है।

हमीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय

3006. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्कूल भवन के निर्माण कार्य के लिए चालू वर्ष के बजट में कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है और क्या निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किन कारणों से यह निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्थायी स्कूल भवन निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसे यह कार्य सौंपा गया था, वह स्थान विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

हिमाचल प्रदेश में फलों की पैकिंग के लिए लकड़ी की पेटियों के स्थान पर अन्य तरीका अपनाना

3007. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फलों की पैकिंग के लिए पेटियां बनाने में हजारों घन मीटर लकड़ी प्रयोग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का लकड़ी की पेटियों के स्थान पर निर्मित कॅरोगेटेड फाइबर बोर्ड के डिब्बों तथा दबने वाले प्लास्टिक की क्रेटों का उपयोग करने के लिए कोई राजसहायता देने का विचार है ताकि वनों को नष्ट होने से बचाया जा सके; और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य कौन से वैकल्पिक उपाए किए गए हैं/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) फलों को पैक करने के डिब्बों के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। तथापि, पैकिंग के लिए लकड़ी के डिब्बे बनाने के वास्ते हरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं। केन्द्र सरकार पैकिंग के लिए लकड़ी के डिब्बों के विकल्पों को प्रोत्साहन दे रही है। बागवानी उत्पाद के पैकिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्राफ्ट पेपर को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। कारोगेटेड फाइबर बोर्ड के डिब्बों के निर्माण के लिए एक फैक्टरी की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 13.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। ये डिब्बे फलों को पैक करने के लिए लकड़ी के डिब्बों के बदले प्रयोग में लाए जाएंगे।

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

[अनुवाद]

3008. **श्री एन० डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं; और

(ख) कार्यक्रम में शामिल क्षेत्रों में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) तमिलनाडु में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जिलों के 26 तालुकों में फैले हुए 27.9 हजार वर्ग कि० मी० क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, मृदा, संरक्षण, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई, विद्युत, सड़कें तथा पुल, जल आपूर्ति, खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, दूरस्थ संवेदी मुर्गी पालन विकास, डेयरी विकास तथा जनजातीय विकास के क्षेत्र नें कार्य किए गए हैं।

वन भूमि का सीमांकन

3009. **श्री एन० डेनिस** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन भूमि पर कब्जा रोकने हेतु वन भूमि और अन्य गैर-सरकारी भूमि के बीच सीमांकन करने संबंधी कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) वन भूमि पर नाजायज कब्जे को रोकने के लिए इस भूमि के सीमांकन के लिए कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र के नियमों में संशोधन

[हिन्दी]

3010. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र के नियमों में काफी समय से संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय सरकारी कर्मचारी संघों द्वारा समय-समय पर नियमों में संशोधन करने और इनका पुन: प्रारूप तैयार करने की मांग की जाती रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन नियमों का प्रारूप पुन: तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे कोई "जे० सी० एम० नियम" नहीं बनाए गए हैं, तथापि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य विवाचन की एक स्कीम है जो स्वैच्छिक है तथा सरकार और कर्मचारी पक्ष के नेताओं के बीच आपसी सहमति की है तथा 1966 से विद्यमान है।

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समितियां

3011. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने काफी समय पूर्व राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी गठित की गई समितियों को भंग कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन समितियों को पुन: गठित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों के सिवाय 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी समितियों को भंग करने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर प्रबोधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है।

आंध्र प्रदेश में नदी प्रदूषण

[अनुवाद]

3012. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आंध्र प्रदेश की प्रदूषित नदियों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक नदी में प्रदूषण कितना है; और

(ग) इन नदियों को और प्रदूषित होने से रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) गोदावरी, कृष्णा तथा पिन्नार नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कुछ भाग विशेषकर शहरी केन्द्रों के नीचे के भाग प्रदूषित हैं।

(ख) बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (बी० ओ० डी०) तथा डिस्साल्व्ड ऑक्सीजन (डी० ओ०) जैसे महत्वपूर्ण जल-गुणवत्ता पैरामीटरों के अनुसार इन नदियों में प्रदूषण का स्तर इस प्रकार है :—

नदियां	पैरामीटर	
	बी० ओ० डी (मिलीग्रा० प्रति लीटर)	डी० ओ०
गोदावरी	2.5 से 3.11	6.5 से 7.1
कृष्णा	2.68 से 3.18	5.14 से 7.27
पिन्नार	3.7	7.8

(ग) प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) इन नदियों के किनारों पर स्थित उद्योगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने तथा अपने बहिस्रावों को नदियों में विसर्जित करने से पहले निर्धारित सीमाओं तक शोधित करने के निदेश दिए गए हैं।

(2) उद्योगों को पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने की शर्त पर संचालन की मंजूरी दी जाती है।

(3) उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने में की गई प्रगति की निगरानी करने के लिए कृत्यक बल स्थापित किए गए हैं।

(4) नदी की जल गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

(5) दोषी इकाइयों के विरुद्ध मुकदमे चलाए जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए सामग्री विकास केन्द्र

3013. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए विभिन्न सामग्री विकास केन्द्र स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) संस्था पंजीकरण अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-मेट) की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के विशिष्ट क्षेत्र में हैदराबाद, पुणे तथा त्रिचुर में तीन प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। सी-मेट का मुख्य उद्देश्य कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के रेंज के लिए प्रायोगिक स्तर पर प्रौद्योगिकी का विकास करना और वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग के लिए उद्योग को प्रौद्योगिकी का अन्तरण करना होगा। जहां तक हैदराबाद स्थित सी-मेट के कार्यकलापों का संबंध है, इसका प्रभाव क्षेत्र उच्च परिशुद्धता की धातुओं और मिश्र धातुओं तथा उनसे संबद्ध उत्पादों के क्षेत्र में होगा। सी-मेट, पुणे मोटी फिल्म सामग्रियों, एम० ओ० एस० रासायनिक पदार्थों तथा विशिष्ट प्लास्टिकों का विकास करेगा। त्रिचुर स्थित सी-मेट के लिए इलेक्ट्रॉनिकी सिरेमिक तथा रेअर अर्थ से संबंधित सामग्रियों के क्षेत्रों को चुना जा रहा है।

येलेरू जलाशय परियोजना को स्वीकृति

3014. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने येलेरू जलाशय परियोजना को, जिससे विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को जल की सप्लाई होनी है, स्वीकृति प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उपर्युक्त परियोजना पर पुनर्विचार कर इसे स्वीकृति प्रदान करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) येलेरू जलाशय परियोजना को अपेक्षित पर्यावरणीय कार्य योजनाओं के न भेजे जाने के कारण अक्तूबर, 1987 में रद्द कर दिया गया था।

(ग) आंकड़े भेजने में विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के साथ पूरी सूचना और कार्य योजनाएं भेजने पर ही इस प्रकार के मामलों पर विचार किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अप्रयुक्त पड़ी वन भूमि

3015. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में विशाल वन भूमि क्षेत्र अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस भूमि के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बकी का उपयोग करके किए गए अध्ययन के अनुसार रिकार्ड किए गए 75.18 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 64.01 मीलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तव में वृक्ष हैं और शेष 11.17 मीलियन हेक्टेयर क्षेत्र अवक्रमित वन क्षेत्र है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवक्रमित वन भूमि में से 9 मीलियन हेक्टेयर पर फिर से वन लगाने का प्रस्ताव है। अवक्रमित वन भूमि के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विकास दर

3016. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में देश में सामान्य रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में तथा विशेष रूप से टेलीविजन के क्षेत्र में विकास दर क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए थे तथा उक्त अवधि में इस क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) आठवीं योजना के अंत तक कितना उत्पादन और कितनी मांग हो जाने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उत्पादन वर्ष 1984-85 में 665 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1989-90 में वर्तमान मूल्यों पर 2850 करोड़ रु० हो गया है, इस प्रकार कुल मिलाकर 34% विकास की दर हासिल हुई।

वर्ष 1984-85 से 1989-90 के दौरान श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन नीचे दिए अनुसार हुआ :

वर्ष	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेट (संख्या 10 लाख में)	विकास का प्रतिशत	रंगीन दूरदर्शन सेट (संख्या 10 लाख में)	विकास का प्रतिशत
1984-85	1.1		0.35	
1985-86	1.9	72.7	0.70	100.0
1986-87	2.3	21.0	0.90	28.6
1987-88	3.6	56.5	1.2	33.3
1988-89	4.5	25.0	1.5	7.5
1989-90	3.8	(—)15.5	1.2	(—)20.0

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था जबकि 2850 करोड़ रुपये का वास्तविक उत्पादन हासिल किया गया।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग पर गठित कार्यकारी दल ने आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में ≥500 करोड़ रुपये के उत्पादन के लक्ष्य की सिफारिश की है। इसमें निर्यात के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

फ्रांस से "लाइट वाटर रिएक्टरों" की खरीद

3017. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 900 मेगावाट के दो "लाइट वाटर रिएक्टरों" की खरीद के संबंध में फ्रांस के साथ पुन: बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इनकी खरीद के लिए पहले क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं;

(ग) क्या वे ही शर्तें अब भी लागू होंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो नयी शर्तें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शर्तों पर विचार किया जा रहा है और उन्हें अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नेशनल बोटेनीकल रिसर्च इन्सटिट्यूट द्वारा "टिशू कल्चर"

3018. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इन्सटिट्यूट ने "इकानामिक प्लांट्स" का "टिशू कल्चर" विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पौधों के नाम क्या-क्या हैं और अब तक कितनी पौध विकसित की गई, वितरित की गई और बेची गई है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि एक ही कार्य दो स्थानों पर न किया जाये और सी० एस० आई० आर० की विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाएं जैसे आई० ए० आर० आई० आदि के साथ पूर्ण समन्वय हो; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन० बी० आर० आई०), लखनऊ द्वारा इकॉनॉमिक प्लांट्स (किफायती पौधों) की टिशू कल्चर के माध्यम से बहुगुणी वृद्धि के लिए प्रोटोकोल्स विकसित किये गये है। इसके ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

केन्द्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान (सी० आई० एम० ए० पी०), लखनऊ के फार्म में डाइ आस्कोरिया बहुल-पुष्पी (फलोरीबुन्डा) पर और बंथा अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ में बांस पर आधुनिक तरीके से वृहद स्तरीय क्षेत्रीय परीक्षण आयोजित किये गये हैं।

प्रयोगशाला अनुसधान कार्य में संलग्न है और वृहद स्तर पर पौधों का उत्पादन और विक्रय करती है।

(ख) जी, हां। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन० सी० एल०) पुणे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी० ए० आर०), नई दिल्ली आदि में यह कार्य अनावश्यक रूप से दो स्थानों पर एक साथ नहीं किया जा रहा है।

टिशू कल्चर की बहुगुणी वृद्धि कार्य के अतिरिक्त जनन द्रव्य (जर्मप्लाज्मा) का संरक्षण करने, सिन्थेटिक बीजों और उपज की बेहतर समझ के लिए, अकार्बनिक नमकों और हारमोन ऑरगैनिक मैटाबोलिटिज बढ़ने की विधिताओं के लिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन० बी० आर० आई०) कार्य कर रहा है। इन सबमें अनुसंधान अन्वेषणों के एकीकृत कार्य-क्रम सम्मिलित होते हैं। उनके परिणामों में पता चलता है कि अन्य अनुसधान प्रयोगशालाओं में किये जा रहे समानांतर कार्य से इनका समन्वय है।

विवरण

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन० बी० आर० आई०), लखनऊ द्वारा विकसित किये गये इकानॉमिक प्लांट्स (किफायती पौधे)

क्रमांक	पौधों की श्रेणी	पौधों के नाम	विकसित की गई पौध की संख्या
1	2	3	4
1.	ओरनामैंटल्स	क्राइसेन्थीमम मोरिफॉलियम	100 +150
		अमारीलिस हाईब्रिड	300
		ग्लोडिओलस	200
		बोगेनविलिआ गेवरा	25
		रोजा हाईब्रिडा	25
2.	आर्किड	वंदा हाईब्रिडा (विट्रो में)	100
		रिन्कोस्टाइलिस रेटूसा (विट्रों में)	100
		डेन्ड्रोबियम क्राइसोटोक्सम (विट्रों में)	100
3.	मैडीसिनल्स (औषधीय)	डाइआस्कोरिया फलोरीबुन्डा	1000
		डाइआस्कोरिया डेल्टोईडिआ	50
		रौवाल्फिया सर्पेन्टाइना	200
		कॉस्ट्स स्पेसिअस	50
		रोजमैरिनस ऑफसिआनेलिस	200
4.	फल	सिट्रस ओरटैंसिफोलिआ	50
		सिट्रस सिनेंसिस	50
		सिट्रस ग्रेंडिस	50

1	2	3	4
		सिट्रस कारना	25
		सिट्रस जमीरी	25
5.	वुडी प्लांट्स	सिमोंडसी चिनेंनासिस	50
		डेन्ड्रोकालामस स्ट्रीक्टस	100
		बम्बूसा बालकूआ	100
		थाईरस्टेचिस ओलीवेरी	100
		मित्राग्याना पारवीफोलिआ	10
		डेलवरजिआ लेटीफोलिआ	10

यूनियन कारबाइड प्लांट भोपाल के आस-पास जहरीले तत्वों का पाया जाना

3019. **श्री भवानी शंकर होटा :**
श्री राम बहादुर सिंह
श्री हरीश पाल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के छह वर्षों के पश्चात् भी भोपाल में यूनियन कारबाइड प्लांट के आस-पास के वातावरण में जहरीले तत्व बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां पाए गए जहरीले तत्वों का ब्यौरा क्या है और ये तत्व वहां कितने और समय तक और कितने क्षेत्र में विद्यमान रहेंगे; और

(ग) लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए जहरीले तत्वों की उपस्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यू० सी० आई० एल० को बन्द किये जाने के बाद इसके परिसर में जो 25 रसायन थे, उनमें से 22 रसायनों को दूसरे स्थानों पर ले जाया गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने शेष तीन रसायनों के सुरक्षित निपटान के लिए पहले ही कारंवाई शुरू कर दी है।

सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 1990 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशतता

3020. **श्री राम सागर (सैदपुर) :**
श्री हेत राम :
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 1990 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र।... प्रतिशतता कितनी है और गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणामों की तुलना में यह प्रतिशतता कितनी कम अथवा अधिक है;

(ख) इस वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशतता में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 1987-90 की 4 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा की उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :

1987	72.7%
1988	82.8%
1989	81.2%
1990	71.9%

(ख) वर्ष दर वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशतता में उतार-चढ़ाव होता रहता है। 1990 में झुकाव उम्मीदवारों की संख्या में करीब 20% अचानक और असामान्य बढ़ोतरी के कारण हो सकता है।

(ग) देश के सरकारी स्कूलों सहित सभी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार निम्नलिखित रूप से प्राप्त किया जा सकता है :

(I) उनको शिक्षा के सभी स्तरों के लिए रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा प्रकाशित व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में दिए गए मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर विकसित पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराना।

(II) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं द्वारा शैक्षणिक/भौतिक निवेशों में सुधार करना।

(III) योग्य अध्यापकों का चयन, उन्हें अच्छे वेतनमानों/भत्तों का प्रावधान तथा अभिप्रेरण उत्पन्न करने के लिए उन्हें पदोन्नति के माध्यम प्रदान करना।

(IV) अध्यापकों के लिए सेवा-कालीन प्रशिक्षण के वास्ते उन्नत सुविधाएं।

(V) नियमों में प्रदत्त आचार-संहिता का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षकों के संबंध में दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। इस संहिता में जानबूझकर कर्तव्यों की उपेक्षा, स्कूलों अथवा कक्षाओं से अनाधिकृत अनुपस्थिति और किसी छात्र को प्राइवेट ट्यूशन देने का निषेध किया गया है।

(VI) अभिभावक-शिक्षक संघ के मंच के माध्यम से अभिभावकों की सहभागिता।

सैन्य बलों के कार्मिकों को पेंशन स्वीकृत करने में विलम्ब

3021. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या प्रधान मंत्री सैन्य बलों के कार्मिकों को पेंशन स्वीकृत करने में विलम्ब के बारे में 7 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7755 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1990 तक बकाया पड़े 171 मामलों में से सशस्त्र सेनाओं के 134 कार्मिकों को पेंशन मंजूर की गई थी। बकाया पड़े मामलों में विलम्ब के मुख्य कारण हैं—पेंशन को मंजूर करने के लिए विशेष वितरण व्यवस्था की आवश्यकता और अधूरे/गलत दस्तावेज। सशस्त्र सेना मुख्यालयों में कार्यरत सभी 6 सिविलियनों के मामलों में भी पेंशन मंजूर कर दी गई है।

श्रमिकों की संख्या पर आधारित योजना

3022. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भावी आयोजना श्रमिकों की उपलब्धता के आकलन के बाद बनाये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो श्रमिक शक्ति जैसे प्रमुख संसाधन और उसका उपयोग किये जाने के मामले को योजना में किस प्रकार स्थान दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) दस साला जनसंख्या जनगणना सहित, समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से जनशक्ति आपूर्ति संबंधी परिमाण तथा वृहद पैटर्न उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग जनशक्ति उपयोग संबंधी आयोजना सहित योजना के प्रयोजनार्थ किया जाता है। अतः विशेष रूप से भावी आयोजना के प्रयोजन के लिए जनशक्ति की उपलब्धता संबंधी कोई विशेष जनगणना आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेलम जिले में स्टेडियम के निर्माण के लिए सहायता

3023. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा सेलम जिले में किसी स्कूल को स्टेडियम के निर्माण के लिए सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी राशि की सहायता दी गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत शारदा बालिका विद्यालय, सेलम को खेल अवस्थापना के विकास, इसके अनुरक्षण तथा खेल कार्यकलापों के आयोजन के लिए सहायता दी जा चुकी है।

(ख) प्रारम्भ में 1986 में स्कूलों को खेल अवस्थापना के विकास के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। अवस्थापना के अनुरक्षण तथा खेल कार्यकलापों के लिए 1989-90 में 50,000 रुपये तथा 1990-91 में 50,000 रुपये दिये गये थे।

मौसम की भविष्यवाणी

3024. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व जनसंख्या 1990 प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि राजस्थान में लोगों को और अधिक सड़ी गरमी सहन करनी होगी तथा कश्मीर का ठंडा मौसम एक बीती बात होगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन में की गई भविष्यवाणी की स्थिति पर काबू/विजय पाने हेतु कोई योजना बनाई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रकाशन "दि स्टेट आफ वर्ल्ड पापुलेशन, 1990" में यह उल्लेख किया गया है कि आगामी शताब्दी के मध्य तक विश्व के तापमान में 1.5°-2.8° सैल्सियस तक बढ़ जाने की संभावना है किन्तु इसमें राजस्थान और कश्मीर पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता नहीं चलता है कि राजस्थान अथवा कश्मीर की जलवायु में कोई क्रमबद्ध परिवर्तन अथवा प्रवृत्ति होगी। तथापि अगले दशकों के अल्पावधि भविष्य में विश्व जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र गहन अंतर्राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान का एक मामला है जिससे अधिक निर्णयात्मक और वास्तविक जानकारी तथा विश्लेषण हो सकेगा। इसी के आधार पर यथोचित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सागर विश्वविद्यालय को अनुदान

[हिन्दी]

3025. **श्री कंकर मुंजारे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश स्थित सागर विश्वविद्यालय को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ख) बालाघाट जिले के उन कालेजों का ब्यौरा क्या है जिनमें आवेदन-पत्र कालेजों के विस्तार कार्यों तथा वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को वर्ष दर आधार पर नहीं बल्कि पंचवर्षीय योजना के लिए अनुदान प्राप्त करता है। तदनुसार, सागर विश्वविद्यालय को 7वीं योजना अवधि के दौरान विकास उद्देश्यों के लिए 134.49 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया था।

(ख) 7वीं योजना अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चार कालेजों ने विस्तार-कार्य और वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद के लिए अनुदानों के वास्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया। इनमें से, राजकीय पी० जी० कालेज, बालाघाट और राजकीय एस० एस० पी० कला तथा वाणिज्य कालेज, वारासूनी (बालाघाट) को अनुदान सस्वीकृत किए गये थे। तथापि, कमला नेहरू कालेज, बालाघाट और राजकीय ए० बी० कला तथा वाणिज्य कालेज, बैहर (बालाघाट) को वि० अ० आ० द्वारा अपेक्षित संशोधित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अनुदान जारी नहीं किए जा सके।

सेवा सम्बन्धी मामलों में मुकदमेबाजी

[अनुवाद]

3026. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के कुछ समय से सेवा सम्बन्धी मामलों में मुकदमेबाजी के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ में दायर किये गये मामलों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी विभागों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (एस० एल० पी०) की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर किए गए मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1987 से जून 90 तक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य पीठ में दायर मामलों (विविध याचिकाओं को छोड़कर) की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	दायर मामले		
	स्थानान्तरित आवेदन	संगठित आवेदन	कुल
1987	183	2058	2241
1988	31	2729	2760
1989	48	3044	3092
जून, 90 तक	06	1421	1427

(ग) सरकारी विभागों द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाओं से संबंधित आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से संकलित रखे नहीं जाते हैं चूंकि विशेष अनुमति याचिकाएं विभिन्न विभागों द्वारा पृथक रूप से दायर की जाती हैं। यह सूचना एकत्रित की जाएगी तथा पटल पर रख दी जाएगी।

वनों के संरक्षण हेतु कदम उठाना

3027. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वनों को काटने और नष्ट होने से बचाने के लिए कोई वैसी ही पुलिस कार्रवाई या व्यवस्था करने का विचार है, जैसी कि ब्राजील में है जहां वर्षा-प्रचुर वनों को बचाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई, जिससे ब्राजील की स्पेस एजेंसी "नासा" उपग्रह से पांच गज तक के वन के नष्ट होने की सूचना भी प्राप्त हो जाती है तथा हवाई और हेलीकॉप्टर सर्वेक्षण के माध्यम से वनों को नष्ट करने वालों का पता लगाकर उन्हें सजा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वनों को काटने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) भारत में ब्राजील माडल पर वनों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया जाता।

(ग) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार वनों की कटाई के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को सजा दी जाती है।

केथा गांव के क्षेत्र में प्राचीन मूर्तियां

3028. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विख्यात ज्योतिषी बराहमिहिर के जन्म स्थान, केथा गांव के चारों ओर प्राचीन मूर्तियां तथा पुरातत्व महत्व की अन्य वस्तुएं विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह स्थल केन्द्रीय संरक्षण में नहीं आता। चबूतरे पर पड़ी इनमें से बहुत-सी मूर्तियों की पूजा होती है। राज्य सरकार द्वारा, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों को उज्जैन भेज दिया गया है।

शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में

3029. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "शिक्षा के अधिकार" को मौलिक अधिकार के रूप में विशेषकर बच्चों को तथा सामान्य रूप से सभी नागरिकों के लिए व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है: और

(ग) स्कूली शिक्षा से वंचित रहने वाले 5 से 14 वर्ष की आयु वाले लड़के और लड़कियों की संख्या और प्रतिशत की अलग-अलग नवीनतम अनुमान क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों सहित, केन्द्र एवं राज्य सरकारें कुछेक कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रही हैं। 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर एवं अन्य कुशलता अर्जित करवाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी आरम्भ किया है। सरकार ने उच्चतर शिक्षा के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं और अवस्थापना प्रदान की है और छात्रों से निमित्त मात्र शुल्क वसूल किया जाता है। सरकार कई वर्षों से शिक्षा के लिए आबंटन को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। यहां तक कि संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों के विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत, 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कानून बनाए

हुए हैं। इन घटकों का ध्यान रखते हुए मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार शामिल करना अतिशयोक्ति होगी।

(ग) रा० शै० अनु० तथा प्रशि० परिषद द्वारा वर्ष 1986-87 में किये गये पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :

आयु वर्ग	अनुमानित जन संख्या	दाखिला	स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या	कुल जनसंख्या की प्रतिशतता
			(लाखों में)	
6-14 आयु वर्ग	1506	1002	504	33.5%

राष्ट्रीय विकास परिषद् को सुदृढ़ बनाना

3030. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् को सुदृढ़ बनाने और राष्ट्रीय विषयों पर परामर्श करने हेतु इसे एक यथार्थ मंच बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद को सक्रिय तथा सुदृढ़ करके राज्य सरकारों के साथ नियमित परामर्श करने के लिए प्रतिबद्ध है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टि-कोण पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की दो-दिवसीय बैठक जून, 1990 में बुलाई गई थी।

वनों की कटाई की दर

3031. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सूची में दर्ज उन ग्यारह देशों में से एक है, जो वनों की कटाई से निकालने वाले 82 प्रतिशत कार्बन के लिए जिम्मेदार हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष सेटेलाइट सेंसिंग स्टडोज के अनुसार किस दर से वनों की कटाई हुई; यदि हां, तो हमारे देश में वन-अपरोपण की अधिक दर होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कानूनी तौर पर काफी बड़े क्षेत्र, जिन्हें वन भूमि के रूप में दर्शाया जाता है, वस्तुतः पेड़रहित हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 100 किस्में लुप्त हो रही हैं और वनों के नीचे वाली मिट्टी वन कटने से जल्दी बह जाती है; और

(घ) यदि हां, तो वन भूमि के संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से प्रकाशित वर्ल्ड रिसोर्सेस

इन्स्टीट्यूट की 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन 11 देशों में से एक है जो वनों की कटाई से निकलने वाले 82 प्रतिशत कार्बन के लिए जिम्मेदार है। प्रतिवर्ष काटे गए वनों तथा कार्बन डाईआक्साइड फ्लक्स में मानव द्वारा की गई वृद्धि के ब्यौरे दर्शाने वाले देशों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। लेकिन उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 1981-83 और 1985-87 के बीच भारत में वृक्षा-वरण की क्षति की वार्षिक दर 47,500 हेक्टेयर है न कि 15 लाख हेक्टेयर, जसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

वन कटाई के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) जनसंख्या में वृद्धि के कारण जलाने और निर्माण के लिए लकड़ी की अधिक मांग।

(2) अत्यधिक चराई, जिसके फलस्वरूप वन भूमि का अवक्रमण हुआ है।

(3) लकड़ी पर आधारित उद्योगों की आवश्यकताएं।

(4) अवक्रमित वन भूमि के पुनरुद्धार के लिए अपर्याप्त वित्तीय व्यवस्था।

(5) आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, झूम खेती की समस्या।

(ग) और (घ) 1989 की स्टेट रिपोर्ट आफ फारेस्ट के अनुसार देश में रिकार्डेड वन क्षेत्र 75.18 मिलियन हेक्टेयर तथा वास्तविक वन क्षेत्र के अन्तर्गत 64.01 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र हैं। अतः 75.18 मिलियन हेक्टेयर रिकार्डेड वन क्षेत्र से 11.17 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र अवक्रमित वन भूमि है। सरकार ने वनों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है। चराई, आग और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा करने के लिए इसमें विशेष हैं।

(2) वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया। 1988 के संशोधन द्वारा अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।

(3) वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(4) घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के बदले ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है।

(5) पैकेजिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण फर्नीचर आदि में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग करना।

(6) इमारती लकड़ी के लिए आयात नीति को उदार बनाया गया है।

(7) लकड़ी के बदले कृषि अपशिष्ट जैसी कच्ची सामग्री का प्रयोग करने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(8) झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(9) वनों की सुरक्षा के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं :—

1. प्राकृतिक वनों को कटाई न करना और जहां इस प्रकार की कटाई फसलों की बहाली या अन्य वनवर्धन कार्यों के लिए जरूरी हो, वहां कटाई पहाड़ियों में 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए।
2. कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ियों में 1,000 मीटर से ऊपर कटाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना।
3. पहाड़ियों और पर्वतों में उन नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वनों की सुरक्षा तथा तत्काल तेजी से वनरोपण किए जाने की आवश्यकता है।
4. भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत भाग को वन्यजीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।
5. आरा मिलों के नियमन के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	देश	प्रतिवर्ष काटे गए वन (हजार हेक्टेयर)	मानवजनित कार्बनडाई आक्साइड फ्लक्स में मानव द्वारा की गई वृद्धि	कार्बन डाईआक्साइड प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	ब्राजील	8,000	1,200,000	42.85
2.	इंडोनेशिया	900	220,000	7.85
3.	माइनमूर (बर्मा)	677	150,000	5.35
4.	भारत	1,500	140,000	5.00
5.	कोलम्बिया	—	120,000	4.28
6.	कोट डि आइवोर	—	100,000	3.57
7.	थाईलैंड	397	94,000	3.36
8.	लाओस गणतंत्र	—	85,000	3.30
9.	फिलीपीन	143	68,000	2.42
10.	वियतनाम	173	58,000	2.07
11.	नाइजीरिया	—	58,000	2.07
	कुल	11,790	22,93,000	82.12

पंजाब में विद्यालयों को वित्तीय सहायता

3033. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब के विद्यालयों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए सहायता बढ़ायी है अथवा बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य सरकार को 201 व्यावसायिक कक्षाओं वाले 67 स्कूलों में +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए वर्ष 1987-90 के दौरान 261.84 लाख रु० की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान 95 स्कूलों में 285 व्यावसायिक कक्षाओं को चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस प्रयोजनार्थ पहली किश्त के रूप में 371.71 लाख रुपये की राशि मुक्त की जा रही है।

पंजाब में उद्योगों द्वारा प्रदूषण

3034. **श्री कमल चौधरी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में प्रत्येक ऐसे उद्योग से किस स्तर तक प्रदूषण फैल रहा है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने कौन-से सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इन औद्योगिक एककों को सरकार द्वारा क्या अनुदेश/निर्देश दिए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) पंजाब राज्य में 6000 जल प्रदूषण और 3500 वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पता लगाया गया है। प्रत्येक इकाई से होने वाले उत्सर्जनों और बहिस्रावों के स्तर के ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने उद्योग-विशिष्ट बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को निर्धारित समय के भीतर उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने होते हैं। प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट को संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। दोषी इकाइयों के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इकाइयों को प्रदूषण कम करने के उपाय करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

घटिया माल की सप्लाई

[हिन्दी]

3035. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** घटिया माल की सप्लाई के बारे में 14 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8540 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल 33 मामलों में जांच के आदेश जारी किये जाने के क्या कारण हैं; और जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आरम्भिक जांच के जो आदेश दिये गये थे, उसके निष्कर्ष क्या हैं और क्या उन सभी के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) पहले केवल 33 मामलों में जांच के आदेश दिए गए, क्योंकि शेष 53 मामलों में अभी आरम्भिक जांच पूरी की जानी थी।

33 मामलों में से 31 मामलों में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं, इनमें से 8 मामले ऐसे हैं जिनमें निरीक्षण की चूकें हुई हैं। शेष 23 मामलों की जांच रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

(ख) उन 53 मामलों के संबंध में जिनकी पहले आरम्भिक जांच की जा रही थी, इनमें से 2 मामलों में संबधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। शेष 51 मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं।

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

3036. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 10,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र से अधिक की कौन-सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार को 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई आवाह क्षेत्र अभिक्रिया योजना महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) महाराष्ट्र की केवल वाघुर और धुन्नी सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित हैं।

(ख) और (ग) परियोजना प्राधिकारियों ने उपलब्ध सूचना के आधार पर इन दोनों परियोजनाओं के लिए जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना प्रस्तुत की है। परियोजना प्राधिकारी को इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए पर्यावरण मूल्यांकन समिति के साथ इसकी अगली बैठक में इन योजनाओं पर चर्चा करनी है।

न्यू मुंबई में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठ के समक्ष लंबित मामले

3037. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू मुंबई स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अतिरिक्त पीठ के समक्ष कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ख) न्यू मुंबई स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अतिरिक्त पीठ में सदस्यों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं और ये पद कब तक भरे जाएंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 31-7-1990 को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की न्यू मुंबई पीठ के समक्ष 2527 मामले (विविध याचिकाओं को छोड़कर) लम्बित हैं।

(ख) इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यू मुंबई पीठ में उपाध्यक्ष का एक पद और सदस्य (न्यायिक) का एक पद रिक्त हैं। इन पदों को शीघ्र ही भरे जाने की सम्भावना है।

बर्लिन दीवार पर भारतीय सेना बैंड को कार्यक्रम प्रस्तुति के दौरान रोका जाना

3038. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बर्लिन दीवार पर एक समारोह में भारतीय सेना बैंड को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने से अल्पसूचना पर रोका गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बैंड को बाद में इंग्लैंड भेज दिया गया था; यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आया है;

(घ) क्या सरकार को भारतीय सेना बैंड की कार्यक्रम प्रस्तुति पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ङ) एक अन्तर सेना बैंड को विश्व युद्ध स्मारक निधि के तत्वावधान में बर्लिन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रारम्भ में आमंत्रित किया गया था लेकिन गुटबंदी वाले राष्ट्रों ने यह निर्णय लिया कि बर्लिन में आयोजित समारोह में किसी विदेशी गैर-मित्र राष्ट्र की सेना के बैंडों को भाग न लेने दिया जाए, इसलिए बर्लिन में प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया गया।

इसके पश्चात् चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, यू० के० (ब्रिटेन) के आमंत्रण पर भारतीय अंतर सेवा बैंड की लन्दन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा विश्व युद्ध स्मारक निधि द्वारा सभी खर्चे उठाकर आयोजित की गई। इस बैंड ने ब्रिटेन में कई स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिनकी ब्रिटिश नागरिकों ने काफी प्रशंसा की।

इंजीनियरी कालेजों में दाखिले

3039. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले

का आधार मानने के लिए भौतिकी और गणित में प्लस टू स्तर पर प्रत्येक राज्य में सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद द्वारा इस संबंध में कोई निश्चित मार्गनिर्देश तैयार किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने राज्यों को ऐसे मार्गनिर्देश जारी किये गए हैं; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा इन सिफारिशों को कब तक लागू किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) तकनीकी संस्थाओं में दाखिले की मार्गदर्शी रूपरेखाओं को शैक्षिक वर्ष 1991-92 से प्रभावी कर इन्हें लागू करने के लिए उपाय आरंभ करने हेतु इन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी कर दिया गया है ।

निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार डिग्री कार्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा में एक ही बार बैठने से भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित में न्यूनतम कुल 60 प्रतिशत अंकों सहित 10+2 विज्ञान शिक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यह मानदण्ड वहां लागू होगा जहां दाखिले 10+2 विज्ञान पद्धति में प्राप्त अंकों के आधार पर होते हैं न कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर ।

इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि सभी राज्य सरकारें 10+2 स्तर पर भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित के विषय में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करें। यह प्रवेश परीक्षा राज्य में सभी इंजीनियरी डिग्री संस्थाओं के लिए समान होनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा की पात्रता के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना आवश्यक नहीं और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को बैठने की अनुमति होनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता रैंक ही दाखिले का आधार होना चाहिए।

पौधों का मुफ्त वितरण

3040. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में अच्छी वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों, स्कूलों, कालेजों और अन्य संगठनों को पौधों के मुफ्त वितरण के प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर इन्हें मुफ्त बांटा गया है; और

(ग) अब तक वितरित किए गए पौधों की कुल लागत कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) किसानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संगठनों को निःशुल्क अथवा अन्य प्रकार से वितरण राज्य स्तर पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रबंध संबंधित राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं। इस बात को देखते हुए और जैसा कि यह कार्य पूरी बरसात के मौसम में किया जाता है, अतः स्थानों का ब्यौरा और वितरित पौद की कुल लागत का विवरण अभी बताना संभव नहीं है ।

भारतीय शान्ति सेना मृतक कार्मिकों के आश्रितों को रोजगार

3041. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना के कितने कार्मिकों ने अपनी जानें गंवाईं;

(ख) भारतीय शान्ति सेना के मारे गए कार्मिकों को कुल कितनी विधवाओं और आश्रितों को रोजगार और रोजगार के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) क्या उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 1157 (इनमें गुमशुदा तथा मृत मान लिए गए 34 कार्मिक भी शामिल हैं)।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए/निशक्त हुए 50% से अधिक निशक्तता तथा रोजगार के लिए अनुपयुक्त परन्तु सैन्य सेवा के कारण निशक्त रक्षा सेना कार्मिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवा सहित, के 2 आश्रित, केन्द्र सरकार के अन्तर्गत समूह "ग" तथा "घ" में भर्ती के लिए प्राथमिकता 2 (क) पाने के हकदार हैं। भारतीय शांति सेना के हताहत हुए कार्मिकों के मामले में विशेष छूट देते हुए, सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं :—

(1) भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए निशक्त हुए कार्मिकों को अन्य सामान्य श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों से प्राथमिकता दी जाए।

(2) श्रीलंका की कार्रवाई में हताहत हुए भारतीय शांति सेना कार्मिकों के आश्रितों को प्राथमिकता तथा अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देना तथा उनके मामलों में यथासंभव छूट प्रदान करना विशेषकर प्राप्त सेवांत लाभों को ऐसी नियुक्तियों पर विचार करते समय हिसाब में न लेना।

रेवा (मध्य प्रदेश) से मूर्तियों की चोरी

[हिन्दी]

3043. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेवा (मध्य प्रदेश) से छठी शताब्दी के पुरातात्विक महत्व की कुछ बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की ऐसी बहुमूल्य सम्पति का और अधिक कारगर संरक्षण एवं सुरक्षात्मक प्रबंध करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार 1990 के दौरान मध्य प्रदेश के रेवा क्षेत्र से 38 मूर्तियों के चुराये जाने की सूचना मिली है, किन्तु मूर्तियों की तिथियां नहीं बताई गई हैं। इनमें से कोई भी केन्द्र द्वारा संरक्षित इस क्षेत्र के किसी स्मारक की नहीं है।

(ग) से (ङ) कानून के जरिये मूर्ति-चोरों को पकड़ने के अलावा, भारत सरकार द्वारा पुरावस्तुओं की चोरियां और तस्करी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

1. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है :

(i) कुछ श्रेणी की पुरावस्तुओं का अनिवार्य पंजीकरण (सभी प्रकार की मूर्तियों, चित्र और चित्रित एवं सजावटी पांडुलिपियां);

(ii) पंजीकृत पुरावस्तुओं के लाने-ले जाने का रिकार्ड रखना;

(iii) पुरावस्तुओं के क्रय-विक्रय का कार्य केवल लाइसेंस वाले व्यापारियों तक रखना; और

(iv) पुरावस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।

2. अन्य उपायों में (i) केन्द्र द्वारा संरक्षित महत्वपूर्ण स्मारकों/संग्रहालयों में सशस्त्र गार्डों की तैनाती, (ii) महत्वपूर्ण स्थलों पर मूर्ति-शेडों और पुरातत्व संग्रहालयों की देखभाल, (iii) पहरा व निगरानी के प्रबन्धों में सख्ती जिसमें सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है, (iv) सीमा-शुल्क के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, और (v) निर्यात की जाने वाली कला/शिल्प की वस्तुओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समितियों की स्थापना।

3. 1977 में, "सांस्कृतिक सम्पत्तियों के अवैध आयात निर्यात और स्थानान्तरण को रोकने के उपाय" पर यूनेस्को सम्मेलन के अनुमोदन के पश्चात्, भारत इस स्थिति में है कि वह भारतीय मूल की उन चोरी/गुम गई पुरावस्तुओं और बहुमूल्य कलाकृतियों की वापसी के लिए उस देश पर दावा कर सकता है, जहां ये अनुमोदन की तिथि से मौजूद हैं।

4. पुरावस्तुओं की चोरियों और हानि के केसों की पड़ताल करने के लिए "केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो" में एक "पुरावशेष कक्ष" खोला गया है।

प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए नमूना स्टेशनों की स्थापना

3044. **श्री शिबू सोरेन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "नाकम" परियोजना के अंतर्गत प्रदूषण के स्तर पर निगरानी के लिए जमशेदपुर में नमूना लेने वाले चार स्टेशनों की स्थापना का निर्णय किया है;

(ख) क्या ये चार नमूना लेने वाले स्टेशन जमशेदपुर में आदित्यपुर, जगसलाई, सकीची, गोलमरी में अप्रैल, 1990 तक स्थापित करके प्रारम्भ करने का विचार था और नमूना लेने वाला ऐसा स्टेशन पहले से ही धनबाद शहर में पिछले चार साल से कार्यरत है;

(ग) क्या इन स्टेशनों के चालू न होने से संदेह पैदा हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस देरी के जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कारंवाई करने का तथा इन स्टेशनों को शीघ्र प्रारम्भ करने को सुनिश्चित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत मानीटरिंग स्टेशनों की स्थापना में उचित स्थान का चयन, स्थान के मालिक की अनुमति प्राप्त करना, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, कर्मचारियों की भर्ती, रसायन, ग्लासवेयर, उपकरण आदि हासिल करना जैसे तैयारी संबंधी अनेक कार्य करने होते हैं जिनमें समय लगता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वीकृत स्टेशनों की स्थापना के बारे में बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मामले को उठा रहा है।

पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

[अनुवाद]

3045. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां पर पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है अथवा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) सरकार का इन राज्यों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए राज्यवार कितने व्यक्तियों/संगठनों/यूनिटों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करके पर्यावरण संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 13 के तहत इन दोनों राज्यों के लिए संयुक्त बोर्ड स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। केन्द्रीय सरकार ने नागालैंड राज्य बोर्ड के कार्य संभालने के लिए पूर्वोत्तर परिषद् को कहा है।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 3160 मामले और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 850 मामले दायर किये गये हैं और इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। व्यक्तियों, संगठनों और इकाइयों के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

31 मार्च, 1990 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना पर मामलों और उनके परिणामों की सूची

क्र० सं०	बोर्ड का नाम	जल अधिनियम	वायु अधिनियम	दोनों अधि-नियमों के तहत कुल मामले	जल अधिनियम के तहत कुल निर्णय			वायु अधिनियम के तहत कुल निर्णय			रद्द/वापस लिए गए	कुल मामले	लम्बित मामले
					निर्णयों की सं०	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के खिलाफ	निर्णयों की सं०	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के खिलाफ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	1	16	6	3	3	1	—	1	1	7	8
2.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	123	42	165	32	29	2	3	—	3	1	35	120
4.	गोआ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	गुजरात	1013	263	1276	252	118	134	45	28	18	—	297	979
6.	हरियाणा	247	166	413	121	106	15	18	18	—	—	139	274
7.	हिमाचल प्रदेश	46	22	68	21	13	8	8	7	1	—	29	39
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	कर्नाटक	60	27	87	8	4	4	1	—	1	—	9	78
10.	केरल	52	—	52	24	21	3	—	—	—	1	24	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	महाराष्ट्र	215	117	332	48	20	28	59	58	1	—	107	229
12.	मध्य प्रदेश	76	26	102	2	—	2	2	1	1	—	4	98
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	उड़ीसा	32	19	51	5	1	3	1	—	1	1	6	44
15.	पंजाब	354	15	369	77	31	46	1	—	1	98	78	193
16.	राजस्थान	228	4	232	61	27	34	2	2	—	—	63	169
17.	उत्तर प्रदेश	195	7	202	93	91	2	2	2	—	—	95	107
18.	तमिलनाडु	300	120	420	33	21	12	84	73	11	—	117	30
19.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	पश्चिम बंगाल	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	14
	संघ शासित क्षेत्र												
1.	चंडीगढ़	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	2	—
2.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	दिल्ली	183	1	184	117	115	2	1	—	1	—	118	66
5.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	पांडिचेरी	5	—	5	4	4	—	—	—	—	—	4	1
7.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	3160	830	3990	906	606	298	228	189	49	102	1134	2754

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्राचीन सम्पत्ति की रक्षा

3046. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के स्पष्ट निदेशों के बावजूद भारत की प्रसिद्ध प्राचीन बहुमूल्य कलाकृतियां देश से, विशेषकर इसके छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, लगातार विदेशों को भेजी जा रही हैं;

(ख) सरकार का भारत की प्राचीन विरासत की रक्षार्थ क्या उचित कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या इस संवेदनशील और कठिन कार्य में सीमा शुल्क कर्मचारियों, अन्य सुरक्षा कर्मियों तथा आसूचना सेवा विभाग को भी उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत की प्राचीन विरासत की सुरक्षा करने और पुरावस्तुओं की चोरियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित रोधी-उपाए किए हैं।

(i) पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को लागू करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं—

(क) कुछ श्रेणियों की पुरावस्तुओं (सभी तरह की मूर्तियां, कला चित्र, सचित्रित और सजावटी पाण्डुलिपियां) का पंजीकरण अधिकारियों के पास अनिवार्य पंजीकरण करना;

(ख) इस प्रकार की पंजीकृत पुरावस्तुओं के स्थानान्तरण के विषय में पंजीकरण अधिकारी को सूचित करना;

(ग) पुरावस्तुओं के व्यापार को लाइसेंस शुदा व्यापारियों तक सीमित करना;

(घ) पुरावस्तुओं का निर्यात सीमित करना।

(ii) पहरा और निगरानी प्रबन्धों को सुदृढ़ करने और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियन्त्रणाधीन केन्द्र सरकार द्वारा परिरक्षित कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों और संग्रहालयों पर सशस्त्र पहरेदार तैनात किए गए हैं। बिखरी मूर्तियों, पुरावस्तुओं इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति शेडों और स्थल पर ही पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए नए स्थल संग्रहालयों का निर्माण किया गया है।

(iii) वर्ष 1977 में, भारत ने सांस्कृतिक परिसंपत्तियों के अवैध आयात, निर्यात और स्थानान्तरण को रोकने के साधनों पर बुलाए गए यूनेस्को सम्मेलन का अनुमोदन किया। सम्मेलन अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी प्रावधान करता है कि संविदाकारी पक्षकार चुराई गई सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों को अपनी सीमाओं में अवैध आयात को रोकने और चुराई गई ऐसी परिसम्पत्तियों को खोजने और सम्बन्धित देशों को लौटाने के लिए कदम उठाएंगे, तथापि सम्मेलन के अधीन

संविदाकारी पक्षकार के अधिकार हस्ताक्षर करने के बाद से प्रभावी होंगे न कि पीछे से।

(iv) पुरावस्तुओं की चोरियों और खोने के मामलों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पुरावस्तु कक्ष खोला गया है।

(v) बिखरी मूर्तियों, कलाचित्रों, सचित्रित पाण्डुलिपियों इत्यादि के प्रलेखन के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं।

(vi) पुरावस्तुओं का पता लगा कर उनके अवैध निर्यात को रोकने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सीमाशुल्क प्राधिकारियों की मदद हेतु महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहों और हवाई-अड्डों पर अपने अधिकारी तैनात किए हैं। और, भारत के महत्वपूर्ण कस्बों में विशेषज्ञ सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं ताकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की यह जांच की जा सके कि क्या कोई वस्तु "पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972" के अनुसार पुरावस्तु है।

(vii) अपराधों, अपराधियों, सांस्कृतिक सम्पत्तियों की चोरी और वस्तुओं की तरकरी की सही रिपोर्ट देने के लिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्य-पुलिस, राज्य की सी० आई० डी०, सीमा-शुल्कों, पड़ताल-चौकियों आदि में तालमेल रखा गया है।

(ग) और (घ) जब कभी आवश्यकता हुई, सर्वेक्षण के और बाहर के योग्य विशेषज्ञों की देख-रेख में ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए हैं; जिनमें पुरातनिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं, भारतीय कला और शिल्प के विषयों, में चित्र, चित्रित पांडुलिपियां आदि शामिल हैं, पुरावस्तुओं और अ-पुरावस्तुओं की विशेषताओं, कलात्मक वस्तुओं की नकल की समस्या तथा उनकी खोज एवं अन्य संबंधित मामलों के समाधानों को शामिल किया गया है।

आठवीं योजना में कृषि विकास

3047. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में कृषि विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक योजना कार्यक्रम बनाने हेतु जून, 1990 में योजना आयोग और कृषि वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में बातचीत के दौरान कोई ठोस प्रस्ताव सामने आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना में इन प्रस्तावों को किस सीमा तक शामिल करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शहरों की ओर ग्रामीण निष्क्रमण को रोकने की दिशा में आदान वितरण प्रणाली, कृषि– निर्यात, लाभकारी मूल्य रोपण फसलों के विकास, लघु सिंचाई के विकास, कृषि उद्योगों के विकास के संबंध में ठोस सुझाव दिए गए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि पेट्रोलियन आधारित उर्वरक दुर्लभ तथा मंहगे होने की स्थिति से उबरने के लिए बायो-प्रौद्योगिकी

पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। वर्षा सिंचित/बारानी कृषि के संदर्भ में, जलसंभर के विकास पर जोर दिया गया। सड़क, बाजार इत्यादि जैसी ग्रामीण आधार संरचना के विकास की आवश्यकता के बारे में सुझाव दिए गए। यह सुझाव भी दिया गया कि किसानों का विनिमय कार्यक्रम भी होना चाहिए ताकि एक राज्य के किसान अन्य राज्यों में जा सकें और वे खेती के उन्नत तरीके सीख सकें। यह सुझाव दिया गया कि किसानों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं के मध्य अपनी-अपनी समस्याएं समझने के संबंध में घनिष्ठ सम्पर्क होना चाहिए। बेहतर पौध रोपण सामग्री सरलता से उपलब्ध करवाकर बागवानी के विकास के संबंध में भी सुझाव दिए गए। यह सुझाव भी दिया गया कि बासमती चावल जैसे गैर-पारम्परिक जिन्स के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आठवीं योजना तैयार करते समय इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान

3048. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं। सी० एस० आई० आर० की आठवीं योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तीन मूर्ति भवन में नेहरू कैम्ब्रिज सोसायटी के लिए आवास व्यवस्था

3049. **श्री ब्रज भूषण तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में नेहरू कैम्ब्रिज सोसायटी, कमला नेहरू हास्पिटल सोसायटी आदि संस्थाओं के लिए आवास व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पालन किये नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तीन मूर्ति भवन में अन्य संस्थाओं को भी आवास देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री वक्तव्य देंगे। प्रधान मन्त्री महोदय।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : दिनांक 7 अगस्त, 1990 को···

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी, आप बैठ जायें। मैं आपको परमीशन नहीं दे रहा हूं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। जो हमको बताया गया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी, आप बैठ जायें। मैं व्यवस्था का सवाल सुन रहा हूं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि पी० एम० साहब को जो हमको···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत ? किस रूल का उल्लंघन हुआ है ?

श्री मदन लाल खुराना : मेरा प्रोपरॉयटी और प्वाइंट ऑफ आर्डर दोनों हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या हैं ?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, पहला तो यह कि पी० एम० यहां पर रिजर्वेशन के बारे में स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर की इजाजत से पी० एम० ये स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरी बात सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं।

श्री मदन लाल खुराना : मेरे दो प्वाइंट हैं। पहला तो यह है कि शुक्रवार को जो बहस हुई उसमें कान्सेंसस था कि पी० एम० या सरकार सबको बुलाकर रिजर्वेशन के बारे में सबसे बात करेगी और उसके बाद ही कोई वक्तव्य देगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तीन दिन हो गये हैं। क्या पी० एम० साहब सम्बन्धित कई दलों से बातचीत करके यह वक्तव्य दे रहे हैं ? दूसरे, कल रात को टी० वी० और रेडियो पर और आज सुबह अखबारों में सब आ गया है कि 10 परसेंट तक यह सरकार रिजर्वेशन दे रही है, आर्थिक वालों को तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हाउस चल रहा है जिसके चलते टी० वी०, रेडियो और अखबारों में आ गया और यहां पी० एम० का स्टेटमेंट आ रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मैंने कहा कि मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैंने यह भी उठाया है और यह भी कहा है कि यह प्रॉपरायटी का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : यह सदन की मर्यादा का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं प्रॉपरायटी के बारे में यह उठा रहा हूं। हमने जो वक्तव्य आज अखबारों में पढ़ा, रात को टी० वी० पर और रेडियो पर आ गया और अब पालियामेंट में पी० एम० का स्टेटमेंट आ रहा है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठ जायें। रावत साहब, आप भी बैठ जायें। यैस, मि० पुजारी।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, कृपया परिचालित की गई कार्य सूची को देखिए।

यदि आप कृपया अनुच्छेद 15 (4) को पढ़ें :

> "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।"

यहां एक बार फिर, मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, प्रधान मंत्री, उच्च जातियों अथवा अन्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभा के सामने आ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अथवा अन्य उच्च जातियों के लिए किसी आरक्षण प्रकार का प्रदान करने के लिए संविधान में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि इस संबंध में वहां कोई आर्थिक मानदण्ड नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मेरे वक्तव्य को जानने से पहले ही वह इस पर वाद-विवाद कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं संवैधानिक उपबन्ध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, क्या कृपया आप अपनी बात को समाप्त करेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं अब अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार के विरुद्ध नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब आप व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं, तो मुझे देखना होता है कि क्या आपने व्यवस्था का सही मुद्दा उठाया है। मेरा यही मुद्दा है।

श्री जनार्दन पुजारी : इसी वजह से मैं प्रासंगिक नियम का उल्लेख कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

महोदय, मेरा यही निवेदन है। जहां तक आर्थिक मानदण्ड का सवाल है, जहां तक सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि में पिछड़ी जातियों का सम्बन्ध है, हमारी नीति है।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, क्या आपका कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है ? मेरा यही मुद्दा है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं भी पिछड़ी जाति का एक व्यक्ति हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत धन्यवाद।

श्री जनार्दन पुजारी : इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जहां तक पिछड़ी जातियों का सम्बन्ध है, उन्हें यह आरक्षण मिलना चाहिए। जनार्दन पुजारी को किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप इस तरह अपनी बात जारी नहीं रख सकते। श्री पुजारी, मैं आपको अनिश्चित समय तक बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक आर्थिक मानदण्ड का सम्बन्ध है पिछड़ी जाति के निर्धन लोगों में से सबके निर्धन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए न कि पुजारी को। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं जानते कि प्रधान मंत्री क्या कहने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री क्या कहने जा रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा मुद्दा यह है कि अन्य उच्च जातियों के अधिक निर्धन वर्गों में से सबसे निर्धन लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, श्री पुजारी आपत्ति कर रहे हैं। वह पूरी तरह से गलत है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब, श्री बसन्त साठे बोलेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। आप काफी कुछ कह चुके हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं एक संवैधानिक मुद्दा उठा रहा हूं। कृपया मुझे कुछ शब्द कह कर अपनी बात को समाप्त करने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक सैकिण्ड में अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यहां एक आन्दोलन हुआ था। विद्यार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे और उन पर लाठी-चार्ज किया गया था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं। अब मैंने श्री वसन्त साठे को अनुमति दी है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : महोदय, मेरा नियम 222 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार में माननीय प्रधान मन्त्री ने इस सभा के विशेषाधिकार का गम्भीर उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री साठे को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास विशेषाधिकार प्रस्ताव का कोई नोटिस नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : इस सभा की स्थायी प्रथा और परम्परा यह है कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो कोई भी नीति सम्बन्धी वक्तव्य सबसे पहले सभा में दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : वह अब वह वक्तव्य देने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : आप इसके बारे में जानते हैं। कृपया नियम देखिए। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : साठे जी, ठहरिये, एक मिनट मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : आपकी तो सुननी ही है, पहले आप हमारी भी सुन लीजिये।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, यह नीति संबंधी निर्णय नहीं है। यह एक निर्णय नहीं, एक प्रस्ताव है। यह केवल एक प्रस्ताव है। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : जब सरकार नीति सम्बन्धी प्रस्ताव रखना चाहती है, तो भी, यदि संसद का अधिवेशन चल रहा हो, तो यह सभा की सुस्थापित परम्परा, प्रथा और मर्यादा है कि प्रधान मन्त्री को संसद को अवश्य सम्मान देना चाहिए और वह प्रस्ताव संसद के सामने रखना चाहिए। आप इसे दूरदर्शन पर पहले ही बता चुके हैं। आप देश को पहले ही बता चुके हैं। आज यह समाचार पत्रों में छपा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री द्वारा आज सभा में वक्तव्य देने में अब क्या प्रभिनता है। हम संसद की इस प्रकार उपेक्षा किये जाने के इस विचार का विरोध करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिये। मैं इसे देखूंगा।

श्री वसन्त साठे : आपको इस पर ध्यान देना होगा। कृपया इस पर अपना विनिर्णय दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैं देखूंगा, बस हो गया, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, यह अति महत्वपूर्ण और नाजुक मामला है। इस महत्वपूर्ण विषय को जिस प्रकार से गवर्नमेंट बहुत ही केजुअल मैनर में ले रही है,... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसमें पाइंट ऑफ आर्डर क्या है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। आप कृपया मेरी बात सुनिए। मेरी बात को सुने बिना आपको कैसे पता चलेगा कि यह व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं ? **(व्यवधान)**

श्री पी० उपेन्द्र : उनका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जिस प्रकार से सरकार इस अति महत्वपूर्ण विषय को बहुत ही केजुअल मैनर में ले रही है इससे एक गम्भीर स्थिति खड़ी हो सकती है। कल रेडियो और टेलीविजन में और आज सुबह न्यूज पेपर्स में कहा गया कि सी० सी० पी० ए० की मीटिंग में यह डिसाइड हो गया है, गवर्नमेण्ट ने नीतिगत निर्णय ले लिया है कि वीकर सैक्शन के लिए भी 5-10 परसेण्ट आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यह निर्णय लेकर जानबूझकर इस न्यूज को न्यूज पेपर्स को दिया गया है और इसको एक तरफ तो क्लोज्ड डोर मीटिंग में यह निर्णय लिया गया और दूसरी तरफ पब्लिक मीटिंग में यह कहते हैं और लोगों का आह्वान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब देश के अंदर कहीं गड़बड़ी हो, तो हमेशा सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि सरकार और उसके मंत्रिगण विवेकपूर्ण तरीके से बयान देंगे और स्थिति को शांत करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कल भी और आज भी यह कहा गया कि अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए पिछड़े वर्गों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उनको रैली करनी पड़ेगी। **(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर इस सरकार का इरादा क्या है ? इस सरकार का इरादा इस स्थिति को शान्त करने का है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का है,... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : वह मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी, यहां बैठे हैं, मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं देता, लेकिन इतना तो अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य खुलेआम, देश को झगड़े की तरफ ले जाने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हो गया। आप बैठ जाइए।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि इस बारे में स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया, यदि ऐसा बयान दिया है, तो बड़े अफसोस की बात है कि इस सरकार के अंदर इस प्रकार के मंत्री भी हैं जो खुले आम लोगों को भड़का रहे हैं, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ और इससे देश की बरबादी होगी, पिछड़े वर्गों को भी नुकसान होगा और जो आंदोलन कर रहे हैं, वे भी बरबादी के रास्ते पर जाएंगे इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंत्री जी को निर्देश दें कि इस स्थिति को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। श्री राम नाइक।

(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हरीश रावत जी बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। हमें भी बोलने दीजिए। हम भी बोलना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? श्री राम नाईक बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 31 के अधीन कार्य सूची हमें प्रचलित की गई है। अब प्रश्न यह··· (**व्यवधान**)

नियम 31 के अधीन कार्य सूची हमें प्रचलित की गई है। क्रम संख्या 1, अर्थात्, प्रश्न काल समाप्त हो गया है। क्रम संख्या 2 को लिया जाएगा और अनुपूरक कार्य सूची प्रचलित की गई है अर्थात्, प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य जोकि क्रम संख्या 5 क के अन्तर्गत है। अब क्रम संख्या 5 के बाद 5 क आएगी। अब यदि इस स्तर पर प्रधान मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं तो यह क्रम संख्या के अनुसार नहीं होगा। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रधान मंत्री को क्वश्चन आवर के तुरन्त बाद बोलने के लिए बुलाया है, आपको समझ लेना चाहिए कि स्पीकर ने प्रधानमंत्री को अगुवा किया है।

(**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जीरो आवर का क्या हुआ ? जीरो आवर में बहुत-सी बातें कही थीं, आपने यहां आश्वासन दिया था, 10 बजे हमने लिखकर भेजा था। मैं समझ रहा था वह बातें जैसे दिल्ली बन्द हो रही है। दिल्ली बन्द में आज पहली बार लोग सड़कों पर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री अपना बयान दे रहे हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : कल शाम को पहली बार दिल्ली में बिना किसी पोलीटिकल पार्टी की काल दिए हुए दिल्ली बन्द हो गई है, ऐसा दिल्ली के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात जो दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई कि मंत्रियों ने लोगों को सड़कों पर आने के

लिए बुला लिया है। आज सड़कों पर लोग आमने-सामने तलवार, लाठियां लेकर खड़े हैं। (व्यवधान)

यह बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देश को बचाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं तीसरी बात यह है कि मैं केवल प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब सारा सदन इस बात को कह रहा है कि आप यहां पर सबसे बातचीत करिए तो प्रधानमंत्री यह जरूर बताएं कि उनको बातचीत करने में क्या ऐतराज है। उन्होंने बार-बार यह कहा है कि गवर्नमेन्ट कनसैन्सस से चल रही है। इस मामले में कनसैन्सस क्यों नहीं हो सकता है। हम मंडल कमीशन के खिलाफ नहीं हैं पर सारा हाउस कह रहा है कि आप कनसैन्सस करिए, बातचीत करिए। प्रधानमंत्री पंजाब के आतंकवादियों से बात कर सकते हैं, कश्मीर के सैपरेटिस्ट से बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री अपने नौजवानों से बात क्यों नहीं कर सकते हैं और सारी पोलीटिकल पार्टीज से बात क्यों नहीं कर सकते। इनसे कनसैन्सस क्यों नहीं पैदा किया जाता। चौथी बात, नौकरियों में इनको या उनको 10 परसैंट या 15 परसैंट कहां दिया जाएगा ? 1984 से बैन लगा रखा है कि गवर्नमेण्ट आफ इंडिया में कोई पद भरा नहीं जाता। जब नौकरियां ही नहीं है तो आप उन्हें बांटेंगे किसे प्रधान मंत्री इस प्रतिबन्ध को हटाएंगे या नहीं, यह भी बताएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए।

12.18 म० प०

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 7 अगस्त, 1990 को मैंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की घोषणा इस सदन में की थी।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात अनेक बार दोनों सदनों में इस पर चर्चा की गई और इसे पर्याप्त समर्थन मिला तथा मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की जोरदार मांग की गई। राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने घोषण पत्र में यह घोषणा की थी कि यह अतिशीघ्र मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करेगा और चुनाव के दौरान लोगों को सत्यनिष्ठा से यह वचन दिया था कि वह सत्ता में आने के एक वर्ष के अन्दर इसका कार्यान्वयन करेगा।

जब यह सरकार सत्ता में आई तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने के लिए वचनबद्ध है। सदस्यों के एक बड़े वर्ग की ओर से दोनों सदनों में इसके कार्यान्वयन की सतत मांग की गई। पिछले सत्र में मैंने राज्य सभा में यह आश्वासन दिया था कि सरकार जल्दी ही इस पर अपना निर्णय लेगी।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इस सरकार ने अनेक निर्णय किए हैं। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जो हमारी जनसंख्या का 52% बनते हैं, को न्याय दिलाने की अपनी पूर्व वचनबद्धता के अनुसार मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय उन उपायों का ही एक भाग है जो कि "सामाजिक न्याय वर्ष", अर्थात बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी वर्ष में किया गया है।

उन्हें आरक्षण प्रदान करने में, सरकार की मंशा यह है कि उन्हें सामाजिक न्याय दिया जाए और हमारे संविधानिक दायित्वों को निभाते हुए उन्हें देश के अभिशासन तथा इसका रूप निखारने में हिस्सा दिया जाए। जैसा कि सदस्यों को विदित है कि अनेक राज्यों द्वारा अपनी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पहले ही आरक्षण दे दिया गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों पर इस सरकार का निर्णय भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवाओं से संबंधित है।

मंडल आयोग की रिपोर्ट केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में है। इसमें आर्थिक मानदंड जोड़ने से इसका प्रयोजन फीका पड़ जाएगा। अत: सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% को कम करना सम्भव नहीं है।

इसके साथ-साथ सरकार हमारे सामान्य युवाओं के भविष्य के प्रति भी समान रूप से चिन्तित है। राज्य सभा में सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त, गरीबों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया जाए और मैंने यह कहा था कि सामाजिक वर्गों पर ध्यान दिए बिना हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। यही बात वित्त मंत्री प्रो० मधु दंडवते जी द्वारा लोक सभा में हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए दोहराई गई थी। इस महान सदन में व्यक्त भावनाओं का आदर करते हुए हम सामाजिक वर्गों पर बिल्कुल ध्यान दिए बिना और पूर्णत: समुचित आर्थिक मानदंडों के आधार पर गरीबों के लिए 5% से 10% अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं।

राष्ट्रीय मोर्चे की सत्यनिष्ठापूर्वक की गई एक अन्य वचनबद्धता काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने से संबंधित थी। सरकार राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद उपलब्ध संसाधनों के अन्दर काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए समुचित रूढ़ि विचार के बाद इसी सत्र में एक संविधान संशोधन विधेयक लाने का इरादा रखती है और उसे पारित करने में सभी दलों का सहयोग चाहती है।

हमारे युवाओं के प्रति हमारी चिन्ता के फलस्वरूप आठवीं योजना में रोजगार पर संकेन्द्रित बल देने का निर्णय किया गया है। आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में त्वरित दर से उत्पाक रोजगार के अवसरों के विस्तार को केन्द्रीय लक्ष्य बनाया गया है। योजना का लक्ष्य रोजगार में बढ़ोतरी की वार्षिक दर के हिसाब से निश्चित किया गया है तथा यह अगले दशक के दौरान प्रति वर्ष 3% बढ़ोतरी के रूप में निर्धारित किया गया है। शिक्षित लोगों के साथ-साथ गरीब लोगों की बेरोजगारी की समस्या वास्तव में रोजगार अवसरों के त्वरित विस्तार विशेष रूप से व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक स्वरोजगार तथा सर्वांगीण उत्पादक रोजगारोन्मुख अर्थव्यवस्था के विकास से ही हल की जा सकती है।

यहां यह उल्लेख भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि सरकार राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को शामिल करने तथा युवाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय युवा परिषद

स्थापित करने का इरादा रखती है। रोजगार संभावनाओं तथा सामान्य रूप से हमारे शिक्षित युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की चिन्ता को ध्यान रखते हुए, मैंने 15 अगस्त, 1990 को अपने इस निर्णय की घोषणा की थी कि युवाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का प्रवाह 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 265 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा और यह मुख्यतः स्वरोजगार, उच्च अध्ययन तथा साक्षरता कार्यक्रमों में युवाओं को शामिल करने के लिए होगा। ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि केवल सरकारी नौकरियों से ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता अतः लाभकारी रोजगार के अन्य रास्ते भी बढ़ाने होंगे।

इन तथ्यों को इनके सच्चे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मुझे विश्वास है कि देश के सभी वर्ग तथा माननीय सदस्य हमारे सामाजिक तथा संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर होने में हमें अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

———

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

कुमारमंगलम जी। संक्षेप में बोलिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मैंने पूरे देश में और विशेष तौर पर दिल्ली में वर्तमान स्थिति के बारे में एक नोटिस दिया है। यह वक्तव्य, जो प्रधान मन्त्री ने पढ़कर सुनाया है, पहले ही समाचार पत्रों में आ चुका है। यह हमारे लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि विद्यार्थी बिना किसी वास्तविक राजनैतिक समर्थन के आन्दोलन कर रहे हैं। **(व्यवधान)** कोई भी राजनैतिक दल उनका समर्थन नहीं कर रहा है।

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वर्तमान स्थिति यह है कि यहां दो मंत्री उपस्थित हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अकबर साहब, आप अपने सदस्य की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, इस नाजुक स्थिति में विद्यार्थियों से बात करने और एक ऐसी अबोहवा पैदा करने, जिसमें एक सामाजिक सुधार लागू किया जा सके, की बजाए, ये मंत्री, जिन्होंने संविधान के अन्तर्गत शपथ ली है, खुल्लमखुल्ला हिंसा और समाज को बांटने का आह्वान कर रहे हैं। वे देश को विभाजित कर रहे हैं। यदि उनमें साहस है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। जो मंत्री यहां बैठे हैं, ने अपनी स्थिति खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग कर हिंसा को भड़काकर उस शपथ का उल्लंघन किया है, जो उन्होंने हमारे संविधान के अन्तर्गत ली है। महोदय, वे देश को विभाजित कर रहे हैं और एक वर्ग युद्ध शुरू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे मंत्री कैसे बने रह सकते हैं ? मैं उनके इस्तीफों की मांग करता हूं। यदि उनमें साहस है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : इस पर एक पूरा डिस्कशन हो जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हो गया। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 24 तारीख को जो कुछ हुआ, उसका एक उदाहरण राम मनोहर लोहिया हास्पिटल में 16 साल का एक नौजवान बच्चा, जिसका कि ब्रेन डैड हो गया है, मैं अभी होकर आया हूं, उसका बचना मुश्किल है, यह हालत आपने बना रखी है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर स्थिति ऐसी है··· (व्यवधान)

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : यह घटना लड़के के बस से गिरने के कारण हुई है, पुलिस एक्शन का इसके साथ कोई मतलब नहीं है। वह बस के ऊपर से गिर गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि० खुराना, हाऊस में यह दिखाना नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा कहना केवल यह है कि आज, जैसा विजय जी ने कहा, दिल्ली की स्थिति यह है कि दो वर्ग आमने सामने, खालसा कालेज के पास हाथ में हाकियां लेकर, एक ग्रुप इधर खड़ा है, एक ग्रुप इधर खड़ा है, इस देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं··· (व्यवधान)···मेरा निवेदन यह है कि जो उस दिन दिया हुआ था···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरी बात तो आप सुन सकते हैं? मेरा कहना यह है, कौन करा रहा है, कांग्रेस करवा रही है, कौन करवा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, जो प्रार्थना मैंने शुक्रवार को की थी, मैं उस प्रार्थना को दोहराना चाहता हूं कि ईश्वर के लिए··· (व्यवधान)

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले के बारे में सम्बन्धित दलों से, युवकों को बुलाकर उनसे बात की जाय और सरकार उनकी बात सुने। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री मदन लाल खुराना : असल में एक अजीब स्थिति यह हो रही है कि रिजर्वेशन के बारे में हालात यह पैदा किये जा रहे हैं··· (**व्यवधान**) ···अध्यक्ष जी, रिजर्वेशन के कोई खिलाफ नहीं है लेकिन यह हालात यह पैदा कर रहे हैं कि जैसे लम्बरदार यह हैं और सारे उसके खिलाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। हो गया। आप कह चुके हैं कि रिजर्वेशन के कोई खिलाफ नहीं है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री के० वी० थामस।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री के० वी० थामस को ही बोलने को कहा है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अकबर जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया आप बैठ जाइए। मैंने श्री थामस को बुलाया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की सरकार की कार्यवाही ने देश को जाति के आधार पर बांट दिया है···

अध्यक्ष महोदय : थामस जी, मैं आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपने बोलने के लिए कुछ दूसरा विषय दिया था। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल उसी विषय पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं जो आपने दिया है। आपको केवल उसी पर बोलना है।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। यह सरकार देश को जाति तथा भाषा के आधार पर बांट रही है। (**व्यवधान**)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मंत्रियों के रूप में उन्होंने हिंसा का आह्वान किया है। (**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस : इस सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का उनके अपने मंत्री ही उल्लंघन कर रहे हैं··· (**व्यवधान**) भाषा के मामले में यह आश्वासन दिया गया है कि सभी पत्र, दस्तावेज इत्यादि दो भाषाओं में होंगे। ऐसा राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत भी है।

मेरे पास यहां एक ऐसा दस्तावेज है जिससे यह प्रतीत होता है कि इंडियन एयरलाइंस केवल हिन्दी में ही पत्र लिख रही है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत कटिहार जिले के मुख्यालय में सौ एकड़ से अधिक जमीन भारतीय खाद्य निगम के भंडार के निर्माण के लिए पांच वर्षों पूर्व ली गई थी, लेकिन आज तक उस अर्जित जमीन में सरकार की ओर से कोई निर्माण का काम प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो वहां छोटे भंडार हैं, उसमें खाद्यान्न आदि सामानों का अटाव नहीं हो रहा है और राष्ट्र को इससे बहुत क्षति होती है । इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि बिहार में कटिहार जिले में जो जमीन अर्जित की गई है, उसमें यथाशीघ्र भंडार या गोदाम का निर्माण का कार्य आवंटन स्वीकृत कर आरम्भ किया जाए ।

[अनुवाद]

12.32 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री बसंत साठे (वर्धा) : मेरे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर विनिर्णय का क्या हुआ । विनिर्णय नहीं किया गया है । क्या माननीय अध्यक्ष इस पर विनिर्णय कल देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह उनके समक्ष उठाया है ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (कवेलीकारा) : क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री ने ,बाहर एक वक्तव्य दिया था—क्या यह नीतिगत वक्तव्य था या नीतिगत प्रस्ताव था ? लोगों को इसकी जानकारी थी और सभी समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था, परन्तु यहां वह वक्तव्य आज ही दिया गया है, यही वक्तव्य सभी समाचारपत्रों में दिया गया था । साठे जी ने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है और हम इस पर विनिर्णय चाहते हैं । आप पीठासीन हैं; कृपया अपना विनिर्णय दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे उस मुद्दे पर विनिर्णय की आशा नहीं कर सकते जो मेरे समक्ष नहीं उठाया गया है । आप इस बात की आशा नहीं कर सकते कि पहले आपने जो मुद्दा उठाया था, उस पर मैंने ध्यान दिया है । यह ठीक नहीं है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि विनिर्णय अध्यक्ष महोदय देंगे । मैं नहीं दे सकता । अध्यक्ष महोदय ही देंगे ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि एक प्रासंगिक मामला उठाया जाता है तो अध्यक्ष महोदय को इस पर विचार करना चाहिए या उसे निकाल देना चाहिए । ऐसा किए बिना अध्यक्ष चले गये और अब उपाध्यक्ष महोदय यह कह रहे हैं कि वह विनिर्णय नहीं दे सकते··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह मेरे समक्ष नहीं उठाया है। आप मुझसे विनिर्णय देने की आशा कैसे कर सकते हैं?

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह अध्यक्ष पीठ हैं। पहले अध्यक्ष पीठासीन थे, अब आप पीठासीन हैं। यह तो एक ही बात है··· **(व्यवधान)**

यदि आप हमारा सहयोग नहीं चाहते तो ठीक है।··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह मेरे समक्ष नहीं उठाया गया और यदि आप मुझसे विनिर्णय चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप हमारी भावनाओं से अध्यक्ष को अवगत करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं अध्यक्ष को अवगत करा सकता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : प्रधानमंत्री जी ने एक नीतिगत वक्तव्य दिया है जो पहले ही समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। वह इसकी घोषणा पहले ही जन सभाओं में कर चुके हैं··· **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब प्रधानमंत्री स्वयं संसदीय प्रक्रिया का पूरा आदर न करते हों तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आपने अपनी बात कह दी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आप इस सदन के संरक्षक हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि कृपया हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आपने अपनी बात बड़े स्पष्ट तथा ठोस तरीके से प्रस्तुत कर दी है। जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, तब भी आपने यह मुद्दा उठाया था। अब आप यह पूर्व कल्पना कर रहे हैं कि मैंने आपकी बात पूरे ध्यानपूर्वक सुन ली है तथा मैं इस पर विनिर्णय दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो भी विचार व्यक्त किया है उन्हें अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दिया जायेगा तथा उस पर विनिर्णय देना अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में है। मैं इस पर विनिर्णय नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : एक संसद सदस्य भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता परन्तु जब स्वयं प्रधानमंत्री इनका उल्लंघन करें तो आप इसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, मैंने श्री मल्होत्रा को बोलने के लिए कहा है।

श्री बसंत साठे : मैं सारे सदन की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि कल मैं प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : उसका भी वही हश्र होगा जो श्री उपेन्द्र के विरुद्ध दिए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव का हुआ।

श्री वसंत साठे : श्री उपेन्द्र के विरुद्ध दिए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव पर भी हम विनिर्णय प्राप्त करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता था कि 1984 से सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसिस में बेन लगा हुआ है, न तो नई पोस्ट क्रिएट हो सकती हैं और न ही आल-रेडी क्रिएटेड पोस्टें भरी जा सकती हैं। अभी हाल ही में दण्डवते जी ने 10 परसेंट प्लान आइटम्स में और नान प्लान आइटम्स में कट लगा दिया है, जो थोड़ी बहुत सर्विसिस हो सकती थीं, वे भी अब नहीं होंगी। जब सर्विसिस है ही नहीं तो 27 परसेंट आप किसको दे रहे हैं, 5-10 परसेंट किसको दे रहे हैं। जब राइट टू वर्क आपने नहीं दिया और सर्विसिस हैं नहीं तो यह रिजरवेशन किसको बांटा जा रहा है, सारे देश को कास्ट-वार में कैसे डाला जा रहा है। सारे मुल्क में इस समय, हरियाणा में सारे रास्ते बंद हैं, सारी दिल्ली में और यू० पी० में यही हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर से बार-बार प्रार्थना की गई कि एक कांसेंसस बना लीजिए, लोगों से बातचीत कर लीजिए, इससे मण्डल कमीशन का कोई रास्ता निकल आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कल दो मंत्रियों की तरफ से जिस तरह से कास्ट-वार का खुला आह्वान किया गया, उससे सारी जगहों पर भयंकर असंतोष है।

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : नो कास्ट वार।

श्री एम० जे० अकबर : आपने कहा है···। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्डस को अपने अधिकारों के बारे में बताया कास्ट वार नहीं होती है। **(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : हम चाहेंगे कि इस मामले का शांति से हल निकल आए। प्राइम मिनिस्टर इसमें इनीशिएटिव लें। मुझे बड़ा दुख है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहीं यह बात नहीं है कि कोई कांसेंसस लाएंगे। उनको चाहिए कि इस सवाल पर बातचीत द्वारा वे कांसेंसस पैदा करें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : महोदय, मेरी माननीया सहयोगी श्रीमती सिंधिया द्वारा सती के महिलामण्डन के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य के विरोध में, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहूंगी। इस विरोध में इस सदन की सभी महिला सदस्य सम्मिलित हैं। मैं यह विरोध आज इसलिए प्रकट कर रही हूं क्योंकि कल मुझे पीठासीन अधिकारी द्वारा विरोध व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी गई। मैं यह कहना चाहूंगी कि यह एक पूर्णतया असंवैधानिक कार्य है। श्रीमती सिंधिया की वरिष्ठता का सम्मान करने के साथ-साथ मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि इस असंवैधानिक कथन लिए या तो उन्हें अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिए अथवा उनकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, क्या इस विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर सकती हूं। **(व्यवधान)**

श्रीमती उमा गजपति राजू ने जो कहा है, मैं भी उसका समर्थन करती हू, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। सभी सती प्रकरण सामान्यतः स्वैच्छिक सती के रूप में देखे जाते हैं।

रूप कंवर प्रकरण में यह कहा गया कि उसने स्वैच्छिक रूप से यह कार्य किया। इसलिए जो कहा गया, उसके विपरीत परिणाम होंगे। यह बहुत ही खतरनाक बात है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : श्रीमती विजयराजे सिंधिया के वक्तव्य की जो भर्त्सना की गई है, उसका मैं भी समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि··· (व्यवधान)

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय,···**(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि मैं सभा में क्यों खड़ा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप कोई प्रभावशाली बात कहना चाहते हैं तो एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के लिए ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया एक बात समझ लीजिए कि आपको सभा में एक सदस्य जैसा व्यवहार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती विजयराजे सिंधिया यहां पर नहीं हैं। आपने इनको बोलने के लिए कैसे अलाऊ किया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए कि उसमें उनके लिए कुछ निन्दनीय बात नहीं कही गई थी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इसको कल तक पोस्ट-पोन किया जा सकता था। वह होतीं तो जवाब दे सकती थीं। (व्यवधान)

** पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई निन्दात्मक वक्तव्य नहीं है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सदस्य को कोई नोटिस दिए बिना माननीय सदस्या ने निन्दात्मक वक्तव्य दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निन्दात्मक वक्तव्य नहीं है। अगर वह कोई निन्दात्मक वक्तव्य देना चाहें तो ही नोटिस की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : नोटिस अवश्य किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नाईक जी, सभी मामलों में नहीं बल्कि तभी नोटिस देने की आवश्यकता होती है, अगर कोई निन्दात्मक वक्तव्य देना हो।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपने चार पार्टियों को बोलने का समय दिया। हमें यह कहने का अधिकार है कि हम सती प्रथा के खिलाफ हैं। चार मैम्बर्स को आपने एलाऊ किया।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप कहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सती प्रथा के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री जे० पी० अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में वकीलों की हड़ताल चार-पांच महीने से बराबर चल रही है। इन्होंने सरकार को कई बार कहा, लेकिन सरकार का कोई मंत्री उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इससे दिल्ली में रहने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकील लोअर-कोर्ट में नहीं गए। मैं सरकार का दखल चाहता हूं। क्या सरकार के माध्यम से मंत्री जी यह कहेंगे कि हड़ताल को तोड़ा जाए और वकीलों से बात की जाए, उनकी मांगों को माना जाए ताकि दिल्ली के लोगों को तकलीफ न हो?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, गृह मंत्री कुछ अन्य मंत्रियों के साथ असम गए थे और उन्होंने ए० ए० एस० यू० से तेल की नाकाबंदी समाप्त करने की अपील की जिसके कारण भारत सरकार को 70 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

हम पैट्रोलियम मंत्री की ओर से इस सम्बन्ध में वक्तव्य चाहेंगे कि गुवाहाटी में की गई बातचीत का क्या परिणाम निकला तथा तेल की नाकाबंदी को समाप्त करने के लिए वे क्या कदम उठा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भीषण बाढ़ के कारण, पिछले 24 घण्टों में 29 इंच वर्षा हुई, सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। लोग

परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो टेलीफोन और अन्य सारी व्यवस्थाएं है उनके सुधार के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे।

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लि० के घुघ्घुस क्षेत्र में ओपन काष्टकोल माईन्स में 15, 16 अगस्त से लगातार आठ दिन तक ब्लास्टिंग करने से जमीन उस क्षेत्र में 5 फुट नीचे धंस गयी। कई स्थानों पर दरारें भी पड़ी हैं। भूकम्प जैसे धक्के लगने चालू हुए हैं, जिससे कई मकानों को क्षति पहुंची है। श्री नरेश नीलकण्ठ आरमोरीवार का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, श्री प्रमोद विठल कवाडे का मकान पूर्ण रूप से धराशायी हुआ है। घुघ्घुस परिसर के नागरिकों में भारी प्रमाण में भय फैला हुआ है। निवासियों की जान को खतरा पैदा हुआ है। इसमें शीघ्र जांच की जाए। जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या धाराशाही हुए हैं तो उन्हें वेस्टर्न कोलफील्ड द्वारा मुआवजा दिया जाए। यह जो ओपन कास्ट कोल माईन थी तो कोयला निकालने के बाद रेत न भरने पर वहां जमीन धुस गई, इसलिए इस संबंध में जांच कमेटी बैठाई जाए। उसी प्रकार से वेस्टर्न कोल फील्ड के पेय एरिया सब-एरिया में जनवरी 1980 से ओपन कास्ट माईन चालू की गई थी वहां पर 310 मजदूरों को ट्रकों पर कोयला लादने के लिए रखा गया था। उन मजदूरों को रोक दिया गया उसके बाद वे लेबर कोर्ट में गए और वहां जीत गए। उसकी वजह से छह करोड़ रुपया वेस्टर्न कोल फील्ड को भुगतान देने के लिए कहा गया। वहां पर जनरल मैनेजर, सब-एरिया मैनेजर और पर्सनल मैनेजर ने जो कार्यवाही की है तो उसका केस हार गए और अब परमिशन मांग रहे हैं। इस संबंध में पूरे प्रकरण की सरकार जांच करें और वहां एक जांच कमेटी बैठाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे विषय नहीं उठाए जाते।

[अनुवाद]

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान तीन महीने की अवधि में फिर से आई विनाशकारी बाढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं। गोदावरी नदी में बाढ़ आई हुई है। आंध्र प्रदेश में 40 लोग मारे गए हैं तथा कई सो एकड़ भूमि नष्ट हो गई है। बहुत से राहत कैम्प लगाए गए हैं जिनमें कई डाक्टरी तथा अर्द्ध अर्द्ध-डाक्टरी दलों की आवश्यकता है। ऐसा केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं हुआ है। कल हमें पता चला है कि नर्मदा नदी में भी बाढ़ आई हुई है तथा सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हम केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में वक्तव्य चाहते हैं कि ऐसी आपदाओं को झेल रहे राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात की भीषण ताप, नर्मदा, विश्व-मित्री, मही तथा सारी नदियों में भीषण बाढ़ आई है। इस वजह से दो सौ करोड़ से अधिक नुकसान हुआ है और सौ से अधिक लोग मरे हैं और हजारों पशुओं का नाश हुआ है। इतनी गम्भीर स्थिति आज गुजरात में पैदा हो गई है कि केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूरे गुजरात में बाढ़ के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है तो इसके लिए राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं। लेकिन केन्द्र सरकार को गुजरात की मदद करनी चाहिए। मैं आपके जरिए सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात में भीषण बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है तकरीबन दो सौ करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके बारे में संसद से निवेदन करें और पूरी तरह मदद की जा सके।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारीबाग के बड़कागांव में रामनवमी से लेकर अब तक 84 गांवों के चार हजार झण्डे लगे हुए हैं। शोभा यात्रा को वहां जिला प्रशासन ने अब तक रोका हुआ है। जिला प्रशासन ने 85 से पहले के लाइसेंस का रिकार्ड सारा जला दिया है इसलिए सी० बी० आई० से जांच हो और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए और दो महीने के अंदर रामनवमी के चलते एक टीचर का ट्रान्सफर हुआ और दुकान का लाइसेंस रद्द किया गया। राम के देश में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी··· (व्यवधान)

श्री कंकर मुंजारे (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए जो आयोग बनाया गया है तो मैं आरक्षण के मुद्दे पर यह कहना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए नौकरी में दस परसेंट आरक्षण हो ताकि नौकरी देने का काम हो सके। इस सम्बन्ध में डा० राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार किया जा सके ताकि जो महिलाओं की शक्ति है उसको पूरा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे विषय नहीं उठाये जा सकते। मैंने आपको जो चांस दिया है तो उसका उपयोग करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको चांस दिया, उसका उपयोग करना चाहिए था।

श्री मानूकराम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में शबरी और इन्द्रावती नदी में अत्यधिक बाढ़ आने से 22 गांव बाढ़ से घिर गये हैं। इन्हें बाढ़ से बचाने का प्रयास युद्ध स्तर पर होना चाहिए। जान-माल और मवेशी तथा खेती चौपट हो गई है। बाढ़ आने से हर समय इन गांवों का जान-माल का नुकसान हो रहा है। इसलिए मौके पर सर्वे कर इन गांवों को ऊंची जगहों पर बैठाया जाये, इसके लिए केन्द्र शासन द्वारा एक सर्वे टीम भेजकर सही जगह का प्रस्ताव मांगे और जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी उचित मुआवजा देने की रिपोर्ट भी तैयार करे, क्योंकि इन गांवों में गरीब आदिवासी, हरिजन अधिक निवास करते हैं और उनकी खुशहाली के लिए पूर्ण कार्यवाही की जाए।

————

12.51 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त पैनल का प्रतिवेदन (खण्ड एक और दो), उस पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, आदि

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अल्प संख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त पैनल के प्रतिवेदन खण्ड एक और दो की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उस पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1334/90]

(3) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिशु (संशोधन) नियम, 1989, जो 25 नवम्बर 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 882 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1335/90]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा; साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1336/90]

(3) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1337/90]

(5) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1338/90]

(6) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1339/90]

(7) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सुरथकल के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1340/90]

(8) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1341/90]

(9) मालवीय क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1342/90]

वैमानिकीय विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) (एक) वैमानिकीय विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) वैमानिकीय विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(तीन) वैमानिकीय विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(चार) वैमानिकीय विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(ख) वैमानिकीय विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) के मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1343/90]

(3) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1344/90]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में बहुत विलम्ब हुआ है। यदि आप कृपया इस ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि 1985-86 से आज तक उन्होंने इन पत्रों को सभा पटल पर रखने का विचार नहीं किया है। इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में उन्हें क्यों इतना समय लग गया है? क्या इसलिए कि उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था? उन्हें इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

डा० राजा रमन्ना : यह विलम्ब उस समय हुआ है जब मैं इसका प्रभारी मंत्री नहीं था और न ही यह सरकार उस समय कार्य कर रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विलम्ब की जांच सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति करेगी।

12.52 म० प०

राज्य सभा से संदेश

अपर सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 23 अगस्त, 1990 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 अगस्त, 1990 को हुई उसकी बैठक में पारित किये गए राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक, 1990 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

---

12 52½ म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राजभाषा समिति

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : श्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद की ओर से मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा श्री रमेश चेन्नीथाला तथा श्री राम पुजन पटेल, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर अपने में से दो सदस्य उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 को उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणोय मत द्वारा श्री रमेश चेन्नीथाला तथा श्री राम पुजन पटेल, जिन्होने राजभाषा समिति से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर अपने में से दो सदस्य उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय खान स्कूल की महापरिषद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय खान स्कूल, धनबाद के नियमों तथा विनियमों के नियम 4 (ii) से (iv) तथा 15 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्य भारतीय खान स्कूल, धनबाद की महापरिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय खान स्कूल, धनबाद के नियमों तथा विनियमों के नियम 4 (ii) से (iv) तथा 15 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्य भारतीय खान स्कूल, धनबाद की महा-परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.54½ म० प०

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : प्रो० मधु दण्डवते की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यपाल मलिक : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

12.55 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महिलाओं की प्रगति में बाधा उपस्थित करने वाले कारखाना अधिनियम के अप्रचलित उपबन्धों को रद्द करने या संशोधित किये जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : यद्यपि भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण का वायदा किया है, तथापि केन्द्र सरकार के कई उपक्रम इस नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण विशाखा-पट्टनम इस्पात संयन्त्र है जिसके रोस्टर में महिला कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। महिलाओं को रोजगार न देने का मुख्य कारण कारखाना अधिनियम बताया जा रहा है जिसमें महिलाओं को सायं 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कारखानों में रोजगार देने की मनाही है। यह प्रावधान केन्द्र सरकार के कारखाना अधिनियम, 1948 में है।

ऐसे समय में, जब महिलाओं की दशा सुधारने पर ध्यान दिया जा रहा है और चारों ओर महिलाओं को समान अधिकार और समान दर्जा देने की बात हो रही है तो इन पुराने कानूनों, जो महिलाओं के उद्धार और प्रगति में बाधक बन रहे हैं, को अवश्य रद्द कर देना चाहिए या उनमें संशोधन कर दिया जाना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करती हूं कि वे इस मामले में ध्यान दें तथा इसे यथोचित शीघ्रता से लागू करें।

---

* दिनांक 27-8-90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

(दो) कोयला और सीमेंट की ढुलाई को सरल बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर नान्देड जिले से आदिलाबाद जिले के लैक्सीटीपेट तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की मांग

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : आन्ध्र प्रदेश में, विशेष तौर पर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आदिलाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह जिला एक पिछड़ा क्षेत्र है परन्तु सीमेंट बनाने के लिए इसमें भारी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। सिंगरेनी कोयला खानों में कोयला उपलब्ध है। कोयला खानों से महाराष्ट्र तथा तटीय आन्ध्र प्रदेश के लिए भारी यातायात है। महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से जोड़ने की केन्द्र सरकार की एक योजना है। नान्देड़ जिले में आन्ध्र की सीमा से लेकर आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में लैक्सीटीपेट तक एक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लिए जाने की भी आवश्यकता है। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण सड़क है जो कोयला तथा सीमेंट के परिवहन में सहायक है। इसकी लम्बाई केवल 128 किलोमीटर है। राज्य सरकार इस सड़क के लिए सिफारिश कर चुकी है क्योंकि यह पहले ही राज्य का राजमार्ग है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे।

(तीन) बिहार के गोपालपुर क्षेत्र में प्रायः जलमग्न रहने वाली भूमि को कृषि योग्य बनाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : बिहार के खगरिया संसदीय क्षेत्र के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जमाव से हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गयी है। मैं सरकार से इस जल जमा क्षेत्र को कृषि के लायक बनाने की मांग करता हूं। इस जल जमाव से किसानों की कई हजार एकड़ जमीन जो बेकार पड़ी है, काम में आ जायेगी। अगर सरकार कोई ऐसी योजना बनाती है। जिससे वह जमीन जो अभी जलमग्न रहती है, खेती के लायक हो जाये तो वहां के स्थानीय किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा तथा देश को और अधिक अनाज प्राप्त होगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस जल जमीव केन्द्र का पुनरोत्थान कर कृषि लायक भूमि बनायी जाये।

[अनुवाद]

(चार) हैवी वाटर प्लांट ताल्चेर, उड़ीसा में मजदूर संघ के यथोचित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय को मान्यता दिए जाने की मांग

श्री रवि नारायण पाणि (देवगढ़) : मैं सभा तथा सरकार का ध्यान ताल्चेर (उड़ीसा) में भारी जल संयंत्र के प्रबन्ध द्वारा की जा रही लोकप्रिय मजदूर संघ की अवहेलना की ओर दिलाना चाहता हूं। यह गतिविधि अत्यधिक लोक महत्व की है क्योंकि अधिकांश श्रमिकों के निर्णय की अवहेलना में अप्रातिनिधिक संस्था को मान्यता प्रदान करके देश के प्रमुख परमाणु संयंत्र में गहन असन्तोष पैदा कर दिया गया है।

प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित सी० आई० टी० यू० (सीटू) से सम्बद्ध मजदूर संघ का तथा अधिसंख्यक दल समस्या के प्रजातान्त्रिक समाधान की मांग को लेकर 4 अगस्त, 1988 से जारी दीर्घकालीन धरने के जरिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन पर है। उन्होंने मामले का निपटारा गुप्त मतदान

द्वारा करने का एक तर्क संगत तथा प्रजातांत्रिक सुझाव दिया है। परन्तु ऐसा करने की बजाय प्रबन्ध ने दमनकारी तरीकों का सहारा लिया है। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रमुख संयन्त्र में इन परिस्थितियों का अन्त करे तथा मजदूर संघ के विधिवत और प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित पदाधिकारियों को मान्यता दिलाने हेतु कदम उठाए।

1.00 म० प०

(पांच) उत्तर प्रदेश में बरेली से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 को चौड़ा करने तथा बरेली बदायूं मार्ग पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केन्द्र है। महानगर होने के साथ बड़े-बड़े उद्योग, जैसे इफको उर्वरक कारखाना, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मण्डल रेल कार्यालय, पूर्वोत्तर रेल आदि हैं। बरेली की उपयोगिता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन के अन्तर्गत इसको काउन्टर-मेगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, परन्तु अभी तक उक्त निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। राजमार्ग संख्या 24, जो दिल्ली लखनऊ के मध्य है तथा भारी यातायात इसके ऊपर से गुजरता है, को बरेली के निकट चौड़ा किया जाना तथा बाई-पास की स्थापना एवं बरेली-बदायूं मार्ग पर ओवर ब्रिज की स्थापना किया जाना, वर्तमान में अत्यन्त आवश्यक है। इसकी मांग स्थानीय जनता पिछले काफी समय से करती चली आ रही है। इसके न होने के कारण बरेली के निकट राजमार्ग पर नित्य दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा वाहन-चालकों का समय भी बर्बाद होता है। मैं भूतल परिवहन/शहरी विकास मंत्री से आग्रह करूंगा कि इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र उक्त कार्य कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

(छः) गुजरात के लोगों को सस्ती दर पर रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने की मांग

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि गुजरात के कई स्थानों से गैस भण्डार मिले हैं, लेकिन गैस वितरण और भाव के बारे में केन्द्र सरकार ने गुजरात के साथ न्याय नहीं किया है। गुजरात की गैस, गुजरात वालों को भी देश के अन्य स्थानों के भाव से ही मिलती है। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, वगैरह राज्यों में कोयले के भण्डार हैं, वहीं कम लागत से बिजली पैदा होती है। वह वहां के लोगों को सस्ते दाम पर मिलती है।

मेरी यह मांग है कि गैस के बारे में गुजरात में गैस कम कीमत पर दी जाये। यदि ऐसा नहीं हुआ तो असम की तरह गुजरात में भी जन-आन्दोलन होगा। इसके साथ जी० ए० आई० एस० की एजेंसी समाप्त कर ओ०एन० जी० सी० के दर से गैस की औद्योगिक मांग और इससे भी कम दर से (800 रुपया) डॉमैस्टिक मांग पूरी करनी चाहिए।

(सात) कश्मीर घाटी से आए सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री प्यारे लाल हाण्डू (अनन्तनाग) : कश्मीर घाटी के हजारों प्रवासियों में कुछ सौ लोग

विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी भी हैं जिनमें कम वेतन पाने वाले पुलिस अधिकारी तथा अग्नि शमन बल के लोग भी हैं। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ भागना पड़ा था तथा मध्य मार्च से वे जम्मू में रह रहे हैं। जबकि विभिन्न विभागों के राज्य कर्मचारियों को काफी देरी के बावजूद भी समय-समय पर वेतन दे दिया गया है परन्तु इन पुलिस तथा अग्नि समन सेवा के अधिकारियों को 1-4-90 से वेतन नहीं दिया गया है। वे किसी प्रकार की वित्तीय राहत के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं। कर्मचारी अब कुछ समय से जम्मू में भूख हड़ताल पर हैं तथा उनके परिवार के सदस्य भूख के कगार पर हैं। देश के इन अभागे नागरिकों की व्यथा कम करने के लिए इन भूखों मरने वाले परिवारों के वेतन जारी करने हेतु राज्य सरकार को तत्काल निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

(आठ) नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं सभा का ध्यान नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज के घटिया कार्य निष्पादन की ओर दिलाना चाहता हूं। देश के किसी भी क्षेत्र के विकास का मुख्य भाग टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण पर निर्भर करता है। उद्योग तथा व्यापार के विकास तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में टेलीफोन सुविधा की मुख्य भूमिका होती है।

नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज को कुछ समय पहले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित किया गया था और प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को कुछ आशा बंधी थी। सरकार ने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित कर दिया है और पहले वाले को वहां से हटा दिया है। नागपुर में नए टेलीफोन एक्सचेंज शुरू होने के कारण प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को टेलीफोन मिलने की आशा हुई थी परन्तु अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। प्रतीक्षा सूची दिन-प्रतिदिन लम्बी होती जा रही है। नई लाइनें नहीं दी गई हैं जिनके कारण शहर का उद्योग तथा व्यवसाय का विकास अवरुद्ध हो गया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज में अतिरिक्त 15,000 लाइनों के विस्तार की तत्काल आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.06 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.09 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.09 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

पंजाब की स्थिति के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदया, मैं माननीय सभा का ध्यान इस ओर

दिलाना चाहता हूं कि बोट कलब पर तीस हजार से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। वे लोग पंजाब से आए हैं और वे धरना दे रहे हैं जिसका आयोजन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा सी० पी० आई० द्वारा किया जा रहा है। वे लोग पंजाब की जनता द्वारा झेली जा रही गम्भीर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। पंजाब की इस समस्या के कारण न केवल वहां की शान्ति तथा सामान्य स्थिति पर प्रभाव पड़ा है बल्कि देश की एकता तथा अखण्डता भी प्रभावित हुई है। उन्होने यह भी मांग की है कि सरकार को दृढ़ नीति अपनानी चाहिए तथा उसे निष्क्रियता तथा तदर्थवाद की उस नीति को छोड़ देना चाहिए जिससे यह स्थिति और जटिल हो रही है। इसलिए, मैं मांग करता हूं तथा मैं धरना देने वाले लोगों के विचार बताना चाहता हू कि वे लोग वास्तव में चिन्तित हैं और वे सरकार से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग करते हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या का समाधान करेगी।

सभापति महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, आप इस विषय पर बोलना चाहते थे। इसलिए मैं आपको अपनी बात कहने की अनुमति देती हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदया, सी० पी० एम० तथा सी० पी० आई० के आह्वान पर, पंजाब से लगभग तीस हजार लोग आकर बोट कलब पर एकत्रित हुए हैं। वे वहां धरना दे रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि सरकार को तत्काल दृढ़ नीति अपनानी चाहिए। पंजाब की स्थिति बदतर होती जा रही है। पंजाब की समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानकर इस पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : सभापति महोदया, सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम०) के अपने साथियों से काफी समय से पंजाब के बारे में जब भी चर्चा हुई तो मैंने पाया कि इस विषय पर हम दोनों लगभग एक ही वेव लिंक पर रहे हैं। सोमनाथ जी ने जो मामला उठाया है, उसके मामले में सरकार को बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस समय नई सरकार बनी थी, काफी आशा जगी थी और एक नया मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा हुआ था। उसमें अगर एडहॉक डिसीजन न होते, एक निश्चयपूर्वक और सही दिशा में प्रगति होती तो इन 7-8 महीनों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता था। मुझे इस बात का खेद है कि वह परिवर्तन जैसा उस समय अपेक्षित था और जैसा उस समय सम्भव था, वह हुआ नहीं और प्रतिदिन पंजाब की स्थिति बिगड़ती ही गई है। न केवल हत्याओं के कारण लेकिन उससे भी गम्भीर स्थिति पैदा हुई है और वह है फिरौती के कारण, अपहरण के कारण जिसके कारण फिर से एक प्रकार से वहां पलायन आरम्भ हुआ है और बहुत सारे लोग कई दिनों से दुखी मन से पूरे परिवारों सहित यहां पर धरना दिये बैठे हुए हैं। आज वहां प्रदर्शन हो रहा है। मैं उसके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में एडहॉक डिसीजन न लेकर एक निश्चित नीति अपना कर सीमा को सीलबंद करें और ये जो लोग हैं उनके लिये रैनसम, किडनैपिंग की रोज प्राबलम हो रही है, हत्याओं के अलावा, उससे उन्हें सुरक्षा दिलायें।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदया, पंजाब के मामले में, हमारा दल हमेशा इस सरकार से निश्चित कार्यवाही योजना की मांग करता रहा है। मुझे खुशी है कि आज यह मामला सोमनाथ चटर्जी ने उठाया है। वामपंथी दलों ने हमेशा बहुत अच्छी भूमिका निभायी

है। अपने दल के शासन के दौरान भी हमने उनकी भूमिका की प्रशंसा की है और हमारे नेताओं ने विगत में इसे स्वीकार किया है। दुर्भाग्य से, स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही हैं और सीमा पार से हस्तक्षेप बढ़ गया है तथा मृतकों की संख्या प्रतिदिन 25 से बढ़ रही है। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है और सरकार कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है और अन्य राजनीतिक दलों के साथ इस पर चर्चा भी नहीं कर रहो है। मैं वामपंथी दलों द्वारा आज शुरू किए गए आंदोलन की प्रशंसा करता हूं। मैं इस आंदोलन का स्वागत करता हू। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सभी दलों को विश्वास में ले। यह राष्ट्रीय समस्या है न कि कोई क्षेत्रीय समस्या है और यह संपूर्ण भारत की समस्या है। कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि पंजाब में स्थिति बदतर न हो।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदया, मैं पंजाब के उन महान लोगों को बधाई देता हूं जो लोग संसद का तथा संसद के माध्यम से राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए देश के अलग-अलग भागों से आकर बोट कलब पर एकत्र हुए हैं ताकि पंजाब समस्या के समाधान में और देरी न हो।

महोदया, जैसा कि बहुत से सदस्यों ने कहा है कि लगभग 7 या 8 मास पहले विशेषकर देश के प्रधान मंत्री द्वारा पंजाब का कई बार दौरा करने पर किए गए प्रयासों के बाद स्थिति में कुछ सुधार होने के संकेत होने के बावजूद बाद में स्थिति और बिगड़ गई है और यह देश की जनता के लिए चिन्ता की बात है और निस्संदेह, उन सभी दलों के लिए बहुत चिन्ता की बात है जो यह चाहते हैं कि देश की एकता तथा अखण्डता को मजबूत किया जाना चाहिए, जो इसे बनाये रखना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं और जो ताकतें देश की एकता के विरुद्ध कार्य कर रही हैं उन्हें मात देना चाहते हैं, महोदया, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार इस समस्या का राजनीतिक हल निकालने के लिए नए प्रयास करे। महोदया, इस समय मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अन्य प्रतिष्ठित साथियों को भी बोलने देना चाहता हूं। मैं सरकार से यह आग्रह भी करता हूं कि वह यह देखे कि वह नए प्रयास शुरू करे तथा अलगाववादी ताकतों का मुकाबला करने के लिए बहुत सख्त और कड़े कदम उठाने के साथ-साथ, इस स्तर पर इस समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदया, मैं पंजाब के बारे में स्पष्ट नीति की जरूरत के बारे में सभा में अपने अन्य साथियों द्वारा किए गए आग्रह का समर्थन करता हूं। **(व्यवधान)** दुर्भाग्य से स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है··· **(व्यवधान)** पिछले कुछ दिनों स्थिति कुछ अधिक गम्भीर हो गई है और मैं सरकार से विशेष रूप से आग्रह करूंगा··· **(व्यवधान)** सभापति महोदया, मैं सरकार से विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि वह सम्भव हल निकालने के लिए न केवल प्रमुख राजनीतिक दलों की बल्कि सभी दलों की बैठक बुलाएं। इसके लिए पहले काफी समय बरबाद हो चुका है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह स्पष्ट नीति की घोषणा करे।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : सभापति महोदया, मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा आज सभा में व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि चूंकि राज्य विधान सभा को फिर से जीवित करने की बात शुरू हो गई है, इस सभा में भी कानून विद मौजूद हैं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने से पहले ही लोगों ने अकाली दल के इस समूह या उस समूह के सदस्यों की गिनती करनी पहले से ही शुरू कर दी है।

इस तरह की अटकलबाजियां हैं कि प्रशासन की बागडोर कौन मुख्यमंत्री सम्भाल रहा है आदि और क्या वे मिलीजुली सरकार बनाना चाहेंगे या नहीं। जबकि इस तरह की बातें राष्ट्रीय समाचार पत्रों में हर रोज प्रकाशित हो रही हैं, मैं तथा शायद जनता दल के अधिकांश सदस्य भी यह महसूस करते हैं जैसा कि सभा के अन्य दल के लोग भी महसूस करते हैं और मैंने जो कुछ पहले कहा है मैं वही बात फिर कहता हूं, यह मेरा अपना विचार है कि चूंकि उच्च न्यायालय के किसी आदेश के मुताबिक जो अभी आना है विधान सभा को फिर से जीवित करने के बारे में ये बातें शुरू हो गई है और इससे इस समस्या को नई दिशा मिल गई है तथा महत्वाकांक्षी राजनीतिक, उदीयमान राजनीतिक जो सत्ता हथियाना चाहते हैं, वे अपने तरीके से भी जोड़-तोड़ कर रहे हैं और वे शायद जघन्य अपराधों जिन्हें अपहरण या फिरौती, लूट कहा जा सकता है, को संरक्षण, प्रोत्साहन या उन्हें बढ़ाकर और अधिक सक्रिय हो रहे हैं। इन नये-नये राजनीतिकों द्वारा विधान सभा को पुनर्जीवित करने की बातचीत को रोका जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : उच्च न्यायालय किस आधार पर विधान सभा को पुनर्जीवित कर देगा ?

श्री मान्धाता सिंह : उच्च न्यायालय के निर्णय देने से पहले इन सब बातों का औचित्य क्या है ? वह राजनैतिक इस तरह की बातें कैसे कर रहा है ? वह राजनीतिक है कौन ? हमें उनका पता लगाना चाहिए जो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्व अनुमान लगा सकता है। मैं केवल यह संकेत कर रहा हूं कि आज के शासकों के नेक इरादों तथा प्रधान मंत्री द्वारा पंजाब गांव के अपने दौरे के दौरान व्यक्त किए गए विचारों तथा मरहम लगाने के बारे में व्यक्त विचारों के बावजूद भी इस तरह के हालात और प्रचार में वृद्धि हुई है। अब, हर कोई पंजाब तथा जम्मू तथा काश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने की बात कर रहा है। चलो, थोड़ी देर के लिए हम काश्मीर को छोड़ दें, हम केवल पंजाब के बारे में ही बात कर लेते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने से आपका अभिप्राय क्या है ? मैं नहीं जानता कि क्या विधान सभा का तथाकथित रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है या नहीं। यह बात भविष्य ही बताएगा। कौन इस बात का पहले से अनुमान लगा सकता है कि उच्च न्यायालय क्या करने जा रहा है ? यही एक मात्र मुख्य कारण है जिससे स्थिति और गम्भीर हो गई है। मैं पुन: विभिन्न नेताओं तथा सभा के विभिन्न दलों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सभा में केवल भावुक भाषण देने से ही राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। हमें शांति तथा एकजुटता के संदेश के साथ पंजाब के हर गांव तथा हर नगर में जाने का साहस दिखाना चाहिए तथा केवल लम्बी-चौड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला।

2.22 म० प०

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम श्री उपेन्द्र द्वारा 21 अगस्त, 1990 को विचारार्थ रखे गये प्रसार भारती विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदया इससे पहले कि आप अगले वक्ता का नाम पुकारें मैं एक बात कहना चाहूंगा। पिछले शुक्रवार को यह सुझाव दिया गया था कि सरकार हमें

आमंत्रित करे और हमारे संशोधनों पर विचार करे। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कृपापूर्वक हमें आमन्त्रित किया। हमने उनके साथ लगभग डेढ़ घंटा चर्चा की। हमने उन्हें अपने प्रत्येक संशोधन के विषय में विस्तारपूर्वक बताया। अब सिवाय कुछ सक्षिप्त वार्ताओं के, जो उन्होंने कल टेलीफोन पर हममें से कुछ लोगों से की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अभी विचार कर रहे हैं। और उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, हमें सरकार से अब तक कोई औपचारिक उत्तर नहीं मिला है। हमने यह समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सरकार इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रही है और सरकार को इन संशोधनों को स्वीकारने में कठिनाई है। हमें आशा थी कि इन पर चर्चा होगी और सारी सभा ने कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी चर्चा करवाना चाहती है, तो चर्चा में क्या हानि है। अब हम सरकार से चर्चा कर चुके हैं और अपने संशोधनों को स्पष्ट कर चुके हैं। सरकार को हमें यह बताने के लिये बुलाने में क्या झिझक होनी चाहिये कि वे हमारे संशोधनों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? यदि वे स्वीकार कर रहे हैं, तो उन्हें हमें बताना चाहिए कि वे संशोधनों सहित अथवा उनके बिना स्वीकार कर रहे हैं। हमें इनके बारे में समाचार पत्रों से क्यों मालूम पड़े जबकि उन्हें संशोधनों की जानकारी दे चुके हैं। मेरे विचार से इस प्रकार से हमारे साथ उपेक्षापूर्ण और लापरवाहीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सभी दलों ने समर्थन किया है। आडवाणी जी और सोमनाथ जी ने कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के मामले में गंभीर है, तो वे गंभीरता से चर्चा क्यों नहीं करते? हमने गंभीरता से चर्चा की थी। वे हमें गंभीर उत्तर क्यों नहीं दे सकते? मुझे बताया गया था कि यह वाद-विवाद अपराह्न 4 बजे तक चलेगा और अपराह्न 4 बजे कुवैत विषयक वाद-विवाद शुरू हो जायेगा। किन्तु मैं अब भी यही सोचता हूं कि सरकार को हमें गंभीरता से लेना चाहिये और हमारे संशोधनों पर विचार करके हमें इन संशोधनों के बारे में उत्तर देना चाहिये। आखिकर इन संशोधनों को हमारे दल के भीतर बहुत सावधानी से विचार-विमर्श करके तैयार करके प्रस्तुत किया गया है। उन्हें एकदम ही क्यों अस्वीकार कर दिया जाये और हमसे ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों किया जाये? मुझे तो बिलकुल समझ नहीं आता।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैंने शुक्रवार को कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी। मैंने उन्हें बताया था कि हमारे बीच चर्चा हो चुकने के बाद उनके पास लौटूंगा। मैंने अपने विचार तत्परतापूर्वक टेलीफोन पर श्री चिदम्बरम को बता दिये थे और बता दिया कि हम क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। उन्होंने वादा किया था कि वे कल रात अपने नेता से परामर्श करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया टेलीफोन पर बता देंगे। मैं कल सारी रात उनके टेलीफोन की प्रतीक्षा करता रहा और उन्होंने मुझे टेलीफोल नहीं किया। उत्तर न मिल पाने पर मैंने श्री कुरियन से सम्पर्क किया और उनसे अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया। उसके बाद मैंने स्वयं आज श्री राजीव गांधी से उनके दल के विचार जानने के लिये मिलने की कोशिश की। मुझे बताया गया कि वे अस्वस्थ हैं और बोल पाने में असमर्थ हैं। यदि वे अपनी राय नहीं बना सकते इसके लिये मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे खेद है, इसका स्पष्टीकरण करना होगा। श्री उपेन्द्र ने मुझे यह बताने के लिये टेलीफोन किया था कि वे सरकार के भीतर ही विचार-विमर्श कर रहे हैं। एक संशोधन के बारे में उनके कुछ विचार हैं। इसलिये उन्होंने कहा कि वे हमें यह बताने के लिये फिर बात करेंगे कि वे उस संशोधन को किस संशोधित रूप में स्वीकार कर सकेंगे। इन संशोधनों

के बारे में उन्हें कुछ कठिनाई है; वे मामले पर विचार कर रहे हैं; पांचवें संशोधन के बारे में उनका कोई विचार ही नहीं बना है। उन्होंने यही कहा था। तदन्तर मैंने कहा, आप औपचारिक रूप से हमें आमंत्रित करिये और इस बीच हम परामर्श कर लेंगे।

उन्होंने हमें कहां बुलाया? हममें से पांच अथवा छः से विचार-विमर्श करने के बाद वे एक बार टेलीफोन करते हैं और कहते हैं, "मैं श्री राजीव गांधी से मिलना चाहूंगा।" मैंने कहा बेशक आप श्री राजीव गांधी को मिल सकते हैं। किन्तु वे बीमार हैं···

श्री पी० उपेन्द्र : इस सुबह भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। **(व्यवधान)** उन्होंने अपनी राय कायम नहीं की है।

श्री पी० विश्वम्बरम : उन्होंने बड़े आराम से जिम्मेदारी हम पर डाल दी है।

श्री पी० उपेन्द्र : क्या आप तैयार हैं? शाम को भी मैं आपके साथ बैठूंगा। आप मुद्दे से बचना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। **(व्यवधान)**

समापति महोदय : क्या मैं दोनों पक्षों से अनुरोध कर सकती हूं। जो भी हो, चर्चा आज तो खतम हो नहीं जायेगी। इसलिये आइए हम चर्चा शुरू करें और इसे 4.00 म० प० तक जारी रखें। उसके बाद आप फिर से इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं।

मुझे आशा और विश्वास है कि चूंकि आपके बीच अब भी पारस्परिक अन्योन्य क्रिया जारी है, इसलिये यह अध्याय बन्द नहीं हुआ है. इसलिये मैं वाद-विवाद को जारी रखते हुए श्री लोकनाथ चौधरी को बोलने के लिए कहूंगी।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं इलेक्ट्रानिकी प्रसार माध्यमों को स्वायत्तता देने हेतु विधेयक लाने के लिये सरकार का धन्यवाद करता हूं। इन परिस्थितियों में प्रसार माध्यमों को स्वायत्तता देना बहुत जरूरी है। इसलिये, हालांकि यह विधेयक प्रसार माध्यमों को कुछ स्वायत्तता दे रहा है परन्तु उसमें कुछ कमियां भी हैं, फिर भी यह एक प्रशंसनीय कदम है। इससे स्वायत्तता के लिए आधार तैयार हो जाता है और मैं समझता हूं कि समय आने पर अनुभव प्राप्ति के साथ-साथ इसे संशोधित भी किया जाता रहेगा और स्वायत्तता पूरी हो जायेगी।

इसके अलावा मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने इस विधेयक पर सर्वसम्मति के लिये प्रयास किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यही स्वयं में एक अच्छी बात है कि मंत्री संशोधनों को लाने के लिये विपक्ष के साथ चर्चा के लिये और विपक्ष की सलाह लेने के लिये चर्चा करने हेतु सहमत हो गए हैं। मेरे विचार से यह शुरूआत है और हम इस किस्म के रुख को जारी रखेंगे।

मेरा विपक्ष के अपने मित्रों से ही यह अनुरोध है कि वे सभी बातों पर विचार करके कुछ सुझाव दें क्योंकि उन्हें प्रसार माध्यमों के उपयोग का अनुभव है—सरकार के लिये नहीं बल्कि एक सत्तारूढ़ दल के रूप में अपने लिये। मैं दल और सरकार को अलग-अलग मानता हूं—ठीक जैसे श्री उपेन्द्र सम्पादन और सेंसर को अलग-अलग मानते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश कांग्रेसी मित्रों ने, जो सत्ता में थे, कभी सरकार और अपने दल के बीच विभेद नहीं किया। इसलिये उन्होंने सर्वथा यही समझा कि वे ही सरकार हैं और दल हैं। इसलिए प्रचार माध्यम एक विशेष दल का तंत्र बन गया। इसलिए, इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम को किसी विशेष दल, जिसकी सरकार है और जो महत्वपूर्ण

हो गया है, से अलग रखना काफी जरूरी हो गया है। चुनाव के पहले सभी दलों ने देश के लोगों से यह वादा किया था कि वे इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम को स्वायत्त बनाएंगे। स्वायत्तता की सीमा के बारे में कुछ कहने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में समाचार पत्र ज्यादा-तर बड़े व्यापारियों के हाथ में हैं। वे सदैव लोगों को अपने हित में ही जानकारी देते हैं।

इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों का इस संदन में काफी महत्व है। इस माध्यम का क्षेत्र व्यापक है और यह जन सामान्य के लिए रुचिकर है क्योंकि ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं और इसलिए वे इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं। उन्हें प्रेस के बजाय इलेक्ट्रो-निक प्रचार माध्यम से जानकारी मिल सकती हैं। मैं अपने दल की ओर से नहीं बोल रहा हूं। प्रचार माध्यम हमारे समाज के विभिन्न हितों के प्रचार में सफल नहीं रहा है, इसलिए इस माध्यम का दुरुपयोग सिर्फ सरकार की ओर से ही नहीं हो रहा। अन्य अनेक पक्षों द्वारा भी इसके दुरुपयोग का खतरा है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में काफी विरोधाभास है, समाज के विभिन्न वर्ग समाज में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं और वे अपने हित में प्रचार माध्यम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन सभी दुरुपयोगों से बचाव के लिए जब हम स्वायत्तता के बारे में सोचते हैं जो हमारी स्वायत्तता इस हम तक होनी चाहिए कि इस प्रचार माध्यम का वैसे लोग दुरुपयोग न कर सकें जो किसी न किसी प्रकार हमारे संविधान में निर्धारित सिद्धान्तों तथा राज्य के नीति निर्धारक तत्व के विरुद्ध हैं। इसलिए इस बात को तथा हमारी समाज की आज स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात पर विचार करना है कि किस स्थिति से प्रचार माध्यम को सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो बल्कि लोकतंत्र तथा समाजवाद को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल हो। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सांप्रदा-यिक भावनाओं को भड़काने के लिए व्यापारिक घराने, बड़े व्यापारी, समाज के प्रभावी वर्ग के लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और हमारे लोकतंत्र विरोधी तत्व इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।

खंड 12 में उन उद्देश्यों के बारे में बताया गया है जिसके लिए प्रचार माध्यम कार्य करेंगे यद्यपि उसमें खामियां हैं। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्य प्रकार के दुरुपयोगों के साथ-साथ अफसर-शाही भी बराबर दुरुपयोग करती है। हमने अपने देश में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। ज्यादातर उपायों को तोड़ा-मरोड़ा गया और वे उपाय इसलिए सफल नहीं हो सके क्योंकि नौकरशाही उसे तोड़ती मरोड़ती है और हमारे प्रशासनिक ढांचे में वह काफी शक्तिशाली है। लार्ड हेस्टिंग्स ने नौकरशाही की शुरुआत की थी और आप जानते हैं कि वह किस तरह का आदमी था। उन्होंने भारतीय नौकरशाही की आधारशिला रखी जो किसी ढांचे के अन्तर्गत था। परंतु उसके बाद भी सामाजिक और प्रशासनिक सुधार न करके हमने किस प्रकार की गल्तियां कीं? इसलिए हम इस अधिनियम के माध्यम से जो कुछ करना चाहते हैं नौकरशाही उसे भी तोड़ मरोड़ सकती है। यह करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान विधेयक को काफी विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। इसकी कुछ सीमा हैं। मैंने कहा है कि इसमें कमियां हैं। हमारे प्रान्त में एक कहावत है यदि मामा न हो तो किसी को भी मामा बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं विधेयक की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं। अब मैं अध्यक्ष मंडल के विषय पर कुछ कहना चाहूंगा। इस विधेयक के अनुसार अध्यक्ष मंडन में 11 व्यक्ति होने चाहिए। जहां तक मंडन और प्रचार माध्यम में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, उनमें कोई मौलिक संबंध नहीं है। यह ऐसा ढांचा है जो नौकरशाही ढांचे का एक उदाहरण है। इसमें एक खतरा है कि प्रचार माध्यम का विकास नहीं

होगा। इसलिए एक मौलिक संबंध की आवश्यकता है, मैं समझता हू सरकार, जो प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के बारे में कह रही है प्रचार माध्यम में कार्यरत कर्मचारियों को अध्यक्ष मंडल में शामिल करने की बात भूल गई है। जैसा कि आप जानते हैं हम सरकार का समर्थन करते हैं। हमारे विभिन्न विचार और कार्यक्रम हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यह सरकार हमारे कार्यक्रमों को लागू करे। हम आपका इसलिए समर्थन करते हैं कि आप अपने कार्यक्रमों को ईमानदारीपूर्वक लागू करें। राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने कार्यक्रम में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की घोषणा की थी। एक समय था जब प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं थी। परंतु आज वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ श्रमिकों का मस्तिष्क, उनकी बुद्धिमता काम करती है। आज वह सिर्फ शरीर से ही काम करने वाला श्रमिक नहीं है। अतः आप उसे कैसे शामिल कर सकते हैं? आप श्रमिकों अर्थात् कलाकारों और कर्मचारियों को अध्यक्ष मंडल से अलग रख कर कैसे उन्हें अपना सकते हैं। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि उन्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि कर्मचारियों तथा कलाकारों से कम से कम दो सदस्य अध्यक्ष मंडल में हों। यह ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो निगम के लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुनिश्चित करेगी। यदि आप चाहते हैं कि निगम लोकतांत्रिक हो यदि आप लोगों के हितों की सुरक्षा चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि यह अपेक्षित दिशा में कार्य करे, तो यह जरूरी है कि कर्मचारियों तथा कलाकारों के प्रतिनिधि अध्यक्ष मंडल में अवश्य हों। मैं चाहूंगा कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार करे।

दूसरी बात, हमने अध्यक्ष नामनिर्देशित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। उप-राष्ट्रपति उपाध्यक्ष होंगे। परंतु एक सुझाव है कि प्रेस परिषद का सभापति इस नाम निर्देशन मंडल का अध्यक्ष हो। मैं समझता हूं कि बेहतर होगा यदि उप-राष्ट्रपति को सभापति बनाया जाये। अध्यक्ष मंडल का कार्यनिर्देशन करने वाली समिति की अवधारणा उचित है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परंतु एक बात होनी चाहिए। वह तंत्र क्या होगा, सदस्यों के नामनिर्देशन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। आप कार्यकारी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? कार्यकारी अध्यक्ष की अर्हता नौकरशाही को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। मैं समझता हूं इसमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि अन्य क्षेत्र के लोगों को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनने का मौका मिले तथा सदस्यों को नामनिर्देशित करने के तरीके भी तय किये जाने चाहिए। यदि तरीके समुचित रूप से तय नहीं किये जाते हैं तो भय है कि फिर नौकरशाही राज्य करेगी।

सरकार ने कहा है कि मूल विधेयक में एक उपबंध है कि एक प्रसारण परिषद होगी। मुझे खुशी है कि प्रसारण प्ररिषद् का विरोध किया गया है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें परिवर्तन कर दिया है। मूल विधेयक में "सभापति के परामर्श से" का क्या उल्लेख किया गया है। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। यह एक अच्छा कदम है। 'सभापति से परामर्श' के स्थान पर यह बेहतर होगा कि अन्य समितियों के समान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अन्य व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाए और किसी कुलपति को प्रसारण परिषद् का सदस्य बनाया जाए। प्रसारण परिषद् की शक्तियां क्या होंगी।

यदि कोई मतभेद हो, जब अध्यक्ष कारण देते हुए टिप्पणी वापस करे तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जब प्रसारण परिषद की सिफारिशें अस्वीकार कर दी जाएं तो इसे भी प्रसारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार लोग सभी बातें जान जाएंगे। इस

प्रकार अध्यक्ष मंडल जनता की पूरी जानकारी में काम करेगा तथा लोगों को यह जानकारी मिलेगी कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है।

अध्यक्ष मंडल की बर्खास्तगी अथवा मुअत्तली के बारे में एक प्रावधान था जिसमें अब संशोधन कर दिया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। किन्तु केवल संसद के दो-तिहाई बहुमत से अध्यक्ष मंडल के स्थान पर दूसरे अध्यक्ष मंडल की नियुक्ति की जा सकती है।

अधिनियम में व्यापारिक घरानों के प्रसारणों के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिये तथा यह समय कुल प्रसारण समय का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप समय निर्धारित नहीं करते तथा आप इसे प्रसारण निगम पर छोड़ देते हैं तो बाद में एकाधिकारी व्यापारिक घरानों द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। इसलिए हम इस मामले में काफी गंभीर हैं कि व्यापारिक घरानों के विज्ञापनों के लिए एक निश्चित समय-सीमा होनी चाहिए। अधिनियम में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि उनको वह समय नहीं दिया जाना चाहिए जब अधिकतर लोग दूरदर्शन-कार्यक्रम देखते हैं। अधिनियम में एक प्रावधान यह भी होना चाहिए कि प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम संविधान में निर्धारित किए गए लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए। यदि इसमें ऐसा प्रावधान नहीं होगा तो इसका भी दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। अतः रखे गए सभी संशोधनों से मुझे अब यह पता चला है कि इसका गैर-सरकारीकरण होना चाहिए तथा गैर-सरकारी घरानों को प्रसारण करने का लाइसेंस दिया जाए। मेरा विचार है कि यह सबसे खतरनाक प्रस्ताव है। यह गैर-सरकारीकरण का कारण बनेगा। दूरदर्शन को एकाधिकारी व्यापारिक घरानों को नहीं सौंपा जा सकता। मैं उन लोगों को जानता हूं जो इसकी वकालत कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए तथा इसे स्वीकार नहीं किया जाए क्योंकि यह दूरदर्शन और प्रसारण के काम करने के हित में नहीं है।

मेरा अगला मुद्दा प्रसारण निगम को संपत्ति के हस्तांतरण और वित्त व्यवस्था के बारे में है। इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है किन्तु सरकार को निगम को विधेयक में दिए गए स्रोतों से होने वाली आय के अलावा इसका वित्तपोषण करना चाहिए। दूरदर्शन के सभी साज-समान (हार्डवेअर) पट्टे पर निगम को सौंपे जाएंगे।

मैं इसका स्वागत करते हुए मंत्री महोदय की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि इस विधेयक को लाकर उन्होंने अच्छा काम किया है। किन्तु जैसाकि मैंने पहले कहा है कि यदि वे इसमें संशोधन नहीं करते हैं तथा यदि इसका सत्तासीन पार्टी द्वारा उपयोग किया जाता है, यदि वे व्यापारिक घरानों को इसका उपयोग करने देते हैं, यदि वे इसका व्यापारिक उद्देश्यों से उपयोग करने देते हैं तो यह सबसे खराब बात होगी। हमारे समाज में व्याप्त इन सभी संभावित खतरों के विपरीत बहुत से अंतर्विरोध हैं। इसलिए इसमें संतुलन स्थापित करने तथा समाज को संविधान तथा इसके नीति निर्देशक तत्वों में निर्धारित दिशा में ले जाने की जरूरत है जिसके लिए प्रचार माध्यम हमारे देश की महान जनता को शिक्षित करेंगे, उनका मनोरंजन करेंगे, उनको जानकारी देंगे तथा उनको प्रेरित करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, मैं इस विधेयक का उस हद तक विरोध करता हूं जिस हद तक यह विधेयक कार्यात्मक स्वायत्तता की वास्तविक जरूरतों से आगे जाता

है तदा इस शक्तिशाली प्रचार माध्यम को न केवल राजनीतिक कार्यपालिका बल्कि सार्वभौम संसद तथा जनता के प्रभाव और नियंत्रण से बाहर ले आता है। मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक कार्यपालिका तथा भारत सरकार ने सामाजिक-आर्थिक विकास तथा आधुनिक समाजवादी कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए जनता के इस सशक्त माध्यम का एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी त्याग दी लगती है तथा वे गवर्नर कहे जाने वाले लोगों की मण्डली की एक गैर-सरकारी जागीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तथा वे संसद के प्रति जरा-सी भी जवाबदेही के बिना उनको असीमित शक्तियां देना चाहते हैं।

इस बात का अनुमान लगाने के लिए कोई अतीन्द्रिय दृष्टि होने की आवश्यकता नहीं है कि नया प्रसार भारती प्रचार माध्यमों को अनियंत्रित अक्षमता तथा भ्रष्टाचार के दलदल में डुबोने जा रहा है।

जनता दल जो करने जा रहा है उसे उनके परामर्शदाता तथा आप्तपुरुष श्री मोरारजी देसाई के शब्दों में सम्भवतया बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है, जिन्होंने प्रचार माध्यमों की स्वायत्तता पर बोलते हुए कहा, 'किसी को भी आकाश से गिरे, खजूर पर अटके वाली स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए; एक निगम भी पूर्णतया विनाशकारी हो सकता है'—4 नवम्बर, 1977।

क्या इस सरकार की प्रसार भारती विधेयक लाने का उद्देश्य सदाशयपूर्ण है? हम सब जानते हैं कि यह निगम का ढांचा नहीं बल्कि प्रचार माध्यमों में ईमानदारी के प्रति दृष्टिकोण है; कानून की भाषा नहीं बल्कि प्रचार माध्यमों का संचालन करने की भावना यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त है कि प्रचार माध्यम न्याय और ईमानदारी के सिद्धान्तों के अनुसार चले, विशेष रूप से तब जबकि यह समाचार और सामयिक घटनायें दिखा रहा है। अधिकतर प्रस्ताव ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के मॉडल से लिए गए हैं। तथ्य यह है कि बी० बी० सी० की परिसम्पत्तियां ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व में हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्री को बी० बी० सी० के बारे में असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। किन्तु वे परम्परा से उनका उपयोग नहीं करते। बी० बी० सी० को उसके पहले प्रतिष्ठित गवर्नर लार्ड रीथ ने धीरे-धीरे ख्याति दिलाई, जिन्होंने परम्परा स्थापित की, जिन्होने बी०बी०सी० के संचालन के लिए मानदंड बनाए और जिन्होंने पक्षपातपूर्ण राजनैतिक हस्तक्षेप का विरोध किया। हम यहां क्या कर रहे हैं? क्या हम यह सोचते हैं कि श्री उपेन्द्र इस देश में प्रचार माध्यमों की स्वतंत्रता के नए युग के मसीहा है?

पिछले आठ महीनों में प्रचार माध्यमों के बारे में इस सरकार का क्या रिकार्ड रहा है? इस सरकार ने पक्षपातपूर्ण राजनैतिक प्रचार के लिए प्रचार माध्यमों का घोर दुरुपयोग किया है। खुला मंच के इन संचालकों ने विषयनिष्ठता और सत्य का परित्याग कर दिया है। यहां एक ऐसा सूचना और प्रसारण मंत्री है जो अपने मंत्रिमण्डल के साथी के वक्तव्य को सेंसर कर देता है तथा यह आपके सामने विचाराधीन विशेषाधिकार प्रस्ताव की विषयवस्तु है। वह दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के प्रत्येक सामयिकी कार्यक्रम में अपने समर्थन की बातें भर रहा है। उसने प्रचार माध्यमों को पहले ही 'प्रचार भारती' बना दिया है। यहां एक ऐसा सूचना और प्रसारण मंत्री है जो प्रचार माध्यमों को स्वायत्तता और जनता के सूचना पाने के अधिकार को निजी तौर पर उलट रहा है।

हमें आज समाचार पत्रों से पता चला है कि इस सरकार ने नागरिकों के सूचना पानेके अधिकार की स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम पर विचार करने के लिए अपने पहले कदम के रूप में

बनाई गई मंत्रिमण्डल की उप-समिति भंग कर दी है। सूचना की स्वतंत्रता के संबंध में इस सरकार का यह दृष्टिकोण है।

सरकार की इच्छा एकदम स्पष्ट है। वे प्रसार भारती पर स्वायत्तता और प्रतिष्ठा का मुलम्मा चढ़ाना चाहते हैं। किन्तु वे शासी परिषद् में अपने समर्थकों, अनुचरों और पिछलग्गुओं को भरना चाहते हैं। वे संसद सदस्यों अथवा जनता किसी को भी जबाबदेह हुए बिना प्रतिनिधि के रूप से प्रचार मध्यमों का संचालन करना चाहते हैं। उनका गुप्त धोखेबाजी करने का उद्देश्य है। उनका उद्देश्य लोगों के साथ अपूर्व धोखाधड़ी करना है।

इस विधेयक के बारे में कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। मेरे वरिष्ठ साथी माननीय श्री बसंत साठे जी ने इसे स्पष्ट रूप से सभा के सामने रखा है। यह इन्दिराजी और हमारे नेता श्री राजीव गांधी के विचारों का योगदान है कि पिछले दशक में आकाशवाणी और दूरदर्शन का मूलभूत ढांचा संसार के अग्रणी प्रसारण संगठनों में एक बन सका है। आकाशवाणी के मूलभूत ढांचे में दुगुनी बढ़ोतरी होकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही 90 से 180 प्रसारण केन्द्र हो गये हैं। दूरदर्शन के आधारभूत ढांचों का तीन गुना विस्तार करके 171 प्रसारण केन्द्रों को बढ़ा दिया गया और 520 प्रसारण केन्द्र बना दिए गए। हमें विश्वास है कि जनता के धन से बनाए गए इस व्यापक आधारभूत ढांचे का उपयोग साक्षरता का विस्तार करने तथा मानव संसाधनों का विकास करने के लिए तथा समाजवादी राष्ट्र के निर्माण में लोगों की साझेदारी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये किया जाना चाहिये। हमारा विश्वास है कि संसदीय लोकतंत्र में यह कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा किया जाना चाहिये, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या जनता जल हो जो भी जनता द्वारा निर्वाचित हो। यह उनका राजनीतिक जनादेश है तथा इस जनादेश को कार्यान्वित करने के माध्यम से देश को आगे ले जाया जाना है तथा इस कार्य के लिये प्रचार माध्यमों का तर्कसंगत ढंग से उपयोग किया जाना होता है। वर्गीज समिति ने भी यह कहा था, "राष्ट्रीय आयोजना के संदर्भ में पूर्ण स्वायत्तता संभव नहीं है।" हम विश्वास करते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की मूल जिम्मेदारियों को न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही कम किया जा सकता है। यहां तक कि उस पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिये तथा इसका संपूर्ण कार्य क्षेत्र को वस्तुत: प्रचार माध्यमों को सौंप दिया जाना चाहिये। महोदया, यदि वह यह तर्क देते हैं तो वे क्यों नहीं शिक्षा मंत्रालय को समाप्त करके संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र शिक्षाविदों को सौंप देते, उद्योग मंत्रालय उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को क्यों नहीं सौंप देते? इस देश को आगे ले जाने में भारत सरकार को महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है और जहां तक सरकारी प्रचार माध्यमों का संबंध है यह विधेयक सरकार की इस जिम्मेदारी को कम करता है। यदि इस सभा में या सभा के बाहर कोई इस बात की वकालत करता है कि इस देश में एक लोक नैतिकता है जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की नैतिकता से ऊपर है, तब कोई भी न्यायिक भावना जो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनीतिक कार्यपालिका जो कि संविधान और कानून के अंतर्गत कार्य करती है, से ऊपर है, वह एक खतरनाक अवधारणा है जो कि इस देश में लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इनको केवल कार्य करने की स्वायत्तता देने ही पक्षधर है तथा इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों को संसद तथा कार्यपालिका के नियंत्रण और दिशानिर्देश से पूरी तरह अलग करने के पक्ष में नहीं है। मैं इस बारे में जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा और प्रचार माध्यम के बारे में हम नेहरू की अवधारणा का समर्थन करते हैं। नेहरू का दृष्टिकोण तथा विचारधारा अब ठोस अन्तर्राष्ट्रीय

विचारधारा बनती जा रही है। उन्होंने कहा था, "यह बेहतर होगा यदि हमारा अर्द्धस्वायत्त निगम हो, जो कि सरकार के नियन्त्रण में हो, परन्तु सरकारी विभाग के रूप में नियन्त्रित न हो।" यह बात उन्होंने 15 मार्च, 1948 को कही थी। कल जब श्री साठे ने यह कहा कि प्रचार माध्यम सरकार द्वारा नियंत्रित होने चाहिये तो यह उनका दृष्टिकोण था।

सभापति महोदया, यह विधेयक दोषों तथा कमियों से भरा हुआ है। मेरे अनुसार इसमें मुख्य कमी यह है कि विधेयक में इस बात की व्यवस्था नहीं है, कि अध्यक्ष मण्डल हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों का अनुसरण करे। जब मैं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों की बात करता हूं तो मैं दलगत स्थिति से ऊपर उठकर बोल रहा हूं जिसमें धर्मनिरपेक्षता के लिए सर्वसम्मति है, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई के लिए सर्वसम्मति है, इस देश में समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिये सर्वसम्मति है। विधेयक में राजनीतिक कार्यपालिका के लिये कोई रचनात्मक भूमिका नहीं है। उदाहरण के लिए यदि प्रशासी संस्था अपने विवेक से यह निर्णय करता है कि सरकार के किसी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि महिलाओं को अधिकार देना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, मां और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या अन्य युक्तिसंगत कार्यक्रम पर बल नहीं देना है तो विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यह प्रशासी संस्था हमारी प्राथमिकाओं का अनुसरण कर सके ? मैं कहता हूं कि विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और वाम पक्ष के साथी सदस्यों ने इस पर जोर दिया है, मान लीजिये वह शैक्षणिक कार्यक्रमों पर जोर नहीं देते तथा विज्ञापन बढ़ाते हैं या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खुली छूट देते हैं तो क्या यह गलत आचरण तथा नैतिकता के उल्लंघन की परिधि में नहीं आता ? ऐसी स्थिति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रशासी संस्था को हमारी नैसर्गिक सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं पर जोर देने के लिए कहा जा सके।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह गलत बयानी करते हैं कि विधेयक में संसद द्वारा प्रसार भारती पर नियंत्रण रखने की पर्याप्त व्यवस्था है। यदि सदस्य इस प्रचार माध्यम के बारे में प्रश्न पूछते हैं जो कि उनका अपरिहार्य अधिकार है, तो मंत्री महोदय आसानी से यह कह सकते हैं कि वह इस बारे में कोई उत्तर नही दे सकते क्योंकि प्रसार भारती सरकार के नियन्त्रण से बाहर है या उन्हें सूचना एकत्र करनी है। प्रसार भारती किसी भी समय सीमा के बारे में सूचना देने के लिये बाध्य नहीं है। जैसा कि श्री साठे ने कहा है कि हम केवल अपना असन्तोष व्यक्त कर सकते हैं। मुझे एक और स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये। कुछ वर्षों पूर्व जब हम सत्ता में थे, आठवीं लोक सभा के सदस्यों को याद होगा कि संसदीय समाचार का समय बदल दिया गया था। संसद में इस पर काफी शोर-शराबा हुआ था, तथा इसके परिणामस्वरूप इसका वही समय कर दिया गया था तथा संसद समाचार को उचित महत्त्व भी दिया गया था। यदि प्रस्तावित प्रशासी संस्था संसद समाचार का महत्त्व कम करके इसके प्रसारण का समय बदल देती है तो इस विधेयक में इसका उपचारात्मक उपाय क्या है ? विधेयक में इसका कोई उपचारात्मक उपाय नहीं है। वह कहते हैं कि यह विधेयक बी० बी० सी० अधिनियम के आधार पर तैयार किया गया है। मैं लाइसेंस के खण्ड 13(2) से उद्धृत कर रहा हूं जिसके अन्तर्गत बी० बी० सी० कार्य करती है। इसमें कहा गया है : "निगम संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेशेवर रिपोर्टरों द्वारा तैयार की गई कार्यवाही का हर रोज निष्पक्ष ब्यौरा प्रसारित करेगी।"

3.00 म० प०

ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग लाइसेंस की यह शर्त है। इस विधेयक में संसद के लिए ऐसे सुरक्षा

उपाय कहां हैं ? वे अपनी अदूरदर्शिता के कारण शक्तिशाली प्रचार माध्यम को संसद के नियन्त्रण के बाहर कर रहे हैं। सदस्यों के साथ-साथ सम्पूर्ण संसद के अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं।

विधेयक में एक और महत्त्वपूर्ण कमी विदेश प्रसारण से सम्बन्धित है। हम जानते हैं कि विदेश-प्रसारण सरकार का महत्त्वपूर्ण कार्य है जो कि अपरिहार्य रूप से हमारी विदेश नीति से संबंधित है। सारे विश्व में विकसित देश सूचना बो रहे हैं। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा फ्लोरिडा के तट से क्यूबा के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। हमारे देश भारत को भी अपने सीमावर्ती देश पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे कुप्रचार का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब में विद्रोह फैलाने के लिए अपने प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है। यह सरकार इस विधेयक द्वारा विदेश प्रचार के कार्य को भी इन ग्यारह व्यक्तियों के हाथ में सौंप रही है जिन्हें अध्यक्ष मण्डल कहा जाता है और जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

और इन सशक्त प्रचार माध्यमों में सी० आई० ए० जैसी विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा घुसपैठ की संभावना के बारे में क्या किया गया है ? क्या आप समझते हैं कि यह संभव नहीं है। यदि आपने लेटिन अमरीका तथा तीसरा दुनिया के देशों में अस्थिरता पैदा करने के प्रयासों का अध्ययन किया है तो आप जानते होंगे यह भी संभव है कि सी० आई० ए० जैसी एजेंसी का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष मण्डल के मुट्ठी भर लोगों को खरीद सकती है जो हमारी जानकारी में भी न आए। एक दिन हमें पता चलेगा कि यह सशक्त प्रचार माध्यम जो कि सरकार के नियन्त्रण में था उसमें नीचे से ऊपर तक इन एजेन्सियों की घुसपैठ हो गयी है। ऐसी घटनाओं से बचाव की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है।

इस विधेयक में श्री बी० जी० वर्गीज की ट्रस्टीशिप की अवधारणा का उल्लेख भी नहीं है। यहां ट्रस्टीशिप तथा प्रसार भारती के राजमर्रा के प्रबन्ध को दबा दिया गया है तथा लोक पाल की व्यवस्था या संरक्षक की व्यवस्था जो कि ट्रस्टीज के हाथ में अपेक्षित होती वह समाप्त हो जाएगी और कार्यकारी अध्यक्ष की शक्ति खतरनाक रूप से बढ़ जाएगी। श्री साठे ने इस बात पर जोर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम के महानिदेशक को कोई स्वायत्तता नहीं दी जा रही है। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी जो शुरू से ही इनसे जुड़े हैं, अध्यक्षों के अधीन बन कर रह जायेंगे। यह अधिकारी अध्यक्ष मण्डल के बाहर हैं, तथा इसके सदस्य नहीं हैं। कार्य करने वाले 38,000 व्यक्तियों की शक्तियां छिन जायेंगी। इनके पास कोई शक्ति नहीं होगी। इंजीनियर, कार्यक्रम निर्माता तथा व्यावसायिक कर्मचारियों को अतिरिक्त शक्तियां नहीं प्रदान की जायेंगी। दूसरी ओर उनके पास अब जो शक्ति है उसे वापस लिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार को इस बात पर गर्व हो सकता है कि उसके अधीन दूरदर्शन है और आकाशवाणी के महानिदेशक भारत सरकार के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली विभागाध्यक्षों में से थे ; सामान्यतया, सरकार ने विभाग का प्रमुख ठीक अपने से बाद के अधीनस्थ कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं कर सकता, यह शक्ति सरकार के पास होती है किन्तु दूरदर्शन का महानिदेशक और आकाशवाणी का महानिदेशक अपने अधीन अधिकारी अर्थात् केन्द्रों के निदेशकों का स्थानान्तर कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने ऐसी स्वायत्तता, ऐसा विकेन्द्रीयकरण किया था। अब इन संगठनों के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक तथा इन संगठनों के व्यावसायिक लोगों को एक नहीं बल्कि उन ग्यारह उपेन्द्रों से निपटना होगा जो सुपर मंत्री होने जा रहे हैं, जो सुपर कार्यपालिका और सुपर संसद होने जा रहे हैं। इन 38 हजार कर्मचारियों की जनशक्ति को उनके राज्यों से हटाया जा सकता है, बाहर से किसी भी आदमी को लाकर किसी भी स्तर पर नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें सरकारी सेवा

की सुरक्षा मिलनी बन्द हो जाएगी और उनके पास प्रशासनिक, न्यायाधिकरणों के पास जाने का रास्ता भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इससे वर्तमान व्यवस्था में स्वायत्तता आ पाएगी। प्रचार माध्यमों के ये नए सामंत 38 हजार कर्मचारियों की इस शक्तिशाली जनशक्ति पर तानाशाही चला सकते हैं और यही होने जा रहा है।

जैसा कि इस विधेयक में सोचा गया है, प्रसारण परिषद अनावश्यक है, क्योंकि यह शक्तिहीन है, यह निरूपाय है, यह दिखावे भर की चीज है, और एक बेकार की कसरत है। इन्हीं बातों को देखते हुए मेरे दल ने इस बात की जोरदार मांग की थी कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए, न कि समूचे तौर पर एक नई व्यवस्था खोजने के लिए न कि सम्पूर्ण संगोष्ठी और परामर्शदात्री प्रक्रिया पर विचार करने के लिए, न कि विभिन्न मतों पर की नए सिरे से समीक्षा करने के लिए जो पिछले तीन महीनों में व्यक्त किए गए हैं बल्कि केवल उन संशोधनों पर विचार करने के लिए जो माननीय सदस्यों द्वारा रखे गए हैं और सर्वसम्मति प्राप्त कीजिए। बेशक श्री उपेन्द्र ने हमारे साथ चर्चा की है किन्तु उन्होंने हमारे अनुरोधों का कोई ठोस उत्तर नहीं दिया है। हम रचनात्मक सहयोग देना चाहते हैं। हम सुचारू रूप से काम करने वाली स्वायत्तता चाहते हैं। हमें मैंने, श्री चिदम्बरम और श्री माधव राव सिन्धिया ने जो संशोधन रखे हैं वे पार्टी में बहुत विचार-विमर्श करने के बाद पार्टी की ओर से रखे गए हैं। महोदया, ये संशोधन उचित हैं। वे संशोधन विधेयक की विसंगतियों और कमियों को दूर करने के लिए हैं। हमारा अनुरोध है कि सरकार उन पर समुचित विचार करे।

संक्षेप में, ये संशोधन दलगत विकल्प को रोकने के लिए हैं। हमने मांग की है कि प्रवर समिति में दोनों पक्षों के निर्वाचित संसद सदस्यों को शामिल किया जाए। हमने यह भी मांग की है कि संसद सदस्यों के थोड़े बहुत नियंत्रण के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए निदेशक मण्डल में देश में अन्य अनेक मण्डलों की भांति ही इसमें संसद द्वारा निर्वाचित कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए जिनमें कि सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल सके। हमने यह भी मांग की है कि दूरदर्शन के महानिदेशक और आकाशवाणी के महानिदेशक को शासी परिषद में होना चाहिए ताकि उन्हें समुचित दर्जा दिया जाए ताकि वे कारगर ढंग से कार्य कर सकें। हमने कहा है कि उन्हें गवर्नर का पदनाम देने की कोई जरूरत नहीं है। यह उच्च पदनाम संविधान में राज्यों के राज्यपालों और रिजर्व बैंक के गवर्नर को दिया गया है। यह कोई संविधानिक विधेयक नहीं है। इस मण्डल में भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी आदि होंगे, इसलिए मण्डल के सदस्यों को ऐसा पदनाम न दें। बजाए प्रसारण परिषद के, जो कि एक बोझ है, हम ने दो निकायों का सुझाव दिया था, एक निदेशकों की शिकायतों सम्बन्धी सांविधिक समिति बोर्ड स्वयं दिन-प्रतिदिन की शिकायतों और कठिनाईयों की सुनवाई करेगा और इसके निर्णयों पर कार्यकारी गवर्नर द्वारा कार्यवाही की जाएगी। और दूसरा निकाय-लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की भांति प्रचार माध्यमों सम्बन्धी संसदीय समिति होगी जो निगरानी करने वाला निकाय होगा और जो संसदीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पहलू के सम्बन्ध में संसद की सर्वोच्चता सुनिश्चित करेगी। वह निदेशक मण्डल को अपील कर सकेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रचार माध्यमों का उपयोग हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए हो रहा है। हमने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना नए केन्द्र न खोले जाएं। महोदया, मैं इस मंत्रालय में रहा हूं और मुझे मालूम है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि की अपनी शिकायतें होती हैं इस बारे में उनके अपने विचार होते हैं कि ये केन्द्रों तथा ट्रांसमिटिंग स्टेशन किस स्थान पर बनाए

जाएं, अब सरकार यह शक्तियां इन ग्यारह बाहरी व्यक्तियों को सौंपने जा रही है जो कि नौकरशाह हैं और जन प्रतिनिधियों की राय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। वे हमारी बात नहीं सुनेंगे। वे कुछ अपनी तकनीकी राय देंगे और इन स्टेशनों को अपनी इच्छानुसार स्थापित करेंगे और संसद सदस्यों की राय की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यदि ये शक्ति सरकार अपने पास रखती है तो उसे जन प्रतिनिधियों की बात सुननी पड़ेगी भले ही मंत्री कोई भी हो। महोदया, हमें विश्वास है कि निदेश देने की शक्ति राज्य के पास रहनी चाहिए। साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निदेश देने अर्थात आर्थिक सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में कोई दलगत राजनीतिक पक्षपात नहीं होगा। अब इस विधेयक में निदेश देने की पूरी शक्ति सार्वजनिक व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा के मामलों तक सीमित है। मान लीजिए कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम को महत्व नहीं देते तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यदि वे राज्य के आर्थिक विकास कार्यक्रमों के प्रसारण समय को कम करते हैं सेवा तो हम क्या करेंगे ? इसके लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय होने चाहिए।

महोदया, विदेश प्रसारण सेवा के लिए हमें कठोर प्रावधान करने की आवश्यकता है। इसको प्रसार भारती के अधीन रखें परन्तु इसकी आयोजना और नियंत्रण सरकार के पास रहना चाहिए।

हमारे छोटे से संशोधन पर बहुत बातें कही गई हैं, इसमें दूसरे माध्यमों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने का उपबंध किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम इसका गैर-सरकारीकरण करने की वकालत कर रहे हैं। भारतीय तार अधिनियम के अधीन अब भी आकाशवाणी और दूरदर्शन को लाइसेंस दिया गया है। ये सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं व किसी भी गैर-सरकारी संगठन को अथवा सामाजिक सेवा संगठन को प्रसारण लाइसेंस दे सकती है।

महोदया, विज्ञान की सीमाएं तेजी से विस्तृत हो रही हैं। आज भी यदि आप एक हजार रुपए देकर एक छोटा-सा उपकरण खरीदते हैं तो उससे आप विश्व के किसी भी हिस्से से प्रसारण सुन या देख सकते हैं, चाहे वह सोवियत रूस हो अथवा संयुक्त राज्य अमरीका अथवा यूरोप हो।

हम चाहते हैं कि प्रसार भारती को विदेशों से स्पर्धा न करके देश के भीतर प्रतिस्पर्द्धा करनी चाहिए। इस विधेयक में ऐसा कोई खण्ड रखना कुछ गलत नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि कल को आप निजी लाइसेंस देना शुरू कर दें। परन्तु जहां तक योजना का सवाल है यह विधेयक एकाधिकारवादी है। यह आवश्यक है कि विधेयक में यह खण्ड भी शामिल हो ताकि सरकार यदि अपने विवेक से कोई निर्णय लेना चाहे तो उसके लिए उसे अधिकार है।

हमने ये सारे सुझाव सदाशयता से तथा निष्ठापूर्वक दिए हैं। अपने संशोधन में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण खण्ड जोड़ा है अर्थात्—देश और सरकार के हितों को सुरक्षित रखना, ऐसा खण्ड विधेयक में हो सकता है, और यह हमने आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन एक्ट से लिया है—"जैसा कि इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है, इस निगम पर सरकार द्वारा कोई निर्देश या दखलदाजी नहीं की जा सकेगी।" इससे रोजमर्रा का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा चाहे कोई भी सरकार हो।

इस निगम को पृथक करने की दृष्टि से—आखिरकार इस चर्चा का अर्थ यही है कि समाचारों तथा सामयिक कार्यक्रमों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है। इस विशिष्ट

खण्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि "सरकार केवल कुछ नियत स्थितियों में इसमें हस्तक्षेप कर सकती है सामान्य तौर पर नहीं।" हम श्री उपेन्द्र से और इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे संशोधनों पर निष्पक्ष रूप से विचार करें और उन्हें स्वीकार करें और यदि वह विधेयक की कमियों को दूर करते हुए उसको ठीक नहीं करते हैं तो वे इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों तथा देश के महत्वपूर्ण हितों को अकथनीय क्षति करेंगे।

श्री आडवाणी के अनुसार भी यह अल्पमत की सरकार देश को नुकसान पहुंचा रही है, मूल्य वृद्धि फैला रही है, आर्थिक प्रबन्ध तबाह कर रही है, जातीय संघर्ष फैला रही है और धार्मिक तथा भाषायी उन्माद बढ़ा रही है और इसके साथ एक बात इसमें और जुड़ जायेगी कि पिछले चालीस वर्षों में बनाए इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम को इसने नष्ट कर दिया है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंसटन चर्चिल ने रायल वायुसेना के पाइलटों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा था :

> "इंगलैंड इतने कम समय में इतने कम लोगों के प्रति इतना अधिक ऋणी हो गया है।"

यदि मैं इसकी पैरोडी बनाऊं तो कहूंगा कि यह देश जब जनता दल शासन का मूल्यांकन करेगा। जब इसके बारे में अपना ऐतिहासिक निर्णय करेगा तो कहेगा कि भारत के इतिहास में इतने कम लोगों ने इतने कम समय में देश को इतना अधिक नुकसान पहुंचाया जो कि पहले कभी नहीं हुआ।

3.15 म० प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करती हूं। हमें यह कह कर अपनी बात शुरू करनी चाहिये कि हम स्वयं स्वायत्ता के प्रति आश्वत नहीं हैं। इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों की स्वायत्ता एक अमूर्त विचार है। हम एक विशिष्ट संदर्भ में, एक ऐसे देश के संदर्भ में जो कि गरीब है, विकासशील है और असामान विकास और घटनाक्रम झेल रहा है, इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों की स्वायत्ता के निहितार्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस देश में इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों के लिए स्वायत्ता निगम के निहितार्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यदि इससे सरकारी नियंत्रण हटा दिया जाता है तो इसके व्यावसायीकरण का खतरा है।

मैं यह कह कर अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि हम इस खतरे से अवगत हैं। हम स्वयं भी इस खतरे के संबंध में अत्यंत चिंतित हैं। वे इस प्रचार माध्यम में कार्य कर रहे 34,000 कर्मचारियों को और अधिक स्वतंत्रता देने की संभावनाओं के बारे में बोले हैं। इससे हम भी चिंतित हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि अनुभव से हमें पता चला है कि यदि इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों को सरकारी नियंत्रण में रखा जाता है तो भी व्यावसायीकरण को रोका नहीं जा सकता है। इस प्रचार माध्यम पर सरकारी नियंत्रण होने से बड़े औद्योगिक घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव को नहीं रोका जा सकता है। विगत में हमारा अनुभव यही रहा है।

विगत में हमने देखा है कि सरकारी तंत्र, शासक दल तथा बड़े व्यापारिक घरानों के बीच अनुचित त्रिकोणीय सांठगांठ रही है। अतः वस्तुतः बहुत छोटे से अल्पमत वर्ग के लिये ही यहां स्वायत्ता रही है। इन देश के लोगों को न तो देखा गया है और न ही उनकी बात सुनी गई है। जनता के लाभ के लिये इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों का उपयोग नहीं किया गया है। अतः हम चाहते हैं कि जनता के लिए इसको स्वायत्ता दी जाये। हम जानते हैं कि इस त्रिकोणीय गठबंधन को, जिसके बारे में मैंने अभी कहा है, तोड़ना अत्यन्त कठिन है। यह लगभग असम्भव है। परन्तु हम इस गठबन्धन में कहीं छोटी-सी दरार पैदा करना चाहते हैं। और यदि यह मौजूदा सरकार और मौजूदा शासक दल यह उत्तरदायित्व निभाती है तो मैं उसे धन्यवाद दूंगी। मैं उन्हें इसलिये धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस सरकारी तंत्र बड़े व्यापारिक घरानों तथा शासक दल के बीच इस अनुचित गठबन्धन की संभावना को तोड़ने के लिए कुछ सीमा तक नियंत्रित करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं तथा कुछ हद तक नियमित करने का प्रयास किया है। यदि उन्होंने यह कदम गठबंधन नियंत्रित करने के लिये उठाए हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। मैं यहां यह भी याद दिलाना चाहूंगी कि चूंकि इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम जागरूकता पैदा करने वाला तंत्र है जैसा कि हक्सर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सांस्कृतिक मूल्यों को तैयार करता है। हक्सर समिति ने सांस्कृतिक मूल्यों को तैयार करने में बाजार की शक्तियों के प्रभुत्व को भी नोट किया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है :

> "आदमी, प्रकृति और समाज के हितों की सेवा करने के लिये बाजार को नियंत्रित करने और इसका उपयोग करने की आवश्यकता है।"

हम इस सिफारिश से सहमत हैं, हम चाहते हैं कि इस नये अधिनियम में पिछले कुछ वर्षों से प्रचार माध्यमों में पहले से ही विद्यमान तानाशाही जो सरकार के माध्यम से कार्य कर रही है उनसे इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम को स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

जिस भावना से मैं स्वायत्तता की बात कर रही हूं वह उसमें स्वायत्तता निगम के लिये सरकारी धन के उपयोग का विरोध नहीं है। विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में यह कहा गया है कि निगम धीरे-धीरे सरकार द्वारा दी जाने वाली बजटीय सहायता पर अपनी निर्भरता को कम करनी चाहिए।

हमारे वर्तमान सन्दर्भ में, हमारे वर्तमान सामाजिक सन्दर्भ में जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार के पास धन की कमी है, यह बात कुछ महत्वपूर्ण हो सकती है। अतः अत्यधिक आवश्यकता में सरकार को भी धन प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों का पता लगाना पड़ता है। अतः जब हम सोचते हैं शिक्षा पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में दी जानी चाहिए तो हम यह पाते हैं कि इसे पूरी तरह सरकार द्वारा आर्थिक राज सहायता दी जानी चाहिए। वास्तव में, इसके साथ ही हम पूरी तरह से शिक्षा को निजी धन दिये जाने से इन्कार नहीं कर सकते, अतः अत्यधिक आवश्यकता के कारण सरकार यह कह सकती है कि इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम के निगम को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करना चाहिये। परन्तु मैं यह जोर देती हूं इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम को सरकार द्वारा धन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, जैसा शिक्षा क्षेत्र में है। स्वायत्तता के नाम पर निजी स्रोतों से धन नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह नहीं कहा जाना चाहिये कि यदि सरकार की ओर से धन नहीं दिया जाए तो इसमें अधिक स्वायत्तता रहेगी। आखिरकार सरकारी धन जनता का धन है। यदि सरकार लोगों को कुछ मूल लोक सेवायें नहीं प्रदान कर सकती तो यह सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी से हटने की बात होगी। और तब यह स्वायत्तता नहीं

होगी अपितु हमारे देश के बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पूरी गुलामी होगी।

इसलिए हम नहीं चाहते है कि सरकार इस भांति महत्वपूर्ण, लोक सेवा से संबंधित अपने दायित्वों को छोड दे। यह वैसा क्षेत्र नहीं है जो लाभ अर्जित कर सकता है यह लोक सेवा के लिए है अंग्रेजी में एक कहावत है कि जिसकी बीन वही बजावें। इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम का सरकार द्वारा वित्तपोषण करने के सम्बन्ध में ऐसी प्रवृति नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि सरकार का प्रचार माध्यम पर नियंत्रण है क्योंकि वह धन प्रदान करती है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए सरकार पैसा देती है क्योंकि उसके कतिपय दायित्व हैं और इन दायित्वों को पूरा करने के लिए वह धनराशि देती है। यही कारण है कि हम महसूस करते हैं कि इस निगम को भी कुछ संवैधानिक दायित्व कुछ संवैधानिक विचार स्वीकार करने होंगे, यही कारण है कि हमने यह सुझाव दिया है कि पृष्ठ 9 पंक्ति 30-31 का लोप कर देना चाहिए जिनमें यह कहा गया है कि "निगम की अपनी कोई राय या विचार धारा नहीं होनी चाहिए" इन शब्दों का लोप किया जाना चाहिए। निसंदेह हमारे राष्ट्र का अपनी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक कोई विचारधारा है और इसका अवश्य प्रचार किया जाना चाहिए।

इसलिए हमारे द्वारा रखे गए एक संशोधनों में एक यह संशोधन है कि सरकार द्वारा धन देने की श्रेष्ठता बनी रहे। पिछले वक्ता ने यह बताया है कि अभी सरकार का परिव्यय 463.45 करोड़ रु० का है। वाणिज्यिक विज्ञापनों से कुल 230 करोड़ रु० की आमदनी होती है। अब यदि सरकार के धन देने के प्रमुत्व को बरकरार रखना है तो हमें मानना चाहिए कि किस स्रोत से सरकार इस क्षेत्र को धन दे सकती है। इस मामले में लाइसेंस शुल्क को पुनः शुरू करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। हम लोग रेडियो के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस श्वेत श्याम टीवी सैट के लिए कुछ लाइसेंस शुल्क पर विचार कर सकते हैं।

रंगीन टी० वी० सेटों पर अधिकतम लाइसेंस शुल्क लगाया जा सकता है। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए न सिर्फ समय सीमा होनी चाहिए बल्कि धनराशि की भी सीमा होनी चाहिए। हमने कहा है कि सरकार वाणिज्यिक विज्ञापनों से अधिकतम कितना पैसा ले सकती है नियमों में उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। जहां तक समय का सम्बन्ध है वाणिज्यिक विज्ञापनों को सीमित समय दिया जाना चाहिए और यह सीमा निर्धारण न सिर्फ पूर्णतया उपलब्ध समय के मामले में ही बल्कि अलग-अलग समय के मामले में भी किया जाना चाहिए। क्योंकि हम पाते हैं कि यदि हम पूरे कार्यक्रम के समय को लें तो वाणिज्यिक विज्ञापन को वास्तव में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है फिर भी हम पाते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण समय के लिए वाणिज्यिक विज्ञापनों की दर 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमने यह सुझाव दिया है कि पूर्णरूपेण तथा अलग-अलग रूप से समय सीमित होना चाहिए।

तीसरी बात, वाणिज्यिक विज्ञापनों द्वारा प्रायोजित पूर्णतया प्रायोजकों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में लोकप्रियता के बारे में उन वाणिज्यिक कम्पनियों के अपने विचार हैं। निगम को लोकप्रियता के बारे में अपना विचार नहीं प्रकट करना चाहिए।

स्वतन्त्र रूप से बनाये गये शैक्षणिक और सूचनाप्रद कार्यक्रमों को भी प्रायोजित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता सामानों के भी अनेक विज्ञापन होते हैं। सिर्फ थोड़ी-सी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले उपभोक्ता सामानों के विज्ञापनों की संख्या कम की जानी चाहिए।

निसंदेह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की विविधता पर बल देने वाले कार्यक्रमों को भी प्रायोजित किया जाना चाहिए।

यद्यपि इन मामलों में निगम का निर्णय निर्णायक होना चाहिए। परन्तु स्वायत्त निकाय के रूप में निगम अपनी स्वायत्तता नहीं बरकरार रख सकता है, इस पर कुछ बाहरी दबाव पड़ सकता है। ऐसा हमने अनेक स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के मामले में पाया है। हमने पाया है कि कैसे ये छोटी-छोटी संस्थाएं थोड़े से निहित स्वार्थों द्वारा कैसे नियंत्रित होती हैं और सरकार का पैसा बर्बाद होता है और इन संस्थानों में उसका दुरुपयोग होता हैं। यही कारण है कि हमारे विचार ज्यादा स्पष्ट हैं और हम विपक्ष के सदस्यों की इस बात से सहमत हैं कि संसद के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और इस मुद्दे पर हमारे दल के सहकर्मी बोलेंगे, इसलिए मैं इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि मनमानी करने नौकरशाही और निगम के एक गुट के हुकूमत करने की संभावना को रोकने के कुछ दूसरे तरीके भी हैं।

एक ओर हम देखते हैं कि सरकार ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि उसने उन कुछ खण्डों को हटा दिया है जिनसे सरकार निगम की गर्दन पकड़ सकती थी। उदाहरण के लिए खण्ड 19 को हटा दिया गया है। बोर्ड के स्थान पर दूसरा बोर्ड नियुक्त करने संबंधी खण्ड हटा दिया गया है। अब हम सोचते हैं कि कुछ विशिष्ट मामलों में बोर्ड के स्थान पर दूसरा बोर्ड नियुक्त करने का कोई प्रावधान होना चाहिए किन्तु बोर्ड के स्थान पर दूसरा बोर्ड नियुक्त करने की अंतिम जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि संसद की होनी चाहिए। हम यह भी महसूस करते हैं कि जब सरकार सूचना की मांग करती है तो सूचना के स्रोत का संरक्षण किया जाए जैसा कि समाचार पत्रों के मामले में होता है।

हमने कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व तथा स्टाफ कलाकारों के प्रतिनिधित्व के बारे में भी बात की है। पृष्ठ 9 पर पंक्ति 10 से 18 में एक धारा है जिसमें कर्मचारियों की बर्खास्तगी अथवा पदावनति के बारे में कुछ मनमाने उपाय दिए गए हैं। अब यद्यपि सरकार के सरकारी नियमों के बारे में कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है, मेरा विचार है कि कर्मचारियों के हित में इन सरकारी नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। किसी कर्मचारी को उसके विरुद्ध जांच किए बिना बर्खास्त अथवा पदावनत नहीं किया जाना चाहिए।

अब मैं अपने अन्तिम मुद्दे पर आती हूं। यहां मैं विपक्ष के साथ पूर्णतया असहमत हूं। उन्होंने प्रसारण परिषद को पूर्णतया हटाए जाने का सुझाव दिया क्योंकि उन्होने कहा है कि इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि इसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसे और अधिकार दिए जाने चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे हटा दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा है कि प्रसारण परिषद् को और अधिकार देने का अर्थ दोहरा प्राधिकार रखना होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या निगम को अधिक शक्तियां दी गई हैं अथवा प्रसारण परिषद् को अधिक शक्तियां दी हैं। यहां मैं एक बार फिर कहना चाहती हू कि प्रसारण परिषद् को निगम पर निर्णायक शक्तियां नहीं मिलनी चाहिए बल्कि मामले को संसद के समक्ष लाया जाना चाहिए और संसद यह निर्णय करेगी कि क्या निगम ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। तथापि, प्रसारण परिषद् जनता के साथ संपर्क का एकमात्र साधन है जैसा कि इस विधेयक में दिया गया है। यह सबसे निचले स्तर पर जनता के साथ सीधे संपर्क का माध्यम होगी। केवल संसद सदस्य ही नहीं बल्कि आम आदमी की प्रसारण परिषद् में जाकर शिकायत कर सकता है। इसलिए, यह निगम की आंख

और कान के रूप में काम कर सकती है। यह निगम को अपने आप में ही कैद करने से रोक सकती है। मेरा विचार है कि हमारे संशोधनों में हमने कुछ खण्डों को जोड़ा है जिनसे प्रसारण परिषद् की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाएगा तथा यदि निगम सिफारिशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसे जवाब देना पड़ेगा, उसको कारण बताने पड़ेंगे। अत: प्रसारण परिषद् बनी रहनी चाहिए तथा जनता द्वारा अपनी कठिनाइयां बताने के लिए एक मंच के रूप में मजबूत किया जाना चाहिए।

मैं विपक्ष के उन सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि हमें आज एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है और यह खतरा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का है। प्रचार माध्यम एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जिस पर आधुनिक पूंजीवादी देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वाभाविक रूप से काफी अधिक वर्चस्व है। हम यह देखते हैं कि यह विश्वव्यापी नेटवर्क निर्धन देशों को निरन्तर प्रचार माध्यमों सम्बन्धी साफ्टवेयर मुहैया कर रहा है। उनके अच्छे कार्यक्रम हैं। उनमें साधारण स्तर के कार्यक्रम भी हैं। किन्तु इस विषय में तथ्य यह है कि इन स्रोतों और एजेंसियों से सूचना संरचनात्मक सूचना के रूप में आती है तथा मत-आरोपण की प्रक्रिया अपरिहार्य रूप से जारी रहती है। इसलिए मुद्दा यह है कि निगम इसके लिए एक माध्यम हो सकता है किन्तु यदि इस पर सरकार का पूरा नियन्त्रण रहता है—हमने देखा है कि ऐसा हो सकता है—तो सरकार भी इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के लिए एक माध्यम हो सकती है।

जनता ही इसका एक मात्र सुरक्षोपाय है और हम चाहते हैं कि प्रसार भारती से स्वदेशी साफ्टवियर उद्योग को बढ़ावा मिले जो जनता की हो जनता के लिए हो और जनता द्वारा संचालित हों।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं प्रसार भारती विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी ओर से पूरी तरह जोर देते हुए सभा से इसकी सिफारिश करता हूं। मैं खासकर विपक्ष के अपने मित्रों से जिन्होंने कांग्रेस के इतिहास में पहली बार, 1989 के घोषणा पत्र में जनता से यह वायदा किया था कि वे भी एक स्वायत्तशासी निगम के पक्षधर हैं—इसकी सिफारिश करता हूं. हालांकि घोषणापत्र को बारीकी से पढ़ने पर मैंने यह पाया कि निगम शब्द से 'स्वायत्तशासी' विशेषण का लोप कर दिया गया है। मेरे पास यहां उनका घोषणा पत्र है और मैंने पाया है कि 'स्वायत्तशासी' शब्द इसमें नहीं है हालांकि सम्पूर्ण चुनाव प्रचार अभियान में और यहां तक की प्रेस को जानकारी देते हुए भी यह आभास दिया गया था कि कांग्रेस दल भी एक स्वायत्तशासी निगम के पक्ष में है जबकि इसके मूल पाठ में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था श्री वसन्त साठे ने अपना भाषण यह कह कर शुरू किया था कि इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि प्रचार माध्यमों को स्वायत्तशासी होना चाहिए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र का उद्धरण दिया, उन्होंने जनता दल अथवा राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा पत्र, मेरे दल के घोषणा पत्र और शायद कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के घोषणा पत्र और अन्य अनेक घोषणापत्रों को उद्धृत किया। उन्होंने यह कहने के लिए इन्हें उद्धृत किया कि जहां तक स्वायत्तता का प्रश्न है, हम असहमत नहीं हैं। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा कहने पर भी पार्टी द्वारा 1989 और 1990 के बीच विभिन्न प्रकार के रुख अपनाये गये।

श्री कृष्ण कुमार ने, जो फिलहाल यहां नहीं हैं, उस संशोधन को स्पष्ट करने का प्रयास किया था जिसकी सूचना श्री पी० चिदम्बरम द्वारा दी गयी थी, जो क्रम सं० 300 पर है जिसमें श्री चिदम्बरम ने कहा है :

"इस अधिनियम में अथवा इस समय प्रभावी किसी अन्य कानून में अन्तर्निहित किसी भी प्रावधान के होते हुये केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को इस निगम को प्रदत्त कार्य सौंप सकती है और ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को इसके लिये दिये गये लाइसेंसों की शर्तों के अध्यधीन लोक प्रसारण सेवाओं के आयोजन और संचालन का अधिकार होगा और ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को उस निर्देश का पालन करना होगा जो सरकार जनता को सूचना देने, शिक्षित करने अथवा मनोरंजन के लिये अथवा रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिये दे।"

यदि यह संशोधन प्रसारण तन्त्र के गैर-सरकारीकरण का तर्क नहीं है, तो क्या है? मैं ऐसे किसी व्यक्ति के विचार का पूर्ण सम्मान करता हू जो इस तन्त्र के गैर-सरकारीकरण के पक्ष में है। यह एक दृष्टिकोण है, जबकि आज जो श्री कृष्ण कुमार जी ने कहा अथवा मूलत: जो साठे जी ने कल कहा था, वह स्वायत्तता के निरोधतुल्य है और यह आग्रह करना कि इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों पर सरकार का मौजूदा नियंत्रण जारी रहना चाहिये, अन्यथा ये 11 बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हे श्री पी० उपेन्द्र नियुक्त करने जा रहे हैं और जिन्हें वे सुपर मंत्री बनाने जा रहे हैं, जिन्हें वे 11 उपेन्द्र बनाने जा रहे हैं, वे देश को तबाह कर देंगे······(**व्यवधान**)

अब तक का हमारा अनुभव यह है कि कोई भी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता और श्री उपेन्द्र अपने ही विवेक से अथवा अपने ही विचार से कुछ भी बांट देने का मन:स्थिति बनाये हुये हैं······(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सदयतापूर्ण वितरण की मन:स्थिति।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां सदयतापूर्ण वितरण की मन:स्थिति।

श्री पी० चिदम्बरम : आडवाणी जी, वे ग्यारह ऐसे उपेन्द्र प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं जो जवाबदेह नहीं हैं। वे छद्म रूप से शासन करना चाहते हैं। यदि एक उपेन्द्र जवाबदेह हो, तो उससे संसद में बहस की जा सकती है। उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव आ जायेगा। इसलिये वे वहां दस उपेन्द्र प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि उनका किन्हें दूसरे अध्यक्ष मण्डल का सदस्य बनाने का विचार है ? दो वर्ष प्रतिनियुक्ति पर; इसमें निगम का कोई कर्मचारी नहीं होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : चिदम्बरम जी, मैं यह नहीं मानता। संभवत: किसी ने—स्वयं श्री कृष्ण कुमार जी ने मुझे याद दिलाया था कि आपने इस सरकार को अल्पमत सरकार कहा था। यह तथ्यपूर्ण वक्तव्य है ·····(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम: हमें खुशी है कि नौ महीनों बाद आपने इसे मान लिया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : काश आपने मेरा पहला भाषण पढ़ा होता। जब मैं इस सभा में यह बता रहा था कि मेरा दल इस सरकार को समर्थन क्यों दे रहा है, तो उस समय भी मैंने इस पहलू विशेष पर, जिस पर मैं आम तौर से जोर देता हू, जोर दिया था। जब कभी सरकार गलती करेगी, मैं, इस प्रकार के अवसर पर ही नहीं, जबकि मेरे विचार से आपके विगत इतिहास ने प्रसार भारती के प्रश्न पर और स्वायत्तता के प्रश्न पर इस सरकार को लगभग एकमत

से समर्थन दिया है, इस बात पर जोर देना चाहूंगा। श्री कृष्ण कुमार इस सरकार, आठ महीने पुरानी सरकार की कारगुजरी के बारे में पूछ रहे थे।

एक माननीय सदस्य : खुला मंच।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने स्वयं यह कहा है कि खुले मंच का बचाव नहीं किया जा सकता है लेकिन मैं यह जहां तक आपको सरकार का सम्बन्ध है अब तक सैकड़ों खुले मंचों के बारे में बता सकता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : दस वर्षों में।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस बात में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आपातकाल और उस अवधि के दौरान आपकी जो भूमिका रही है उसका "ट्रैक रिकार्ड" सारे देश को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में प्रजातंत्र तभी हो सकता है जब सरकार और मीडिया का दुरुपयोग हो।

एक माननीय सदस्य : श्री शुक्ला कहां हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं किसी के लिए उत्तरदायी नहीं हूं, मैं अपने लिए उत्तरदायी हूं। (**व्यवधान**)। सभापति महोदय, अब मैं संशोधनों को नहीं ले रहा हू, क्योंकि संशोधनों की सैकड़ों तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। लेकिन संशोधनों के तर्क का आधार क्या है। लेकिन मेरे पास विपक्ष के नेता श्री राजीव गांधी का 'सन्डे' पत्रिका में छपा साक्षात्कार भी हो जिसमें उनसे दूरदर्शन और : सार भारती के बारे में पूछा गया है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह बचकाना भाषण।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, यह एक साक्षात्कार है; यह भाषण नहीं है। उन्होंने प्रसार भारती विधेयक के बारे में पूछा है और श्री राजीव गांधी ने जो उत्तर दिया है वह यह है— "अब वे प्रसार भारती विधेयक में जो कुछ प्रस्ताव कर रहे हैं वह दूरदर्शन का सम्पूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पूर्णतया विधेयक की प्रस्तावना के विपरीत है। जिसका अर्थ यह है कि आप विधेयक की प्रस्तावना से सहमत हैं। हम यह चाहते हैं कि प्राइवेट इण्डियन चैनलों के लिए दूरदर्शन प्रसारण खोले जाएं। यह फार्मूला संयुक्त राज्य अमरीका या ब्रिटेन के फार्मूले जैसा हो सकता है। वस्तुतः मैंने प्रसार भारती विधेयक में एक संशोधन दिया है। श्री चिदम्बरम जी इस संशोधन को लाए हैं। श्री चिदम्बरम जी, मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। यह कैसे रहस्यमय है। एक तरफ आप प्रसार भारती और आकाशवाणी के ऊपर सरकारी नियंत्रण का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ दूरदर्शन को समाप्त करने का विरोध करते हैं जैसा कि प्रसार भारती विधेयक में व्यवस्था की गई है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : हम इसका विरोध नहीं करते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। देखिये श्री कृष्ण कुमार जी ने क्या कहा है, कि सरकार पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर रही है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : साठे जी ने कहा था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे डर है कि आप अपने को उलझन में फंसा रहे हैं, ये दोनों दृष्टिकोण अपना-अपना अलग-अलग तर्क रखते हैं। आपने इसका विरोध किया है और यहां तक कि नेहरू जी जो बी० बी० सी० की स्वायत्तता के बारे में कहा करते थे स्वायत्तता की बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1948 में नेहरू जी ने कहा था······(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : अर्द्ध-स्वायत्त शासी निकाय।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, उन्होंने अर्द्ध-स्वायत्त शासी निकाय के बारे में कहा था। लेकिन यह बी० बी० सी० के समान हो। उन्होंने इसके बारे में कहा था और उन्होंने कहा कि हम अब इसके लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह बात 1948 में कही थी "प्रसारण की व्यवस्था के बारे में मेरा यह दृष्टिकोण है कि हमें यथासमव ब्रिटिश मॉडल, बी० बी० सी० के समान व्यवस्था रखनी चाहिए। मैं यह नहीं समझता हूं कि यह तत्काल संभव है। मैंने केवल सभा के सामने यह बात कही है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए।" यह बात नेहरू जी ने 1948 में कही थी। और यह अचानक कही गई कोई असंगत बात नहीं थी। यह कोई पवित्र विचार नहीं था क्योंकि इसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन में जिस किसी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति हुई उनके नियुक्ति पत्रों में यह शर्त लगाई गई थी कि यदि इसे सरकारी निगम बना दिया गया तो उस सार्वजनिक निगम में किसी भी समय किसी भी स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। और इस प्रकार स्थानान्तरण किए जाने पर उस निगम के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की जाने वाली सेवा की शर्तें भी आप पर लागू होंगी। आकाशवाणी अधिकारियों को दिए गए नियुक्ति पत्रों में उस समय यह शर्त लगाई जाती थी और मैं नहीं जानता शायद आज भी वही स्थिति है। असल बात तो यह है कि जब नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में कुछ कहा और उन्होंने जो कुछ कहा वह उनका दृढ़ विचार था। उन्होंने यह भी कहा, "देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है।" इसके बाद पंडित जी के निधन के पश्चात 1964 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और श्रीमती इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। इंदिरा गांधी ने ही इस प्रश्न विशेष की जांच करने के लिए चन्दा समिति गठित की थी। प्रसारण नेटवर्क के कार्यकरण से सम्बन्धित अन्य विषयों के अलावा चन्दा समिति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में जोरदार शब्दों में यह कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन—दूरदर्शन उस समय आरम्भिक चरण में था—को एक स्वायत्तशासी निगम बना दिया जाना चाहिए। समिति ने ठोस-ठोस कारण और सुझाव दिए जैसे कि प्रसार भारती विधेयक में दिए गए हैं। उस समय समिति में सात बुद्धिमान व्यक्ति शामिल किए गए थे न कि ग्यारह। उस समय चन्दा समिति ने तो यह सुझाव तक दिया था कि यह मुख्य न्यायाधीश अथवा कुछ अन्य निकायों द्वारा किया जाना चाहिये, आदि-आदि। उन्होंने कहा : "नहीं, ये जरूरी नहीं है, सरकार पर भरोसा किया जा सकता है। इन निदेशकों की नियुक्ति सरकार को करनी चाहिए। इनकी नियुक्ति के लिये एक विशेष निकाय बनाने का कोई कारण नहीं है।" और उन्होंने सिफारिश की कि इसे पूर्णतः समिति द्वारा सचालित किया जाना चाहिये। इसने जो तर्क दिये वे उल्लेखनीय हैं। इसमें कहा था "ऐसा क्यों हो?" उन्होंने आकाशवाणी का उल्लेख करते हुये याद दिलाया कि नेहरू जी चाहते थे कि इसे एक लोक सेवा प्रसारण में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये और उन्होंने कहा था "आज हमारे पास ऐसी व्यवस्था है जो एक ऐसे पैटर्न के अनुरूप है जो कुछ एशियाई देशों—संभवतः पाकिस्तान का ख्याल रहा होगा—और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र और पूर्वी यूरोप के देशों में प्रचलित है जो एक-एक करके बदल रहे हैं। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में भी प्रसारण माध्यम बदल रहा है। इसमें आगे-आगे कहा गया था कि चन्दा समिति इस स्थिति की निंदा की है और यह टिप्पणी की थी कि "इन देशों में रेडियो और टेलीविजन एक ऐसी कार्यात्मक विचारधारा के प्रचार के साधन बन गए हैं, जो कि एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में प्रचार माध्यम में अनुचित है।"

उन दिनों, 1960 के शुरू में भी—प्रसारण माध्यमों का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं किया

जा रहा था कि जनता में विकर्षण की भावना पैदा हो जाये। ऐसा बाद में शुरू हुआ। मैं इस बात का सम्पूर्ण विश्लेषण नहीं करना चाहता कि यह कैसे, कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया। किन्तु सभी इस बात से सहमत हैं कि 1975, 1976 और 1977 में आपातकाल के दौरान इस प्रचार माध्यम का घिनौना दुरुपयोग हुआ, इतना अधिक कि आकाशवाणी संहिता को भी, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अपनाया गया था, रद्द कर दिया गया। इसे मंत्रिमंडल को भेजे बिना रद्द कर दिया।

श्री पी० चिदम्बरम : उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। **(व्यवधान)** मैं केवल इतना कह सकता हूं कि शायद आपकी पार्टी ने 1989 में स्वायत्तता को बात की होगी। यहां तक कि राष्ट्रीय मोर्चे—जो केवल 1989 में ही गठित हुआ था—और जनता दल ने स्वायत्तता की बात 1989 में की होगी। जहां तक मेरे दल का संबंध है हमने 1962 में ही प्रचार माध्यम की स्वायत्तता की बात कही थी जब ऐसी कोई समस्या नहीं थी।

श्री संतोष मोहन देव : आपने यह बात 19"7-78 में नहीं की थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, मैं यह नहीं कर पाया **(व्यवधान)** मैं निश्चय ही उस पर बात करूंगा। **(व्यवधान)** यदि अध्यक्षपीठ मुझे समय दें, तो मैं इस पर विस्तार से कहूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें हमें बताना ही होगा कि 1977 में क्या हुआ था। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसे आपातकाल के दौरान बिना तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री को बताये रद्द कर दिया गया था. **(व्यवधान)**। प्रचार माध्यम के दुरुपयोग पर एक श्वेत पत्र था। आपातकाल के दौरान इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया था। यदि आप चाहते हैं, तो मेरे पास आकाश भारती रिपोर्ट है।

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह स्ट्रोंग प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं थी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे मित्र इतिहास जानने को बहुत उत्सुक हैं, इसलिये मैं उन्हें याद दिला दूं। मैं वर्गीज समिति की रिपोर्ट का उदाहरण देता हूं, जो इस प्रकार है :

> "सितम्बर,1975 में आकाशवाणी केन्द्र निदेशक सम्मेलन में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने बताया कि इसलिये वे यह नहीं समझ पाती हैं कि "विश्वसनीयता" की परिकल्पना के क्या मायने हैं जबकि आकाशवाणी सरकार का एक अंग है, और बना रहेगा। आकाशवाणी संहिता, जिसे 1967 में मंत्रिमण्डल की स्वीकृति से अन्तिम रूप दिया गया और मार्च, 1970 में पुन: मंत्रिमंडल की स्वीकृति से संशोधित किया गया था, उसे सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में झटपट रद्द कर दिया गया···।"

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : वह कौन थे ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वे यहां नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : कोई नाम तो होगा। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यहां पर नाम नहीं है। मुझे याद है, सारे सदन को पता है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : यदि आडवाणी जी नहीं थे, तो वह कौन था ?

एक माननीय सदस्य : श्री गुजराल रहे होंगे। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री गुजराल नहीं थे। आपातकाल के दौरान··· (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी याददाश्त काफी अच्छी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे समर्थन की जरूरत नहीं है।

> "इसमें यह बताया गया था कि परिवर्तित स्थिति को देखते हुये आकाशवाणी का वर्तमान संहिता पर टिके रहना व्यवहारिक नहीं है। मंत्री द्वारा आगे यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि प्रधान मंत्री इस कार्यवाही का अनुमोदन कर देतीं तो इसे मंत्रिमंडल के पास भेजना आवश्यक हो जाता। प्रधानमंत्री ने 4 मई, 1976 को निम्नलिखित टिप्पणी की : "प्रसारणकर्ताओं को दिये गये मार्ग निर्देश अब पुराने पड़ चुके हैं। इसलिये संहिता को व्यपगत हो जाना चाहिये। किन्तु मैं नहीं समझती कि संसद को औपचारिक तौर पर सूचना देना आवश्यक है·· ···" (**व्यवधान**)

श्री कमल नाथ : मेरा श्री आडवाणी को नाराज करने का कोई इरादा नहीं है··· (**व्यवधान**) ···वर्गीज समिति की रिपोर्ट पर, किन्तु वे भूल गये हैं कि स्वयं उन्होंने ही 1979 में क्या कहा था··· (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : आपको बताना पड़ेगा कि उस वक्त आपने क्या किया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमने तत्काल संहिता को फिर से लागू कर दिया था।

सभापति महोदय : आडवाणी जी मुझे यकीन है कि आप कभी उन्हें नहीं, मुझे सम्बोधित कर वह कह सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वे सारा समय मुझे ही सम्बोधित कर रहे हैं। मैं उन्हें आपके माध्यम से सम्बोधित कर रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसे मैं गहराई से महसूस करता हूं और यह मानता हूं कि जैसे ही यह विधेयक पारित होगा—और यदि विपक्ष के मित्रगण इसका समर्थन करें, तो इसे सर्वसम्मति से पारित किया जा सकता है—यह इस देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यदि यह पारित हो जाता है तो यह देश में लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रगामी प्रयास होगा। व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह विचार है कि यदि यह पारित हो जाता है, तो इससे मुझे अत्यन्त संतोष होगा कि मैंने जो काम 1979 में शुरू किया था, जो एक राजनीतिक भूकम्प के कारण आई बाधा के कारण अधूरा रह गया था, अब पूरा हो गया है। इसीलिये मैं यह कह कर अपने मित्रों को राजी करने का प्रयास कर रहा हू कि 'आज आपका रुख विरोधात्मक है।' यदि आप सीधे यह कहते कि सरकार का नियंत्रण समाप्त

होना चाहिये और इसका या तो अमरीकी प्रतिरूप पर अथवा ब्रिटेन के प्रतिरूप पर निजीकरण कर दिया जाये, तो मैं इस बात को समझ सकता था।

श्री पी० चिदम्बरम : आप हमारे पक्ष को तोड़ मरोड़ रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं तोड़-मरोड़ नहीं रहा हूं, उद्धृत कर रहा हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : मेरा श्री आडवाणी से अनुरोध है कि वे कुछ मिनट के लिये मान जायें ताकि हम अपना मत स्पष्ट कर सकें।

सभापति महोदय : श्री चिदम्बरम, आप नियम जानते हैं। आपको केवल मेरी मार्फत अनुरोध करना होगा। आपको अपने सभी विरोधों को स्पष्ट करने की अनुमति दी जायेगी।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे खेद है, सभापति को यह नहीं कहना चाहिये कि हम परस्पर विरोधात्मक बात कर रहे हैं। सभापति को यह नहीं कहना चाहिये कि विपक्ष परस्पर विरोधात्मक बात कर रहा है।

सभापति महोदय : मैंने यह नहीं कहा कि आपकी बातों में परस्पर विरोध है। मैंने तो केवल यह कहा कि आपको अपनी सभी परस्पर विरोधी बातों को स्पष्ट करने की अनुमति दी जायेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, 1985 में ऐसा समय था जब सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया था, तो उसने इसका तर्क दिया था कि वह स्वायत्त के विरुद्ध क्यों है। पहले किसी ने भी सिवाय यह कहने के कि अभी देश इस स्वायत्तता के लिये तैयार नहीं हुआ है, स्वायत्तता का विरोध नहीं किया था। किन्तु 1985 में, जब राजीव गांधी, जो आज विपक्ष के नेता हैं, प्रधान मंत्री बन गये और उनसे संवाददाता-सम्मेलन में बहुत उत्तेजित कर देने वाले सवाल किये गये थे। यह सम्मेलन जून-जुलाई, 1985 में कभी हुआ था और इसमें एक पत्रकार ने उनसे स्वायत्तता के बारे में पूछा था और कहा था :

> "महोदय, सिर्फ कुछ वर्षों को छोड़ कर लगभग 40 वर्षों तक हमारा लोकतंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहा। हमारी एक सशक्त संसद है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और स्पष्टवादी प्रेस है। इन सबने हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली को मजबूत बनाया है। इसलिए विश्व को यह विश्वास दिलाना कि रेडियो और टेलीविजन को स्वतंत्रता देना एक खतरनाक कदम है, जैसी बात अब काफी पुरानी हो गई है।"

उनका उत्तर था कि वह रेडियो और टेलीविजन को स्वायत्तता नहीं देना चाहते क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे प्रेस की तरह कार्य करें। "मैं नहीं समझता कि आपने जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निभाया है।" यही बात उन्होंने प्रेस से कही थी, वह नहीं चाहते हैं कि रेडियो और टेलीविजन भी प्रेस की तरह गैर-जिम्मेदार हो जाए। जब इस बात पर उनसे पुनः प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा :

> "यह आपके विचार हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जनता पार्टी या भाजपा या अन्य किसी ने रेडियो और टेलीविजन को स्वायत्तता दी है।"

उस समय वे भी भाजपा ने अपना विचार रखा था। भाजपा उस समय सरकार में नहीं थी। श्री राजीव गांधी ने आगे कहा :

"सरकार में रहने पर ही आप अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर सकते हैं। भाजपा के लिए स्वायत्तता की बात करना बहुत आसान है, परंतु जब उन्हें दायित्व निभाना पड़ा तभी उन्होंने महसूस किया कि अभी इसके लिए समय नहीं है और उन्होंने ऐसा नहीं किया।"

मैं आज मंत्री नहीं हूं; परन्तु कम-से-कम उपेन्द्र जी को इसका श्रेय तो दीजिए। आप इस बात में कंजूसी क्यों करते हैं ? पद पर होते हुए भी वे स्वायतत्ता दे रहे हैं। शिकायत यह थी कि जनता सरकार ने प्रसार भारती विधेयक इसलिए पारित नहीं किया कि वह नहीं चाहता था और उसके इरादे अच्छे नहीं थे। उस वक्त उन पर यह आरोप था। मैं इसका दृढ़ता से खंडन करता हूं। यह वह सरकार थी जिसने इसे लागू किया था जिसके लिए निर्वाचन आयोग पिछले 20 वर्षों से कहता आ रहा था अर्थात् सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान के दौरान समान समय देना और सरकार, शासक दल कहता रहा कि वह समान समय नहीं दे सकता। वे कहते रहे "हम समान समय कैसे दे सकते हैं ? आखिरकार, वह एक छोटी पार्टी है, समय का नियतन पार्टी के आकार के आधार पर किया जाना चाहिए।" जब जनता सरकार सत्ता में आई और यह मामला मेरे सामने आया, तो बिना किसी औपचारिक संविधि के, बिना किसी औपचारिक कानून के तीन महीने के अन्दर मैंने सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलायी और उसमें सर्व-सम्मति से निर्णय लिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी राजनीतिक दलों को रेडियो और टेलीविजन पर समान समय दिया जाना चाहिए। यह बात इस देश के प्रसारण इतिहास और चुनाव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई।

4.00 म० प०

इससे हमारी नेकनियति सिद्ध हुई। प्रसार भारती विधेयक, जिसे हमने 1979 में प्रस्तुत किया था हमारी नेकनियति को, प्रचार माध्यमों को स्वायत्तता देने के हमारे इरादे को सिद्ध करता है। यदि यह पारित नहीं होता है तो इसका कारण कहीं और है। मैं कहूंगा कि आपके दल के सदस्य, जो प्रवर समिति में थे, का दृष्टिकोण काफी सकारात्मक था। काश आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता। अन्यथा इस प्रकार का अंतरविरोध नहीं होता।

मैं श्री कृष्ण कुमार के एक मुद्दे से सहमत हूं, और मैंने मंत्री महोदय से कह दिया है मैं "अध्यक्ष" शब्द से सहमत नहीं हू। मैं चाहूंगा कि यह "सदस्य" या "न्यासी" हो। मैं आपके उन मुख्य विचारों से सहमत हू, जो श्री कृष्ण कुमार ने कहा है कि लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति के समान एक समिति होनी चाहिए। इस बात के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसे एक अपीलीय निकाय होना चाहिए। मैं जनना चाहूंगा कि लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति कब से अपीलीय निकाय बन गई है। मैं संसद के दोनों सदनों की एक संसदीय समिति बनाने पर सहमत हूं जो प्रसार निगम की देखरेख के लिए एक निकाय के रूप में कार्य करेगी।

श्री पी० चिदम्बरम : आप ये काम कीजिए। आप संशोधन पेश करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हम सभी आपका समर्थन करते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हमने कहा है कि एक संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति हो जो निरीक्षण समिति हो, जो इस निगम के कार्यकरण का निरीक्षण करे, यदि कुछ ऐसे शब्द हों जिन्हें बदलना, हटाना जरूरी हो, कौमा लगाना हो तो

हम आपके साथ बैठक करने के लिए तैयार हैं और हम एक संयुक्त संशोधन रख सकते हैं। दुर्भाग्यवश, मंत्री महोदय इस पर विचार नहीं करना चाहते हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, यह गलत बात है, इस सुझाव को मैंने विचार करने के लिए स्वीकार किया है, वे हर बात का गलत अर्थ लगा रहे हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि आएंगे संसद की संरचना इस प्रकार की है कि प्रत्येक ग्रुप का अपना महत्व है। जैसा कि चार दशकों से होता आ रहा है, कल को संभावना है कि संसद की संरचना सरकार की सरचना से अलग न हो। (**व्यवधान**)

मैं यह कह रहा हूं कि जब मैं प्रचार माध्यमों को स्वायत्तता देने की बात करता हू तो मैं नहीं चाहता कि सरकार संसद के नाम पर प्रचार माध्यमों को नियंत्रित करे। मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति या प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति सरकार की जगह नहीं ले सकती है।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जब मैंने सुझावों को स्वीकार करने के प्रति सरकार की तत्परता के बारे मे कहा तो 'निरीक्षण' शब्द पर मुझे आपत्ति हुई क्योंकि उसका अर्थ निगम के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं समझना चाहिए इसलिए मैं "निगम का संसद के प्रति दायित्व सुनिश्चित करना" शब्दों को प्राथमिकता दूंगा। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा): सभा के बाहर श्री सत्यपाल मलिक और उपाध्यक्ष महोदय के बीच सहमति हुई जो कि हम भोजनावकाश के बाद 4.00 म० प० पर कुवैत की स्थिति पर चर्चा करेंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : जी नहीं, महोदय आज 5.30 म० प० पर, एक आधे घंटे की चर्चा होनी है, इसलिए, इस चर्चा को रोका नहीं जा सकता है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री कमल नाथ : कृपया श्री आडवाणी अपना भाषण समाप्त करें। तब हम इस मामले को लेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि मंत्री महोदय सहमत नहीं होते हैं, तो हम इस मामले को नहीं उठा सकते हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने कहा कि मैं इस पर अभी सहमत नही हू। चर्चा बिना रुके चलनी चाहिए। कल विधेयक पारित करने के बाद हम इसे शुरू कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। कृपया बैठ जाइए। कृपया श्री आडवाणी को बोलने दें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री आडवाणी को अपना भाषण समाप्त करने दें और उसके बाद हम इस मामले को उठाएंगे।

श्री पी० उपेन्द्र : कल मतदान के पश्चात् हम कुवैत के मामले को लेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको वही बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हम सभी बोल रहे हैं। इसमें समय लगेगा। कल सिर्फ इस मामले को उठाया जा सकता है, और हमें कुछ समय चाहिए।

सभापति महोदय : इस बात को याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि इस मामले में समय लगेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जैसाकि मैंने शुरू में कहा, मैं इस विधेयक की दृढ़ता से सराहना करता हूं क्योंकि मेरा यह मानना है कि भारत में ऐसी बहुत-सी संस्थाएं हैं जिन्हें स्वायत्त माना जा सकता है। किन्तु कभी-कभी उनका कार्यकरण सरकारी विभागों से भी खराब होता है। वे इतने विनाशक इसलिए हैं क्योंकि इन निगमों के अध्यक्ष कार्यपालिका की इच्छा पर बने रहते हैं। चेयरमैन को इच्छानुसार हटाया और नियुक्त किया जा सकता है। यहां तक कि विश्वविद्यालय जिन्हें स्वायत्त माना जा सकता है, शायद ही स्वायत्त हैं। वे पूरी तरह स्वायत्त नहीं हैं और इसीलिए जब 1979 में यह विधेयक लाया गया तो यह देखने के लिए उपयुक्त सावधानी रखी गयी कि इस बोर्ड में जिन लोगों को नामनिर्दिष्ट किया जाए वे कार्यपालिका के मनमाने आचरण से अलग रहें। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार का पृथक्करण उनको अधिकार देने और उनको मनमानी करने का मौका देना माना जाएगा। नहीं, क्योंकि जहां तक संसद का संबंध है वह किसी भी विधेयक को जब चाहे निरस्त कर सकती है। यह एक साधारण विधेयक है। मैं वर्गीज समिति की इस सिफारिश से सहमत नहीं हूं कि संविधान में इस प्रकार का विधेयक शामिल किया जाना चाहिए। मैं उस समय भी इससे सहमत नहीं था। उस समय मेरी सरकार की आलोचना का शायद एक मुद्दा यह था कि वर्गीज समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रसार भारती को संविधान में लिखा जाना चाहिए। मैंने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से तब जब एक नए प्रकार का अध्याय, एक नए प्रकार का साहसिक कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं, हमें इंतजार करना चाहिए तथा नजर रखनी चाहिए, इसलिए मैं संसदीय समिति संबंधी इस प्रस्ताव पर तुरन्त सहमत हो गया और कहा कि यह अच्छी बात है और विशेष रूप से तब जब सरकार इन सभी सिफारिशों को वापस लेने पर सहमत हो गई थी कि वह इनको बाद में प्रस्तुत करेगी जिसके लिए मैं राजी नहीं था अर्थात् निगम के स्थान पर निगम नियुक्त करने का अधिकार आपात स्थिति का उल्लेख आदि। इन प्रावधानों पर हमारी सहमति नहीं हो पाई तथा इसलिए आपसी विचार-विमर्श के बाद वे इसको वापस लेने पर सहमत हो गए। अब हमने इन सब बातों को पूरा करने के बाद सही दिशा में कदम बढ़ाया है। इस समय कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वह अत्यन्त निराशा जनक है इसलिए मैं यह कहता हूं कि यदि कुछ मुद्दों पर हम सबकी सर्वानुमति है तथा आप सहमत नहीं हैं तो आप कुछ समय के लिए इन्तजार कीजिए, इसमें कुछ समय लग सकता है किन्तु शुरू में ही इसको अस्वीकार न करिए यदि आप किसी मुद्दे पर असहमत हैं तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब इस निगम को कुछ समय तक चलाने के बाद आप भी उस पर सहमत हो सकते हैं। जैसे कि आज लगभग पिछले दो दशकों के विचार-विमर्श के आधार पर तथा वर्गीज समिति तथा चन्दा समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा इस क्षेत्र के विभिन्न लोगों के वक्तव्यों के आधार पर हम प्रस्ताव को लाए हैं। यह प्रस्ताव आपके सामने है। इसलिए कृपया इसको अस्वीकार मत कीजिए। इसको स्वीकार कीजिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भंग करने के पक्ष में हैं।

इस सभा में बहुत से भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री हैं कि मैं उनकी गिनती करता हू। श्री एच० के० एल० भगत यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री बसंत साठे यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री बी० एन० गाडगिल यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री एस० कृष्ण कुमार यहां उपस्थित हैं। इधर हमारी तरफ कौशिक जी हैं, उपेन्द्र जी हैं, गुजराल जी हैं। अतः हममें से बहुत से लोग यहां हैं। (**व्यवधान**) एक तरह से यह हमारे पिछले तीन दशक के विचार-विमर्श का कुल सार है कि यह प्रसार भारती विधेयक लाया गया है। मैं सरकार तथा उपेन्द्रजी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा लाए गए विधेयक का एक शब्द भी नहीं बदला है तथा विधेयक का नाम भी नहीं बदला है। वह यह दिखाने के लिए ऐसा कर सकते थे कि यह उनकी सरकार का कानून है। किन्तु उन्होंने वही विधेयक प्रस्तुत किया है। यद्यपि मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भंग करने के पक्ष में नहीं हूं किन्तु मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रसारण मंत्रालय नहीं बल्कि एक सामान्य सूचना मंत्रालय के रूप में बदलने के पक्ष में हू। आज के बाद प्रसारण मंत्रालय का उपेन्द्रजी के साथ सीधा सम्पर्क नहीं रहना चाहिए। इसे प्रसार भारती को सौंप दिया जाए। जिस दिन ऐसा होगा तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी यदि कांग्रेस ऐसा करने में सहयोग करती है तो मैं विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी का आभारी होऊंगा। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। यह माना जा रहा था कि कुवैत पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री महोदय भी आ गए हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण मामला है। हमें इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। आइये अब कुवैत पर चर्चा करें, जैसाकि सचेतक, मंत्री महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के बीच सहमति हुई थी। हम इस पर फिर से विवाद न करें। आइये अब हम कुवैत पर चर्चा करें। मंत्री महोदय आ गए हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं एक सुझाव रखता हूं।

सभापति महोदय : क्या हमने नियम 193 के अंतर्गत महिलाओं पर अत्याचार संबंधी चर्चा पूरी कर ली है ?

श्री पी० उपेन्द्र : जी, नहीं। कोई चर्चा पूरी नहीं हुई है। यह सब काम विचाराधीन है। वे जिस तरह से मामले उठा रहे हैं उससे कुछ भी काम पूरा नहीं हो सकता। मैं अपनी कठिनाइयां बताता हू। अध्यादेशों का स्थान लेने वाले तीन विधेयक हैं जिनको छः हफ्तों के अन्दर पारित किया जाना है। तीन वित्त विधेयक हैं। उन सबकी इस हफ्ते और अगले हफ्ते तक पारित करना होगा। यदि हम इन विधेयकों को पारित करने के काम को टालते जाएंगे तो बहुत अधिक समय नष्ट हो जाएगा। मैं यह सुझाव देता हूं कि यदि माननीय सदस्य कल दोपहर का भोजनकाल छोड़ने, कल शाम देर तक बैठें तथा इस विधेयक को कल पारित करने पर सहमत हों तो इस आधार पर आप कुवैत के मुद्दे पर तुरन्त विचार कर सकते हैं। मुझे एक घंटे का समय और नष्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : जो कल होना है उसके बारे में हम आज कैसे कह सकते हैं ? हम कैसे जान सकते हैं कि आज रात को क्या होना है अथवा कल क्या होगा। (**व्यवधान**)

श्री पी० उपेन्द्र : कुछ योजना बनानी होगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए आठ घण्टे निर्धारित किये हैं। कितने घण्टे समाप्त हो चुके हैं ? (**व्यवधान**)

श्री पी० उपेन्द्र : हमने 2.30 बजे शुरू किया था। हमने अभी दो घण्टे भी पूरे नहीं किये हैं। इसका मतलब यह है कि कल साढ़े तीन घण्टे या चार घण्टे चाहिए, यदि आप कल चार घंटे तक बैठने के लिए सहमत हैं तो मुझे कोई आपति नहीं है। अब हम कुवैत पर चर्चा करते हैं। वे हर बात को अपने तरीके से नहीं चला सकते।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह एक भिन्न बात है। (**व्यवधान**)

श्री पी० उपेन्द्र : कृपया अन्य मामलों के बारे में भी सोचिये।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या आप इस बात से चिन्तित नहीं हैं कि कुवैत में क्या हो रहा है।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं यह नहीं कह रहा हूं। कृपया हमारे साथ सहयोग करें।

श्री पी० चिदम्बरम : हम आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। परन्तु आप पूर्व शर्त लगा रहे हैं कि हमें चर्चा कल तक समाप्त कर देनी चाहिए। हम आपके रास्ते में बाजक नहीं बन रहे हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया उनकी बात सुनिये। अब वह बोल रहे हैं।

(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : सहयोग का यह मतलब नहीं है कि हम इस बात पर अड़े रहें। सरकार को कभी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति है। बात यह है कि अनेक नए मामले उभर कर आ रहे हैं। आप लोक सभा में अनेक वक्तव्य दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम चर्चा की मांग करेंगे। यह हमारा अधिकार है। जहां तक कुवैत का सवाल है, वहां स्थिति गम्भीर है। माननीय मंत्री श्री गुजराल खाड़ी की स्थिति को जानते हैं। सारे देश को इससे चिन्ता है। जब हम चर्चा के लिये कहते हैं तो हम कहते हैं कि इसको वरीयता दी जानी चाहिये। आप तैयार रहें। आप कहते हैं कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० उपेन्द्र : आप मेरी अपील पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यदि आप कम भोजन के समय और उसके बाद बैठने को तैयार हों तो हम इसे समाप्त कर सकते हैं। हम इसे कल ले सकते हैं। मैं इससे सहमत हूं। हम इसको लेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कल समय है। कल हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। मैं सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं कि श्री सत्यपाल मलिक, माननीय मंत्री, माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा मेरे बीच दोपहर को सहमति हुई थी। मैं केवल यह बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। क्या आप इसे नहीं मान रहे हैं। यदि आप इसे नहीं मानते हैं, तो हमारे और आपके साथ सहमति कैसे होगी। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कुवैत पर चर्चा 6 बजे के बाद की जा सकती है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : क्या वह इसमें कोई गंभीरता देखते हैं। जो भी चर्चा हम करना चाहते हैं उसे आप खण्डन करना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : एक लाख बीस हजार लोगों का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। यह अधिक महत्वपूर्ण है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या आप मुझे संबोधित करेंगे। वह जो कहना चाहते हैं, उन्हें भी कहने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप बैठेंगे। आपको पहले बैठना होगा। मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उन्हें सम्बोधित करने का तरीका है।

सभापति महोदय : मैं उन्हें सभा की ओर से संबोधित कर रहा हूं। मुझे सभा का सम्मान सुनिश्चित करना है

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम भी चाहते हैं कि कुवैत पर चर्चा आज होनी चाहिए। परन्तु इस विधेयक पर भी चर्चा चल रही है। हम कुवैत पर चर्चा 6 बजे ले सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप क्या बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम इसे 6 बजे ले सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है। एक सुझाव आया कि कुवैत पर अभी चर्चा की जाए, इधर से सुझाव आया कि 6 बजे के बाद चर्चा की जाए। मंत्री जी के तरफ से सुझाव आया कि अभी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि कल प्रसार भारती विधेयक पारित हो जाए, यह उनका कहना है, इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं दिखाई देती। अगर यह बात स्वीकार कर लें तो इसमें क्या दिक्कत है। इसका एक कारण है कि प्रसार भारती बिल पिछले कई दिनों से चल रहा है, 8 घंटे हमको पूरे करने हैं, इसीलिए मंत्री जी का आग्रह है, नहीं तो 6 बजे के बाद बैठिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे अल्टरनेटिव्स ऐसे हैं जिनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जब आप सरकार में थे तो कितनी बार ऐसे सुझाव आपकी तरफ से आते थे और हम मान लेते थे। आज अचानक ऐसा क्यों हो गया कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा, यह ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : सभापति महोदय, मेरी-गैर-हाजिरी में डा० कुरियन साहब ने कहा कि मैं इस बात के लिए सहमत हो गया था, ऐसा नहीं है। उन्होंने जब जिक्र किया तो मैंने कहा कि श्री उपेन्द्र जी सदन में हैं, उनसे आप बात कर लें, यदि वे सहमत हो जाएंगे तो ठीक है, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया था।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सभापति महोदय, प्रतिदिन अजेंडा पेपर पर "अट्रासिटीज आन विमन" नियम 193 के तहत दिया होता है और पिछले सप्ताह से यह चला आ रहा है,

लेकिन आज तक इस पर चर्चा समाप्त नहीं हुई है। प्रतिदिन अजेंडा पेपर पर लिखा होता है कि नियम 193 के तहत देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस, लेकिन यह कब होगा, मैं पेपर से जानना चाहती हूं। क्या इस विषय को प्रायरटी नहीं दी जानी चाहिए? इससे तो ऐसा लगता है कि इस सदन में भी औरतों पर अत्याचार होता है, बाहर तो होता ही है। क्या औरतों के विषय के लिए कोई प्रायरिटी है ही नहीं। समाज में तो औरतों पर अत्याचार होता ही है, इस अजेंडा में भी अत्याचार होता है। क्यों नहीं इस विषय को आप पहले लेते और जल्दी समाप्त करते। (**व्यवधान**)

पिछले एक हफ्ते से अट्रासिटीज आन विमन पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी है।
[अनुवाद]

ऐसी क्या बात है कि आप इसे नहीं ले रहे हैं? इसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे आगे क्यों बढ़ाते जा रहे हैं?

सभापति महोदय: आप ठीक कहती हैं। मैं समझता हूं कि इसको आज नहीं लिया जा सकता है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी: यह मामला कभी नहीं आयेगा। यह पुरुषों का खराब समाज है। यह कभी नहीं आयेगा। महिलाओं के साथ यहां भी अन्याय हो रहा है। महिलाओं के साथ इस सभा में भी अत्याचार हो रहा है। इसको पहले लिया जाना चाहिए। इसको छोड़ा क्यों गया है?

श्री कमल नाथ: मैं समझता हूं कि कुवैत पर चर्चा आज ही की जानी चाहिए। मन्त्री महोदय यहीं हैं तथा वह आज चर्चा के लिए तैयार भी हैं। (**व्यवधान**)

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी: गृह मंत्री यहां आयें तथा वाद-विवाद का उत्तर दें। इसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। पहले ही एक सप्ताह हो चुका है। (**व्यवधान**)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी): सवाल हमारा और उनका नहीं है। सवाल मध्य पूर्व विशेषकर कुवैत में लाखों लोगों के अमूल्य जीवन का है। इस मामले पर सहमति थी। श्री सत्यपाल मलिक यहां पर हैं। उन्होंने कहा था कि वह हमारे विचारों को संसदीय कार्यमंत्री को बता देंगे और चर्चा 4 बजे होगी। इसी कारण विदेश मंत्री यहां पर समय से आ गये हैं।

यही तथ्य कि मंत्री महोदय की समय पर यहां उपस्थिति यह दर्शाती है कि इस पर सहमति थी। इसलिए हमें इससे बचना नहीं चाहिए और हमें अभी चर्चा शुरू करनी चाहिए।

श्री सत्यपाल मलिक: हम इस पर सोमवार को चर्चा करेंगे। सभा इसके लिए कभी भी समय नियत नहीं करती। (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन: मैं आपसे केवल यह अनुरोध करता हूं कि कुवैत पर चर्चा शुरू की जाये। मैं मानता हूं कि प्रसार भारती विधेयक महत्वपूर्ण है। परन्तु कुवैत अत्यावश्यक तथा तात्कालिक मामले हैं।

सभापति महोदय: मैं आपसे पूछ रही हूं कि हमें इस चर्चा को शुरू करना चाहिए अथवा इसे समाप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम कुवैत पर चर्चा शुरू करके आज इसे समाप्त करने का भी प्रयास कर सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, तो हम आज ही कुवैत पर चर्चा को समाप्त कर देंगे। 5.50 म० प० पर आधे घंटे की चर्चा भी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : तो फिर हम 6 बजे के बाद बैठेंगे।

सभापति महोदय : हम आज कुवैत पर चर्चा पूरी कर देंगे। मंत्री महोदय भी यहां हैं। 6 बजे के बाद भी वे कुवैत पर चर्चा जारी रखेंगे और इसे समाप्त करेंगे।

श्री मंगाराज मलिक (भद्रक) : आज का मतलब यह नहीं है कि चर्चा रात को भी जारी रहेगी। हमें समय नियत करना चाहिए कि इतने बजे चर्चा समाप्त होगी।

श्री पी० उपेन्द्र : जब कभी भी उनके लिए अनुकूल होता है तो वे 6 बजे के बाद बैठने को तैयार हो जाते हैं और जब हम उन्हें अनुरोध करते हैं तो वे इसके लिए राजी नहीं होते। ऐसा ही लग रहा है।

सभापति महोदय : वे तैयार हैं। आज हम कुवैत पर चर्चा समाप्त करने के लिए बैठक का समय बढ़ा रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम कुवैत पर चर्चा शुरू करेंगे तथा इसे आज समाप्त करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें आधे घंटे की चर्चा भी करनी है।

सभापति महोदय : आधा घंटे की चर्चा इसी बीच हो जाएगी परन्तु कुवैत पर चर्चा भी आज ही समाप्त होगी। मुझे विश्वास है कि यह चर्चा आठ बजे तक पूरी हो जाएगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री ए० एन० सिंह देव, आप अब अपना भाषण शुरू कीजिए परन्तु इस मुद्दे को कल उठाइये। इसके पश्चात, हम कुवैत पर चर्चा करेंगे।

श्री ए० एन० सिंह देव (आस्का) : महोदय, लगभग 60 वर्ष बाद इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम, जिस नाम से अब इसे पुकारते हैं, पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब हम अगली मद को लेंगे।

4.26 म०-प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

खाड़ी की स्थिति के सम्बन्ध में मास्को, वाशिंगटन, अमान, बगदाद तथा कुवैत के अपने हाल में किए गए दौरे के बारे में विदेश मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

सभापति महोदय : अब सभा खाड़ी देशों की स्थिति के सम्बन्ध में विदेश मंत्री की मास्को, वाशिंगटन, अमान, बगदाद तथा कुवैत की यात्रा के बारे में उनके द्वारा 23 अगस्त, 1990 को

सभा में दिए गए वक्तव्य पर श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा 24 अगस्त, 1990 को उठाए गए मुद्दों पर आगे चर्चा करेगी।

श्री ए० चार्ल्स।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं कुवैत में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं तथा कुवैत में काम कर रहे और रह रहे 1,72,000 से अधिक भारतीयों की सुरक्षा तथा कल्याण के बारे में सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हूं। हम माननीय मन्त्री द्वारा उस देश की यात्रा करने के लिए तथा जो सीधी सूचना वे हमें दे रहे हैं, उसके लिए उनके आभारी हैं। वास्तव में लगभग 1,72,000 भारतीय जो कुवैत में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार बहुत दुःखी हैं। हम वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा तथा कल्याण के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उससे यह पता चलता है कि कुवैत में क्या हो रहा है। परन्तु उस रिपोर्ट को पढ़ने से, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रिपोर्ट से केवल हमारी चिन्ता में वृद्धि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी तथा माननीय सभा का ध्यान पृष्ठ दो पर दिए गए कुछ तथ्यों की ओर दिलाता हूं। **(व्यवधान)**

4.28 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

यह कहा गया है कि :

> "इस समय उनके भविष्य तथा वहां बहुत अधिक तनाव के बारे में चिन्ता होना स्वाभाविक है। तथापि,···जबकि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं है, परन्तु बहुत अधिक चिन्ता का कोई कारण नहीं है।"

यह परस्पर विरोधी वक्तव्य है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनके भविष्य की चिन्ता है। वहां तनाव है। स्थिति सामान्य नहीं है। वहां लूटपाट हो रही है। वहां भोजन सामग्री नहीं है। वहां बैंकों में कार्य नहीं हो रहा है तथा लगभग सभी दुकानें बंद हैं। वहां समस्त जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। परन्तु इन तथ्यों के बावजूद, मुझे हैरानी है कि वक्तव्य में कहा गया है कि "अधिक चिन्ता का कोई कारण नहीं है।" इसमें चिंता की बात तो है ही और उन सब लोगों के लिए अधिक चिंता की बात है जो वहां फंसे हैं और उनके रिश्तेदार जो यहां इस देश में रह रहे हैं। पृष्ठ 3 में बताया गया है कि दूतावास उत्कृष्ट स्तर का कार्य कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस माननीय सभा को यह बतायें कि यहां क्या हुआ और 2 अगस्त से, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था, मन्त्री महोदय के कुवैत पहुंचने की तारीख तक उन्होंने किस किस्म का काम किया। यह सच है कि कुछ भारतीयों ने और स्वैच्छिक संस्थाओं तथा भारतीयों के एक दल ने वहां कुछ अति उत्तम काम किया है। यह भी सच है कि दूतावास ने विभिन्न दलों में 6,000 व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था कर उनकी सहायता भी की है। मुझे यह कहते हुये खेद है कि रिपोर्ट में बताया गया है कर्मचारियों की सीमित संख्या के कारण वे युद्ध स्तर पर उस किस्म का कार्य नहीं कर सके। यदि सरकार ने इस संकट की स्थिति के उत्पन्न होते ही तत्काल कार्यवाही की होती तो हमें प्रसन्नता होती। सीमित कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता था। यह बताया गया है कि 24 अगस्त के बाद सभी दूतावास बन्द हो जायेंगे। किन्तु ऐसी सूचना है कि अधिकांश दूतावास अभी भी काम कर रहे हैं। वे बन्द नहीं किये गये। कल मैंने एक समाचार पढ़ा था कि दूतावास बन्द नहीं किये गये। मैं वहां हमारी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त

करना चाहूंगा। रिपोर्ट में साफ तौर से बताया गया है कि कुवैत में स्थित मिशनों को सिवाय इस निर्णय के अनुपालन के बहुत कम विकल्प है। मैं नहीं जानता कि यह समाचार सही है अथवा नहीं। इसलिये मैं यह स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या वहां कोई दूतावास अभी भी काम कर रहा है और इन परिस्थितियों में हमारी ठीक-ठीक स्थिति क्या है। मैं इसमें पिछले तीन दिनों में हुए सुधार के बारे में जानना चाहूंगा। रिपोर्ट में बताया गया है : "हमने भारतीय राष्ट्रिकों के नियमित रूप से स्वदेश वापस लाने के लिये प्रबन्ध कर दिये थे और हम वापस लाए जाने वालों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाते जायेंगे।" मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस सभा के यह बतायें कि अब तक कितने व्यक्तियों को वहां से स्वदेश वापस लाया जा चुका है और वहां किस किस्म का काम किया जा रहा है। यह भी बताया गया है : "कुवैत के समीपवर्ती बसरा से एक इराकी विमान भाड़े पर लिया जायेगा।" "इस विमान ने कितनी उड़ानें की है और इन उड़ानों से कितने व्यक्तियों को वापस लाया गया है।" यह भी बताया गया है कि एक अनिवासी भारतीय एम० बी० सफीर का, जो संकट की शुरुआत के समय से ही कुवैत में है, एक जलयान है और उनसे इस बात पर सहमति हो गई है कि जलयान दे दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या बाद में यह जलयान दिया गया अथवा नहीं और यदि हां, तो जलयान से कितने व्यक्तियों का बचा कर लाया गया। कुवैत में एक लाख से अधिक तो केरलवासी ही हैं, इसलिए केरल से आये सदस्य इस मुद्दे पर बोलना चाहेंगे, अतः मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। हर किसी का उनके प्रति चिंता दर्शाना स्वाभाविक ही है, सरकार इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार कार्य कर रही है, उससे मैं सचमुच अप्रसन्न हूं। यह संकट 2 अगस्त को शुरू हुआ और हमने इस मामले पर 9 अगस्त को, अर्थात संसद के इस सत्र के तीसरे दिन विचार किया। मुझे यह कहते हुये खेद है कि अब तक सरकार कोई नीतिगत वक्तव्य अथवा की गई कार्यवाही का ब्यौरा लेकर सामने नहीं आ सकी। अन्ततः उस दिन हमने कहा कि इस देश के प्रधान मन्त्री को इराकी शासनाध्यक्ष से सीधे बात करनी चाहिये। इस पर माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि फिलहाल प्रधान मंत्री इराकी शासनाध्यक्ष से वार्ता करने में असमर्थ हैं क्योंकि जैसे ही प्रधान मंत्री बात करेंगे वे हमारी नीति के बारे में पूछेंगे और हमने अभी इस बारे में कोई नीति तय नहीं की है। मैं यह मानने को विवश हूं कि यह सरकार कुछ हद तक अमरीका के दबाव में आ गई है। अन्तिम वाक्य में कहा गया है कि अरब लीग और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को इस विषय में एक अहम भूमिका निभानी है। स्वयं सरकार ने यह स्वीकार किया है कि निर्गुट आन्दोलन की इस मामले में महत्त्वपूर्ण भूमिका है किन्तु सरकार ने क्या किया है? एक महीना होने को है, आपने या तो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेताओं से सम्पर्क किया होता अथवा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से पहल अथवा कार्यवाही की होती। भारत ने ही सदा इस आन्दोलन को महान नेतृत्व देता रहा है। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से यह आन्दोलन 25 देशों की सदस्यता से शुरू हुआ था और अब 101 देश इसके सदस्य हैं। यह साफ तौर से निराशाजनक बात है कि इस महत्त्वपूर्ण गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का इस मामले में उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा केवल इसलिये हुआ है कि उस क्षेत्र, इस आंदोलन में नेतृत्व का अभाव था और अब वहां अमरीकी फौजें आ गई। इससे भी क्षुब्धकारी बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी सेनायें भेज दी हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि भारत को वहां अपनी सेनायें भेजनी चाहिये, किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधान मंत्री ने सुस्पष्ट रूप से यह वक्तव्य दे दिया है कि हम अपनी सेनायें नहीं भेजेंगे। यह बहुत निराशाजनक और क्षोभजनक बात है कि अब भी हम खामोश हैं। मैं नहीं जानता कि कुछ ही दिनों में क्या स्थिति हो जायेगी। यदि यथार्थ युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है,

तो हम वहां फंसे हुये 1.72 लाख भारतीयों को किस प्रकार वहां से निकाल पायेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि समय बर्बाद न किया जाये। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेताओं से सम्पर्क किया चाहिये और इसके प्रभाव से असहाय लोगों को यथाशीघ्र भारत लाया जाना सुनिश्चित करने के लिये अविलम्ब कदम उठाये जाने चाहिए।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि दो दिनों में कम से कम एक बार विदेश मंत्री इस दिशा में हुई प्रगति को दर्शाने वाला वक्तव्य जारी करें कि कितने भारतीयों को वापस लाया गया है और हम वहां फंसे अपने अन्य भाइयों और बहिनों को किस प्रकार बचाकर लायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : सभापति महोदय, हम मुख्य रूप से कुवैत से लगभग 1.72 लाख भारतीयों को वहां से निकालने के प्रति चिंतित हैं। मुझे इस बात की आशंका है कि यदि खाड़ी क्षेत्र में प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो जाता है, तो हमें लगभग 15 लाख भारतीयों को निकाल कर लाना होगा। यदि प्रत्यक्ष युद्ध शुरू नहीं होता, तो कुवैत से भी भारतीयों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। किन्तु यदि प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो जाता है, तो हमें 15 लाख भारतियों को वहां से निकालकर लाना होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है या कि उसकी इस पहलू के बारे में कोई योजना है।

हम जानते हैं और सारा विश्व जानता है कि भारत एक अग्रणी गुटनिरपेक्ष देश है। विगत में भारत अनेक बार ऐसे मौकों पर सामने आया है और उसने सम्पूर्ण विश्व में सौहार्दपूर्ण ढंग से अनेक विवाद हल किये हैं। किन्तु हालांकि इराक द्वारा 2 अगस्त को कुवैत पर कब्जा किये जाने से अब तक पच्चीस दिन बीत गये हैं, किन्तु भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और भारत सरकार एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस अवस्था में भी भारत सरकार खाड़ी क्षेत्र में युद्ध से बचने के लिये कोई कदम उठाने का विचार कर रही है।

हमारे विदेश मंत्री जो सोवियत संघ, अमरीका और अन्य देशों का दौरा कर चुके हैं। संभवतः वे उनकी दृष्टिकोण को समझ चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे विदेश मंत्री जी अभी भी यह समझते हैं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए, एक महान गुट निरपेक्ष देश के विदेश मंत्री की हैसियत से शामिल होने, मध्यस्थता करने और युद्ध रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने का समय है। अब मुख्य बात यह है कि 25 दिन के बाद भी वास्तविक युद्ध शुरू नहीं हुआ है और मेरा विचार है कि अब इसकी सम्भावना नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आशंका इस बात की है कि यदि भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रयास करती है, हो सकता है वह सफल न हो। यदि ऐसा है तो क्या हमें यह युद्ध रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए? भारत सरकार को इस बारे में फैसला करना चाहिए। भागवत गीता की एक प्रसिद्ध उक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा :

'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।'

इस कठिन स्थिति में यह बहुत ही जरूरी है। हमें इस दिशा में पहल करनी चाहिए तथा युद्ध रोकना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो भावी पीढ़ियां भारत को याद करेंगी। वे यह याद करेंगी कि भारत सरकार और विदेश मंत्री ने उचित समय पर हस्तक्षेप करके युद्ध रोका था।

इसलिए, इस समय भी मेरा यह अनुरोध है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यह बात हमें याद रखनी चाहिए।

'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।'

[हिन्दी]

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति जी, परराष्ट्र मंत्री जी ने सदन में जो बयान दिया था, आज उसी पर चर्चा हो रही है। उन्होंने अपने बयान में यह बतलाया था कि वे यहां से बगदाद गये और वाशिंगटन, अम्मान और कुवैत मास्को होते हुए आये। हमारे सामने प्रश्न यह कि इराक ने कुवैत पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, जब उसने कुवैत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया तो अमेरिका तथा उसके अन्य मित्र राष्ट्रों ने मिलकर नाकेबंदी कर दी। उसकी नौसेना आज वहां खड़ी है और ऐसा लगता है कि वहां जो स्थिति बन रही है उसमें आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति की तुलना में ज्यादा मजबूत नजर आती है। भारत की स्थिति, दुनिया के निर्गुट राष्ट्रों में, प्रमुख रही है और मैं इस बात को कबूल करता हूं कि हमारी ओर से वहां जितना विरोध किया जाना चाहिये था, हम अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर, उतना विरोध प्रदर्शित नहीं कर सके क्योंकि इराक हमारा मित्र राष्ट्र है। दूसरी ओर जापान का उदाहरण हमारे सामने है, जो अपनी जरूरत का 99 प्रतिशत तेल बाहर के देशों से लेता है जबकि हम अपनी जरूरत का 40 प्रतिशत तेल या पैट्रोल ही बाहर के देशों से लेते हैं और उसमें से अधिकतर हिस्सा इराक से आता है। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि भारतीय मूल के लगभग पौने दो लाख आदमी वहां फंस गये हैं। खाड़ी के देशों में, बाहर के मुल्कों की लगभग 15 लाख आबादी फंसी है और उनकी हालत इतनी बदतर है, जैसा अभी हमारे मित्र एक माननीय सदस्य ने यहां बताया कि लोगों के पास पानी नहीं है, भोजन नहीं, और उसकी आपूर्ति में भारी कठिनाई हो रही है। कुवैत जो एक स्वतंत्र राष्ट्र था, उसकी आजादी के लिये अमेरिका ने अपनी फौज खड़ी कर दी और सुरक्षा परिषद् ने भी उसकी नाकेबंदी को अपनी मान्यता प्रदान कर दी, इसलिये आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि खाड़ी के देशों में हमारे जितने लोग फंसे हुए हैं, जैसा मैंने कहा पौने दो लाख भारतीय मूल के लोग आज वहां फंसे हुए हैं, यहां से लाखों मजदूर वहां काम करने के लिये जाते हैं, टैक्नीशियन जाते हैं, वे तमाम लोग वहां बुरी हालत में हैं। कुवैत में वैसे हमारा दूतावास था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति भयावह हो गयी है। फिर भी खुशकिस्मती यह है कि बातचीत का जो सिलसिला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, उसमें कुछ आसार इस तरह के नजर आते हैं कि कोई समझौते का रास्ता निकल आये।

सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि जो हमारे भारतीय वहां फंस गए हैं और जिस तरह से हम उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत मंथर गति वाला है, जो व्यवस्था में कमी है उसको हम दूर करके और क्या जल मार्ग से बड़े-बड़े पोतों को लगाकर जो लोग वहां परेशान और तबाह हैं, क्या हम उनको ला सकेंगे और इस दिशा में क्या पहल हो रही है? यह भी बताएं।

भारत एक तटस्थ देश है, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं कि युद्ध कोई ऐसा नहीं है कि मिसाइल से और ऑटोमेटिक वैपन से और राइफल से लड़ें, आज सबके पास परमाणु हथियार हैं और इसीलिए आज इराक के सामने भी प्रश्न है कि वह चारों तरफ से घेरा गया है।

अमरीका ने जो सशस्त्र कार्रवाई की है हम उनकी कार्रवाई का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि कुवैत को इराक खाली कर दे और अमरीका तथा उसके मित्र राष्ट्रों ने जो फौजी कार्रवाई की है, वे वहां से अपनी फौज हटाएं और आपस में बातचीत का काम जारी रहे। इन सबके चलते भी कुवैत में जो नागरिक फंसे हैं, चाहे ब्रिटेन के हों, अमरीका के हों या हमारे भारतीय भाई हों, उनको निकालना हमारा फर्ज है। आज वहां हर चीज की कमी है, तो हम यहां से वहां सामान ले जाकर क्या लोगों की सहायता नहीं कर सकते हैं। हवाई जहाज से तो 4-6 घंटे में ही सामान ले जाया जा सकता है। अनाज वहां इकट्ठा कर सकते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लोगों को जो हमारे भाई वहां फंसे हैं, हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं जो लोग वहां संकट में हैं, उनके लिए हम चिन्तित हैं बल्कि हम इसलिए भी चिन्तित हैं कि वहां सारे लोग संकट में हैं। जो भारत के हमारे भाई हैं, उनकी तो क्रय-शक्ति भी बहुत ही कम है। जितने भी विकासशील देश हैं, उन सबमें कम क्रय-शक्ति भारत के लोगों की है। अपनी कार भारतवासियों ने सिर्फ 100 डालर में बेच दी। सारा सामान उन्होंने बेच दिया। आज उनके सामने फाकाकशी हो रही है और मौत खड़ी है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि क्या भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए जल-पोतों की व्यवस्था सरकार कर रही है या नहीं और दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी भूमिका का प्रभाव जो दुनिया पर है, हमारी तटस्थता की जो नीति है मध्यस्थता की वह करने में हम विफल हो रहे हैं ? इसलिए सभापति जी मैं इन सवालों को उठा रहा हूं—आज अमरीका और यूरोप के देशों की जो सैनिक कार्रवाई है, हम उसको गलत मानते हैं, लेकिन हम यह भी गलत मानते हैं कि इराक ने कुवैत पर कब्जा करके हठ का प्रदर्शन किया है। जब हमारे परराष्ट्र मंत्री जी सवालों का जवाब देंगे तब वे हमें बताएंगे कि हमारी सेवा का केन्द्र मनुष्य है, जब आज लोग परेशान और चिन्तित हैं, आज हमारी परेशानी उनकी परेशानी के साथ जुड़ी हुई है, उनको वहां से निकालने उनके संकटों को दूर करने के लिए हमारी ओर से क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, जब कुवैत में शुरू में यह स्थिति बनी और वहां रह रहे भारतीयों को समस्या का सामना करना पड़ा, तो समर्थक दलों तथा प्रतिपक्षी दलों, दोनों ने जोरदार सुझाव दिए थे कि या तो मंत्री जी स्वयं अथवा यदि सम्भव हो तो, एक विशेष दूत या विदेश सचिव को बगदाद जाना चाहिए और इराकी विदेश मंत्री या विदेश सचिव से बातचीत करनी चाहिए और यदि सम्भव हो तो ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने भारतीयों का वापस ला सकें तथा उनकी समस्याओं तथा हितों के बारे में विचार-विमर्श कर सकें। निस्संदेह, प्रारम्भ में इस संबंध में प्रतिक्रिया थोड़ी नकारात्मक थी अथवा इतनी सकारात्मक नहीं थी। परन्तु यह तथ्य कि मंत्री महोदय ने अनुकूल जवाब दिया तथा उन्होंने बगदाद और कुवैत के साथ-साथ अम्मान का भी दौरा किया। हमारे सुझाव को गम्भीरता से लेने के लिए उनका अवश्य धन्यवाद किया जा सकता है। परन्तु माननीय विदेश मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद के दौरों से वास्तव में जो प्रगति हुई इससे कहीं अधिक प्रगति की आशा की जा रही थी।

कुछेक बातों के बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहली बात यह कि जबकि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभा माननीय नागर विमानन मंत्री जी की उनकी सफलता के लिए प्रशंसा

करती है, मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेश मंत्री जी की जानकारी के अनुसार हमारे यहां तेल भण्डार की स्थिति क्या है। क्या 3 या 4 सप्ताह का ही भण्डार है, जैसाकि हमने आज सुना है? (व्यवधान) क्या मैं विदेश मंत्री महोदय से यह कह सकता हूं कि वे इस सभा में सदस्य क्या कह रहे हैं उसे सुनें ? (व्यवधान)

मैं विदेश मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बारे में व्यक्तिगत जानकारी है। अथवा सरकारी सूत्रों से पता चला है कि हमारे देश में तेल भण्डार की कितनी मात्रा है, कितने सप्ताह के लिए तेल है, और हमारे पास तेल का कितना आरक्षित भण्डार है अर्थात् कितने सप्ताह की सप्लाई है; और यह भी कि क्या हम खाड़ी देशों की वर्तमान सम्भावित स्थिति के कारण हम तेल के आयात की कितनी मात्रा कम कर पाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि उचित मूल्य का अर्थ क्या होता है। क्या इस मूल्य को नियंत्रित किया गया है या यह प्रचलित मूल्य के लगभग बराबर होने जा रहा है क्योंकि प्रचलित मूल्य इस स्तर तक बढ़ गया है जिसकी अपनी विदेशी मुद्रा स्थिति को देखते हुए भरपाई नहीं की जा सकती है।

इस संदर्भ में मैं विशेषतौर पर यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उन विकसित राष्ट्रों से हमें कोई वित्तीय सहायता मिल रही है जिन्होंने वस्तुतः आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिले ऋण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में ज्यादा उदार शर्तों पर दिए जाने वाले ऋण का उल्लेख कर रहा हूं जिसे इन समस्याओं से हमें निपटने के लिए ये विकसित राष्ट्र द्विपक्षीय तौर पर दे सकते हैं।

मैंने देखा है कि उन्होंने अपने वक्तव्य के पैरा 14 में इस बात का उल्लेख किया है परंतु उन्होंने बिना किसी वचनबद्धता के वक्तव्य दिया और अस्पष्ट तथा सांकेतिक रूप में इस विषय पर बोले और फिर विषय बदल दिया। मैं माननीय विदेश मंत्री को यह भी कहना चाहूंगा कि हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार कुवैत में भारतीयों ने उनके इस दौरे का स्वागत किया था। परन्तु लगभग 20,000 परिवार इस आशा से बगदाद चले गए कि वे बाहर निकाल सकेंगे और अम्मान से भारत आ सकेंगे। परन्तु आज उनके पास एक समस्या है अचानक सड़क मार्ग बंद हो जाने, शरण स्थल, भोजन और जनसुविधाओं की कमी और इन सबसे अधिक पैसे की कमी के कारण वे बगदाद में ठहर पाना रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते। इससे थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, मैं समझता हूं मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और कार्यवाही करेंगे।

मैं यह भी मानता हूं कि मारे गये भारतीयों से संबधित आंकड़े वास्तव में सही नहीं हैं। आंकड़ा काफी बड़ा है। क्या मंत्री महोदय इन आंकड़ों को ठीक करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आपका सही आंकड़ा क्या है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मुझे लोगों के बारे में बताया गया। मेरा श्रोत उतना विश्वसनीय नहीं हो सकता है जितना मंत्री महोदय का। मेरा श्रोत भी लगभग वही है क्योंकि मैंने भी उस समय विशेष में यह सुना जब वायरलेस संदेश आ रहा था।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात आवश्यक सामान की कमी, लूट और चोरी से संबंधित है। मंत्री महोदय ने कहा कि ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। बैंक में जमा लगभग सभी पैसा जब्त हो गया है। जो आपके पास है वह आपका

निजी पैसा है। यदि यह सेंध लगने, लूट में या चोरी में चला जाता है जो इससे आप काफी प्रभावित होते हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 2000 भारतीयों के घरों में चोरी, लूट या सेंध लगायी गयी है। यह मानना उचित है कि भारतीय नागरिकों विशेषकर आदिवासी भारतीयों द्वारा कुवैत के बैंक में जमा पैसों का क्या होगा ? क्या उन पैसों को बट्टे खाते में डाला जाएगा या फिर सरकार इराकी सरकार से समझौता कर उन पैसों को वापस दिलाने के लिए कुछ करेगी ?

अंत में, मैं विशेष तौर पर यह जानना चाहूंगा कि तथाकथित इराकी विमानों ने जिन्हें बसरा से अम्मान के लिए भाड़े पर लिया गया था और यहां से एअर इंडिया के विमानों को भारतीय नागरिकों को लेना था, कितनी उड़ानें की हैं ? ऐसा लगता है कि फिलहाल वही एक मात्र रास्ता है क्योंकि सड़क मार्ग बंद कर दिया गया है। हम जानना चाहेंगे कि इस संबंध में वास्तविक कार्यक्रम क्या है ? वक्तव्य देने के बाद से काफी दिन गुजर चुके हैं। हम विशेषतौर पर यह जानना चाहेंगे कि भारत लौटने वाले भारतीयों को निकालने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है। मैं समझता हूं कि सामान्यतः विदेश मंत्री के लिए यह महसूस करना जरूरी है कि पूरे भारत में जाति, धर्म और भाषा की विभिन्नता के बावजूद हम सभी इस परिस्थिति से परेशान हैं क्योंकि कुवैत में भारत के प्रत्येक भाग के व्यक्ति रहते है। चूंकि कुवैत में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या को देखें तो वह लगभग एक छोटा भारत ही है। कुवैत स्थित भारतीयों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर हमारा दृष्टिकोण क्या होगा ? आपने सुझाव दिया है कि आप वहां जहाज से खाद्य पदार्थ भेजने पर विचार करेंगे। किन्तु अमेरिकी प्रतिबंधों में खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं। वे कहते हैं कि खाद्य पदार्थ भी नहीं ले जाया जा सकता। आप संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अमरीकी को न्यूनतम शक्ति का प्रयोग करने के बारे में दी गई सहमति के परिप्रेक्ष्य में चाहे बगदाद हो या कुवैत सारे इराक और कुवैत में खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के संबंध में, जिसकी वहां भारी कमी है, क्या स्थिति है ? लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को अब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण क्या है ? क्या हम इसकी निन्दा करने जा रहे हैं अथवा हम इसका समर्थन करेंगे अथवा हम और कोई दृष्टिकोण अपनाएंगे, सारी स्थिति के बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण है ? यह बुझती हुई आग को भड़काने वाली बात है। क्या हम खामोश बने रहेंगे ? क्या हम मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे ? क्या हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह खाड़ी संकट तीसरा विश्वयुद्ध न बन जाए ? एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि बहुत से अरब देशों ने सद्दाम हुसैन के दृष्टिकोण का विशेष रूप से इसराईल के प्रति रवैये के कारण समर्थन करना शुरू कर दिया है, जब वह कहते हैं कि कुवैत को मुक्त करने की मांग के बदले में इसराईल फिलस्तीन अधिकृत क्षेत्र को खाली क्यों नहीं कर देता ?

5.00 म० प०

और इस बात ने संसार के बहुत से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है तथा उसमें बहुत से भारतीय हैं जो शायद रवैये का समर्थन कर रहे हो सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण क्या है। शायद शुरू में आपने यह अनुभव किया हो कि यह बड़ी पेचीदा स्थिति है किन्तु अब आप वह रवैया नहीं अपना सकते। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक दृष्टिकोण अपना लिया है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दिया है तो क्या हम नीति विषयक कोई निर्णय लेंगे और स्पष्ट रूप से अपनी नीति की घोषणा करेंगे अथवा हम इससे बचना चाह रहे हैं अथवा क्या मामले से बच निकलने की यह हमारी नीति है ? यदि ऐसा भी है तो हमें तथा भारत के लोगों को इस बारे में बताएं कि भारत की भावी

भूमिका क्या होगी, भारत खाड़ी संकट में क्या भूमिका अदा करेगा।

मैं विदेश मंत्री महोदय से केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के पेचीदा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत अधिक विलम्ब से और अधिक उलझन होती है तथा इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम कमजोर नजर आते हैं।

समय गुजरता जा रहा है तथा समय की मांग है कि भारत अपने आपको एक शक्तिशाली तथा स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध गुटनिरपेक्ष देश के रूप में दिखाये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा तथा मैं अपनी बात को पिछली बार 23 अगस्त को माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कुछ स्पष्टीकरण मांगने तक सीमित रखूंगा।

यदि आप मंत्री महोदय द्वारा दिए गए लम्बे वक्तव्य को देखें तो आपको पता चलेगा कि पैरा 19 में खाड़ी देशों की पेचीदा स्थिति की विषयवस्तु, दृष्टिकोण अथवा स्थिति के बारे में कुछ बातों की घोषणा की गई है। उदाहरण के लिए एक बात यह है कि संकट शुरू होने के बाद अब हमने खेद व्यक्त किया है कि इराक और कुवैत के मतभेदों का शान्तिपूर्वक समाधान नहीं निकाला जा सका तथा हमने किसी भी प्रकार से ताकत का इस्तेमाल करने के बारे में अपना सुपरिचित दृष्टिकोण व्यक्त किया। इसका अर्थ यह है कि हमने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है अथवा हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि इराक और कुवैत के विवाद में ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए तथा इस बारे में हमने इराक की कार्रवाई का विरोध भी किया है।

और यह भी कहा गया है कि हम 23 अगस्त से पहले की स्थिति के आधार पर किसी भी शक्ति द्वारा की गई एकतरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री महोदय 23 अगस्त के बाद की स्थिति में बदलाव के बारे में स्पष्टीकरण देंगे।

इस वक्तव्य से, जैसाकि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, कुछ प्रश्न उठते हैं।

पहला प्रश्न यह है कि इस समय अमरीका द्वारा एकतरफा कार्रवाई किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। सुरक्षा परिषद ने ताकत का इस्तेमाल करने को अपनी स्वीकृति दे दी है अथवा इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है तथा खाड़ी क्षेत्र में अमरीका की उपस्थिति का बड़ा महत्व है। और मेरा विचार है कि इससे खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। अमरीका द्वारा पहले ही निभाई गई अथवा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है? जहां तक अमरीका का संबंध है हम उसकी स्थिति से भली-भांति परिचित हैं। यह दृष्टव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी खाड़ी से चल गए हैं तथा अब अमरीका अपने विश्वव्यापी हितों के लिए वहां अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहा है। इन दिनों संयुक्त राज्य अमरीका के लिये यह संभव नहीं था कि वह मजबूती के साथ वहां पर अपने पैर जमा ले क्योंकि अरब देशों की ओर से तथा गुट निरपेक्ष देशों की ओर से लगातार विरोध हो रहा था। आज उनकी स्थिति बेहतर है क्योंकि अरब देश आपस में विभाजित हैं। संयुक्त राज्य अमरीका ने भी अरब देशों को विभाजित करने की कोशिश की थी। अतः इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वह यह कोशिश कर रहे हैं कि वह इस क्षेत्र में मौजूद रहें और इस क्षेत्र को अपने अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग कर सकें। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इस नयी स्थिति के बारे में भारत सरकार के दृष्टिकोण के संबंध में जानना चाहूंगा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिये जाने

के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका के लगातार वहां उपस्थित रहने पर पैदा हुई है। यह मेरी पहली बात है जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

दूसरे, इराक ने यह आदेश दिया है कि कुवैत से सभी दूतावास हटा लिये जायें। संयुक्त राज्य अमरीका ने ऐसा करने से मना कर दिया है। अन्य पश्चिमी देशों ने भी ऐसा करने से मना कर दिया है। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका यह दिखाना चाहता है कि उसने इराक द्वारा कुवैत पर कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। यह स्थिति है जोकि वह ग्राफ के आधार पर दिखाना चाहते हैं। हमारी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। हमने इराक द्वारा कुवैत पर कब्जे की भर्त्सना की है। इसने अपने दूतावास को हटा लिया है। हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं ? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि अपने दूतावास को कुवैत से हटा लेने से हमने भी इराक सरकार की स्थिति को स्वीकार कर लिया है ? दूसरी तरफ हम कहते हैं इराक ने हमला करके तथा कब्जा करके गलत किया है। अब इसे माननीय मंत्री द्वारा स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री सोवियत संघ गये थे तथा वहां के विदेश मंत्री के साथ चर्चा की थी। यह स्थिति जिस प्रकार की बन रही है उसमें सोवियत संघ दिलचस्पी रखता है। परन्तु जैसाकि मैंने आज के समाचारपत्र में देखा कि सोवियत संघ ने नाकाबन्दी अथवा सैनिक कार्यवाही के लिये सहमति नहीं दी है। जहां तक भारत का सवाल है, वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या हम नाकाबन्दी को लागू करने के लिये शक्ति के प्रयोग को स्वीकार कर रहे हैं तथा उसको समर्थन दे रहे हैं ? या हम इसका विरोध कर रहे हैं ? 23 अगस्त के वक्तव्य में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। अतः सुरक्षा परिषद द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिये अधिकृत किये जाने के संबंध में भारत सरकार के वास्तविक रवैये के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे और सोवियत संघ के बीच बहुत से मामलों में समान विचार तथा समान दृष्टिकोण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने विचारों का आदान-प्रदान किया है। क्या वह सभा को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि इस मामले पर सोवियत संघ तथा भारत के बीच समान विचारधारा तथा समान दृष्टिकोण हैं ? और यदि नहीं तो खाड़ी में आज जो स्थिति बन रही है उसके संबंध में विचारों में क्या भिन्नता है। जैसाकि उन्होंने संकेत दिया है इराक और कुवैत के बीच विवाद अरब देशों का आन्तरिक मामला है इस बात का संकेत दिया गया है—अब यदि यह स्थिति भारत सरकार द्वारा अब भी मानी जाती है तो भारत सरकार संयुक्त राज्य अमरीका की स्थिति की भर्त्सना क्यों नहीं करती है। वह अरब देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ? इस मामले में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणी देश होने के कारण भारत की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। माननीय मंत्री ने इसके बारे में कुछ कहा है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि समस्या के समाधान के लिये गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अग्रणी देश होने के नाते भारत सरकार ने वास्तव में अब तक क्या कदम उठाये हैं। माननीय मंत्री को पता होगा कि कुछ लोकाचार तथा कुछ प्रयास अल्जीरिया तथा कुछ अन्य देशों द्वारा उठाये गये हैं और मैं समझता हूं कि कुछ अन्य अरब देशों द्वारा और प्रयास किये जायेंगे। भारत पीछे क्यों हट रहा है ? आप गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अग्रणी देश होने के नाते राजनीतिक प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं ? वास्तव में पहले यह कहा गया था कि स्थिति बहुत ही नाजुक है। औपचारिक स्थिति अपनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि रोज नई स्थिति बन रही है। परन्तु 23 अगस्त के बाद आज 27 अगस्त तक स्थिति ने एक स्पष्ट रुख अपना लिया है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रस्ताव के बाद।

श्री चित्त बसु : संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के बाद तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किये जाने के बाद। अत: हम और अधिक समय नहीं ले सकते हैं। भारत सरकार को सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस संबंध में कि संयुक्त राज्य अमरीका की क्या भूमिका है, सोवियत यूनियन की क्या भूमिका है तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अग्रणी देश होने के नाते भारत की क्या भूमिका है तथा अरब लीग से तालमेल में भारत क्या भूमिका निभायेगा तथा अन्य देशों ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं। जहां तक वहां से लोगों को बाहर निकाले जाने का सवाल है मैं समझता हूं कि स्थिति कुछ ठीक हुई है, क्योंकि जोर्डन और इराक ने अपनी सीमायें खोल दी हैं, तथा उन लोगों को बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है जो कि देश वापस आना चाहते हैं। परन्तु सवाल यह है कि भारत सरकार द्वारा क्या वास्तविक कदम उठाये जा रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि वह यह बतायें कि वह उड़ानों को घोषित करने के संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं। वह क्या राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं।

अब रेड क्रास का सवाल आता है। उन्होंने भोजन, दवाओं आदि की कमियों का जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है, कि रेड क्रास विद्युत आपूर्ति तथा इन सब सामग्रियों को वितरित करने की जिम्मेदारी ले तथा प्रभावित लोगों को देखने जाये, आदि। क्या भारत सरकार ने भारतीय रेड क्रास से संपर्क किया है तथा ऐसे अन्य कदम उठाये हैं जो कि उन्हें ऐसे मामलों में दखल देने में सहायता करें विशेषकर उन लोगों को जो कि गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं। भोजन वितरित करने के मामले तथा दवायें वितरित करने के मामले में।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश से भी 8-9 हजार, विशेषकर भूतपूर्व सैनिक जो तकनीकी काम जानते थे, वे कुवैत और इराक में फंसे हैं। जहां पर मेरे मित्रों ने तथा दूसरे स्टेट्स के लोगों ने वहां सम्पर्क कर बात की। मेरी स्टेट्स से तो सीधे टेलीफोन का साधन नहीं है कि वहां के लोगों से सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

मैं विदेश मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर उनकी समस्याओं को समझा और वहां पर गये। आज जब यू० एन० ओ० की तरफ से भी अमेरिका के ऐक्शन को एक तरह का सैंक्शन मिल गया है, उसको स्वीकृति प्रदान हो गई है। अब इसके दो पहलू हो गये हैं और कुछ समाचार-पत्रों में यह समाचार आया है कि हमारे राज्य मंत्री जो विदेश विभाग में हैं उनका बयान है कि अमेरिका ने यू० एन० चार्टर को वायलेट किया है। सऊदी अरबिया में अपनी सेना भेजकर और यू० एन० ओ० उसको अप्रव कर रहा है, अमरीका के एक्शन को, यह जो कंट्राडिक्शन है, मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री जी इसके बारे में बयान दें और स्पष्ट करें कि क्या हम अमरीका के एक्शन को कंडेम कर रहे हैं, जिस बात को यू० एन० ओ० अप्रूव कर रहा है और इस स्थिति में अगर लड़ाई भड़कती है, लड़ाई बढ़ती है तो नान अलायंड मूवमेंट देशों के नेता के तौर पर हम अपना क्या रोल अदा करने जा रहे हैं और वहां पर हमारे जो भारतवासी फंसे हुए हैं, अगर लड़ाई बढ़ती है तो क्या सरकार के पास उनको निकालने का कोई प्रबंध है। एक रास्ता कुवैत और इराक में फंसे हुए लोगों को ईरान लाकर और ईरान से निकालने का था, मैं विदेश मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ईरान के साथ संपर्क हो सका है या ईरान की स्वीकृति हमें मिली है कि जो भारतवासी इराक में फंसे हुए हैं, उनको ईरान लाकर वहां से लाया जाएगा ?

सभापति महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले दूसरे साथियों ने प्रश्न किया है और हमारे

मंत्रियों के अलग-अलग बयानों से कई बार भ्रम पैदा होता है। तेल भण्डार के बारे में कुमार-मंगलम जी ने पूछा कि क्या विदेश मंत्री महोदय के पास ऐसी कोई पक्की सूचना है कि आखिर हमारे पास कितने सप्ताह का. तेल भण्डार है और हमारे मित्र राष्ट्र हमें कहां तक उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं और अगर कुवैत में स्थिति बिगड़ती है तो ऐसी हालत में कौन-कौन से राष्ट्र हमें तेल और दूसरी आर्थिक सहायता दे सकते हैं, ताकि तेल की जो स्थिति हमारे यहां चल रही है, वह ज्यादा खराब न हो।

एक नया डेवलपमेंट जो श्री सद्दाम हुसैन के बयान से आया है कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए वे तैयार हैं, अब जबकि बयान आया है, उसमें मैं फिर चाहूंगा कि नान अलायनमेंट मूवमेंट के नेता के तौर पर हमारा उसमें क्या योगदान होगा। क्या भारतवर्ष ऐसा कोई इनीशिएटिव आपके नेतृत्व में लेगा, जिससे जिस नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए सद्दाम हुसैन तैयार हैं, उसमें सहायता मिल सके। पहले वाली चुप्पी हमें शायद सूट करती थी, हमारे विदेश मंत्री एकमात्र एशियाई नेता थे जिन्हें कुवैत जाने का और सद्दाम हुसैन को मिलने का मौका मिला था। आज परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि लड़ाई भड़क भी सकती है और उस लड़ाई को भड़कने से रोकने के लिए जो निर्गुट देश हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। तो क्या हमारे विदेश मंत्री इस दिशा में कदम उठाएंगे कि इतने लाखों लोगों को वहां से लाना, इससे ज्यादा अच्छा यह होगा कि हम ऐसा योगदान दें, कांस्ट्रक्टिव कोआपरेशन वहां हमारा हो, ऐसा कोई नेतृत्व प्रदान करें कि लड़ाई की संभावना घट सके और जो डर-भय पैदा हुआ है वहां फंसे हुए लोगों के मन में, वह दूर हो, लड़ाई टल सके तो टल जाए। इसमें हम इस स्थिति में किस हद तक अपना योगदान दे सकेंगे ?

भोजन भेजने की बात कही गई, उसमें भी मेरी सुझाव था कि भोजन के साथ-साथ मेडीसन भी भेजी जातीं तो अच्छा होता, क्योंकि मेडीसन्स की किल्लत भी वहां पर आई है।

हालांकि हमारे दूतावास के लोगों के काम की बड़ी प्रशंसा हुई है, लेकिन इस सदन में कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, जो लोग वहां से वापिस आए थे, वे दूतावास में जब मिलने गए उन्हें कहा गया, बाहर बैठो, उन्हें अन्दर नहीं जाने दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गयी। इसके दो कारण हो सकते हैं। हमें बताया गया था कि मंत्री महोदय गए तो सारे दूतावास का स्टाफ उनके पीछे लगा रहा, लोगों की शिकायतें नहीं सुनी गयीं, दिक्कतें दूर करने की कोशिश नहीं की गयी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वहां स्टाफ कम है। बहुत से माननीय सदस्य इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जो हमारी एम्बैसी वहां है, उसका स्टाफ बढ़ाया जाए।

मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि वहां स्टाफ बढ़ाया जा सके ? ताकि लोगों की समस्याओं को हल करने में आसानी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विदेश मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि गहरी रुचि लेकर वहां जो भारतीय फंसे हैं उनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। केवल भारतीयों को बचाने का सवाल नहीं है, आज लड़ाई को टालने का भी सवाल है। उसमें भी ये आगे बढ़ कर योगदान दें। भारत, जो नॉन एलाइंड कंट्रीज के नेता के तौर पर उभरा है, अपना रोल अदा करे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, माननीय विदेश मंत्री, कुवैत और इराक गए थे। यह अच्छी बात है। मैं माननीय मंत्री तथा सरकार से यह जानना चाहूंगा—मेरे

अन्य साथियों ने भी ऐसी भावना व्यक्त की है—कि हमारे देश ने इतनी देर से कार्यवाही क्यों की। बहुत से माननीय सदस्यों ने पहले ही कहा है कि भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणी देश है। महोदय, जुलाई में राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत को धमकी दी थी। उस समय भारत को इस मामले में दखल देकर साहस का परिचय देना चाहिये था क्योंकि इराक भारत का मित्र देश है। कुवैत भी मित्र देश है। दोनों देश गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं। जब इस तरह की स्थिति आ गई है तो भारत का कर्त्तव्य है कि वह एक कदम आगे बढ़कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करे। पहले भी हमने इस तरह का रवैया अपनाया था।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस मामले में हम हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि यह उन भारतीय मूल के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है जो वहां पर रह रहे हैं। यही नहीं यह विश्व शांति से भी सम्बन्धित है। उस समय प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री को राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से मिलना चाहिए था तथा बातचीत करनी चाहिए थी तथा अन्य सम्बन्धित लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए थी। यह अच्छा होता। उस समय ही बातचीत के द्वारा समझौता कर लिया जाना चाहिए था परन्तु 2 अगस्त तक हम इस मामले में हिचकिचाते रहे। अब यह स्थिति आ गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस मामले में कोई कदम उठाने जा रही है या नहीं। श्री चित्त बसु तथा अन्य माननीय सदस्यों ने पहले ही सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया है। भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणी देश है। अब स्थिति दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही है। किसी ने कहा था कि यह विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। अत: यह हमारा कर्त्तव्य है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अग्रणी देश होने के नाते खाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं। मैं जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सौहार्द्र लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।

महोदय, लोगों को वहां से निकालने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। वास्तव में थोड़ा-सा सुधार हुआ है। हमारे देश के लोग, जो वहां पर काम करते हैं, अभी तक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

वक्तव्य में यह बताया गया है कि छः हज़ार लोगों ने एक ही रसोई से भोजन किया है। मैं समझता हूं कि भोजन की कमी है। मेरे एक मित्र ने, जो कि केरल से हैं, इन लोगों को हमारे देश से भोजन भेजने की बात कही है। हमारे विमान भोजन नहीं ले जा सकते हैं। हम उन लोगों के लिए भोजन के पैकेट भेज सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या तुरन्त मार्गस्थ कैम्पों की व्यवस्था की जा सकती है। मैं समझता हूं कि यदि मार्गस्थ कैम्पों की व्यवस्था हो जाए तो यह उन लोगों के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा जो लोग कैम्पों में जाकर रहना चाहते हैं।

तीसरी बात यह है कि अधिक विमानों की व्यवस्था करनी चाहिए। वास्तव में देश में विमानों की कमी है। हम अपने मित्र देशों से विमान मांग सकते हैं ताकि उन विमानों का प्रयोग खाड़ी देशों से लोगों को लाने के लिए किया जा सके। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मित्र देशों से अस्थायी तौर पर विमान मांगने को तैयार है ताकि उन लोगों को देश वापस लाया जा सके।

महोदय, दवाओं की भी कमी है। यह प्रेस की रिपोर्ट है दवाएं तथा अन्य आवश्यक वस्तुए देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। महोदय, खाड़ी देशों से आ रहे लोगों की वित्तीय कठिनाइयों को भी सुलझाने के लिए आवश्यक कदम तुरन्त उठाए जाने चाहिए। जो लोग वहां गए थे वे वहां की मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदले बिना यहां आ रहे हैं

5.25 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह सबसे बड़ी समस्या है जिसका ये लोग सामना कर रहे हैं। हमने अनेक लोगों से जो कुवैत से आए हैं, बातचीत की है और उन लोगों ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया है। ये लोग गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों में फंसे हुए हैं। उनके बच्चों के अध्ययन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उन परिवारों के बच्चे जो कुवैत से आये हैं वे वहां पर पढ़ रहे थे तथा अब उनके पास स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी० सी०) नहीं हैं। अतः उन बच्चों के अध्ययन को जारी रखने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए तथा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए ताकि वे लोग भारतीय स्कूलों में पढ़ सकें। बसरा से, जो कि कुवैत से सबसे पास है त्रिवेन्द्रम, बम्बई तथा दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू करनी चाहिए ताकि और अधिक लोग वहां से निकाले जा सकें। वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने बताया है कि चिन्ता की कोई बात नहीं है। यदि चिन्ता की कोई बात नहीं है तो हजारों लोग वहां से वापस क्यों आ रहे हैं? अतः समस्या बहुत गम्भीर है और हमें इसके बारे में सोचना होगा। पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण बात है हजारों लोग वहां से आ रहे हैं। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जब हमने सूखे का सामना किया था तो पिछली सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए चार हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। यह भी राष्ट्रीय संकट है और इस कारण उनका पुनर्वास हमारे लिए गम्भीर समस्या है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के पुनर्वास के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। केरल सरकार ने उनके पुनर्वास हेतु 750 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा है। किन्तु बदलते हुए हालातों में यह काफी नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाये। बेशक इसका विदेश मंत्रालय से सीधा सम्बन्ध नहीं है। किन्तु सरकार को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए और उनके पुनर्वास के लिये उचित प्रबन्ध करने चाहिये। अन्ततः, भारतीय मूल के लोग केवल कुवैत में ही नहीं हैं, वे साउदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों में भी हैं। वे विशेषतः साउदी अरब से भयभीत हैं, हमें ऐसे अनेक संदेश मिल रहे हैं कि वे सेना के नियंत्रण के कारण अनेक कठिनाइयां उठा रहे हैं। सारे खाड़ी तन्त्र में ये लोग और भारत में उनके परिवार आतंकित हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को खाड़ी की सम्पूर्ण स्थिति को अवश्य ही स्पष्ट करना चाहिये, ताकि हमारे लोग स्थिति का जायजा ले सकें और चिन्ता दूर की जा सके। मैं सरकार द्वारा न केवल कुवैत में, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में की गई पहल के बारे में भी जानना चाहूंगा। मेरा माननीय मंत्री जी पुनः अनुरोध है कि वह निर्गुट आन्दोलन के अग्रणी सदस्य के रूप में पहल करें और खाड़ी क्षेत्र में समस्याओं को हल करने और इस क्षेत्र में फिर से शान्ति और सौहार्द कायम करने के लिये आगे आयें और भरसक प्रयास करें।

5.30 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा को लेंगे जिसकी शुरूआत श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति करेंगे। आधे घण्टे की चर्चा के बाद हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला शहरी विकास मंत्री से 8 अगस्त,1990 को किये गये तारांकित प्रश्न सं० 28 से सम्बन्धित है।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : मुझे भी बोलने का मौका दें, क्योंकि मूल प्रश्न मेरा ही है, लेकिन बैलेट इनके नाम से आया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां ऐसा नहीं करते।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : यह प्रश्न एक सदस्य द्वारा नहीं किया गया था, किन्तु यह दो माननीय सदस्यों के नाम में हैं। कई सदस्यों ने नोटिस दिये होंगे और उनमें से अधिकांश ने अपने अनुभवों से यह महसूस किया होगा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली ऐसी स्थिति में आ गई है कि हमारे लिये अधिकारियों का ध्यान रोजमर्रा के जीवन की जरूरतों की ओर दिलाना भी कठिन हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे प्रशासनिक स्तर पर ही निपटाया जाना चाहिए था। किन्तु इसका जिस तरीके से उत्तर दिया गया, उससे मुझे नोटिस देना पड़ा। आमतौर की तरह प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न बहुत सीधा और स्पष्ट था और उत्तर टालमटोलपूर्ण था। इससे साफ तौर पर यह धारणा बनती है कि अपेक्षित जानकारी को छिपाने का प्रयास किया गया है। कृपया भाग (क) का उत्तर देखिये—

> "(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में अलग नियम और विनियम हैं।"

इसका उत्तर "नहीं" था।

इसका अर्थ यह हुआ कि इस विभाग में अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये कोई नियम और विनियम नहीं हैं। प्रत्येक सरकारी विभाग में स्थानान्तरण कतिपय नियमों और विनियमों के आधार पर किये जाते हैं। सामान्यतया यह लगभग 3 वर्ष के लिये होता है। इससे यह धारणा बनती है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एक सरकारी कार्यालय की तरह काम नहीं कर रहा है। इसी उत्तर में यह बताया गया था कि वहां अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में मार्ग निर्देश हैं। उनके उत्तर में नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों में बहुत स्पष्ट अन्तर किया गया था। शब्दों की प्राविधिकता को लेकर दिखाई गई अधिक होशियारी से पहले भी इस सभा में एक माननीय सदस्य गम्भीर कठिनाई में पड़ चुके हैं। इस किस्म की चालाकी से सदस्यों के मन में शंकायें पैदा हो जाती हैं। उनका शक और गहरा हो जाता है।

भाग (ख) में पूछा गया था कि क्या अधीक्षक अभियन्ता को एक स्थान पर रहने देने के लिये कोई अवधि नियत है। उत्तर था "तीन अथवा चार वर्ष," यह न तो तीन वर्ष है, न ही चार वर्ष, बल्कि दोनों ही है। यह भी कहा गया है कि आपवादिक मामलों में महानिदेशक 3-4 वर्षों को जहां तक चाहे बढ़ा सकता है, और तो और उनके उत्तर के अनुसार मुख्य अभियन्ता को तो किसी भी नियम, विनियम, यहां तक कि तथाकथित मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत भी निर्दिष्ट स्थानान्तरण से पूर्णतः उन्मुक्ति प्राप्त है। उत्तर का लहजा बहुत अहम होता है। इससे मेरी यह धारणा बनी है, और उत्तर बहुत अनिच्छा से दिया गया है। भाग (ग) में पूछा कुछ गया था और उत्तर कुछ और

ही दिया गया है, किन्तु भाग (घ) और (ङ) में हमने ऐसे विशिष्ट मामलों की जानकारी चाही थी जिनमें मार्ग निर्देशों पर अमल नहीं किया गया। किन्तु एक भी मामला नहीं बताया गया। इसके विपरीत स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्ग निर्देश और अभियन्ताओं को उसी स्थान पर बने रखने हेतु मार्ग निर्देश बताये गये। निश्चित रूप से इससे किसी को भी इस आशंका को बल मिलेगा कि क्या इस विभाग में कोई नियम अथवा विनियम, यहां तक कि कोई मार्ग निर्देश भी हैं। आपवादिक मामले तो हमेशा ही रहेंगे। ऐसे किसी भी मामले में जहां कोई अधिकारी बीमार हो, आपवादिक व्यवस्था की जा सकती है, किन्तु इस विभाग में तो ऐसा लगता है कि अपवाद ही नियम बन गये हैं और महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं दिल्ली देश की राजधानी है, यहां देश की सरकार है, देश की संसद है और यहां अनेक सुविधयें उपलब्ध हैं। इसलिए यहीं रुके रहने का लोभ हो सकता है और हम जानते हैं कि कई बार तो स्थानान्तरण केवल कागजों पर किये जाते हैं और कुछ अधिकारी अपनी नौकरी दिल्ली में ही शुरू करते हैं और यहीं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो नियमों और विनियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हैं, उन्हें दिल्ली से दूर रखा जायेगा। कुछ लोग जुगाड़ लगा लेते हैं और उनके लिये, अथवा कम से कम कुछ लोगों के लिये तो यह एक ऐसा स्थान है जहां वे सभी प्रकार के साधन तैयार कर लेते हैं, सम्पर्क बना लेते हैं और स्वयं को निगाहों में बनाये रखते हैं। मैं समझता हूं कि यह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस मामले में एक बहुत अच्छा विशेषज्ञ है और महोदय, कभी-कभी तो हम कनिष्ठ अधिकारियों से भी छोटे-छोटे काम नहीं करवा पाते। परन्तु जब कभी भी उन्हें कतिपय पदोन्नतियों अथवा किसी अन्य चीज की जरूरत होती है तो वे उन लोगों को सहायता करने से किसी तरह नहीं हिचकिचाते जिनसे वे कुछ आशा करते हैं। और मैं यह बात साफ-साफ कहता हूं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। मैं किसी तरह की शिकायत नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं एक अच्छी प्रणाली के लिए आग्रह कर रहा हूं। इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे विचार से सभी पक्षों के माननीय सदस्य मुझे पता नहीं कि सभी के विचार सुनने के बाद उनकी क्या राय होगी। महोदय, मैं यह सब अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। 1 मार्च, 1990 को एक बंगले का कब्जा लेने के बाद मैंने एक पत्र लिखा था। मेरे आवास में 10 चीजें ठीक करायी जानी हैं। पहली मद जिसको मैं उद्धृत कर रहा हूं वह है; "पानी की टंकी के पास टेरेस में पानी रिसता है जिसके फलस्वरूप सारी छत तथा टैंक की पूरी तरह मरम्मत की जानी है।" मैंने 1 मार्च को कार्यकारी अभियंता को यह पत्र लिखा था तथा छह महीने बाद 13 अगस्त को मैंने एक और पत्र लिखा। दुबारा इस पत्र में पहली मद है : "अब भी भारी बारिश होती है तो पानी की टंकी से दोनों कमरों में लगातार पानी रिसता रहता है। आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : जी, हां। महोदय, अन्य बहुत-सी शिकायतों में यह पहली शिकायत है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। छह महीने बाद भी मैंने इन्हीं शिकायतों के बारे में दुबारा कहा है। मेरे विचार से मंत्री महोदय यह समझ सकते हैं कि वह इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जब कभी भी उनके ध्यान में कोई मामला लाया जाता है तो वह कार्यवाही करते हैं और लगता है कि वह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य करने के तरीके के बारे में नहीं जानते। हम किसी प्रकार की सुख सुविधा तथा विलासितपूर्ण चीजों की मांग नहीं कर रहे हैं। हम बुनियादी आवश्यक सुविधाएं चाहते हैं ताकि हम वहां रह सकें और छह महीने बाद भी यह कार्य अभी होना है। इससे उनके कार्य करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ पता चलता है।

एक अन्य बात यह है कि मैं उनके ध्यान में चार दीवारी की तत्काल जरूरत को भी ला चुका हूं, चारदीवारी न होने के कारण सुरक्षा का खतरा है क्योंकि मेरा आवास सड़क के बिल्कुल अंत में है। मैं चाहता था कि एक दीवार बनाई जाए परन्तु ऐसा नहीं किया गया। बहुत इंतजार के बाद मैंने खुद दीवार बनवाई। इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह उन मामलों सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में मांगी गई विशेष जानकारी सभा पटल पर रखें जिनमें इन नियमों तथा विनियमों अथवा यहां तक कि मार्ग निर्देशों का कार्यान्वयन नहीं किया गया और इस मामले में नियमों को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं। जब तक इनका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। यदि संसद सदस्यों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। इससे हम आम आदमी की स्थिति को भली भांति अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है कि वह आवश्यक कार्यवाही करें तथा सभा पटल पर अपेक्षित जानकारी रखें और यह देखें कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाई हो।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, सी० पी० डब्ल्यू० डी० के विषय में हाफ एन ऑवर की डिस्कशन, दिल्ली और ऐसे स्थानों में जहां हाउसेज की मेन्टनेंस और कन्सट्रक्शन वर्क सी० पी० डब्ल्यू० डी० को करना है, एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं ट्रांसफर पौलिसी की तरफ आऊं, इतना आपसे निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि जो आर्गेनाइजेशन आज से दस साल पहले तक इण्डिया की प्रीमियर कन्सट्रक्शन आर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली आर्गेनाइजेशन थी, आज उसकी हालत इतनी खराब हो गयी है कि स्लोली सारे डिपार्टमैंट्स अपने अपने यहां कंसट्रक्शन विंग खड़ा करते जा रहे हैं। जो काम पहले सी० पी० डब्ल्यू० डी० करती थी, आज वही काम सारे डिपार्टमैंट्स अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से अथवा किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से कराने लगे हैं। इसका सीधा प्रभाव यह पड़ रहा है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० आर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिकुड़ कर रह गया है। इसका असर इस आर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स के कैरियर और प्रोस्पेक्टस पर पड़ रहा है, उनकी प्रोमोशन नहीं हो पाती हैं, स्टैग्नेशन इतना जबर्दस्त है कि एक आदमी यदि जूनियर इंजीनियरी के पद पर भर्ती होता है तो वह जूनियर इंजीनियर के पद पर ही रिटायर हो जाता है। लोगों ने लम्बे समय तक एजीटेशन की और मांग की कि उनके पे-स्केल्स बहुत कम हैं, एसिस्टेंट इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की भी अपन अपनी प्रोब्लम्स हैं, मगर दुर्भाग्य यह है कि जहां इस आर्गेनाइजेशन का नीचे का भाग, बौटम सिकुड़ता जा रहा है, वहीं सी० पी० डब्ल्यू० डी० का टॉप मैनेजमैंट वाला भाग बराबर फैलता जा रहा है और काम कम होता जा रहा है। टॉप मैनेजमैंट में चीफ इंजीनियर सुपरीन्टैन्डिंग इंजीनियर लेवल के लोग शामिल हैं। उनकी नित्य नई पोस्टें क्रिएट होती जा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० की पूरी फंकशनिंग का रिव्यू करने की जरूरत है। यह देखने की आवश्यकता है कि कैसे इस डिपार्टमैंट को फिर से पुराने रास्ते पर लाया जा सकता है। आज यह बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स का जंगल बन कर रह गया है। आज वहां जितने बड़े-बड़े आफिसर काम कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि इसकी वर्किंग में कैसे सुधार लाया जाये, कैसे वहां जो सफफोकेशन है, उसे समाप्त किया जाये, इस विषय में मंत्री जी आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। आप कहीं भी जाकर पूछ लीजिये, आज हालत यह है कि आदमी कम्पलेंट करता है कि उसकी वाश-बेसिन खराब है, नाली चोक हो गयी है, गंदगी फैल रही

है, तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी कम्पलेंट्स को अटेंड करने के लिए सी० पी० डब्ल्यू० डी० में कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। जहां तक मरम्मत का प्रश्न है, चाहे किसी एम० पी० का बंगला हो, चाहे किसी गवर्नमैंट सर्वेंट का क्वार्टर हो, सारे एरियाज में सी० पी० डब्ल्यू० डी० की फंकशनिंग बिल्कुल कण्डैमनेबल होकर रह गयी है और उसकी जितनी निन्दा की जाये, आलोचना की जाये, उतनी कम है। मैं समझता हू कि हम एम० पीज० भी बराबर उनको लिखते रहते हैं, गवर्नमैंट सर्वेंट्स की आर्गेनाइजेशन्स भी उनको लिखती रहती हैं, हमारे अन्य मंत्रीगण भी उनके ध्यान में इस बात को लाते होंगे, पब्लिक के लोग भी लिखते होंगे, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप कोई ऐसा सैन्ट्रल कम्पलेंट सेंटर अविलम्ब खोलिये जहां इस तरह की कम्पलेंट्स को एंटरटेन किया जा सके, देखा जा सके।

मान्यवर, अब मैं ट्रांसफर पौलिसी के विषय में मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा ट्रांसफर के विषय में आपके यहा कुछ गाइडलाइन्स हैं, पहली बात तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपकी जो गाइडलाइन्स हैं क्या वे चीफ इंजीनियर और सुपरीन्टैन्डिग इंजीनियर लेवल के अधिकारियों पर लागू नही होती हैं। क्या टॉप लेवल के अधिकारियों पर वे गाइडलाइन्स लागू नहीं होती हैं ? सुपरीन्टैन्डिंग इंजीनियरों को उन गाइडलाइन्स से अलग रखा गया है। उसका कारण यह है कि मैं ऐसे कई केसेज जानता हूं जैसे बम्बई में एक आपके सुपरीन्टैन्डिग इंजीनियर हैं, जो बहुत समय से वहां पर रुके हुए हैं, यद्यपि उनका ट्रांसफर आदेश हो चुका है, लेकिन फिर एप्रोच हो जाती है और उनका ट्रांसफर आदेश रोक दिया जाता है। इस प्रकार के एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको मिल जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उन मामलों में आप क्या करने जा रहे हैं, जहां आपकी गाइडलाइन्स का क्लिअरकट वायोलेशन हो रहा है। एक बार जिनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे फौलो नहीं किया जा रहा है, उन केसेज़ के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरी ओर छोटे कर्मचारियों की स्थिति यह है कि आप उनका मास-ट्रांसफर करते रहे हैं। टाइम को भी उसमें नहीं देख रहे हैं। ऐकेडेमिक सैलन चल रहा है। जब ऐकेडेमिक सैशन स्टार्ट हो जाता है, तो जनरली गवर्नमेण्ट सरवेण्ट का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। लेकिन आपने 465 जूनियर इंजीनियर के ट्रांसफर कर दिए : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलत हुए हैं। बिल्कुल सीनियरटी के बेस पर हुए हैं। मगर मुझे डर यह है कि जिस तरह पिछले साल ट्रांसफर हुए थे, ट्रांसफर होने के बाद वे लोग सब चले गए जो वहां दुखी थे जिनको राहत दी जानी चाहिए थी जिनके ट्रांसफर कैंसल किए जाने चाहिए थे, उनके तो नहीं हुए ऐसे लोगों के ट्रांसफर कैंसल कर दिए जिनके कैंसिल नहीं किए जाने चाहिए थे। यही हाल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्ट्रेण्ट इंजीनियर का है। हालत यह है कि जो गाइड लाइन हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। जिनके ट्रांसफर कर दिए, उनके प्रकरण में मंत्री जी इंटरवीन तभी करें, जब बहुत जरूरी हो, डायरेक्टर जनरल इंटरवीन तभी करे, जब बहुत जरूरी हो। मंत्री जो यह बताने की कृपा करें कि ट्रांसफर्स के मामले में गाइड लाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मूल रूप में जो सवाल किया गया था, उसका उत्तर तो बिल्कुल देखने में काफी सुन्दर-सा लग रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है। मेरी जानकारी में यह तथ्य है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगातार दस-दस वर्ष एक जगह पूर काम करते-करते हो गए हैं और उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है जबकि आपने इसमें लिखा है कि गाइड लाइन्स के मुताबिक सामान्यतः स्थानांतरण तीन-चार

वर्ष में कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, तो उसको लिखकर देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि ऐसे कितने केसेस हैं जो दस वर्ष के बाद भी उसी स्थान पर कार्यरत हैं और ऐसे कितने केसेस हैं जिनके स्थानांतरण डेढ़-दो साल में ही कर दिए गए हैं और उसके क्या कारण है और "बी" पार्ट है—एक तो आपके रेगुलर टैक्नीकल कर्मचारी हैं और दूसरे वर्कचार्ज हैं। क्या इन दोनों की सेवा और कार्य में कोई अन्तर है या एक ही हैं? इनकी ट्रांसफर पॉलिसी, वेतनमान और सुविधाओं में कोई अन्तर है? अगर है, तो उसका क्या कारण है? इस सम्बन्ध में क्या कोई ऐसा विचार चल रहा है कि इन दोनों के बारे में समरूपता और एकरूपता रखी जाए और इनको एक रखा जाए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० में क्या सुविधा मिलती है, क्या काम होता है, मुझे पूछने के बाद भी ये बातें नहीं बताते हैं। नॉर्मली जो काम हो जाना चाहिए, रूटीन में जो काम होना चाहिए, वह भी न हो और फिर ऐसे लोग काम करें जो किसी व्यक्ति के चहेते हों, तो निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। इसलिए मंत्री महोदय, मेरे प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर देने का कष्ट करें।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा में जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आपका अधिकार है।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय : मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जो जूनियर इंजीनियर्स का, 460 का स्थानांतरण हुआ है और ऐसे समय में इनका स्थानांतरण किया गया है जबकि उनके बच्चों के स्कूल का सत्र चल रहा है और इस समय किसी का स्थानांतरण करना उचित नहीं था। स्थानांतरण का समय प्राय: मार्च और अप्रैल में होता है, लेकिन इनके स्थानांतरण अभी किए गए हैं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 3-4 साल की अवधि पूरी कर लेने के बाद इनका स्थानांतरण किया जाता है, लेकिन मेरे ध्यान में बहुत से ऐसे जूनियर इंजीनियर हैं जिनको साल भर बाद ही स्थानांतरित कर दिया गया है और कुछ ऐसे हैं जिनका राजनीतिक परिचय होने के कारण, दबाव में आकर कई वर्ष के बाद अभी तक नहीं किया गया है तो एक जैसा नियम न लागू करके, पक्षपात होता है, तो हम पक्ष और विपक्ष की बात न करके हम निष्पक्ष बात करना चाहेंगे। इस पर निष्पक्ष होकर ध्यान देना चाहिए था। जो मुख्य अभियंता हैं, जो सुपरीटैन्डैन्ट इंजीनियर हैं, मेरे ख्याल से वे 3-4 वर्ष की अवधि के साथ-साथ 6-7 वर्ष से बैठे हुए हैं। उनका भी स्थानांतरण होना चाहिए। लेकिन लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है, वे अपने लोगों को रखने के चक्कर में हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या इस सम्बन्ध में जनहित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की कार्य अवधि को बढ़ा दिया जाता है? क्या सरकार द्वारा अवधि बढ़ाई जाने से पहले कोई जांच कराई जाती है? पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों का स्थानांतरण रोका गया, ऐसे कितने अधिकारी हैं जो पिछले पांच साल से एक ही जगह पर हैं? क्या सरकार अधिकारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में उनकी तैनाती के लिए कोई समय सीमा तय करने पर विचार करेगी? एक रैजीडैन्टस वैल्फेयर ऐसोसिएशन है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी सजैशन लेनी चाहिए जो अच्छा काम करते हैं उनके आधार पर और जूनियर इंजीनियर का जो स्थानांतरण किया गया है उसको मार्च, 1991 तक रोक दिया जाय, उसके बाद किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आधे घंटे की चर्चा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर तारांकित प्रश्न से संबंधित है। उस समय उत्तर में सिर्फ अधीक्षक अभियंताओं और मुख्य अभियंताओं के बारे में बताया गया था। परंतु दुर्भाग्यवश कनिष्ठ अभियंताओं के बारे में कुछ नहीं बताया गया। परंतु हमें मान कर चलना चाहिए कि इन पर भी वही सिद्धान्त लागू होता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अपवाद नियम हो गया है और नियम अपवाद हो गया है। यदि स्थानान्तरण के आदेशों तथा रद्द करने के आदेशों की संख्या को देखा जाए तो पाएंगे कि ये वे बेचारे अधिकारी हैं, मुझे खेद है कि जो मंत्री नहीं बल्कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध नहीं बना सके, वास्तव में लगता है वैसे ही अभियंताओं का स्थानान्तरण हो गया है और कैसे अभियंता परेशान होते हैं। जो साधारण हैं और जो कनिष्ठ अभियंताओं के हितों के लिए लड़ रहे हैं और जिनका अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खराब संबंध है परंतु मंत्री के साथ अच्छे संबंध हैं। लगता है यह एक आम बात हो गई है। मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं। वास्तव में मैं अपना भाषण प्रश्न तक ही सीमित रख रहा हूं। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मनमाने ढंग के स्थानान्तरण से कनिष्ठ अभियंताओं जैसे कनिष्ठ अधिकारियों और उनके निकटतम वरिष्ठ सहायक अभियंताओं में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति उपेक्षा की प्रकृति पैदा होती है और वरिष्ठ अभियंताओं की इच्छाओं पर ध्यान देना उनका कर्त्तव्य हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मेरे घर के ठीक बगल में आवास समिति के सभापति श्री मानवेन्द्र सिंह रहते हैं। उनके आहाते में एक बड़ा वृक्ष था जो हवा के कारण गिर गया और बीच की दीवार को तोड़ दिया और सड़क पर गिर गया। उस वृक्ष को काटने में तीन दिन लगे और भाग्यवश के० लो० नि० वि० की कृपा से हम दोनों बिना किसी दीवार के मिल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात है। आपको ऐसा अच्छा लगेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : किसी तरह की सांठ-गांठ नहीं होनी चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरे मुख्य सचेतक को सांठ-गांठ का डर है। परंतु वास्तव में बात यह है कि तत्काल अनुरोध पर कोई काम नहीं होता है, चाहे नल का काम हो या बढ़ई का साधारण रखरखाव हो या सफेदी का जब तक किसी बड़े अधिकारी को फोन नहीं किया जाता उन पर दबाव नहीं डाला जाता कोई काम नहीं होता है। यदि के०लो०नि०वि० को इसी ढंग से काम करना है तो यह बात समझनी चाहिए कि अन्ततोगत्वा तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे स्थानान्तरण की ताकत को समझें। स्थानान्तरण सिर्फ प्रशासन के लिए ही नहीं बल्कि अनुशासन लाने के लिए भी किया जाता है। इससे अनुशासन नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरा सिर्फ अनुरोध है। सिद्धान्त को बनाये रखें अपवाद को नहीं।

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, मैं सिर्फ एक सूचना दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिवांकर को, जिन्होंने प्रश्न रखा है, अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा मैंने प्रो० शिवनकर को भी, जिन्होंने प्रश्न रखा है, अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब बाद में बता देंगे।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस प्रश्न के उत्तर से कुछ भ्रम पैदा हो गया है। यही बात माननीय सदस्य तिरू कृष्णामूर्ति ने कहा। जब हम साधारण तौर पर कहते हैं कि के० लो० नि० वि० में कोई पदोन्नति नियम नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यह संबंधित अधिकारी के मर्जी से किया जाता है। के० लो० नि० वि० पुस्तिका में कुछ मार्ग-निर्देश दिये गये हैं और मैं इस मार्गनिर्देश का उल्लेख करता हूं :

> "मुख्य अभियंताओं का स्थानान्तरण और तैनाती प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। अधीक्षण अभियंता का स्थानांतरण किसी एक स्थान पर तीन चार वर्ष तक काम करने के बाद किया जाता है। अधीक्षण अभियंताओं के स्थानान्तरण और तैनाती का आदेश महानिदेशक निर्माण द्वारा दिया जाता है।"

इस पुस्तिका को हम लोगों ने कल नहीं लिखा था। यह अनेक वर्ष पहले से है। स्थानान्तरण यथा संभव पुस्तिका के अनुसार किया जाता है।

माननीय सदस्य तिरू कृष्णामूर्ति ने एक प्रश्न उठाया था कि उन्हें अपेक्षित जानकारी नहीं दी गई। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या इस मार्ग-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है तो मैं कहूंगा कि सभी मामलों में नहीं। उदाहरण के लिए दिल्ली को लें। यहां अनेक मंडल हैं, नई दिल्ली जोन 1 और 2, दिल्ली प्रशासन जोन 1 और 2, उत्तरी जोन, दिल्ली निर्माण जोन 1 2, खाद्य जोन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्य अभियंता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आय कर वी० एफ० आर० सेंट्रल डिफेंस आर्गेनाइजेशन आदि का मुख्य अभियंता। इसलिए यहां अनेक संगठन और मुख्यालय कार्य कर रहे हैं।

मुख्य अभियंताओं के मामले को लें। इनके 32 पद हैं, 18 पद दिल्ली में हैं और शेष 14 पद दिल्ली के बाहर हैं। ज्यादातर प्रतिनियुक्ति पद पर नियंत्रण के० लो० नि० वि० के मुख्य अभियंताओं द्वारा किया जाता है और वे भी दिल्ली में स्थित हैं। इसलिए दिल्ली और बाहर के मुख्य अभियंताओं के अवधि में संतुलन नहीं है। दिल्ली में ऐसे 15 मुख्य अभियंता हैं जो 4 साल से अधिक से हैं।

उसी प्रकार यदि आप अधीक्षण अभियंता के मामले को लें तो दिल्ली में 57 और दिल्ली के बाहर 57 पद हैं। दिल्ली में 4 साल या उससे अधिक की अवधि के 49 अ० अ० (सिविल) हैं। यदि आप अ० अ० (विद्युत) के मामले को लें तो उनमें 18 ऐसे हैं जो दिल्ली में 4 साल से अधिक से हैं। स्थिति यह है कि वे 4 साल से ज्यादा से हैं। अनेक लोग 5-6 या 7 साल से हैं। कुछ लोक 10 वर्ष से भी हैं।

इसलिए हम सभी महसूस करते हैं कि दूसरे जगहों से ऐसे इंजीनियरों की अदला-बदली होनी चाहिए जो एक ही स्थान पर काफी समय से हैं। इसलिए इस साल अगस्त तक हमने 8

अधीक्षण अभियंता (सिविल) का स्थानान्तरण किया जबकि 1989 में 5, 1988 में 2, और 1987 में 4 और 1986 में 2 का स्थानान्तरण किया, इसलिए मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम इसे पूरा करेंगे। हमने दूसरे विचार भी सुने हैं। कभी-कभी दंड स्वरूप भी स्थानान्तरण किया जाता है, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि प्रशासन के हित में कोई भी अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता एक ही जगह पर लगातार ज्यादा दिनों तक न रहे।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अदालत के निर्णय के अनुसार आप किसी अधिकारी को दंड देने के लिए उसका स्थानान्तरण नहीं कर सकते हैं।

श्री मुरासोली मारन : यह ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे। श्री कुमारमंगलम ने भी इस बात को उठाया था। स्थानांतरण किसी और कारण से भी जरूरी हो जाता है। यही स्थिति है। कुछ और भी मुद्दे उठाए गये। माननीय श्री हरीश रावत ने कहा है कि हमें के० लो० नि० वि० के कार्यकरण पर नये सिरे से विचार करना होगा। वे इस मुद्दे पर तर्क दे रहे थे और उसके समर्थन में बोल रहे थे। अन्य सभी सरकारी विभागों ने अपना निर्माण विंग शुरू किया है। इसलिए के० लो० नि० वि० कनिष्ठ अभियंताओं और अन्य कर्मचारियों को उचित पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। एक तरह की स्थिरता हो गई है। इस अवसर पर मैं श्री हरीश रावत और श्री कुमारमंगलम को कहना चाहूंगा कि मैंने कनिष्ठ अभियंताओं के बारे में वित्त मंत्री के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की है। उनकी समस्या का हमने समाधान भी ढूंढा है। शीघ्र ही हम सभी संबंधित व्यक्तियों की संतुष्टि के लिए एक उचित समाधान निकालेंगे।

कुछ व्यक्तिगत शिकायतें भी थीं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं निश्चय ही इस पर ध्यान दूंगा। मैं उन्हें किये गये उपायों के बारे में व्यक्तिगत तौर पर लिखूंगा। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

———

6.03 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

खाड़ी की स्थिति के सम्बन्ध में मास्को, वाशिंगटन, अमान, बगदाद तथा कुवैत के अपने हाल में किए गए दौरे के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सत्ताधारी पार्टी के सचेतक ने शायद मंत्री महोदय को बता दें कि हम खाड़ी की स्थिति पर चर्चा जारी रख रहे हैं। मैं श्री इब्राहीम सुलेमान सेट से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : मंत्री महोदय सभा में नहीं हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, बाहर सार्वजनिक परिवहन की बसें नहीं चल रही हैं। हमारे कर्मचारियों को भारी कठिनाई होगी। अधिकांश क्षेत्रों में मोटर वाहन नहीं चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते ?

श्री हरीश रावत : इस पर चर्चा करना अथवा न करना हमारा प्रश्न नहीं है। कर्मचारी कैसे अपने घर वापस जाएंगे ? उनको भारी कठिनाई उठानी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर सचिवालय द्वारा विचार किया जाएगा। वे कोई व्यवस्था करेंगे। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर सभा में चर्चा की जाए।

श्री हरीश रावत : उनके लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। नहीं तो उनको भारी कठिनाई होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस पर विचार करेंगे।

सत्ताधारी पार्टी के सचेतक ने मंत्री महोदय को सूचित कर दिया कि चर्चा शुरू हो रही है। श्री सेट।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझे उस समय बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, जब संबद्ध मंत्री महोदय—विदेश मंत्री श्री गुजराल—सभा में उपस्थित नहीं हैं। मेरी इच्छा थी कि वह सभा में उपस्थित होते। मुझे आशा है कि वह सभा में शीघ्र वापस आएंगे।

मैं इस अत्यन्त विकट मामले पर कुछ कहना चाहता हूं जिसका आज सारे विश्व को सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व क्षेत्र की वर्तमान भयंकर स्थिति पर चर्चा में भाग लेते समय मैं उसके राजनैतिक पहलुओं के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। सभा में हमारे बहुत से साथियों ने राजनैतिक पहलू पर विस्तार से चर्चा की है। किन्तु इस समस्या, जिसे हमें मध्य पूर्व में सामना करना पड़ रहा है, के मानवीय पहलू पर आने से पहले मैं समस्या के राजनैतिक पहलू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

आज मध्यपूर्व क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त विकट है। यह अत्यन्त अशांत और यंत्रणापूर्ण है। ऐसा होने का मुख्य कारण सब प्रकार के सशस्त्र लड़ाकू विमानों तथा युद्धपोतों से लैस अमरीका की सशस्त्र सेनाओं की उपस्थिति है। यह स्थिति गहरी चिन्ता का कारण बन रही है। निस्संदेह मैं इस बात से सहमत हूं कि यह स्थिति इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किए जाने के कारण उत्पन्न हुई है। किन्तु बातचीत द्वारा इस स्थिति से बचा जा सकता था तथा आपसी समझौता हो सकता था। किन्तु मैं आपसे यह अवश्य कहता हूं कि आप भी, यद्यपि समय तेजी से गुजरता जा रहा है, कोई समाधान निकलने की आशा बनी हुई है। मुझे याद आता है कि अभी दो दिन पहले श्री सद्दाम हुसैन ने कहा है कि वह राजनैतिक समझौते के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में मैं चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री को इस मामले में पहल करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि हम कोई राजनैतिक समाधान निकाल सकें क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष देशों का नेता है। हम सब जानते हैं कि आज भी समाचार पत्र कहते हैं कि श्री सद्दाम हुसैन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में मुझे आशा है कि वह इस समस्या का राजनैतिक समाधान खोजने के लिए गुट निरपेक्ष देशों के नेता के प्रतिनिधि के रूप में हमारे विदेश मंत्री श्री गुजराल के साथ बातचीत करने के लिए राजी हो जाएंगे। और इससे अमरीका सऊदी अरब से अपनी सेनायें हटाने के लिए बाध्य हो सकता है तथा हम वहां उसके स्थान पर गुट निरपेक्ष देशों की सेना तैनात कर सकते हैं। गुट निरपेक्ष देश वहां अपनी सेनायें भेज सकते हैं··· **(व्यवधान)**

गुट निरपेक्ष देशों की सेनायें इतनी हैं कि अमरीका की सेनायें इस गारंटी के साथ सउदी अरब से वापस की जा सकती हैं, कि इराक सउदी अरब पर आक्रमण नहीं करेगा। ऐसा किया जा सकता है। मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं कि हमारे देश को, हमारे विदेश मंत्री को पहल करनी चाहिए क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष देशों का नेता है। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले में पहल करेगी तथा और अधिक ध्यान देगी क्योंकि स्थिति अत्यन्त विकट है। जरा सी भी उत्तेजना से विश्व युद्ध भड़क सकता है। ऐसा होने की संभावना है। हमें आज इस बात का भरसक प्रयास करना चाहिए कि किसी भी स्थिति में युद्ध से बचा जाए तथा इसके लिए मुझे आशा है कि हमारे विदेश मंत्री पहल करेंगे। चूंकि विदेश मंत्री महोदय अब सभा में आ गए हैं इसलिए मैं यह दोहराना चाहता हूं कि श्री सद्दाम हुसैन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ यह है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं तथा यद्यपि समय गुजरता जा रहा है किन्तु अभी समय निकला नहीं है। मैं अभी तक इस समस्या के राजनैतिक पहलू के बारे में चर्चा कर रहा था। अब मैं इस अत्यन्त विकट समस्या के मानवीय पहलू पर आता हूं। महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय सारे मध्यपूर्व क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति है। यह स्थिति कुवैत मे सबसे खराब है तथा इसके साथ ही सउदी अरब, अमीरात, बहरीन, आदि जैसे मध्यपूर्व क्षेत्र के देशों में भय है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वहां एक लाख व्यक्तियों में से 75% लोग केरल के हैं। मुझे इस पर विश्वास है तथा मैं विदेश मंत्री के वक्तव्य में सुधार करना चाहता हूं जो लोग युद्ध जैसी स्थिति में फंसे हुए हैं उनमें से 75% लोग केरल के हैं। इसलिए, हम स्थिति की भयंकरता को समझ सकते हैं और इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि हम उनके बारे में इतने अधिक चिन्तित क्यों हैं। केरल के प्रत्येक घर से कोई न कोई व्यक्ति मध्यपूर्व क्षेत्र में गया हुआ है। इसलिए हम इस सभा में चिन्तित हैं। इसलिए, हम यह चाहते हैं कि युद्ध से बचा जाना चाहिए तथा इसका राजनैतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। यह उचित समय है कि वह वहां से हमारे अधिक से अधिक नागरिकों को निकालने का प्रयास करे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शुरू में सरकार ने सुस्ती दिखाई हमने ऐसा कहा भी है। उन्होंने कारगर कदम नहीं उठाये किन्तु बाद में सरकार ने भली भांति कार्रवाई की तथा मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री अमान, बगदाद, आदि गये। वह कुवैत पहुंचने वाले पहले मंत्री थे तथा उन्होंने वहां बहुत अच्छा काम किया। हमें इसके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। हम सब यह भली-भांति जानते हैं कि वे लौटते समय वायुसेना के अपने विमान में वहां से पत्रों के बंडलों के साथ-साथ सैकड़ों भारतीय परिवारों को भी अपने साथ भारत लाए। उन्होंने ये सारे काम किए हैं, किन्तु कुछ और भी किया जाना है। यह काफी नहीं है। हमारे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए और अधिक विमान उपलब्ध कराये जाने चाहिए। अब ईरान ने अपनी सीमाएं खोलने का प्रस्ताव किया है; ओमान ने अपनी सीमाएं फिर से खोलने का प्रस्ताव किया है।

विदेशी मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : ओमान ने प्रस्ताव किया है। ईरान ने प्रस्ताव नहीं किया है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : आप भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए बगदाद और बसरा से विमान की उड़ान कर सकते हैं। आप अपने देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए स्टीमर जहाजों की व्यवस्था कर सकते हैं। आप एक विमान में दो सौ से तीन सौ तक लोगों को ला सकते हैं जबकि जहाज में दो हजार से तीन हजार तक लोगों को ला सकते हैं। आप ईरान की

अनुमति से शत-उल-अरब से जा सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपने लोग वापस लाए जाएं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमें समाचार-पत्रों से पता चला है कि अम्मान और बसरा में केरल के हजारों लोग एकत्र हैं। उनको कठिनाई हो रही है, वे भय की स्थिति में हैं तथा वहां महामारी फैलने की संभावना है। इसलिए आपको वहां दवाइयां और खाद्य पदार्थों के पैकेट भेजना चाहिए। आज वे धनहीन हैं। उनके पास धन-संपत्ति है तथा उनके बैंकों में खाते हैं, उनका अपना काम-धंधा है किन्तु उनको वह सब वहीं छोड़ना पड़ा है तथा वे धनहीन होकर वापस आएंगे। वे वहां रोजगार की तलाश में गए थे क्योंकि उनके पास अधिक धन नहीं था। अब वे धनहीन होकर वापस आ रहे हैं; वे फिर से उसी स्थिति में हैं। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सारा धन भारत स्थानान्तरित कर दिया जाए। वे सभी लोग अधिकांशतः वहां केरलवासियों का ही धन है। इसमें कुछ समय लग सकता है परन्तु इराक सरकार से संपर्क स्थापित करना चाहिए ताकि वे अपना धन तथा अन्य सामान, परिसम्पत्तियां भारत ला सकें।

फिर, उनके पुनर्स्थापन के लिये यहां कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। जो लोग अपनी सम्पत्ति वहां छोड़ आये हैं, उसे नोट करना चाहिये ताकि बाद में इराक सरकार या कुवैत सरकार, जिसके भी कब्जे में वह क्षेत्र हो, से मुआवजा लिया जा सके।

वहां पर हमारे देश के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारा उनसे उपयुक्त सम्पर्क नहीं स्थापित हो पा रहा है। यह जल्दी से जल्दी दोनों देशों के बीच स्थापित होना चाहिएं। सरकार ने वहां रह रहे हमारे लोगों के जीवन को बचाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। यह अच्छी बात है। वह उनकी सम्पत्ति को भी बचाये। भारत और कुवैत के बीच संचार सम्पर्क स्थापित करने चाहिये ताकि उन परिवारों को, जिनके सम्बन्धी कुवैत में है, संपर्क करने में सहायता मिल सके तथा उन्हें कुछ राहत मिल सके।

एक बात यह भी कही गयी है कि वहां से त्रिवेन्द्रम, बम्बई तथा दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि कालीकट के लिए भी एक सीधी उड़ान होनी चाहिये। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में कालीकट के लोग वहां काम कर रहे हैं। अतः दिल्ली, बम्बई तथा त्रिवेन्द्रम के अलावा कालीकट के लिये भी सीधी उड़ान होनी चाहिये।

मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इन लोगों के पुनर्स्थापन की बात समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य सरकार से तालमेल करते हुए भारत सरकार को इन लोगों के पुनर्स्थापन के लिये उपयुक्त योजना तैयार करनी चाहिए। हजारों लोग वापस आ रहे हैं। इससे केरल की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति से बचना चाहिए।

अन्त में, मैं कहूंगा, कि श्री गुजराल जो कि भारत के विदेश मन्त्री हैं, तथा गुट निरपेक्ष देशों के नेता भी हैं, इस बात के लिए प्रयास करें कि सभी सम्बन्धित लोगों के साथ बातचीत की जाये जिससे ऐसी राजनीतिक स्थिति तैयार की जाए जिससे युद्ध को टाला जा सके तथा भावी पीढ़ियों को बर्बादी तथा पूर्ण अस्त-व्यस्त स्थिति से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : उपाध्यक्ष जी, आज हमारे बहुत सारे भाई जो यहां बैठे हैं उनका कहना है कि हम पैदल चल कर आये हैं। इसलिए 7 बजे तक यदि हाउस उठ जाये तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इन लोगों को बहुत दिक्कत होगी।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा।

6.15 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.15½ म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा—जारी

खाड़ी की स्थिति के संबंध में मास्को, वाशिंगटन, अमान, बगदाद तथा कुवैत के अपने हाल में किए गए दौरे के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनको अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में कठिनाई होगी। क्या यह सम्भव है कि कोई इनकी बात पर विचार करे तथा जितना सम्भव हो सहायता करे।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैं इस पर विचार करूंगा तथा आपको अभी बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री जनार्दन पुजारी।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मैं वायदा करता हूं कि मैं केवल दो तीन मिनट ही बोलूंगा। बहुत मुश्किल से मुझे बोलने का मौका मिला है। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कर्नाटक के लोग चिन्तित हैं और वास्तव में उनमें गुस्सा देखा जा रहा है। व्यावहारिक रूप से देखा जाये तो कर्नाटक के लोग, चाहे बंगलौर के हों या मंगलौर के हों, उन 30,000 भारतीय लोगों के बारे में कोई सूचना प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं जो कुवैत में रह रहे हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए देश के अन्य हिस्सों में कार्यालय स्थापित किये गये हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश बंगलौर और मंगलौर के लोगों के द्वारा लगातार निवेदन करने के बावजूद वहां कोई भी कार्यालय अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों के लोग इन भारतीय लोगों के बारे में कोई सूचना प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं जो कि संकट वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं।

मैं अन्य पहलुओं पर विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूं। भारत के नेतृत्व का जहां तक सवाल है, अन्य देश यह आशा कर रहे थे कि इस मामले में पहल करने के लिए भारत नेतृत्व करेगा, पन्तु पहली बार टेलीविजन में देखा है, कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अन्य छोटे-छोटे देश नेतृत्व कर रहे हैं, हमने इस सम्बन्ध में अन्य कोई कार्यवाही नहीं की है। हम महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिये था तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए नेतृत्व करना चाहिए था। दुर्भाग्यवश, भारत ने यह अवसर खो दिया है। विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री में न तो कोई राजनीतिक इच्छा है, तथा न ही कोई नेतृत्व है, अन्यथा वह वहां जाते तथा यह देखते कि भारत तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की विदेश नीति में एक बड़ी कमी है। यह गत अनेक वर्षों से है। हमारे विदेश कार्यालय ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। परन्तु उसने भी घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया अथवा पहले से कार्यवाही नहीं की। जब श्री गुजराल विदेश मंत्री बने थे तो अनेक आशाएं बंधी थीं। हम सब सोचते थे कि एक नए अध्याय का सूत्रपात होगा और हमारी विदेश नीति बनाने वाले और विदेश विभाग घटनाओं के घटित होने से पूर्व कार्यवाही करेगा। कुछ दिन पूर्व विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा है :

> "तनाव अथवा युद्ध के हम पर गंभीर प्रभाव होंगे। ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम तनाव कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न यह उठता है कि हमारा कार्य कैसा रहा? जब विदेश मंत्री मास्को गए थे तो अनेक आशाएं बंधी थीं कि शायद कोई पहल की जा रही है। जब वे मास्को से वाशिंगटन गए तो और आशाएं बंधीं। परन्तु अन्त में हम निराश हुए। यह आशा की जाती थी कि भारत कोई पहल करेगा। बाद में जब यह कहा गया कि विदेश मंत्री तो केवल तेल समस्या पर विचार करने गए थे तो इससे हमारी विश्वसनीयता कम हुई। तेल समस्या पर चर्चा करने के लिए मास्को जाना आवश्यक नहीं था। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनका मास्को और बाद में वाशिंगटन का दौरा किस उद्देश्य के लिए था। क्या हमने इस बारे में कोई पहल की। मुझे उनके दौरे के उद्देश्य पर आश्चर्य हुआ है। दूरदर्शन पर यह कहा गया था कि भारत मध्यस्थता नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हू कि क्या किसी देश ने भारत को मध्यस्थ बनने के लिए कहा है। यदि किसी ने कहा है तो हमें ऐसा स्पष्ट बयान देने कि भारत मध्यस्थता नहीं करेगा, की क्या आवश्यकता थी। यदि ये बयान देना गलत था तो मेरे विचार में हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारत ऐसी भूमिका निभाने को तैयार है जो कि यह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के एक बड़े सदस्य देश के रूप में निभा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत ने अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ सम्पर्क स्थापित किया है और इन देशों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है।

इस संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की हैसियत से हमारी भूमिका कितनी प्रभावशाली हो सकती है। मुझे खेद है कि हमने कुवैत की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया बहुत विलम्ब से व्यक्त की है। इसमें हमने केवल विलम्ब ही नहीं किया बल्कि कुवैत पर हुए आक्रमण की हमने अभी तक निन्दा भी नहीं की है। ऐसी स्थिति में मैं यह नहीं समझ पाता कि हम किस सीमा तक कठोर कार्यवाही कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

हम सदा अवसरवादी हो सकते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम सिद्धान्तों पर कायम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा को स्मरण कराना चाहूंगा कि जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी और एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था। क्या हम एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में कुछ सिद्धान्तों पर कायम रहे हैं। गुट-निरपेक्ष देश की सैनिक शक्ति नहीं है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की शक्ति नैतिक बल में है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं और आगे उठाए जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में मैं विदेश मंत्री का ध्यान कुवैत के राजदूत द्वारा "टाइम्स ऑफ इण्डिया" को दिए इंटरव्यू की ओर दिलाना चाहता हूं। यह 19 अगस्त को छपा था। मैं आशा करता हूं कि यह असत्य है। इस इंटरव्यू में राजदूत ने अनेक बार कहा है कि उसने विदेश मंत्री श्री गुजराल से भेंट करने के अनेक अनुरोध किए। ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और मास्को में अपने-अपने देश के राजदूत एक ही समय में रह चुके हैं। परन्तु राजदूत को मंत्री महोदय से मिलने का समय नहीं मिला। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है। मैं आशा करता हूं कि राजदूत ने जो कुछ कहा है वह गलत होगा। परन्तु मैं विदेश मंत्री से आशा करता हूं कि वह कुवैत के राजदूत को मिलने का समय अवश्य देते।

मुझे प्रसन्नता है कि कुवैत के तेल मंत्री शीघ्र आ रहे हैं। मुझे इस पर भी खुशी है कि सरकार ने भारत स्थित कुवैती दूतावास को यहां पर कार्य करने की अनुमति दी है और कुवैत के तेल मंत्री यहां पर सरकार के अतिथि होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आशा करता हूं कि इन पर मंत्री अपना स्पष्टीकरण देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि मास्को, वाशिंगटन और बगदाद में उनकी बातचीत के दौरान किन-किन समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ। मुझे खुशी है कि बगदाद में उन्हें राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से मिलने का अवसर मिला। परन्तु प्रश्न यह है कि हमें राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और उनकी सरकार से क्या सहायता मिल रही है। ऐसी स्थिति में हमें कुवैत में अपना दूतावास बन्द करने पर बाध्य होना पड़ा है। अब बगदाद में महादूतावास को सुदृढ़ किया जाएगा। मैं समझ नहीं पाता कि क्या हम बसरा से प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएंगे। मुझे मालूम नहीं है कि क्या विदेश मंत्री ने कुवैत में कुछ राजनयिक अधिकारी रखने के भारत के प्रस्ताव पर श्री सद्दाम हुसैन ने अनुमति दी अथवा नहीं। बसरा पहुंचने के लिए कुवैत से 1-1½ घंटा लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि विदेश मंत्री ने एक बुनियादी प्रश्न को राष्ट्रपति श्री सद्दाम के साथ उठाया कि कुवैत के दीनार का क्रय मूल्य क्या होगा। जैसा आप जानते हैं कि कुवैत के दीनार का क्रय मूल्य बहुत गिर गया है। हमारे लोगों के पास काफी मात्रा में कुवैती दिनार हैं। उनकी जेब दिनार से भरी हुई है। परन्तु इन दिनारों की कोई क्रयशक्ति नहीं है। कल रात हमने दूरदर्शन पर एक साक्षात्कार देखा जिसमें साक्षात्कार वाले व्यक्ति ने कहा कि बैंक ने सभी सम्पत्तियों को जब्त कर लिया है, परिणामस्वरूप हमारे लोगों के पास न तो पैसा है न ही क्रय शक्ति है। इसलिए मैं विदेश मंत्री से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ वार्ता के दौरान इराकी सरकार द्वारा कुवैती दिनारों को इराकी दीनारों में बदलने की संभावना पर चर्चा की है ताकि कम-से-कम उनकी जरूरतें पूरी हो सकें और वे वापस भारत आ सकें।

मुझे खुशी है कि श्री गुजराल ने कुवैत में जो कुछ हुआ उसकी सही जानकारी हमें देने का प्रयास किया है। मैं सिर्फ एक बात से निराश हुआ हूं। ऐसा लगता है वे दूरदर्शन की एक रील अपने साथ लेकर गये थे। अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि वे दूरदर्शन की रील अपने साथ

नहीं ले गये थे। बहरहाल हम उन्हें दूतावास में कुवैत के एक बड़े समूह को सम्बोधित करते देखकर प्रसन्न हुए हैं। मैं समझता हूं वे कुवैत के लोगों की समस्याओं के बारे में हमारे लोगों से वहीं बातचीत करने का कोई तरीका निकाल सकते थे, क्योंकि मंत्री महोदय ने हमसे कहा है कि उन्होंने सामूहिक रसोई घर देखा है जहां हजारों लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीयों के अनेक मकान लूट लिये गये। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि वास्तव में क्या हुआ। उन्होंने विशेष तौर पर यह बताया कि कुछ भारतीयों की सम्पत्तियां लूटी गई हैं। कितने नागरिकों को लूटा गया ? हमारे लोगों की कुल कितनी हानि हुई ?

अंत में आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि हम कुवैत में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयर इंडिया के विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम लोग वायु सेना के विमानों, वायु सेना के सैनिक ढोने वाले विमानों के इस्तेमाल के बारे में नहीं सोच सकते···

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : इसका आदेश दिया गया है। ए० एन० 32 के बारे में यह समाचार पत्रों में आया है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र जीत : सिर्फ एयर बस ही नहीं। वे बता सकते हैं कि वे मित्र राष्ट्रों से विमान तथा सैनिक ढोने वाले विमान किराये पर लेने पर विचार करेंगे। लोग किसी प्रकार के विमानों में यात्रा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात उनके लिए अम्मान से निकलना और यहां पहुंचना है।

एक अन्तिम बात, हम जो चर्चा कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे खाड़ी नीति तथा इसकी खराब परिस्थिति के परिणामों पर नये सिरे से विदेश नीति पर पूरी चर्चा का प्रस्ताव करें। पाकिस्तान ने एक अलग रवैया अपनाया है, अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी सेनाएं भेजी हैं और पाकिस्तान द्वारा स्थिति का लाभ उठाए जाने की संभावना है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस सत्र के दौरान हमें पूरी चर्चा करनी चाहिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्र जीत : चूंकि विदेश मंत्री ने यह कहकर उदारता दिखाई है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्या मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि स्वयं उन्हें एक प्रस्ताव लाना चाहिए ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह आपके तथा पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव को संसदीय कार्य मंत्री को भेजना होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात को नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत : सकारात्मक रुख अपनाने के लिए मैं विदेश मंत्री का आभारी हूं। मूलतया वे व्यवहारिक हैं। इसलिए मैं काफी खुश हूं : परंतु यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें देश के हित में पूरी चर्चा के प्रस्ताव तथा विदेश नीति के प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री तथा विपक्ष के नेता के साथ बात करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बगदाद के बारे में

अपना कर्तव्य समझता हूं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जी और उनके सहयोगी आरिफ साहब ने विदेशों का दौरा करके खासकर कुवैत में जाकर श्री सद्दाम हुसैन और जोर्डन की सरकार से मिलकर के समस्याएं सुलझाने में सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए उनको मैं बधाई देता हूं। उनकी प्रशंसा करता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो वहां रह गये हैं उनकी पूरे देश को चिन्ता है, उनकी ही नहीं, अपितु अन्य देशों के जो नागरिक वहां पर फंस गये हैं या रुके हुए हैं उनके बारे में भी हमें चिन्ता है। क्योंकि हमारे देश के काफी लोग वहां काम करते थे इसलिए हमें उनकी चिन्ता अधिक है कि उनको कैसे सुरक्षित लाया जाया जाये। इसके लिए सरकार को पूरी तत्परता से कार्य करना चाहिए और युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए। जिस तरह से हमारी सरकार वहां चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है, भोजन सामग्री की व्यवस्था कर रही है, मेरा निवेदन है कि उसमें और तेजी लानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकताओं को देखते हुए यह जरूरी है।

जहां तक नीति का प्रश्न है, हमारे कई साथियों ने कहा कि भारत की कोई नीति नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए जिस नीति का, जिस गुट-निरपेक्षता की नीति का सबूत दिया है और उसका जो परिणाम निकला है वह बहुत अच्छा परिणाम है और उससे अच्छा परिणाम कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह लोगों को विदित है कि जिस तरह से भारत की सेना श्रीलंका में जाकर फंस गई, अगर ऐसी ही कार्यवाही इस समय की जाती तो यह हमारी विदेश नीति के प्रतिकूल होता। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने में हमें कोई सहयोग नहीं मिलता। आज पूरे संसार में जो महाशक्तियां हैं वे भी अपनी-अपनी सेनाओं को दूसरे देशों से हटाकर वापस बुला रही हैं। हमारे विदेश मंत्री ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का परिचय दिया है उसकी भी मैं सराहना करता हूं। जहां तक भारतीय नागरिकों के वहां फंसे होने का सवाल है इस सम्बन्ध में सभी को चिन्ता है। इनको वापस लाने का पूरा-पूरा सहयोग हमें करना चाहिए क्योंकि यह समूचे भारत की समस्या है। 1974 से जो पिछली सरकार की नीति रही है वह बड़ी कमजोर नीति रही है। उसने तेल की समस्या को अनदेखा किया है। मैं इसलिए यह जोर देकर कहना चाहता हूं क्योंकि इस समस्या से ही आज हमारी तेल की समस्या और ज्यादा विकट हो गई है। ईरान-इराक युद्ध से ही तेल की समस्या बनी हुई है और पिछली सरकार की इस सम्बन्ध में कोई नीति या रूपरेखा नहीं रही। हमारे सामने तेल की समस्या है, आई० एम० एफ० के लोन की समस्या है। इनको हल करने में कौन-सी नीति का निर्धारण करेंगे। मंत्री महोदय इस संबंध में हमें अवगत करायेंगे। मंत्री जी अपनी विदेश नीति को और स्पष्ट करके हमें बताने की कृपा करें जिससे मिडल-ईस्ट में हमारे देश की नीति निर्धारण करने में सफलता मिल सके।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : क्या आपने श्री पी० उपेन्द्र से इस बात का पता लगाया है कि क्या उन्होंने कर्मचारियों को कार्य-स्थान पर भेजने की व्यवस्था कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनसे इस बात का पता लगाना मेरा काम नहीं है कि क्या हो रहा है। मैंने उनसे व्यवस्था करने के लिए कह दिया है। आपको मुझसे यह नहीं कहनी चाहिए कि मैं मंत्री से पूछूं कि क्या हो रहा है। सभा में यह नहीं किया जाता है। आप मुझसे अनुरोध नहीं कर सकते कि मैं जानकारी प्राप्त करूं।

श्री हरीश रावत : मुझे खेद है। मैं समझता हूं कि उन्हें अवश्य इस बात की सूचना की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सभा में इस बारे में बताया है।

अब श्री कमालुद्दीन अहमद भाषण देंगे।

श्री कमालुद्दीन अहमद (हनमकोण्डा) : हम आज एक सर्वाधिक विस्फोटक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसने विश्व को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। जब इराकी सैनिक दस्तों ने कुवैत में प्रवेश किया था, तो हमारे देश में बहुत आतंक पैदा हो गया था। ऐसा होना वाजिब और स्वाभाविक ही था क्योंकि वहां केरल, आन्ध्र-प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग भारी संख्या में हैं। अतः हमारा उनके प्रति चिंतित होना स्वाभाविक ही था। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि चिन्ता की इस घड़ी में सरकार ने भी घबराहट में काम किया। कुवैत में भारतीयों की संख्या देखते हुए—वहां 1,75,000 से अधिक भारतीय हैं—हमने इन सभी लोगों को वहां से निकालने के लिये बातचीत शुरू कर दी। मेरे विचार से वहां से भारतीयों को निकालना कोई समाधान नहीं है। और मैं यह अवश्य कहूंगा कि खाड़ी के देशों में भारतीयों को वापस भेजने की कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी और इस स्थिति में भारतीयों को वापस हमारे देश भेजना उनके लिये बहुत आसान हो जायेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे वहां से केवल बच्चों, महिलाओं और रोगियों को निकालने तक ही सीमित रहें।

यह सुनकर बहुत खुशी की बात है कि कुवैत में नियोजक कर्मचारियों को वहीं रह कर पहले की तरह अपना काम करने के लिये राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें कुवैत में रह रहे सभी भारतीयों को निकालने की बात नहीं सोचनी चाहिये क्योंकि इससे एक या दो नहीं, अनेक समस्यायें पैदा हो जायेंगी। सम्पूर्ण खाड़ी क्षेत्र में अथवा मध्यपूर्व में लगभग 15 लाख भारतीय हैं और यदि ऐसी बात होती है और लोग हमारे देश लौटना शुरू कर देते हैं, तो फिर यह रुकेगा नहीं और इससे अनेक समस्यायें पैदा हो जायेंगी।

अभी हमारे माननीय मित्र श्री इब्राहीम सुलेमान सेट इन लोगों के पुनर्वास के बारे में कह रहे थे। क्या हम खाड़ी क्षेत्र से आने वाले लोगों का पुनर्वास कर सकते हैं? हम जो भी प्रयास करें, हम उनका उसी तरह पुनर्वास नहीं कर सकेंगे और क्या हम उन्हें वही आराम दे सकते हैं जो उन्हें खाड़ी के देशों में मिल रहा है? इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम वहां से केवल उन्हीं लोगों को बाहर निकालें जिन्हें वहां से निकालना ठीक हो।

महोदय, हमारी खाड़ी क्षेत्र में अहम दिलचस्पी है, हमारे आर्थिक हित, राजनीतिक हित, हमारी सुरक्षा सम्बन्धी समस्याएं, सब कुछ खाड़ी क्षेत्र में अन्तर्ग्रस्त है। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में पहली बार हमने पाया है कि राष्ट्रों में सौहार्द स्थापित करने के क्षेत्र में हमारी कोई हस्ती नहीं है। हमने इस प्रकार व्यवहार किया है जैसे कि हम कुछ नहीं हैं। वस्तुतः उस क्षेत्र में हमारा जो कुछ दांव पर लगा है, उसे देखते हुए हमें अधिक जोरदार ढंग से और अधिक अधिकारपूर्वक तथा शक्ति से कार्यवाही करनी चाहिये थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस सम्पूर्ण मामले में हमारे प्रधान मंत्री ने यही कार्यवाही की है कि उन्होंने यह वक्तव्य दे दिया कि हम राष्ट्र संघ के संकल्प का समर्थन करेंगे। इसके आगे हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ नहीं कहा।

श्री गुजराल मास्को, वाशिंगटन और इराक, कुवैत सब जगह गये। उन्होंने यहां जो वक्तव्य दिया था, उसमें दो बातों का जिक्र है, जैसे कि यह एक सफरनामा हो। अथवा उन्होंने इस सभा

को केवल उन तार्किक प्रबन्धों के बारे में सूचित किया है जो उन्होंने किये हैं, श्री गुजराल हम सभी के लिये इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं कि उनका केवल तार्किक प्रबन्ध करना उचित नहीं जान पड़ता। मैं यही समझता हूं कि वे वहां बहुत सीमित और संक्षिप्त जानकारी लेकर गये थे। संभवतः उन्हें खाड़ी के मामलो में अधिक गहराई से स्वयं को अन्तर्ग्रस्त नहीं होने दिया। तीन सप्ताह से अधिक समय हो गया है और यह स्थिति स्थिर होती जा रही है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि सरकार को कम से कम अब तो सम्पूर्ण स्थिति का जायजा लेकर राजनीति कार्यवाही शुरू करनी चाहिये और वहां अपनी हैसियत को फिर से कायम करने का प्रयास करना चाहिये, क्यों हम इस सम्पूर्ण स्थिति में मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। जैसा कि मैंने कहा था अनेक देश अन्तर्ग्रस्त हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है हमारी प्रतिष्ठा भी अन्तर्ग्रस्त है क्योंकि भारत किसी भी अन्य देश की तरह एक देश मात्र नहीं है क्योंकि हमारे और भी अनेक पहलू हैं। हम जब कुछ भी कहते हैं, तो विश्व की स्थिति को अच्छी तरह समझने के बाद अधिक व्यापक रूप से कहते हैं। इसलिये हमें इस सम्पूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिये अविलम्ब अपने राजनीतिक प्रयास शुरू कर देने चाहिये क्योंकि मौजूद संकट और हमारी समस्याओं का यही समाधान है। निष्क्रमण तो समाधान है ही नहीं। मैं यही बात अधिक जोर देकर कहना चाहूंगा।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं इस विचार से सहमत हूं कि जो संकट पैदा हो गया है, उसे समाप्त करने हेतु अग्रणी भूमिका निभाने के लिये भारत को अधिक सशक्त रूप से कार्य करना चाहिये। मैं इस पर अधिक विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि अनेक सदस्य इस पर अपनी राय दे चुके हैं।

तथापि कुछ व्यावहारिक पहलुओं के बारे में, जिनकी जानकारी मुझे वक्तव्य से और कुवैत से आये अपने कुछ मित्रों और मंत्री जी से मिली है, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा और कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

जहां तक निष्क्रमण का सम्बन्ध है, हालांकि हमने कहा है कि हम सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के निष्क्रमण का समर्थन करेंगे। विभिन्न अवसरों पर सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्यों और अपनाये गये रुख से देखा गया है कि सभी लोगों का निष्क्रमण प्रत्याशित नहीं है। वक्तव्य से मैं यह भी समझ सकता हूं कि हम सम्पूर्ण निष्क्रमण को वस्तुत: निरुत्साहित कर रहे हैं और वस्तुत: हमने कुवैत में रह रहे अनेक व्यक्तियों को यह सलाह दी है कि जहां तक हो सके, वहां अपनी सेवायें जारी रखें। किन्तु मैं महसूस करता हूं कि वक्तव्य से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति इतनी अधिक तनावपूर्ण है कि आतंक के कारण वे वहां और नहीं रह सकते। मैं महसूस करता हूं कि यदि हमें उन्हें विकल्प देना हो, तो यह खुला होना चाहिये और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आना चाहे, उसे आने दिया जाये और निष्क्रमण व्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिये।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि वहां से निकाले जाने का जो कार्यक्रम अब तक किया गया है, वह इसलिए अपर्याप्त है, क्योंकि आज तक जिन लोगों को वहां से निकाला गया है वे किसी तरह अपने स्वयं के प्रयासों से कुवैत से बाहर आये हैं। उनमें से कुछ सीमा से बाहर आये हैं। वास्तव में कुछ व्यवस्था की गयी है। मुझे बताया गया है कि अम्मान से उड़ानों की संख्या बढ़ा दी गयी है। परन्तु सिर्फ इतना ही नहीं किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो लोग कुवैत में हैं, विशेषकर जो लोग परेशान हैं, उन्हें वहां से निकाले जाने के लिये अधिक प्रयास नहीं किये गये हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जोकि बीमार हैं और जो बहुत अधिक परेशानी में हैं। वहां पर सैनिक अस्पताल हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिनकी पत्नी वहां पर काम कर रही हैं। उन्हें अपनी पत्नी से उस बैग के माध्यम

से पत्र मिला है जो कि मंत्री महोदय अपने साथ लाये हैं। उसमें यह बताया गया है कि उन लोगों से वास्तव में यह कहा गया है कि वे अपनी नौकरी छोड़कर जायें। अब इराकी अधिकारियों ने उनसे यह कहा कि वे अपनी नौकरी फिर से आरम्भ करें और वास्तव में यह उनकी इच्छा के खिलाफ है, तथा वह वहां पर अपने काम को जारी रखने में वास्तव में डरते हैं। उन्हें वापस से आया जाना चाहिये। ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, विशेषकर महिलायें, जिनके परिवार वहां पर नहीं हैं, जिनके पति वहां पर नहीं हैं और वे होस्टलों में रह रही हैं। कम से कम ऐसे लोगों को तुरन्त लाया जाना चाहिये। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे लोगों को वहां से लाए जाने के लिए विशेष रुचि दिखायी जानी चाहिये।

मुझे कुछ जानकारी मिली है कि इराकी सैनिक उनको परेशान नहीं कर रहे हैं तथा उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जहां तक भारतीयों का सवाल है, उनके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु कुवैत में जो फिलीस्तीनी लोग हैं, उनके बारे में बहुत अधिक शिकायतें मिल रही हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जोकि सिपाहियों की वर्दी में वहां आये हैं, वे घरों में लूटपाट कर रहे हैं। वे घरों में घुस जाते हैं तथा गड़बड़ी पैदा करते हैं। मुझे यह जानकारी मेरे एक दोस्त, जो वहां से आये हैं, से प्राप्त हुई है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में विशेष रुचि दिखायी जाये तथा इस संबंध में मामले को इराकी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाये। मेरे पास कुछ अन्य बातें कहने को है जिसमें से बहुत-सी बातें दोहरायी गयी हैं। अतः मैं अपने भाषण को संक्षिप्त कर रहा हूं। स्थिति गम्भीर है तथा यह स्वीकार भी किया गया है तथा यह सबको पता है कि भोजन की समस्या गम्भीर होती जा रही है तथा मुझे जानकारी मिली है कि दो महीने में वहां पर भोजन की सामग्री नहीं होगी तथा जो भी लोग वहां पर हैं उनको वहां से निकाला जाना आवश्यक है। जैसाकि बताया गया है कि करीब 6,000 या इससे अधिक लोग हैं, जिन्हें वहां रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि राजदूत वहां कुछ अधिक व्यवस्था कर पायेंगे, परन्तु भारतीय समुदाय तथा एसोसिएसनों ने वहां बहुत कुछ किया है और वे गरीबों को खाना दे पाये हैं। मुझे पता है कि भोजन सामग्री की कमी कुछ दिन पहले ही हो गयी थी। अतः कुछ दिनों बाद वहां पर भोजन सामग्री नहीं होगी। अतः यह आवश्यक होगा कि जितने अधिक लोगों को सम्भव हो सके वहां से तुरन्त निकाला जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि वह कुवैत गये तथा अधिक से अधिक जो प्रयास हो सकते थे, वे उन्होंने किये। मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिये भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने संचार व्यवस्था भी कायम की है जिसमें पत्रों को वहां से यहां तथा यहां से वहां भेजा जाता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संचार सुविधायें बहुत ही आवश्यक हैं तथा जो लोग कुवैत में हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके उनके संबंधियों को दी जानी चाहिये।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले दिन मैंने कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये उन्हें एक पत्र दिया था, और उनके इस पत्र को भेजने की कार्यवाही से पहले मुझे कुवैत से कल रात एक पत्र मिला जो कि विदेश मंत्रालय के कार्यालय से भेजा गया था। श्री इन्द्र कुमार गुजराल यहां वापस आये, तथा घोषणा की कि जो लोग वहां पत्र भेजना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। इसी कारण यह पत्र भेजा गया है जिसके द्वारा न केवल एक परिवार बल्कि अन्य अनेक परिवारों की जानकारी मिली

है जिसकी वजह से पहले हम सरकार की आलोचना कर चुके थे कि सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। कम से कम पत्र भेजने तथा पत्र प्राप्त करने का यह तरीका जारी रखा जाना चाहिये, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं होगा कि सभी 1,75,000 लोगों को थोड़े समय में वापस लाया जा सके। अत: मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने यह जो तरीका निकाला है कि पत्र वहां से यहां लाये जा सकें और यहां से वहां भेजे जा सकें, उसे जारी रखा जाना चाहिये और इससे जो भावनायें व्याप्त हैं वे समाप्त हो जायेंगी। अत: पत्रों को प्राप्त करने का यह तरीका जारी रखा जाना चाहिये।

दूसरी बात जो आपने कही है कि लोगों को वहां से लाने में आप प्राथमिकता देते हैं। इसी प्राथमिकता के आधार पर मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जो कि मैंने आज आपको दिया है। उस व्यक्ति के पिता, जो यहां रहते हैं, की मृत्यु हो गयी है और दूतावास के माध्यम से पत्र भेजे हुये नौ दिन हो गये हैं, परन्तु ऐसा लगता है कि संबंधित व्यक्ति को संदेश नहीं मिला है। सामान्यत: कठिनाई हो सकती है क्योंकि सूचना अन्तिम चरण में प्राप्त होती है। ऐसे मामलों में कुछ ऐसे तरीके अपनाये जाने चाहिये ताकि आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जा सके।

आज सुबह फिर एक महिला मेरे पास आयीं और मुझसे मिलीं। मैंने आपको इस पहलू पर एक पत्र दिया था। दूसरी बात यह है कि मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी विशेष पहलू की बात में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु इन पत्रों में यह सूचना दी गयी है कि आवश्यक वस्तुओं की कमी है। आप स्वयं ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि आप वहां पर गये थे तथा देखकर आये थे और ऐसी स्थिति में कमी होना स्वाभाविक है। यदि मुझे सही-सही याद है कि आपने कहीं पर कहा था कि आप कुछ आवश्यक वस्तुओं के साथ एक जहाज को वहां भेजने की संभावना का पता लगा रहे हैं। श्री चित्त बसु जब बोले थे तब उन्होंने रेड क्रास को सम्मिलित करने को कहा था। रेड क्रास एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, और पहले बंगलादेश युद्ध के समय··· (व्यवधान)। मैं सिलचर रेडक्रास का उपाध्यक्ष था और दिल्ली रेडक्रास के निर्देश पर मैंने सीमा पार कर ली थी और लोगों को सामान दिया था। मैंने सेना को कार्यवाही करते हुये देखा था। वे रेड क्रास के झण्डे के साथ कभी रुके नहीं थे और यहां तक कि तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के सिपाहियों से भी हमें पूरा सहयोग मिला था। अत: अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाये तो रेड क्रास संगठन को ऐसे संगठन के रूप में स्वीकार किया गया है जोकि इस तरह की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परन्तु क्या वहां अनाज भेजने के आपके प्रयास सफल होंगे क्योंकि आप वहां पर अपना दूतावास बन्द करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आप यह कोशिश कर रहे हैं कि वहां कम से कम एक वाणिज्य दूतावास बनाए रखा जाए जिससे कि किसी प्रकार का संपर्क रह सके जिससे आप वहां पर कार्यवाही कर सकें।

अन्त में महोदय, मैं इस बात पर कुछ नहीं कहूंगा कि सरकार की नीति क्या है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती है कि हर तीसरे दिन सदस्य शून्य काल में इस मामले को उठायें। जैसाकि वायदा किया गया है और जैसा कि सरकार अब कुछ अच्छा कार्य कर रही है, आप सभा के साथ यह चर्चा कर सकते हैं कि क्या घटनाक्रम चल रहा है तथा आप क्या कर रहे हैं। इससे लोगों के दिमाग में जो अनेक शंकायें हैं वे दूर हो सकेंगी।

महोदय, यह सही है कि बड़ी सख्या में लोग केरल तथा दक्षिणी राज्यों के हैं। परन्तु पूर्वी भारत से भी लोग गये हैं। हम आपके विदेश मंत्रालय से संपर्क रख रहे हैं और वह अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहा है एक निवेदन यह है कि जब हम आपके मंत्रालय से कुछ पूछते हैं और जब उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो उनसे यह कहा जाना चाहिये कि वे हमें उसे अवश्य बतायें जो पत्र मंत्रालय के पास आया था वह प्राप्त होने के दो दिन बाद दिया गया था, ऐसा क्यों है ? ऐसी परिस्थितियों में सूचना प्राप्त करने में दो दिन अर्थात् अड़तालीस घंटे का समय लगना बहुत अधिक है। उन्हें लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसाकि आप स्वयं सभा की भावना से सहमत हैं, आपके अधिकारियों को भी इन बातों पर निगरानी रखनी चाहिए कि जो सूचना आपके कार्यालय में आ रही है उसे बेवजह लटकाएं न रखा जाए। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

श्री प्यारे लाल हान्डू (अनन्तनाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं विदेश मंत्री जी को, कुवैत में इस संकट के बाद उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन शायद कर्त्तव्य पालन की मांग यह है कि और जोरदार प्रयास किए जाने चाहिए परन्तु इस संकट के लिए, हम आज यह चर्चा करते और उनसे यह स्पष्टीकरण मांगते कि इस्लामिक सम्मेलन संगठन की बैठक में क्या हुआ। यदि यह दो अगस्त की घटना इसी दौरान न घटी होती तो हमारी चर्चा उस प्रस्ताव विशेष के बारे में हुई होती। खैर, उसके बारे में ज्यादा कुछ कहे बिना, मैं उस कठिनाई तथा विकट स्थिति को समझ सकता हूं जो इस समय भारत के सम्मुख है। परन्तु मुश्किल जितनी बड़ी है, इस संकट के बारे में हमारे प्रयास भी उतने ही गम्भीर होने चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि इस क्षत्र में हमारी उससे भी अधिक रुचि है जितनी हमारी रुचि अन्तर्राष्ट्रीय शांति में है। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे छठे दशक के दौरान पैदा हुए कोरियाई संकट में जो भूमिका भारत ने निभाई थी, उसे याद करें। उन दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद कितने व्यस्त रहते थे और भारत ने बात-चीत के माध्यम से इस समस्या के समाधान के लिए क्या भूमिका निभाई है। अब जबकि कल ही इराक के राष्ट्रपति ने एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव के साथ बातचीत के जरिये समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है तो भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रभाव को इस्तेमाल करने के लिए तत्काल पुनः कदम उठाने चाहिए और यह देखे कि हम इस संकट का बातचीत द्वारा हल निकालें।

दूसरी बात, जिस पर मैं माननीय विदेश मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है साउदी अरब क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का अनावश्यक प्रवेश तथा अनावश्यक उपस्थिति सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव का परिणाम इस स्थिति को सामान्य बनाना होना चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में साउदी अरब में विदेशी सेनाओं के प्रवेश के बारे में अपनी चिन्ता सही ही व्यक्त की है। परन्तु अंतिम प्रस्ताव जो इस वक्तव्य का हिस्सा नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यद्यपि इसमें किसी रूप में बल प्रयोग के लिए अधिकार नहीं दिया गया है परन्तु इसमें आर्थिक नाकेबंदी करने के उपाय किए जाने का उल्लेख है। इस बारे में यह सोचना होगा कि क्या इन उपायों को लागू करने से उद्देश्य प्राप्त होगा। उन आर्थिक नाकाबंदी के उपायों को लागू करके क्या हम बातचीत के द्वारा हल निकालने में मदद कर रहे हैं या बातचीत के जरिये

हल निकालने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं ? अमेरिका की अपनी नीति है। हिन्द महासागर में उनकी सेनाएं पहले से हैं, अब वह साउदी अरब में भी आ रहा है, क्या यह सब यहां के पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनेगा। हमें यह देखना होगा कि हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें।

एक अन्य बात जिसका ध्यान रखा जाना है वह है अमेरिका का यह वक्तव्य कि वह साउदी अरब में इसलिए है कि यहां नासिरवाद दुबारा न आने पाए, नासिरवाद न पनपे, और यहां इस सन्दर्भ में नासिरवाद का अभिप्राय है कि नासिर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का एक हिस्सा है यह बात सर्वविदित है। अमेरिकी लहर पर निगरानी रखनी होगी और यह देखने के लिए तैयार की जानी चाहिए कि खाड़ी देशों में चारों ओर हमारे मित्र देशों, जिसमें इराक भी शामिल है, के समान विचार हैं कि वह अमेरिका को उस क्षेत्र में आने की अनुमति न दे।

श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील (अडूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्री द्वारा दिए गए इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि कुवैत में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। मंत्री महोदय के वक्तव्य देने के बाद बहुत से सदस्यों ने कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे हैं। मैंने भारत के सम्मुख आने वाली समस्याओं, विशेषकर भारतीयों तथा खासतौर पर खाड़ी के देशों में केरल वासियों के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए हैं।

यद्यपि विदेश मंत्रालय ने कोचीन, त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट में तीन सूचना केन्द्र खोले हैं परन्तु उसके कार्यकरण से बहुत भ्रम पैदा होता है। दुर्भाग्य से, वे केवल की गई पूछताछ एकत्र करने के केन्द्र मात्र हैं और इनसे किसी को कोई सूचना नहीं दी जा रही। दिल्ली में विदेश मंत्रालय में कुवैत की स्थिति के बारे में की गई टेलीफोन काल की हालत बिल्कुल ही भिन्न है। महोदय केरल से कालों से प्राप्त हजार तरह की पूछताछ दिल्ली में रखी जा रही है। हो सकता है, इस मामले में विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कर पा रहा हो। परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति के मामले में तथा हरसंभव तरीके से सूचना एकत्र करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए जो केरल के लोगों की आशंका तथा चिन्ता से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास में भारतीयों के संदेश तथा पत्र एकत्र करके उन्हें यथासम्भव शीघ्र भारत भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।

7.00 म० प०

माननीय मंत्री महोदय, मैं एक अन्य बात बम्बई हवाई अड्डे की दयनीय स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा। बम्बई हवाई अड्डे पर भारतीयों विशेष रूप से केरल वासियों के लिए अपने गृह राज्य में लौटने के लिए कोई सुविधा नहीं है। वस्तुतः वहां बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति है। यद्यपि केरल सरकार ने बम्बई हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले केरल के लोगों की सहायता के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा है परन्तु हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उन्हें उचित ढंग से कार्य करने की कोई सुविधा नहीं दी है। कुवैत से वापस आए भारतीयों की देखभाल करने के लिए बम्बई में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, कुवैत से लौटे भारतीयों को अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में काफी गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुवैत में रहने वाले भारतीयों के बच्चे वहां भारतीय स्कूलों में पढ़ते थे जिनका पाठ्यक्रम सी० बी० एस० सी० वाला है। अब, भारत सरकार का यह

प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह देश के उन स्कूलों में उनके बच्चों को शिक्षा जारी रखने की सुविधा दे जिनमें सी० बी० एस० सी० वाला पाठ्यक्रम है। यदि आवश्यक हो तो आप उन्हें अपने देश के स्कूलों में इन बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात पहले कही जा चुकी है।

श्री सुरेश कोडीकुन्नील : महोदय, अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह केरल सरकार की खाड़ी देशों से लौटे केरल के लोगों के लिए कल्याण नीति बनाने की मांग के बारे में है। खाड़ी देशों से वापस आए केरल के लोगों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा एक कल्याण निधि बनाई जानी चाहिए तथा इसका राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए तथा इसमें खाड़ी देशों से वापस आए केरल के लोगों की 15 प्रतिशत जमा राशियां होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, में जिस इलाके से आया हूं, उस इलाके में भी करीब हजारों आदमी कुवैत और खाड़ी के देशों में रहते हैं, उनकी भावनाओं को मुझे सुनने का मौका मिला, मैं अभी कल परसों गया था, उनकी भावनाओं के साथ में जोड़ते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। मैं जहां तक समझ पाया हूं, जो हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया है, उससे यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती है कि जितना विश्वास वहां के रहने वाले लोगों में पैदा किया है, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा विश्वास यहां के रहने वाले लोगों में पैदा करना चाहिए। वहां पर उन्होंने क्या विश्वास पैदा किया है, वह तो हम लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं लेकिन यहां की जनता पर, जिनके रिश्तेदार, सम्बन्धी, मित्र दोस्त कुवैत में रहते हैं या खाड़ी के देशों में रहते हैं, उनमें क्या विश्वास पैदा हुआ, यह अभी संदेहात्मक है। मैं अभी कल गया था तो लोगों ने मुझसे सवाल किया···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इस बात के लिए नहीं···

श्री राम कृष्ण यादव : रेडियो पर, टेलीवीजन पर या अखबारों में उनकी समस्याओं के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है। मैं दो तीन बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

मेरा पहला निवेदन यह है कि मित्र देशों से हमारे मंत्री महोदय ने कौन-सी बात की थी और उससे क्या नतीजा निकला? समाजवादी देशों से हमारे देश के बड़े अच्छे रिश्ते नाते रहे हैं, उन देशों से जो बातचीत हुई, उन देशों की बातचीत से क्या अर्थ निकला? अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास का प्रयोग उन्होंने कहां तक करने का प्रयास किया है? क्योंकि, अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास मानवता की रक्षक है, उसके माध्यम से कुवैत में रहने वाले लोगों की कितनी सहायता हो सकती है? हमारा देश एक तटस्थ राष्ट्र है और वह दुनिया में अपनी अहम् भूमिका रखता है और इस समय हमारे देश को चाहिए था कि कौन-सा देश एग्रेसिव है, किसने आक्रमण किया है, किसने नहीं किया है, यह स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक नीतियां स्पष्ट नहीं होती हैं तब तक हमारा साथ देने वाला नहीं होता है तो मेरी भावना यह है कि नीति स्पष्ट न रहने के कारण, स्पष्ट बात न कहने के कारण, चाहे नुकसान हो या फायदा हो, अपनी बात कहनी चाहिए, दुनिया के देशों में स्पष्टवादी बनना जरूरी है, क्योंकि, अगर आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं

रहेगी तो दुनिया के जो देश स्पष्टवादी हैं, वे दुनिया के देश जो आपकी मदद करना चाहते हैं, वह नहीं कर पायेंगे इसलिए जब तक हमारी फारेन पॉलिसी स्पष्ट होकर नहीं आती है, तब तक मैं समझता हूं कुवैत देश की समस्या हल नहीं होगी, इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवीय आधार के साथ-साथ राजनीतिक आधार पर इस समस्या को हल किया जाना चाहिए और दुनिया में अपनी बात को स्पष्ट रखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : महोदय, मेरे अपने जिले त्रिचूर (केरल) के लगभग 20,000 लोग कुवैत में कार्यरत हैं तथा मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि त्रिचूर (केरल) में एक सूचना केन्द्र खोला जाए तथा मैं केरल के मुख्य मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि आप त्रिचूर में एक सूचना केन्द्र खोलने के लिए एक अनुरोध आपको भेजें क्योंकि कुवैत में ही लगभग 20,000 लोग कार्यरत हैं।

मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि आप अंतर्राष्ट्रीय एयर लाइनों के पक्ष में अपनी कुछ आन्तरिक उड़ानों को रद्द करें तथा उनको खाड़ी देशों को भेजें ताकि हमारे नागरिक वापस यहां आ सकें। अतः, जब वहां बहुत-सी उड़ानें होंगी तो स्वाभाविक है कि उनका भय दूर होगा तथा आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि उन्होंने लगभग 6000 करोड़ रु० मूल्य की दीनारें जमा कराई हैं। यह सारा धन मेहनत से कमाया हुआ वैध धन है और सभी भारतीयों की धन राशि ऊपर बताई गई राशि से अधिक होगी। इसलिए हमें विदेशी मुद्रा तथा अन्य बहुत-सी चीजों का नुकसान होगा। सरकार को संबंधित लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। यह धन इन लोगों को दिया जाए क्योंकि ये उनका मेहनत से कमाया हुआ धन है। निस्संदेह, मैं जानता हूं कि सुरक्षा पहले है तथा उनकी संपत्ति बाद में है। अतः, कृपया गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में काम करें ताकि हम कुछ कर सकें।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल पांच मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहती हूं। पहली बात यह है कि मैंने यह सुना है कि कुवैत में लोगों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए वहां के सचिवालय में कोई मलयाली अधिकारी नहीं है। निस्संदेह, एक अधिकारी श्री वर्गीज वहां थे वह भी इस समय भारत में बीमारी की छुट्टी पर हैं। अत:, क्या भारत सरकार वहां एक मलयाली अधिकारी नियुक्त करेगी ताकि लोगों को वहां से शीघ्र तथा सहायता से निकाला जा सके? दूसरी बात यह है कि कुवैत के अधिकांश निवासियों को लगभग 10 लाख रु० का नुकसान उठाना पड़ा है। क्या सरकार कुवैत से लौटे भारतीयों को 'शरणार्थी' घोषित करेगी अथवा क्या सरकार उनको 'शरणार्थी' मानेगी ? मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कुवैत के भारतीय लोगों का हर तरह से पुनर्वास किया जाएगा। चौथी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार वर्तमान कुवैती सरकार पर युद्ध और लूट के कारण भारतीय लोगों को हुई सम्पत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए दबाव डालेगी। मैं अंत में यह कहना चाहती हूं कि बेहतर संचार व्यवस्था के लिए त्रिचूर जिले में एक कक्ष शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि त्रिचूर जिले के, विशेष रूप से चावकाड क्षेत्र, जो कि त्रिचूर जिले में है, के बहुत से लोग कुवैत में हैं।

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं तथा मैं केवल एक मिनट लेना चाहता हूं। मैंने विदेश मंत्री के बहुत अच्छी भाषा तथा चतुराई पूर्ण शब्दों से सजे वक्तव्य को पढ़ा है। किन्तु यदि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि वहां स्थिति उतनी चिन्ताजनक है जितनी चिन्ताजनक 2 अगस्त को संकट शुरू होने के समय थी। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह हमारे लिए किसी की बात पर आत्म संतुष्ट होने का समय नहीं है। भारत सरकार को अपने उठाए गए सभी प्रयासों को बढ़ाना होगा, निस्सन्देह, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा उठाए गए सभी कदमों के लिए उनको बधाई देता हूं। मैं एक और मुद्दे पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केरल के अधिकांश प्रमुख मलयाली समाचार पत्रों में नवीनतम प्रमुख लेख भारत वापस आए लोगों के पुनर्वास के बारे में हैं। इस मुद्दे पर पहले ही कहा जा चुका है। किन्तु, मैं इस मुद्दे पर जोर देना चाहता हूं कि इसके बाद पुनर्वास प्रक्रिया को समुचित महत्व दिया जाए तथा खाड़ी से भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अमरीका को अपनी आवश्यकतानुसार न्यूनतम सेना का प्रयोग करने की अनुमति देने संबंधी नवीनतम निर्णय ने खाड़ी की समस्या को एक नया रूप दे दिया है। यदि अमरीका द्वारा सेना का न्यूनतम प्रयोग भी किया गया, तो इससे युद्ध भड़क जाएगा। इराक ने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि यदि अमरीका सेना का प्रयोग करेगा तो उसे उसके नतीजे भुगतने होंगे। यह निर्णय लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि एक प्रमुख लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत को इस मामले में अग्रणी भूमिका निभानी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका कोई राजनैतिक समाधान निकल सके। इसका सेना के प्रयोग से समाधान हो नहीं सकता। आपको इस दृष्टिकोण पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो स्पष्टीकरण मांगता हूं। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में पृष्ठ दो पर कहा है :

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुवैत में खाद्य पदार्थों की कमी देखने में आयी है जिससे राशनिंग अपरिहार्य हो गयी है और लगभग सभी दुकानें बन्द हैं।"

इस प्रकार वह इस बात से सहमत हैं कि वहां खाद्य पदार्थ नहीं हैं तथा बैंक पहले ही बन्द हैं। कुवैत में भारतीय लोग बिना भोजन तथा पैसों के कैसे रहेंगे। यह मेरा पहला प्रश्न है।

क्या सरकार के पास कोई समयबद्ध कार्यक्रम है जिसके अनुसार उन सभी भारतीयों को, जो वापस आना चाहते हैं, कुवैत से वापस भारत लाया जा सके। मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह बम्बई से कालीकट तक और उड़ानें शुरू करें क्योंकि कुवैत में अधिकतर भारतीय उत्तरी केरल से हैं। उत्तरी केरल में केवल एक ही हवाई अड्डा है जो कालीकट में है। मेरा निवेदन है कि बम्बई से कालीकट तक और उड़ानें शुरू करें।

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। एक मलयाली दैनिक ने कुवैत के मामले पर केरल के लोगों की भावनाएं व्यक्त की हैं, दुर्भाग्य से केन्द्रीय जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा केरल के मुख्यमंत्री ने उस समाचारपत्र की आलोचना की है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस की आलो-

चना करना अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान) जब समाचार पत्र सच बात करते हैं तो उनकी आलोचना की जाती है।

मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि कम से कम विदेशी मामलों में आप पिछली कांग्रेस सरकार की नीतियों का पालन करना चाहिए। जब मालदीव के राष्ट्रपति पर उग्रवादियों द्वारा हमला किया गया था, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भारतीय सैनिक मालद्वीव भेजे थे तथा वहां पर लोकतंत्र की रक्षा की थी। मेरा विनम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय हमारे महान नेता राजीव जी का अनुकरण करें।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल अन्नाद्रमुक की ओर से विचार व्यक्त करने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ दिनों से खाड़ी के देशों में, खासतौर पर कुवैत में हो रही घटनाओं से यह सभा बहुत चिन्तित है। वहां पर बहुत से भारतीयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सहायता करना और उन्हें वापस लाना हमारा कर्त्तव्य है। क्योंकि वहां युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और कुछ ही समय में युद्ध हो सकता है तथा सारा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। जैसा कि अनेक वक्ताओं ने कहा है, इससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी खास तौर पर तेल संकट के कारण।

यह हमारी विदेश नीति के लिये भी एक चुनौती है। हम अब तक गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते रहे हैं। परन्तु मुझे नहीं पता कि इस मामले पर हमारी सरकार क्या दृष्टिकोण अपनाएगी। मुझे नहीं पता है कि इस मामले पर हमारा रुख क्या है, क्या हम इराक का समर्थन करेंगे या इसका विरोध करेंगे। क्योंकि बहुत से यूरोपीय देश इसका विरोध कर रहे हैं।

मैं माननीय विदेश मंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा करता हू कि उन्होंने हमारी भारतीय नीति के लिए समर्थन जुटाने के लिए अनेक देशों का दौरा किया है। भारतीयों की सहायता करने के लिए वे इराक के राष्ट्रपति से भी मिले हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया तथा संबंधित लोगों से मिले।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। भारत सरकार ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए उनकी सहायता करने में जो भी कदम उठाये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। अतः मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह भारतीयों को वहां से निकालने के लिये एयर लाइंस के ए-320 विमान का प्रयोग करें। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कोई गलत बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को हमें नागर विमानन मंत्रालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए।

डा० तम्बि दुरै : सरकार इस मामले में कठोर नहीं बन सकती! ए 320 अच्छा विमान है। यदि आप भारतीय पाइलटों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप और किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा के पाइलटों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं जो कि इनके विमानों की उड़ान भरें तथा भारतीयों को वापस ला सकें। जब मैं मद्रास गया था तो बहुत से लोग मुझसे मिले थे तथा कहा था, कि उनके सम्बन्धी अभी तक कुवैत तथा इराक में हैं। वे दयनीय स्थिति में हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया वे पर्याप्त भोजन जुटाने की भी स्थिति में नहीं हैं। अतः यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने भारतीय लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद करें तथा उनको देश वापस लायें। यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा, कि उन्होंने मास्को, वाशिंगटन, कुवैत और बगदाद का दौरा किया। इससे उन लोगों को मनोवैज्ञानिक बल मिला है जो इस समय वहां पर फंस गये हैं।

मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह मामला उठाने का अवसर दिया है।

वहां फंसे 1,72,000 में से बड़ी संख्या में केरल के लोग हैं तथा सौभाग्यवश वहां लक्षद्वीप से कोई व्यक्ति नहीं है। हमने 14 उड़ानों को भेजने का इन्तजाम किया है। कालीकट में बहुत अच्छा हवाई अड्डा है। बहरीन या कुवैत से सीधे वे लोग कालीकट आ सकते हैं। एक हफ्ते में उन सभी केरलवासियों को वहां से निकाला जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देता हूं। उन्होंने वहां जाकर लोगों की कठिनाइयों को देखा है। कृपया यह देखें कि ये विमान वहां भेजे जाएं तथा केरलवासी, तमिलवासी, कन्नड़वासी तथा तेलगूवासी तथा सभी दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को वहां से लाया जा सके।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सीमित रूप में बल प्रयोग करने के प्रतिबन्ध लगाने के लिए बाद एक नई स्थिति उत्पन्न हो गयी है। 25 दिन पहले ही निकल चुके हैं। भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन को नेतृत्व देता रहा है। अमरीका कहता है कि "हम वहां नासिर-वाद को नहीं पनपने देंगे।" मैं जानता हूं कि यह नाजुक मामला है। सद्दाम हुसैन ने कश्मीर में हमारे हितों का समर्थन किया है और हमने निर्णय भी लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें खाली कर देना चाहिये। यह हमला करने के बराबर है। वास्तव में सरकार प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आयी है।

मैं मंत्री महोदय से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने या सरकार ने इस बात के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं कि गुट निरपेक्ष देशों की तत्काल बैठक बुलाई जाये जिससे उनके साथ विचार-विमर्श किया जा सके तथा यह देखे कि क्या सभी सम्बन्धित पक्षों के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

मैं फिर अपना आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपके मुझे यह अवसर दिया।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह उन सभी भारतीयों को, जो वापस आना चाहते हैं, को वापस लाने संबंधी कार्ययोजना बतायें। क्या आप जानते हैं कि कितने भारतीय वापस आना चाहते हैं ? क्या कोई आकलन किया गया है ? तीसरे, कुवैत में भी एक हवाई अड्डा है। क्या आप कुवैत हवाई अड्डे को खुलवाने में अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं। ताकि हम भारतीयों को कुवैत हवाई अड्डे से वापस ला सकें जो कि सस्ता तथा प्रभावी होगा। आपने वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बताया है। दीनार का बहुत अधिक अवमूल्यन हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात अन्य सदस्यों द्वारा कही गयी है। बहुत से सदस्यों ने यह बात कही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि भारत में जब हम विनिमय करें तो हमें 2 अगस्त से पूर्व की विनिमय दर मिलनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं जो सुझाव दिया गया है वह यह है कि इसे इराकी मुद्रा से बदला जाना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि

जब उन लोगों ने विदेशी मुद्रा में हजारों करोड़ रुपया दिया है तो आपको इसके बारे में सहानुभूति-पूर्वक रवैया अपनाना चाहिए। 2 अगस्त से पूर्व की दर को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है (व्यवधान) क्या जांच अभी चल रही है? मैंने कुछ हजार पते दिये थे। मुझे एक भी पत्र का उत्तर नहीं मिला है। चूंकि आपका वहां से संचार संपर्क है क्या आप इसे और अधिक प्रभावी नहीं बना सकते हैं? यह प्रश्न मैंने शुक्रवार को पूछा था। यह उन दो व्यक्तियों के बारे ने विस्तृत जानकारी के सम्बन्ध में था जो कि मर चुके थे। संसद में एक घोषणा की गई थी। आपने एक नाम सनी जॉन बताया था। बाद में आपके सचिव द्वारा इसे ठीक करके सनी जार्ज कर दिया गया था। दूसरा व्यक्ति जो मर चुका था उसका नाम हसन बताया गया था। रोजाना वहां से बहुत अधिक टेलीफोन आ रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत अधिक सनी जार्ज हैं। वे विस्तृत जानकारी चाहते हैं। दुर्भाग्यवश, केरल में सनी जार्ज नाम बहुत आम है। बहुत से लोगों का यह नाम है। हसन नाम भी बहुत है। हसन बहुत ही आम मुस्लिम नाम है। बहुत से लोग विस्तृत जानकारी चाह रहे हैं। उन्हें विस्तृत जानकारी नहीं मिल रही है। इससे कुछ घरों में भय पैदा हो गया है। भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का अग्रणी देश है। क्या यह सुनिश्चित करने में हमारी कोई भूमिका रही है कि इस संकट को टाला जा सके। हमारी अपनी एक भूमिका है श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष था। हालांकि, अब भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष नहीं है हमें प्रभावी भूमिका अदा करनी चाहिये। यदि युद्ध होता है तो आप इसके हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचें। मैं इसे समझ नहीं सकता हूं। गुटनिरपेक्ष देश होने के कारण अपने प्रभाव का प्रयोग करें। जैसाकि श्री सईद द्वारा सुझाव दिया गया है, कृपया गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक का आयोजन करें अथवा इसके अध्यक्ष तथा अन्य लोगों से संपर्क करें ताकि वह कुछ करें। भारत यह देखने के लिये आगे आये कि संकट कम हो रहा है। इस संकट को कम करना चाहिए तथा युद्ध को टालना चाहिए।

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सर्वाधिक चर्चित वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह चर्चा संसद की दोनों सभाओं में हुई हैं तथा यह चर्चा उस संकट पर हुई है जो 2 अगस्त से पैदा हुआ है। भारतीय समुदाय तीसरा बड़ा समुदाय है जो न केवल वहां कुवैत और इराक में बल्कि संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब में काम कर रहा है मुझे उन लोगों की अत्यधिक चिन्ता है। मैं उनके परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति बांटता हूं जोकि सशंकित, असुरक्षित तथा नाराज हैं। विशेषकर मुझे केरल के लोगों के साथ सहानुभूति है जहां पर हर घर तथा हर परिवार प्रभावित हुआ है। पत्नियां तथा मातायें चिन्तित हैं क्योंकि रोटी कमाने वाले बाहर हैं तथा यह नहीं पता है कि भविष्य क्या होगा। मुझे इस बात की भी चिन्ता है कि लगातार इस बात की संभावनायें बन रही हैं, कि विश्व के इस महत्वपूर्ण भाग में सबसे खतरनाक युद्ध छिड़ने की संभावना है। मैं उन माननीय सदस्य के प्रति एहसानमन्द हूं जिन्होंने सरकार के प्रयासों तथा मेरे प्रयासों की प्रशंसा की है, इस सभा में तथा दूसरी सभा में माननीय सदस्यों ने मेरे तथा सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है, तथा मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह माना है कि हमारे प्रयास रहे हैं कि लोगों को वहां से वापस लाया जाये। हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक रह रहे उनके संबंधियों को जल्दी से जल्दी सूचना पहुंचाने की कोशिश की है। महोदय, जैसाकि सभा को पता है कि खाड़ी की स्थिति बहुत गम्भीर है। रोजाना तनाव में बढ़ोतरी हो रही है और जब तक सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से काम नहीं करेंगे तब तक स्थिति को बदलने के लिए पहला कदम भी नहीं उठाया जा सकता। समस्या के व्यापक हल की तो बात ही

नहीं उठती। अत: मैं आपको वहां उठाये गये कदमों के बारे में ताजा स्थिति से अवगत कराऊंगा जिसके द्वारा भारतीय मूल के लोगों के जान-माल की रक्षा का प्रयास किये गये हैं तथा पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। हम चाहते हैं कि रोजमर्रा का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। हमारी चिन्ता बनी हुई है और हम खाड़ी क्षेत्र पर छ: घण्टे तथा हर दिन नजर रखे हुए हैं। एयर इण्डिया एक दिन में चार उड़ान चलाता है ताकि अमान में जो लोग फंसे हुये हैं, उनको वापस लाया जा सके। कठिनाई यह है कि अमान में कल 6000 लोग थे। वास्तविक गिनती बताना मुश्किल है। अनेक लोग अभी रास्ते में हैं जो सड़क मार्ग द्वारा आ रहे हैं, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल है। हम जहाज का इन्तजाम कर रहे हैं, जो भारतीयों को वापस ला सके बशर्ते कि खाड़ी समुद्र क्षेत्र में जो रुकावटें डाली गयी हैं उनसे वह आसानी से निकल सकें। हमने भी इराक के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव सं० 661 का समर्थन किया है।

सुरक्षा परिषद के बारे में अपनी स्थिति बताने से पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों को वहां से अधिक से अधिक संख्या में तथा जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय करीब 10,000 लोग हैं जो कुवैत से बगदाद पहुंच चुके हैं। उनको निकालने का सवाल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किस प्रकार के जहाजों को हम लगा रहे हैं। ए-320, बोईंग या जो भी हमारे पास होगा हम उसे लगा सकते हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि नागरिक हवाई जहाजों को हम इराक में नहीं ले जा सकते हैं। और यह कठिनाई मेरी वापसी के बाद उत्पन्न हुई है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों ने निर्णय लिया है कि इराक जाने वाले गैर-सैनिक हवाई जहाज बीमे के अन्तर्गत नहीं हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : बगदाद और बसरा में भी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह इराक और कुवैत में भी है। दोनों। अत: उस क्षेत्र में गैर-सैनिक जहाजों को नहीं भेजा जा सकता है। अत: परसों हमने निर्णय लिया था कि हम भारतीय वायुसेना विमानों को वहां पर भेजेंगे। और मेरे दोस्त श्री इन्द्र जीत ने उस दिशा में ठीक ही कहा था।

श्री इन्द्र जीत : क्या हम इराक से सहायता नहीं ले सकते हैं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इराकी हवाई जहाज बाहर नहीं आ रहे हैं, और इराकी सरकार अपने हवाई जहाजों को इराक से बाहर नहीं उड़ाना चाहती है क्योंकि उनके विरुद्ध प्रतिबन्द लगाया गया है, तथा उन्हें डर है कि उनके हवाई जहाजों को कब्जे में न कर लिया जाये। तथा यह सब बातें हैं। अत: यह संभव नहीं है। इस समय समस्या यह है कि भारतीय वायुसेना के हवाई जहाजों जिनको कि भेजा जाना है हम नहीं भेज पा रहे हैं। हमने तय किया था कि हम एक हवाई जहाज कल तथा एक आज भेजेंगे। परन्तु मार्ग की अनुमति ईरान से अभी तक नहीं आयी है। अत: जब तक मार्ग की अनुमति नहीं आती है, मैं हवाई जहाजों को भी नहीं भेज सकता हूं।

श्री पी० ए० एन्टनी : हम अपनी आन्तरिक उड़ानों को रद्द क्यों नहीं कर देते हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मामला हवाई जहाजों का नहीं है। मामला कहां और किस प्रकार भेजने का है। मैं सभी उड़ानें रद्द कराने को तैयार हूं, बशर्ते कि मैं हवाई जहाजों को इराक

में ले जा सकूं। मैं हवाई जहाजों को कुवैत में नहीं ले जा सकता हूं। यद्यपि मैं सम्पूर्ण विमानों को भी ले जाने की व्यवस्था करूं तो मैं उनको कहां ले जाऊं ? हमने अम्मान के लिये ही चार जुम्बो लगाये हुये हैं। यदि जरूरत पड़ी तो हम और भी लगायेंगे।

श्री इन्द्र जीत : आप कितने यात्री ढो सकते हैं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : फिलहाल, हम प्रतिदिन लगभग 1600 यात्री ढो सकते हैं, अमान से स्वीकृति मिलने में अधिक समय नहीं लगेगा। उदाहरण के लिये कठिनाई यह है कि जैसाकि मैंने अभी कहा था हम वायुसेना के विमान और एक ऐसा विमान भेजना चाहते थे, जिसके लिये श्री इन्द्र जीत ने कहा है, जिसमें एक उड़ान में लगभग 300 लोगों को ला सकते हैं। किन्तु ईरान से अभी स्वीकृति नहीं मिली है; हम इसके लिये उन्हें राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। वह भी एक कठिनाई है क्योंकि भूमि से आने का सबसे छोटा मार्ग बसरा से ईरान तक का है। वहां से भी स्वीकृति नहीं मिलो है। इसलिये हम ईरान में अपने दोस्तों से इस पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं।

हम हर समय उनसे सम्पर्क बनाये हुये हैं। जैसे ही हमारे लिये लोगों को पैदल अथवा वाहनों द्वारा बसरा से ईरान लाना आसान हो जायेगा, हम उन लोगों के अधिक संख्या में लाने के लिये बान्दार खुमैनी तक भी जलयान भेज सकेंगे। किन्तु जैसी स्थिति है, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि निकासी की गति धीमी ही नहीं है, बल्कि बहुत ही धीमी है। कठिनाइयां सुस्पष्ट हैं क्योंकि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हम युद्ध की स्थिति से निपट रहे हैं। इसलिये हमारे वे सभी मित्र जो इस प्रकार टिप्पणी कर रहे हैं जैसे कि और सब कुछ सामान्य है और केवल हमारे प्रयासों में ही कमी है, वे उस स्थिति को नहीं समझ रहे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। स्थिति बहुत ही समस्यापूर्ण और नाजुक है। किन्तु मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह आश्वासन ही दे सकता हूं कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम यथासंभव प्रयास करेंगे क्योंकि हम अपने ही लोगों के भाग्य के लिए काम कर रहे हैं। यह किसी भी प्रकार बच निकलने का प्रश्न नहीं है। मैं किसी भी किस्म का विमान ए-320 अथवा कुछ भी, यहां तक कि इन्टरनेशनल लाइन से आर्मेडा लेने को भी तैयार हू, किन्तु सवाल तो यह है कि उन्हें भेजा कहां जाए। हमारे सामने यह कठिनाई है। जैसे ही ऐसी स्थिति हो जायेगी कि हम और विमान भेज सकें तो हम निश्चित रूप से और अधिक भेजेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल (राजगढ़) : क्या सद्दाम हुसैन से इस बारे में कोई सम्पर्क हो सकता है या हुआ है, हुआ है तो क्या अनुकूल उत्तर मिला है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुश्किल सद्दाम हुसैन से या इराक की तरफ से नहीं है, मुश्किल यह है कि वहां जहाज कैसे जायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह नहीं। टोकिये मत।

[हिन्दी]

श्री रेशम लाल जांगड़े (बिलासपुर) : सद्दाम हुसैन ने आपसे चर्चा की है, उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं जब अपनी बात समाप्त कर लूं तो फिर आप खुशी से पूछें, मैं जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

जैसाकि मैंने कहा खाड़ी क्षेत्र में स्थिति बहुत विषम है। मैंने जो प्रबन्ध किये हैं, उनका नवीनतम ब्यौरा देने के साथ ही मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं खाड़ी क्षेत्र के संकट में हमारी स्थिति और वहां सक्रिय रूप से भाग ले रही सुरक्षा परिषद और विभिन्न शक्तियों की भूमिका के बारे में बताना शुरू करूं, मुझे इस बात पर जोर देना चाहिये कि हम सभी अनिवार्यत: संयम और शांति से काम लें ताकि इस स्थिति से निपटने के लिये हम बेहतर स्थिति में आ सकें।

मेरा यह भी निवेदन है कि भारत के लिये यह बात बहुत अहम है कि भारी संख्या में भारतीय जनशक्ति खाड़ी के देशों में रोजगार जारी रखे रहे। हमारे लिये और उनके परिवारों के सदस्यों के लिये यह महत्वपूर्ण है, इसलिये हमें इस बात का ध्यान में रखना ही होगा कि अन्य विदेशी लोग भी हजारों की तादाद में वहां काम कर रहे हैं। इसलिये हमारे लिये ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश करना बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा जिसमें ऐसा लगे कि खाड़ी के देशों के सभी लोगों को और सभी भारतीयों को अवश्य ही घर लौट आना चाहिये। वहां कोरिया, फिलीपीन, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, बंग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों के लोग भारी संख्या में हैं। इसलिये हमें ऐसी धारणा और ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिये जिससे कि आंतक समाप्त हो और हमें अवश्य ही संयम से काम लेना चाहिये।

मुझे आवेश में काम करने को आदत नहीं है; मेरी ऐसी कार्यशैली है जिसमें व्यक्ति श्रेय लेने की बात न होने पर भी श्रेय लेना शुरू कर देता है, और स्वयं को ही शाबाशी देने की कोशिश करता है। जहां तक मैं जानता हू और जहां तक दुनिया और इस क्षेत्र का संबंध है, केवल भारत के प्रधान मंत्री ने ही हमारे राष्ट्रिकों की सुरक्षा का निजो तौर पर जायजा लेने के लिये और जो कुछ देखा हो, उसके बारे में इस सभा को बताने के लिये अपने विदेश मंत्री को कुवैत और ईरान भेजा। क्या मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह भी बता दूं कि मैं ही ऐसा पहला विदेश मंत्री हूं जिसने नीति तैयार करने की कोशिश में मास्को और वाशिंगटन जाने के अतिरिक्त इस संटक में बगदाद और कुवैत का दौरा किया। मेरा विचार है कि मेरे मित्रों को यह बात अवश्य समझनी चाहिये कि विदेश नीति किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखो होती कि मैं उसे पढ़ कर आपको यह बता दूं कि मैं किस नीति का अनुसरण कर रहा हूं। विदेश नीति सामने पड़ने वाली जरूरतों को बारीकी से समझ कर तय की जाती है। हमें विभिन्न कार्यवाहियों और प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखना होता है। मुझे सिर्फ यह बता देना कि हमने 1960 में ऐसा किया और 1940 में ऐसा किया, परिस्थितियों का अवलोकन करने का सही ढंग नहीं है। हम उनसे सबक ले सकते हैं, हम इतिहास से सीख ले सकते हैं, किन्तु इतिहास स्वयं को उस तरीके से नहीं दोहराता जिस तरह हम समझते हैं, इस अवस्था में मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि मेरी मास्को में सोवियत विदेश मंत्री, वाशिंगटन में अमरीकी विदेश मंत्री और बगदाद में विदेश मंत्री से बहुत उपयोगी और रचनात्मक बातचीत हुई। कृपया मुझे इस प्रकार सब कुछ बताने को न कहिये जैसे क्रिकेट मैच में बाल-दर-बाल यह बताया जाता है कि किसने बाल को हिट किया और वह कहां गई आदि।

श्री पी० एम० सईद : गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के बारे में आप क्या कहेंगे ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सम्बन्ध है, मैं अपने दोस्तों को इस बात से आश्वस्त कर दूं कि यह इस प्रकार का संकट है जिसमें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन भी संकट में पड़ गया है। सभी गुट-निरपेक्ष देश एक ही तरह से नहीं सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए सभी अरब देश इस आन्दोलन के सदस्य हैं। क्या वे एक-सा सोच रहे हैं ? क्या वे आपस में बंटे हुये नहीं हैं ? इसी प्रकार हमारे ही क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष देशों को देखिये। पाकिस्तान गुट-निरपेक्ष देश है, उसी प्रकार बंग्लादेश और हमारा देश भी है। क्या हम एक जैसा सोच रहे हैं ? इसलिये हमें मंत्रों पर नहीं चलना चाहिए। हमें मंत्र पाठ नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं मंत्र का पाठ करूंगा और शेष सब अलाउद्दीन का चिराग कर डालेगा। यह संभव नहीं है। किन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि मैं गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सम्पर्क में रहा हूं। संयोगवश 10 और 11 को बेलग्रेड में निर्गुट आन्दोलन के पंद्रह अग्रणी देशों की बैठक हो रही है। मैं जानता हूं कि वर्तमान संदर्भ में 10 और 11 और बहुत दूर पड़ने वाली तारीखें हैं। किन्तु साथ ही इसे रखना ही होगा। मेरा वहां जाने का इरादा है। यह बैठक एक अलग संदर्भ में बुलाई गई है। मैं जब पिछली बार बेलग्रेड में चेयरमैन से मिला था, तो उस समय मैंने उन्हें यह सुझाव दिया था कि शीत युद्ध के युग के बाद की बदलती दुनिया में हममें से कुछ को अवश्य ही बैठक करनी चाहिये और नये संदर्भ में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिये और सौभाग्यवश वे सहमत हो गये और उन्होंने पंद्रह देशों को आमन्त्रित किया।

उस समय खाड़ी संकट सामने नहीं था। स्वाभाविक बात है कि अब जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले हमारे ध्यान में खाड़ी का संकट ही होगा। और हम इस पर चर्चा करेंगे और कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे। किन्तु इस बीच कृपया यह ध्यान में रखें कि न्यूयार्क में निर्गुट ब्यूरो की बैठक हो रही है। हमारे पी० आर० सम्पर्क बनाये हुये हैं। वे टिप्पणियों का मिलान कर रहे हैं और एक नीति तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर यह अवश्य कह दूं कि यह नीति किसी निगम गृह की नीति नहीं है कि इसे आपको खोल कर बता सकूं क्योंकि हम विश्व की घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इसलिए इस बात की गुंजाइश देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहां हस्तक्षेप करना चाहिये और कहां नहीं करना चाहिये। इसलिये मुझे आशा है कि आप मुझसे हर सुबह यह बताने का आग्रह नहीं करेंगे कि पिछली रात क्या हुआ। मेरे लिये आपको बताना संभव नहीं होगा और न ही मेरे पास बताने के लिये अधिक कुछ होगा। किन्तु मैं आपको एक बात से आश्वस्त कर सकता हूं कि हम बहुत सावधान हैं और हम स्थिति को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और जब इतिहास लिखा जायेगा हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। आप मुझसे इतना आश्वासन तो ले सकते हैं।

अपने वक्तव्य में मैंने जहाज में खाद्य सामग्री भेजने का प्रस्ताव किया है। खाद्य सामग्री की मुझे काफी चिन्ता है। स्पष्ट है कि यदि नाकेबंदी जारी रहती है और सभी प्रकार की आपूर्ति रोकी जाती है तो कमी होगी। इसके लिए न तो ज्यादा जानकारी और न ज्यादा तर्क की आवश्यकता है। प्रत्यक्षतः यह स्पष्ट है कि यदि कुवैत और इराक में खाद्य सामग्री की कमी पैदा होती है तो इससे सबसे पहले एशियाई लोग भारतीय, पाकिस्तानी, बांगलादेशी परेशान होंगे। ऐसा कहना मेरे लिए बेमानी होगा कि इराकी पहले हमारे यहां के लोगों को भोजन देंगे और बाद में खुद खाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है। यही कारण है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य

देशों को वहां अपनी खाद्य सामग्री भेजने देने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे ऐसा जानना चाहते हैं कि यह सामग्री कुवैतियों को मिलेगी या भारतीयों को तो ऐसा आश्वासन देना संभव नहीं है। परंतु जब मैं कुवैत में गया और वहां के कुछ अधिकारियों से मैंने स्थिति पर चर्चा की तो उन्होने मुझे बताया कि यदि भारत से खाद्य सामग्री आती है तो वे यह ध्यान रखेंगे कि भारतीयों को उनका उचित हिस्सा मिले। वहां यह स्थिति है। हम नाकेबंदी में लगे देशों को समझने और उन्हें अपनी चिंता और अपनी समस्याएं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यहां के लोग चिन्तित होंगे जिनका परिवार और जिनके लोग वहां है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्ता में व्यक्त की गई चिन्ता से पता चलेगा कि यह नाकेबंदी किसके खिलाफ है। यदि संकल्प 661 खाद्य सामग्री और दवाई भेजने के लिए है तो मुझे आशा है कि यह बात मानी जाएगी। चाहे यह रेड क्रास के झंडे तले हो या रेड क्रेसेनर के, हमें हर बात स्वीकार है। परंतु हम वहां सामान पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस संदर्भ में पूरा प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।

जैसा कि पिछले दिनों मैंने माननीय सदस्यों से कहा और मैं पुनः उनसे यही कह रहा हूं कि भारत सरकार मध्यस्थ बनने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं यह बात जोर देकर कहता हूं। मेरे मित्रों ने कहा है कि आप मध्यस्थता करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। मध्यस्थता के लिए कुछ और बातें जरूरी होती हैं। मैं स्वयंभू मध्यस्थ नहीं बनना चाहता। इसलिए मुझे अपनी स्थिति देखने दीजिए। मुझे यह देखने दीजिए कि इसकी कितनी संभावना है और कितने लोग चाहते हैं कि हम मध्यस्थता करें, हमें यह देखना है कि कितने राष्ट्रों के विचार हमारे विचारों से मिलते हैं। इसलिए मध्यस्थता का यह काम जल्दी और हड़बड़ी में नहीं किया जा सकता है। परंतु इसके साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव द्वारा उठाये हाल के कदम स्वागत योग्य हैं। मैं आशा करता हूं कि यह सफल होगा। इराक के विदेश मंत्री एक-दो दिनों में सयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से मिलने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि इसके कुछ परिणाम निकलेंगे।

यह कहा गया है कि हमें इस पर नजर रखनी चाहिए और तनाव समाप्त करने के प्रयास में सहायता करनी चाहिए। इसमें हमारा स्वार्थ निहित है। तनाव समाप्त करने और युद्ध को रोकने में न सिर्फ हम देश के रूप में हमारा बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों का स्वार्थ निहित है। खाड़ी युद्ध हमें बुरी तरह तबाह कर देगा। इसलिए इस संकट को दूर करने के प्रति मेरी चिन्ता किसी से कम नहीं है। काफी घोषणा की गयी हैं, निंदा और भर्त्सना की गयी है। मुझे खेद है मैंने ऐसा नहीं किया। यह मेरे लिए काफी आसान काम होता यदि सभा मुझे कहती कि बैठ जाओ और श्रीमन 'क' और श्रीमन 'ख' और श्रीमन 'ग' की निन्दा करो, और अपना निर्णय घोषित करो कि कौन आक्रमणकारी है और कौन नहीं। यह मेरे लिए आसान होता परंतु क्या इससे समस्या का समाधान होगा। क्या इससे भारतीयों को वापस लाने में मदद मिलेगी? क्या यह ऐसा माहौल बनाने में सहायक होगा जिससे आप सभी की चिंताएं दूर हो जाएं? इसलिए यदि मैं एक उचित आवाज में बोलकर वैसा तरीका नहीं अपना रहा हूं तो यह भी नीति का मामला हो जाता है। इसलिए कृपया ऊंचे स्वर में निन्दा की भाषा में बोलकर मुझे उत्तेजित मत करिए इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। मैं इससे बच सकता हूं परंतु कल आप मुझे कोसेंगे।...(व्यवधान) इसलिए, यदि मैं इस कठिन परिस्थिति से निपटने की कोशिश करता हूं तो कृपया परिस्थिति के तथा जिस परिस्थिति में मैं काम कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश

करें जैसा कि मैंने कहा स्थिति काफी दुर्भाग्यपूर्ण हैं क्योंकि यह उस समय शुरू हुआ जब शीतयुद्ध समाप्त हुआ ही था और हम आशा कर रहे थे कि शीतयुद्ध की समाप्ति से एक नये युग की शुरूआत होगी परंतु दुर्भाग्यवश वहां एक स्थिति पैदा हो गयी है।

2 अगस्त को इराक का कुवैत में प्रवेश निसंदेह उचित नहीं ठहराया जा सकता और हमने यह कहा है और हमने यह भी कहा है कि विशेष कर शीत युद्धोपरांत युग में इस प्रकार राजनीति और कूटनीति नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है और मैं उसे दुहराता हू कि मसला किसी पर आरोप लगाने का नहीं है अभी मसला संकट को समाप्त करने का है और इसलिए मैं इस ओर ध्यान दे रहा हूं। हम किसी भी रूप में सैनिक हस्तक्षेप की बात नहीं सोच सकते। मैं समझता हूं कि सैनिक हस्तक्षेप इससे निपटने का तरीका नहीं है। हमारे क्षेत्र और हमारे क्षेत्र के कुछ देशों ने सैनिक हस्तक्षेप का तरीका चुना है, कुछ देशों ने अपनी सेना भेजने का फैसला किया है। मैं चाहूंगा कि आप इन परिस्थितियों को ध्यान में रखें।

मैं हाल ही में 'टाइम्स आफ लंदन' में समाचार पढ़ता रहा हूं जिनमें खाड़ी में तैनात या खाड़ी की ओर जा रहें अंतर्राष्ट्रीय सेना का वर्णन किया गया है और मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत ने इस पर विशेष ध्यान दिया होगा, इससे बताया गया है "आधुनिक इतिहास की नौसेना शक्ति का सबसे बड़ा बेड़ा" लगभग 100 युद्धपोत, अगले तीन सप्ताहों में उस क्षेत्र में होगा तथा नौसैनिक बेड़ा संख्या और विविधता में नैटों से पहले ही ज्यादा है। इससे विश्वयुद्ध के पूर्वानुमान को वास्तविकता के काफी नजदीक लाया है। तथापि, युद्ध के न भड़कने तथा धीरे-धीरे शान्त होने की संभावना अभी भी है जिसे मैं उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व शांति के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को पुनर्गठित करने के एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और संकल्प कहना चाहूंगा जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। मुझे आशा है यह प्रयास सफल होगा।

पेट्रोलियम काफी ज्वलनशील पदार्थ है और यह तब और ज्यादा ज्वलनशील हो जाता है जब यह ज्वलनशील मानवीय आवेश से मिलता है, पूरी विनम्रता से मैं प्रचार माध्यम के उन प्रमुख तथा अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करता हूं कि जो जनमत बनाने और बिगाड़ते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को न भड़काएं। वे लंबे समय से संताप और उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। एक बार भड़क उठने के बाद क्षेत्र के हितों को तबाह किये बगैर यह शांत नहीं हो सकता है।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की एक नीति है। आज सबेरे एक समाचार पत्र के एक पत्रकार ने मुझसे मेरी नीति के बारे में पूछा। उसने पूछा आपकी नीति क्या है ? मेरी नीति है शांति की, मेरी नीति है वहां से अपने लोगों को निकालने की, मेरी नीति है सामने आयी समस्याओं को कम करने की और इन सबों से ऊपर मेरी नीति है कि इस क्षेत्र में युद्ध की आग न भड़के। यही नीति है और यही नीति मैंने विरासत में लिया है। नेहरू की भी यही नीति थी। नीतियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है व्यापक ढांचे के मानदंड और शर्तों की। इसके अतिरिक्त विस्तृत कूटनीति होती है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की विदेश नीति मूलतः भारत तथा विश्व के स्वरूप के आधार पर बनाई गई है जिसने भारत की आजादी के पहले और उसके बाद में गांधी और नेहरू ने बनाया। स्वेज विवाद के समय पंडित नेहरू के समय के भारत ने जो भूमिका अदा की वह समकालीन इतिहास के सभी छात्रों को अच्छी तरह पता है। यह भारत की विदेश नीति की चिरस्थायी विरासत का एक भाग है। भारत अरब लोगों के निकट रहा है तथा निकट रहेगा। महोदय, आप मुझे विनम्रता से कहने की अनुमति दें कि मेरी कई देशों की हाल की यात्रायें मूलतः अरब

लोगों के निकट बने रहने की इस नीति के अनुसार हैं। वे हमारे पड़ोसी हैं। वे हमारे मित्र हैं। हमारा एक साझा इतिहास है। हममें बहुत अधिक समानता है। मैं इस संकट-काल में अरब लोगों के साथ हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अरब लोगों को बांटना चाहते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो उस देश को प्रतिनिधित्व करता है—मैं नेहरू जी की विरासत का पुन: आकार व्यक्त करता हूं—जो अरब लोगों को एक रखना चाहती है। यदि इस काम में अस्थायी कठिनाइयां आएंगी तो मैं इस मामले में पच्चर लगाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं वह व्यक्ति होऊंगा जो हमेशा एकता की वकालत करूंगा तथा ऐसा कहना की कोशिश करूंगा तथा उनको यह समझाऊंगा कि वे अरब जगत के भीतर ही अपनी समस्याओं का अपने आप समाधान कर लें। मेरे विचार से यही बेहतर उपाय है।

महोदय, विशेष रूप से सऊदी अरब हमारा सदियों पुराना दोस्त है। जैसाकि मैंने खाड़ी के अन्य देशों के बारे में कहा है, हम जानते हैं कि वे इस घटनाक्रम से प्रसन्न नहीं हैं। दुनिया यह :ाश्त नहीं कर सकती कि खाड़ी संकट के लम्बे समय तक चलते रहने से तेल के दाम बढ़कर 40 डालर प्रति बैरल से भी अधिक हो जाएं। दुनिया इस तरह का झटका फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती। विकासशील देशों की स्थिति 1979 की स्थिति से भी बहुत खराब है तथा अधिकांश विकसित देशों की आर्थिक दशा भी दीर्घकालिक विश्वव्यापी ऊर्जा संकट को बर्दाश्त करने की नहीं है।

कुछ साथियों ने भंडार की स्थिति के बारे में पूछा है। भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि हम कुछ हद तक अपना पालन-पोषण करने की स्थिति में हैं। इसके लिए हम अपने संसाधनों के आभारी हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस संकट पर काबू पा सकते हैं। मेरा विचार है कि वह मामला है जिस पर सम्पूर्ण देश को अपनी कमर कसनी होगी। मुझसे यह मत पूछिए कि क्या आपके पास तीन दिन का, तीन हफ्ते का अथवा तीन महीने का भंडार बचा है? मेरा विचार है कि वह समय आ गया है जबकि हम सबको राष्ट्रीय जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए कि स्थिति कठिन हो सकती है। जब बचत करने का कोई अर्थ नहीं है तो हमें बचत नहीं करनी चाहिए। अब हम बचत शुरू करनी चाहिए। रोज सरकार की आलोचना करने का कोई अर्थ नहीं है कि आपके द्वारा उठाए जा रहे कदम समुचित नहीं हैं। क्या हम एक राष्ट्र के रूप में इस संकट को महसूस कर रहे हैं, हम सबको योगदान करना होगा तथा जब तक हम सब योगदान नहीं करते कठिनाइयों पर काबू नहीं पाया जा सकता? मैं फिर कहूंगा कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो वर्तमान स्थिति में केवल बरबादी देखना उचित नहीं है। मुझे विश्वास है कि भारतीय लोग बहादुर हैं किन्तु फिर भी उनको खाड़ी क्षेत्र में कठिनाई हो रही है। उनमें कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत तथा योग्यता है। मैंने खुद देखा है कि वे इस विपत्ति का किस तरह से सामना कर रहे हैं। इसलिए हम इस वर्तमान स्थिति में वर्तमान संकट का असैनिक समाधान तथा युक्तिसंगत समझदारी की बात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करते हैं।

अत: मैं उनके साथ हूं जिनके साथ भारत है जो इस समस्या के असैनिक समाधान तथा समझदारी की बात कर रहे हैं। क्या मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि हम जोर्डन सरकार के आभारी हैं? क्योंकि मेरा विचार है कि जोर्डन सरकार का पिछले कुछ दिनों में कुवैत से आए भारतीयों तथा आगे आने वाले भारतीयों के प्रति किया गया उदारतापूर्ण व्यवहार तथा हमें उनसे प्राप्त सहयोग असाधारण रहा है। मेरा विचार है कि वे हम सबके धन्यवाद के अधिकारी हैं।

मैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। पाकिस्तानी सेना ने इस बार एक मुस्लिम राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करके पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय विवाद में आगे ला खड़ा किया है। पाकिस्तानी सेना की इस कार्यवाही का समर्थन या विरोध करना पाकिस्तान के लोगों का काम है। ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई ने पाकिस्तान के लोगों को बांट दिया है जैसा कि 1956 में स्वेज विवाद के समय हुआ था यह संभावना है कि यदि खाड़ी संकट अक्तूबर के बाद भी जारी रहा तो इसका पहला असर पाकिस्तान के भावी चुनावों पर पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, खाड़ी संकट तथा इसमें पाकिस्तान की सक्रिय भागीदारी से पाकिस्तान की जनता को लोकतंत्र की फिर से स्थापना से अनिश्चित काल के लिए वंचित रखा जा सकता है।

हमें पाकिस्तान द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी हथियार तथा नवीनतम नौसैनिक हथियार तथा पोत अथवा नए उत्पाद प्राप्त करने में लगे रहने को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन सबके कारण हम सबको भी गहरी चिन्ता होना स्वाभाविक है।

आप सबको धन्यवाद देने से पहले मैं कुछ बातों का उत्तर देना चाहता हूं। मैंने कुवैत के राजदूत को उन टिप्पणियों को गहरी चिन्ता के साथ सुना है। वह बहुत निपुण राजनैतिक हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं तथा उनकी इज्जत करता हूं। और इसलिए मुझे आश्चर्य है क्योंकि जब उन्होंने मेरे वहां से भारत आने वाले दिन मिलने का अनुरोध किया तथा मेरे कार्यालय ने केवल एक ही उत्तर दिया अर्थात् मैं ज्यों ही वापस आऊंगा तो उनसे मिलूंगा। मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं क्योंकि वह भी बहुत कठिन हालात में काम कर रहे हैं; किन्तु मैं उनको सार्वजनिक रूप से विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा अभिप्राय···।

श्री संतोष मोहन देव : क्या आप वापस जाने के बाद उनसे मिले ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : उन्होंने मेरे अधिकारियों के साथ भेंट की तथा उन्होने अपने मंत्री, जिनका आना तय हो गया है, के दौरे के बारे में हमें जानकारी दी। अतः, मैं कह सकता हूं कि हमारा उनका अथवा कुवैत का किसी भी तरह से अनादर करने का अभिप्राय नहीं था। हम कुवैत तथा कुवैत के लोगों के साथ अपनी दोस्ती का सम्मान करते हैं। इसीलिए, यहां कुवैत का दूतावास काम कर रहा है तथा उसे वे सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो सुविधाएं इस देश में प्रत्येक दूतावास को मिलती हैं।

अतः, यह प्रश्न वास्तव में इससे संबंधित है तथा मैंने कल भी यह बात कही थी अर्थात् कुवैत में अपने दूतावास को बंद किये जाने के बारे में कहा था। यह एक असाधारण स्थिति है। इराकी अधिकारियों ने किन्हीं कारणों से—मैं इस बारे में टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ—यह निर्णय लिया कि कुवैत स्थित सभी दूतावास बंद कर दिए जाएं। हमारे पास केवल एक विकल्प बचा था और वह यह कि या तो हम इसको नजरअंदाज करके वहीं डटे रहें तथा अपने लोगों के लिए अनुपयोगी हो जाएं—कोई दूतावास अपने नागरिकों के काम कैसे आ सकता है यदि मेजबान देश इसको स्वीकार नहीं करता है; यह मुख्य मुद्दा है—अथवा उसे बन्द कर दें। इसलिए हमने यह इंतजाम किया था कि कुछ कनिष्ठ अधिकारी, गैर-राजनयिक लोग वहां काम करते रहेंगे तथा अधिकांश राजनजिकों का बसरा स्थानान्तरण कर दिया जाएगा? किन्तु एक अथवा दो राजनयिक हमारे नागरिकों की सहायता के लिए प्रतिदिन कुवैत जाते रहेंगे।

अतः, वर्तमान परिस्थितियों में यही बेहतर इंतजाम किया जा सकता था। आप 27 अगस्त तक पिछले दो दिनों में अधिकांश दूतावास बंद कर दिए गए हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम कुवैत

के संबंध में इराक की कारंवाई की निन्दा करते हैं। मेरा विचार है कि इसकी मूल अभिव्यक्ति यह है कि यहां कुवैत का दूतावास काम करता रहे। मेरा विचार है इससे ये बातें स्पष्ट हो गयी होंगी।

मेरे मित्र श्री कुमारमंगलम ने तेल के भंडारों की स्थिति के बारे में मुझसे पूछा है। मैंने एक तरह से इसका उत्तर दे दिया है। तेल को मूल्य बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनमें रोज उतार-चढ़ाव आ रहा है। मुझे कल बताया गया कि बाजार मूल्य 30 डालर है। मुझे आशा है कि इस सभा को इस बात की जानकारी है कि तेल के मूल्य में एक डालर की वृद्धि होने से भारत पर 400 करोड़ रु० का अतिरिक्त भार पड़ता है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : क्या मूल्यों में कमी भी हो रही है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मूल्यों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं है। इस समय तेल का मूल्य लगभग 29 डालर से 31 डालर तक है। इसलिए, एक परेशानी मूल्यों की तथा दूसरी परेशानी तेल प्राप्त होने की है। उन्होंने मुझसे विकसित देशों के ऋण तथा अन्य बातों के बारे में भी पूछा था। मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम कई लोगों के सम्पर्क में हैं; किन्तु बहुत अनिश्चित उत्तर मिल रहे हैं। किन्तु हम प्रयास जारी रखे हुए हैं।

नागारिकों को वापस लाने के मार्ग के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। मेरा विचार है कि मैंने इसका ठीक से उत्तर दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि यदि ईरान का मार्ग खुल जाता है तो आने वाले कुछ दिनों में हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी तथा हमारे नागरिकों को इतनी अधिक परेशानी नहीं होगी।

मेरे मित्र श्री फलेरो ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था।

8.00 म०प०

वह स्वयं विदेश मंत्री रह चुके हैं। मैं यह समझता था कि उन्हें विदेश मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में अच्छी जानकारी होगी; उन्हें उनके बारे में जानना चाहिए था। मैं सभा को जो बताना चाहता हूं वह यह कि यह प्रश्न पूछा गया था कि हताहतों के बारे में सूचना पहले क्यों नहीं प्राप्त की गई ? यह बहुत ही साधारण सी बात है। इसका कारण यह है कि संचार व्यवस्था सुलभ नहीं हो पाई थी। इसका कारण यह भी है कि कुवैत में हमारे मिशन में दुर्भाग्य से बेतार की व्यवस्था नहीं की गई थी। मैं यह चाहूंगा कि पिछली सरकार यह स्पष्ट करे कि वहां यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी ? अब हम वहां यह व्यवस्था करने जा रहे हैं अब हम खाड़ी के सभी देशों में बेतार व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि यदि सामान्य संचार व्यवस्था ठप्प हो जाए तो हम वहां रहने वाले लोगों के बारे में स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें। यह प्रश्न भी उठाया गया कि मैं बेलग्रेड क्यों नहीं गया। मैं सैर-सपाटे पर नहीं था। मैं किसी प्रयोजन से यात्रा कर रहा था। मैं अपना गुणगान करने नहीं गया था। मैं घर आकर हर सुबह यह नहीं बताना चाहता था कि मैं वहां अमुक लोगों से मिला था जो यह समझे कि मैं एक महान व्यक्ति हूं। मैं वहां प्रमाण-पत्र लेने के लिए नहीं गया था। मैं जानता हूं कि वहां मेरे भारतीय लोग संकट में हैं। इसलिए, मैं केवल वहां इसलिए जाता हूं, ताकि मैं अपने लोगों के कष्ट दूर कर सकूं। जैसाकि मैंने कहा है कि मैं बेलग्रेड जाऊंगा जब वहां बैठक होगी। परन्तु केवल अन्वेषणात्मक दौरे पर जाने से कोई प्रयोजन हल नहीं होना।

उन्होंने मुझे गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में पूछा है। मैं भारत के प्रयासों के बारे में पहले

ही बता चुका हूं । हिन्दी में एक कहावत है कि सारी रात रामायण की कथा हुई। सुबह कथावाचक से यह पूछा गया कि राम कौन था ? भारत ने जो पहल की है उसके बारे में हम सबको पता है। किसी ने यह कहा कि खाड़ी में राष्ट्र संघ का झण्डा होना चाहिए । ठीक है, यह झण्डा हर जगह होना चाहिए । मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि सम्बन्धित देश भी इसे मानेंगे। इसके बाद उन्होंने मुझसे इजराइल अधिकृत भूमि से सेनाएं हटाने के बारे में भी पूछा है। हम इसके लिए प्रयास जारी रखेंगे । मुझे आशा है कि जब खाड़ी संकट के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जायेगा तो इसमें सभी समस्याओं पर विचार होगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि खाड़ी समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है यदि इस पर मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जाए । इजराइल ने कुछ भूमि हथिया ली है। वे लोग, जो कुवैत के बारे में बहुत चिन्तित हैं जिनका चिन्तित होने का कोई कारण भी है, इसके लिए अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते ? कुछ ऐसे लोग हैं जो इसलिए कठिनाई उठा रहे हैं क्योंकि उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया था और वे वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं। फिलिस्तीनी जनता कष्ट भोग रही है। भारत इसके लिए लगातार आवाज उठाता आया है। इसलिए, भारत की इस मुख्य नीति का भारत की सभी सरकारों ने अनुसरण किया है और इससे भारत मजबूत हुआ है इसलिए मैं आशा करता हूं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाएगा तो यह इस समस्या पर समग्र रूप पर विचार करेगा और केवल तभीं इस समस्या का समाधान होगा।

हमारे लिये यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की इस बारे में क्या रुख है और तेल के मामले में तथा तेल की कीमतों के बारे में मूल्यांकन क्या है। मेरे विचार से जो इस स्थिति को बिगाड़ रहे हैं उन्हें विकासशील देशों की समस्याओं को अवश्य समझना चाहिए।

श्री पुजारी ने मुझसे कर्नाटक तथा त्रिचूर में खोले जाने वाले सूचना केन्द्रों के बारे में कहा है। मैंने यह बात मान ली है। हम उन्हें तत्काल खोलेंगे क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। (व्यवधान) मैंने कहा है कि त्रिचूर में भी हम सूचना केन्द्र खोलेंगे।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : आप कालीकट में भी सूचना केन्द्र खोलिये ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : वहां तो पहले से है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जहां अधिक लोग हैं, हम जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसीलिए इस समय केरल में तीन सूचना केन्द्र हैं। अब मैंने उनसे त्रिचूर में एक सूचना केन्द्र खोलने के लिए कहा है। मैं यह सूचना केन्द्र खोल दूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : तिरुवल्ला, त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन के ठीक मध्य में है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं अपने माननीय मित्रों को आश्वासन दे सकता हूं कि वे जो करवाना चाहते हैं, मैं उन्हें उसके लिए शर्मिन्दा नहीं होने दूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : क्या आप इसे बंगलौर और मंगलौर के बीच खोल रहे हैं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कृपया मुझे लिख कर दे दीजिये । मेरे लिए ऐसा करना आसान हो जाएगा। हम अपने लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए आतुर हैं। एक बात मुझे स्पष्ट कर देनी चाहिए कि मेरे लिए अभी भी वहां से सूचना प्राप्त करना आसान नहीं है। वहां अब एक बेतार

केन्द्र चालू है। हम अपने बेतार केन्द्र में और उपकरण लगाकर इसे बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार यह हो जाए तो और अधिक सूचना आएगी।

मेरे माननीय साथी महसूस करते हैं कि उनके प्रश्नों का समुचित रूप से उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यह उपस्कर व्यवस्था संबंधी समस्या है न कि इच्छा शक्ति की, क्योंकि हमारे समक्ष वास्तविक कठिनाई यही है।

बहुत से स्थान पर और कर्मचारी दिए गए हैं। कार्य के अनुसार इस क्षेत्र में हमारे दूतावासों को मजबूत बनाया गया है। अम्मान में दो अतिरिक्त अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी, एक सहायक तथा एक निजी सहायक को मुख्यालय से भेजा गया है तथा बेरूत से एक प्रथम सचिव तथा एक सचिव को अस्थायी तौर पर भेजा गया है। बगदाद से दो कर्मचारी तथा एक निजी सहायक भी दमिश्क भेजा गया है। दमिश्क में ये अतिरिक्त कर्मचारी भेजे गए हैं। इसलिए जहां कहीं भी जरूरत समझी जाती है, हम कर्मचारियों की सहायता के लिए और कर्मचारी भेजने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं है।

पत्रों के बारे में हमने घोषणा की है कि वे सभी लोग, जो पत्र भेजना चाहते हैं, 'डिप्लोमेटिक बैग' का उपयोग कर सकते हैं। इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये बगदाद होकर जाएंगे परन्तु वे भारतीय डाक टिकट लगाकर, आंतरिक डाक टिकटों से 'डिप्लोमेटिक बैग अनुभाग' को पत्र भेज सकते हैं। उसके बाद उन पत्रों को ले जाया जाएगा, मैंने घोषणा की है कि उधर से भी हम 'डिप्लोमेटिक बैग' में सभी पत्र लायेंगे।

मेरे विचार से एक या दो बातें और हैं जिनको मुझे स्पष्ट करना चाहिए। उनके पुनर्वास की बात की जा रही है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जब हमारे लोग वहां से वापस आते हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। मेरा यह विनम्र सुझाव है कि इतने बड़े पैमाने पर पुनर्वास करना किसी भी सरकार के बूते से बाहर है। पूरे राष्ट्र को इस काम को करना होगा। आओ इस मामले में हम सब एक हो जाएं, सार्वजनिक रूप से निजी रूप से चन्दा एकत्र करके, धनराशि एकत्र करके हम सब पूरी तरह से मिलकर पूरी ताकत लगाएं और मैं समझता हूं कि संकट में भारत की यही शक्ति रही है। इसलिए, मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि, "केवल सरकार पर निर्भर न रहें, सरकार भरसक प्रयास करेगी।" सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में आप सब जानते हैं। अन्ततः आपको निधि स्वीकृत करनी है। इसलिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह एक ऐसा अवसर है जिसके लिए सम्पूर्ण राष्ट्र को तैयार रहना है और मिलजुलकर इस आपत्ति का सामना करना है। यह हम सबकी आपत्ति है। यह आपत्ति केरल की नहीं है, यह कर्नाटक की नहीं है, यह राजस्थान की नहीं है, यह भारत की है। इसलिए, विशेष रूप से भारत के उन भागों को जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं उन्हें उन राज्यों की सहायता करनी चाहिए जो इस संकट के कारण कठिनाई उठा रहे हैं। वह भारत की एकता का प्रमाण होगा। न केवल हमें दलगत भावना से ऊपर उठना होगा बल्कि हमें अपने सभी धर्मों तथा सभी भाषाओं बंधनों को तोड़कर संकट की इस घड़ी में मिलकर अपनी पूरी ताकत लगानी होगी।

मंत्रालय में कक्ष के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इस उद्देश्य के लिए हमने एक पूर्ण प्रमाण पहले ही बना दिया है और इसीलिए मंत्रालय इस स्थिति का सामना करने का प्रयास कर रहा है। कुवैती दीनार के मूल्य का भी उल्लेख किया गया है। यह तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं का मूल्य भारत निर्धारित नहीं करता। वस्तुतः, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय रुपये

का मूल्य हम निर्धारित नहीं करते। यह ऐसी स्थिति है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और यदि इस तरह के संकट में जैसा कि अब है, दीनार का अवमूल्यन हो गया है तो हमें आशा और प्रार्थना करनी चाहिए कि यह एक अस्थायी दौर है और यह कि शीघ्र ही स्थिति पुन: बेहतर होगी।

मैंने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के बारे में बताया है। मेरे विचार से मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री पी० एम० सईद : कुवैती दीनार को इराकी दीनार में बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि लोग कुछ खरीद सकें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जब मैं वहां था तो इराक सरकार ने घोषणा की थी कि एक इराकी दीनार एक कुवैती दीनार के बराबर है। यह बात इस संकट से पहले की है, परन्तु अब स्थिति बहुत भिन्न है। इसलिए, जब बैंकों ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने निर्णय लिया है कि यदि लोग चाहें तो वे सभी राशियां इराकी दीनार में ले सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या हम दीनार के अवमूल्यन के बारे में कुछ नहीं कर सकते ? लेकिन मैंने यह कहा है कि क्या हम अपने लोगों को, जब वे दीनार लाएं बैंकों, के माध्यम से विनिमय की वह दर, जो 23 अगस्त से पहले थी, नहीं दे सकते ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं कोई वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हूं। यदि कोई व्यक्ति इसमें रुचि ले रहा है तो वह व्यवसायिक रुचि है। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यही कारण है कि भारत सरकार ने यह कह कर एक असाधारण कार्य किया है कि 5000 रु० तक वह 25 रु० प्रति दीनार की दर से विनिमय करेगी और ऐसा किया गया। परन्तु मुख्य बात यह है कि यह सभा भारत के सभी वित्तों की अभिरक्षक है और यदि यह सभा महसूस करती है कि भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति ऐसी है कि वह दे सकती है, तो हर हालत में ऐसा कीजिए। मैं इस बारे में 'मना' करने वाला कौन होता हूं क्योंकि यह आपका पैसा है और इस बारे में आपको निर्णय लेना है। मेरे विचार से, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें वित्त मंत्री से विचार-विमर्श करने तथा यह देखने की जरूरत है कि इस बारे में सम्भावनाएं कैसी हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने हर मुद्दे पर चर्चा कर ली है और इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इन सबका मुख्य कारण इराक का कुवैत पर आक्रमण, इराक की नाकाबंदी तथा इसके फलस्वरूप युद्ध जैसी स्थिति होना है। सद्दाम हुसैन ने साफ-साफ कहा है कि यदि इजराइल अरब देशों का अधिकृत इलाका खाली कर देगा तो इराक भी कुवैत से हट जाएगा। तब तो सारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा। इस विषय के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने वही निर्णय लिया है जो सद्दाम हुसैन ने लिया है, हम इसका समर्थन करते हैं अथवा हम चाहते हैं कि अन्य देश इसका समर्थन करें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे मित्र श्री भोगेन्द्र झा चाहते हैं कि मैंने जो बात साफ-साफ नहीं कही इसे साफ-साफ कहूं। मेरे विचार से, मैंने यह कहा है कि अरब जगत की समस्त समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। उससे ही स्थाई शान्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : कुवैत में केरल के बहुत से लोग हैं। क्या आप अम्मान से

त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट की सीधी उड़ानें शुरू करने की सम्भावना पर विचार करेंगे ? और बाद में बसरा से।··· (व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जी हां। मैं अपने मित्र नागर विमानन मंत्री के साथ इस पर विचार कर रहा हूं कि विमान बम्बई में उतरने की बजाए सीधे केरल जाएं।

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : कुवैत की वर्तमान सरकार लोगों को विशेषकर हस्प-तालों में काम कर रहे डाक्टरों तथा नर्सों का वापस नहीं आने दे रही। कृपया उनका ध्यान रखिये। यदि वे भारत वापस आना चाहते हैं तो कृपया उनके लिए कुछ कीजिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : क्या मैंने आपकी बात ठीक-ठीक समझी है कि आप उन लोगों के लिए कुछ करवाना चाहते हैं जो वापस आना चाहते हैं ? क्या मैंने आपकी बात ठीक-ठीक समझी है। (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद : केरल के बहुत से लोग कुवैत के हस्पतालों में काम कर रहे हैं। वे भारत वापस आना चाहते हैं। अब कुवैत पर इराक से कब्जा है। वहां के प्राधिकारी उन्हें वापस नहीं आने देते।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे इस बात का पता नहीं कि कितने भारतीय वापस आना चाहते हैं ' परन्तु हमें सूचना मिल रही है कि इराक सरकार कुछ भारतीयों को इसलिए अनुमति नहीं दे रही क्योंकि वे अनिवार्य सेवाओं में हैं। उन मामलों में आप क्या करेंगे ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह सच है कि इराक सरकार नहीं चाहती कि वे लोग वापस आएं जो अनिवार्य सेवाओं में हैं। उदाहरणार्थ, कुवैत में लगभग सम्पूर्ण दूर संचार व्यवस्था भारतीयों पर आश्रित है। अब मेरा उनसे यह कहना अनुचित होगा कि उनकी संचार व्यवस्था ठप्प होती है तो हो जाए परन्तु भारतीयों को वापस आने दो। क्या ऐसा नहीं है ? इसी प्रकार हमारे डाक्टरों की बहुत मांग रही है और वे उनके हित के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अब आप इस उलझन को समझ सकते हैं। इसलिए मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। परन्तु मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उनको कुवैत से निकालने का कार्य एक बार शुरू तो हो जाए और पहले पर्याप्त संख्या में लोग वहां से बाहर आ जाएं। तब मैं उन समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। परन्तु इस अवस्था में उन समस्याओं की ओर ध्यान देना बुद्धिमत्ता नहीं होगी।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं माननीय मंत्री महोदय को इतना अच्छा उत्तर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यदि मैं उनकी बात ठीक तरह से समझा हूं, अंग्रेजी के बारे में मेरा ज्ञान बहुत अधिक नहीं है तो उन्होंने यह कहा था कि उनके लिए सभा में आकर वहां की हर रोज की घट-नाओं के बारे में बताना सम्भव नहीं है। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि आप अपनी विदेश नीति के बारे में रहस्योदघाटन करें। परन्तु आज आपने स्वयं कहा कि वहां जाने वाले नागरिक विमानों पर रोक है, आप सैनिक विमान भेजने की सम्भावना का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी अभी आपको अनुमति नहीं मिली है। जब यह खबर समाचारपत्रों में आएगी तो आपको अब तक जो सफलता मिली है इससे उसका खण्डन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपसे यह नहीं चाहते कि आप इस मामले पर अपनी कूटनीतिक प्रगति के बारे में हमें बताएं। परन्तु आपको इस समस्या के मानवीय पहलू के बारे में हुई प्रगति के बारे में हमें बताना चाहिए। कृपया हमें इस आधार पर इस मामले की जानकारी के बारे में वंचित न रखें कि आपके

पास यहां आए

तब तक हर रोज हमें बताने का समय नहीं है। अन्यथा जब भी समाचार पत्रों में समाचार आएगा (व्यवधान) रोज घबराहट रहेगी। कम से कम, आपको उस दृष्टि से सही कदम उठाना चाहिए···

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं। मेरा कहने का यह अभिप्राय नहीं था। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं न केवल सभा में बताता रहूंगा बल्कि निजी तौर पर भी किसी तरह की पूछताछ जो मेरी जिम्मेदारी है, के बारे में बताता रहूंगा क्योंकि इस तरह की जानकारी मेरी कोई निजी सम्पत्ति नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : आपके बोलने तथा सूचना देने के बारे में यहां बहुत से सदस्यों का सम्बन्ध है। कृपया यहां आकर इस तरह से बोलिए जैसे आप अब बोले हैं।··· **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि उनकी बात को बहुत अच्छी भावना से लिया गया है और उस पर कार्यवाही की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.15 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 अगस्त, 1990/6 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

चौधरी मुद्रण केंद्र, 12/3 श्री राम मार्ग, दिल्ली मौजपुर, दिल्ली-53

पी०एल०एस० — 48/9/11/90 (एम०)
225

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स,
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित